भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए

15 मई 2000
को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
को राज्य सभा में रखा गया
15 मई 2000

संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
थलसेना और आयुध फैक्टरियाँ
2000 की संख्या 7

विषय - सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		v
विहंगावलोकन		vi
अध्याय I - रक्षा सेवाओं के लेखे		
रक्षा व्यय	1	1
प्राधिकरण और व्यय	2	2
अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन	3	3
वसूलियों के कारण व्यय में कमी	4	4
अनुदानों में 100 करोड़ रूपये से अधिक की बचतें	5	5
अनुदानों /विनियोजन पर आधिक्य	6	6
प्रावधान में निरंतर बचत	7	6
निरंतर आधिक्य	8	8
विशेष उड़ानों/ विमान वहन के प्रति बकाया राशियाँ	9	8
अन्तिम रूप दिए जाने/ नियमितिकरण हेतु बकाया हानियाँ	10	8
उचंत खातों में शेष	11	9
मार्च माह में अत्यधिक व्यय	12	10
अध्याय II - रक्षा मंत्रालय		
सरकारी हितों की सुरक्षा करने में विफलता	13	11
एक शस्त्र प्रणाली की मरम्मत पर निष्फल व्यय	14	13
जोखिम क्रय प्रक्रिया का अनुपालन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय	15	14
लेखापरीक्षा के बताने पर वसूली/बचतें	16	15
लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/ विभागों की प्रतिक्रिया	17	18
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	18	19
अध्याय III - थलसेना		
पुनरीक्षा इन्फैन्ट्री यौद्धी वाहनों एवं इंजनों की ओवरहाल	19	20

विविध		
टी-72 टैंकों हेतु निर्मित नालों का अस्वीकरण	20	29
विनिर्माण दोषों के कारण सुरंगों का अवश्रेणीकरण	21	31
भण्डारण अवधि के दौरान मिसाइलों की मरम्मत न हाने के कारण हानि	22	33
दोषपूर्ण बुलेटप्रूफ विन्डस्क्रीन शीशों की अधिप्राप्ति	23	34
उच्च दरों पर बैटरियों की अधिप्राप्ति	24	35
निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा घटिया स्तर की मच्छरदानियाँ स्वीकार करना	25	37
भण्डार का प्रश्नास्पद क्रय	26	38
जोखिम क्रय कार्रवाई में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय	27	40
मूल्यवान रक्षा भूमि पर अधिवासित एक व्यवसायिक क्लब से बकायों की वसूली न होना	28	41
एक परीक्षण रेन्ज के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र के उपलब्ध कराने में निष्फल व्यय	29	42
एक विमानन बेस की स्थापना में विलम्ब	30	43
भूमि को कब्जे में लेने में विलम्ब के कारण वृक्षों की चोरी	31	44
भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकार्य भुगतान	32	45
परिसम्पत्तियों के अनुपयोग के कारण निरर्थक निवेश	33	47
जे0सी0ओ0 के लिए पारिवारिक आवास का विवाहित अफसरों के आवासों में अनुचित पुनर्विनियोजन	34	48
जे0सी0ओ0 के लिए पारिवारिक आवासों का अनधिकृत उपयोग	35	49
अध्याय IV - निर्माण कार्य एवं सैन्य इंजीनियरी सेवाएं		
सीवरेज शुल्क का अनुचित भुगतान	36	50
संविदा करने में विलम्ब के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय	37	51
कार्य छोड़ने पर ठेकेदारों से सरकारी भंडार की वापसी सुनिश्चित करने में लापरवाही	38	53
एक अनुपयुक्त स्थान पर एक व्योमस्थ टंकी का निर्माण	39	54
एक संविदा के रद्द करने के कारण परिहार्य व्यय	40	55
अध्याय V - अनुसंधान एवं विकास संगठन		
एक रॉकेट के देशज़ीकरण पर निरर्थक व्यय	41	57

अध्याय VI - सीमा सड़क संगठन		
पुनरीक्षा महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा सेतुओं के निर्माण में विलम्ब	42	60
विविध एक ठेकेदार को लाभ पहुँचाने हेतु ठेका देने में जान-बूझ कर विलम्ब	43	72
अध्याय VII - आयुध फैक्टरी संगठन		
आयुध फैक्टरी संगठन का कार्य	44	74
पुनरीक्षा 155 मि.मी. गोलाबारूद का देशज़ उत्पादन	45	84
उत्पादन **योजना** उच्च अस्वीकरण के बावजूद गोलाबारूद का उत्पादन जारी रखना	46	98
बक्सों का अविवेकपूर्ण उत्पादन	47	99
मांग पत्रों के अल्पसमापन के परिणामस्वरूप भंडारों का अवरूद्ध होना	48	100
निर्माण एक रसायन का अमितव्ययी उत्पादन	49	102
दोषपूर्ण निर्माण के कारण हानि	50	103
दोषपूर्ण उत्पादन को छिपाने के लिए अनुमेय अस्वीकरण सीमा को बढ़ाना	51	105
विजयंत टैंक का शक्ति संवर्धन	52	110
भण्डार एवं मशीनरी का प्रावधान **भंडार** अपात्र फर्मों से भंडारों की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय	53	112
देश में ही विकसित भण्डार का परिहार्य आयात	54	113
एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सर्च लाइट क्रय करने के कारण अतिरिक्त व्यय	55	114

मशीनरी		
एक मशीन की अनावश्यक अधिप्राप्ति	56	115
आयातित ग्राइंडिंग मशीन का चालू न होना	57	117
निरीक्षण		
दोषपूर्ण स्टेबीलाइज़रों की अधिप्राप्ति	58	118
विविध		
उपयोग की कोई सम्भावना न होने के बावजूद कोबाल्ट का निपटान न करना	59	119
विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान	60	120
अन्तर्फैक्टरी आपूर्तियों में दोषों को छिपाना	61	121
लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया	62	122
परिशिष्ट		124

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह वर्ष 1998-99 के रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखों से उद्‌भूत मामलों के साथ-साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सहित रक्षा मंत्रालय, थलसेना और आयुध फैक्टरियों के वित्तीय लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा से उद्‌भूत अन्य विषयों से संबंधित है।

प्रतिवेदन में 59 पैराग्राफ तथा (i) इन्फैन्ट्री योद्धी वाहनों एवं इंजनों का ओवरहॉल (ii) महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा सेतुओं के निर्माण में विलम्ब (iii) 155 मि0मी0 गोलाबारूद का देशज़ निर्माण पर तीन पुनरीक्षाएं सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान लेखापरीक्षा में देखने में आए थे और वे भी जो पिछले वर्षों के दौरान देखने में तो आए थे किन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे।

विहंगावलोकन

रक्षा सेवाओं के लेखे

रक्षा सेवाओं का वर्ष 1998-99 के लिए अनुदान की पाँच माँगों के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान 42385.05 करोड़ रूपये था जिसके प्रति कुल वास्तविक व्यय 41363.51 करोड़ रूपये था। अनुदान संख्या 21,22 एवं 23 के दत्तमत खण्ड में बजट प्रावधानों के प्रति क्रमशः 289.57 करोड़ रूपये, 675.39 करोड़ रूपये और 332.72 करोड़ रूपये की बचतें हुईं जिनके लिए लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण टिप्पणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, अनुदान संख्या 19 एवं 20 के दत्तमत खण्ड में क्रमशः 131.68 करोड़ रूपये एवं 143.25 करोड़ रूपये तथा अनुदान संख्या 23 के प्रभारित खण्ड में 8.98 करोड़ रूपये का अनुमोदित प्रावधान से अधिक व्यय हुआ जिसे नियमित किये जाने की आवश्यकता है। चार अनुदानों में कुल व्यय का 25 प्रतिशत से 48 प्रतिशत व्यय मार्च 1999 में किया गया था।

इन्फैन्ट्री योद्धी वाहनों एवं इंजनों का ओवरहॉल

- समुन्नत युद्ध क्षमताओं, संचलन और नाभिकीय विकिरण से सुरक्षा उपलब्ध कराने में सक्षम इन्फैन्ट्री यौद्धी वाहनों (बी0एम0पी0) को थलसेना में 1977 में प्रवर्तित किया गया था। बी0एम0पी0-I के अधिकांश बेड़े का 1981-85 में आयात किया गया था। बी0एम0पी0-II नामक बी0एम0पी0 का समुन्नत संस्करण 1986 में सेवाओं में प्रवर्तित किया गया था। बी0एम0पी0-II बेड़े के 24 प्रतिशत का 1986-90 में आयात किया गया था और 76 प्रतिशत का 1988-99 के बीच देश में निर्माण किया गया था।

- ओवरहॉल सुविधाएं 1986 में संस्वीकृत की गई थीं तथा प्रवर्तन दर में कमी और प्रथम ओवरहॉल 8वें वर्ष के स्थान पर 12वें वर्ष में कर दिये जाने के कारण, संस्वीकृति स्थगति कर दी गई थी। मंत्रालय ने एक विद्यमान कार्यशाला में मार्च 1998 तक ओवरहॉल सुविधाओं की स्थापना हेतु छः वर्ष उपरान्त वर्ष 1994 में नई संस्वीकृति जारी की। बी0एम0पी0-I वाहन के सेवा में प्रवर्तन के 15 से 19 वर्ष बाद भी ओवरहॉल सुविधाएं अभी स्थापित की जानी थीं।

- वर्ष 1993 में ओवरहॉल का आधार निर्माण काल से बदलकर किलोमीटर चलने पर कर दिया गया था। 130 बी0एम0पी0-I वाहनों को ओवरहॉल के लिए भेजे जाने से पता लगा कि ये वाहन खराब हो जाने के कारण भेजे गए थे जो वाँछनीय नहीं है।

- ओवरहॉल सुविधाओं की स्थापना में विलम्ब से यह स्थिति हो गई कि 1981 में निर्मित 114 बी0एम0पी0-I वाहन और 495 ईंजन अनिवार्य ओवरहॉल की प्रतीक्षा में थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 12.37 करोड़ रूपये से 250 नये इंजनों का आयात किया गया और 247 इंजनों की 5.83 करोड़ रूपये से विदेश में मरम्मत कराई गई।

- वर्ष 1994-95 से 1998-99 के दौरान वाहनों और इंजनों के ओवरहॉल के लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में बेस कार्यशाला का निष्पादन बहुत कम था, यह वाहनों के लिए 10 से 19 प्रतिशत था तथा इंजनों के लिए शून्य से 16 प्रतिशत था। बी0एम0पी0-I बेड़े का पहला ओवरहॉल 2006 तक पूरा होने की आशा है और बी0एम0पी0-II का ओवरहॉल इसके बाद ही किया जायेगा।

- एक विशेष तिथि तक मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री बटालियनों को केवल बी0एम0पी0-II से सज्जित करने की थलसेना की योजना के दृष्टिगत, बी0एम0पी0-I के ओवरहॉल से मैकेनाइज्ड इनफैन्ट्री को कोई लाभ नहीं होगा।

- मंत्रालय ने जुलाई 1998 में 27.09 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर बी0एम0पी0-I के लिए अतिरिक्त पुर्जों की 185 मदों के पूर्णकालिक क्रय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। इनमें से 18.27 करोड़ रूपये के अतिरिक्त पुर्जे द्वितीय ओवरहॉल के लिए, जिसकी संभावना नहीं है और अप्रचलित तकनीक की कुछ प्रणालियों, जिनका नई तकनीक के आधार पर प्रतिस्थापन लम्बित होने के कारण ओवरहॉल नहीं किया जाना है, के लिए है। लेखापरीक्षा में ऐसी अधिप्राप्तियों की पुनरीक्षा के लिए कहा गया था।

(पैराग्राफ

महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा सेतुओं के निर्माण में विलम्ब

- भूतल परिवहन मंत्रालय तथा महानिदेशक सीमा सड़क ने सेतुओं के निर्माण संस्वीकृतियाँ प्रदान की जिनमें कार्य पूर्ण होने की अवधि का उल्लेख नहीं किया था। इसके अभाव में सेतुओं के पूर्ण होने में हुई देरी का निर्धारण नहीं किया जा सक सेतुओं के निर्माण में लगाये गये समय और उनकी लम्बाई में कोई सम्बन्ध नहीं था वर्ष 1977 से 1986 के दौरान संस्वीकृत किये गये सेतुओं का निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ था।

- आरम्भ में अनुपयुक्त स्थलों का चुनाव, अपर्याप्त मृदा परीक्षण, डिजाइन, ड्राइंग विशिष्टताओं में बार-बार संशोधन तथा संविदागत मामलों में निर्णयों में देरी के क

सेतुओं के निर्माण में विलम्ब हुआ। इन विलम्बों के कारण केवल 10 सेतुओं पर ही लागत में 21.92 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त इन विलम्बों से क्षेत्रों का सामाजिक - आर्थिक विकास तथा रक्षा आवश्यकताएं प्रभावित होंगी।

- यद्यपि, महानिदेशक सीमा सड़क के अधीन सेतु निदेशालय ने 1983 से कार्य आरम्भ कर दिया था किन्तु निदेशालय ने सेतुओं की निर्माण लागत का समुचित आंकलन करने हेतु अपनी कोई मानक दर सूची संकलित नहीं की थी। निदेशालय केवल सेतुओं की पूर्णता लागत के आधार पर ही अपने प्राक्कलन तैयार करता है और इस तरह प्रशासनिक नियंत्रण निरर्थक ही साबित होता है।

(पैराग्राफ 42)

भूमि का कब्जा लेने में विलम्ब के कारण वृक्षों की चोरी

एक सम्पदा अधिकारी ने मार्च 1994 में पूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान करके तत्काल धारा के अन्तर्गत 1995.05 एकड़ भूमि एवम् उस पर परिसम्पतियों का अधिग्रहण किया। उसने 1994 में 493.31 एकड़, जुलाई 1996 में 242.98 एकड़, जुलाई 1997 में 425.58 एकड़ और दिसम्बर 1998 में 275.024 एकड़ भूमि अपने कब्जे में ली। भूमि का कब्जा लेने में देरी के कारण 37.78 लाख रूपये मूल्य के वृक्षों की चोरी हो गई। रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा 2.69 करोड़ रूपये मूल्य की 557.77 एकड़ भूमि अक्तूबर 1999 तक कब्जे में नहीं ली गई थी जिसके परिणामस्वरूप पाँच वर्षों तक इसका कोई लाभ नहीं मिला। इसके अतिरिक्त रक्षा सम्पदा अधिकारी ने विशेष भूमि अधिग्रहण कलैक्टर से उस भूमि के लिए 2.37 करोड़ रूपये वापस प्राप्त नहीं किये जिसके लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका था और जिसे बाद में अधिग्रहण की अधिसूचना से मुक्त कर दिया गया था।

(पैराग्राफ 31)

एक परीक्षण रेंज के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र उपलब्ध कराने में निष्फल व्यय

परीक्षण रेंज के चारों ओर एक सुरक्षा क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय ने 329.76 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण और राज्य सरकार की 191.11 एकड़ भूमि के स्थानान्तरण हेतु संस्वीकृति दी। रक्षा सम्पदा अधिकारी ने अक्तूबर 1991 और मार्च 1993 के दौरान निजी भूमि के लिए 1.22 करोड़ रूपये का भुगतान किया। यद्यपि सम्पूर्ण भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की तत्काल धारा के अन्तर्गत किया गया था परन्तु स्थानीय रक्षा सम्पदा अधिकारी ने अधिवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज लम्बित होने के कारण दिसम्बर 1994 में भूमि का कब्जा लिया। परिणामस्वरूप अधिवासी अधिग्रहीत भूमि पर ही रहते रहे। प्रत्येक परीक्षण के समय इन अधिवासियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा

जाता था जिस पर अतिरिक्त व्यय होता था। सरकार ने जुलाई 1999 में पुनर्वास पैकेज की बावत दो करोड़ रूपये की संस्वीकृति दी जो एक दृष्टान्त स्थापित करता है।

(पैराग्राफ 29)

एक विमानन बेस की स्थापना में विलम्ब

एक स्टेशन कमांडर को फरवरी 1993 में यह जानकारी थी कि एक विमानन बेस की स्थापना हेतु निर्धारित 106.08 एकड़ भूमि का पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उच्च शक्ति की संप्रेषण लाइनों के लिए पायलॉन खड़े करके अतिक्रमण किया जा रहा था, फिर भी वह इस अतिक्रमण को रोकने में विफल रहा। थल सेना मुख्यालय में क्वार्टर मास्टर जनरल ने भी इस आशय के साथ एक अनुबंध करके कि, रक्षा भूमि पर बिछाई जाने वाली उच्च शक्ति की विद्युत संप्रेषण लाइनें दो वर्ष के अन्दर हटा ली जायेंगी, इस अतिक्रमण को औपचारिक बना दिया। कारपोरेशन ने जुलाई 1990 तक विद्युत लाइनें नहीं हटाई थीं जिसके कारण विमानन बेस स्थापित करने में बाधा पड़ी।

(पैराग्राफ 30)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकार्य भुगतान

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में सितम्बर 1984 में संशोधन किया गया था जिस में भूमि की क्षतिपूर्ण के लिए बाजार मूल्य के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त लाभों का प्रावधान किया गया था। कुछ भूमि मालिकों ने, जिनकी भूमि का अधिग्रहण इस संशोधन से पूर्व किया गया था, उच्च न्यायालय में इन लाभों के लिए दावे प्रस्तुत किये और निर्णय उनके पक्ष में हुआ। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की और उच्चतम न्यायालय ने निचले न्यायालय के आदेश रद्द कर दिये।

तथापि डी0ई0ओ0 अम्बाला द्वारा 23.80 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिसकी वसूली शेष थी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त भी डी0ई0ओ0 जयपुर ने 50.68 लाख रूपये के अस्वीकार्य अतिरिक्त लाभों का भुगतान किया।

(पैराग्राफ 32)

मूल्यवान रक्षा भूमि पर अधिवासित एक व्यावसायिक क्लब से बकायों की वसूली न होना

आयुध क्लब कलकत्ता व्यावसायिक रूप में चल रहा है और 1.42 एकड़ मूल्यवान रक्षा भूमि वर्ष 1907 से उसके अधिकार में है। दुर्ग अभियंता कलकत्ता ने क्लब के साथ मई 1935 में एक पट्टा अनुबंध किया जिसका जनवरी 1958 में 10 रूपये वार्षिक किराए पर नवीनीकरण किया गया और इसके बाद अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया। एरिया

मुख्यालय कलकत्ता ने जुलाई 1992 में नया पट्टा अनुबंध करने के लिए अनुदेश जारी किए।

निदेशक, रक्षा सम्पदा कलकत्ता ने जनवरी 1996 में महानिदेशक रक्षा सम्पदा (डी0जी0डी0ई0) को सूचित किया कि क्लब ने एक व्यावसायिक रूप ले लिया है और भूमि के व्यावसायिक मूल्य पर 23.20 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से वार्षिक किराये की सिफारिश की, जो 1.42 एकड़ के लिए 33 लाख रूपये बनता है। डी0जी0डी0ई0 ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया था और किराये की वसूली बकाया थी।

(पैराग्राफ 28)

निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा घटिया स्तर की मच्छरदानियाँ स्वीकार करना

महानिदेशक आयुध सेवाएं द्वारा बाजार से क्रय की गईं 2.75 लाख मच्छरदानियों को वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी (टैक्सटाइल एवं क्लोदिंग) कलकत्ता ने स्वीकार कर लिया, यद्यपि वे विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं थीं। जब एक डिपू ने घटिया मच्छरदानियों की आपूर्ति के बारे में शिकायत की तो वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी ने पुष्टि की कि विभिन्न गाँठों से यत्र तत्र नमूने लेने पर पाया गया कि विशिष्टताएं स्वीकार्य सीमा के अन्तर्गत थीं और ये सामान्य उपयोग हेतु उपयुक्त थीं। और अधिक डिपुओं से शिकायत मिलने पर एक अधिकारियों के बोर्ड ने पूरी आपूर्ति रद्द करने की संस्तुति की। डिपू में उपलब्ध 1.11 लाख मच्छरदानियों में से 1.80 करोड़ रूपये मूल्य की 83543 मच्छरदानियाँ अस्वीकृत कर दी गई थीं। यूनिटों को जारी की गईं 1.64 लाख मच्छरदानियों में से खराब मच्छरदानियों की संख्या अभी सुनिश्चित की जानी थी।

(पैराग्राफ 25)

भंडार का प्रश्नास्पद क्रय

रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग ने एक कीड़े-मच्छर निरोधक एरोसोल बम के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु नवम्बर 1990 में निविदाएं आमंत्रित कीं। फर्म द्वारा निवेदित दरों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि रसायन मिश्रण का मूल्य केवल 9.30 रूपये था और स्प्रे-यंत्र सहित डिस्पोजेबल कन्टेनर का मूल्य 44.50 रूपये था। डिस्पोजेबल कन्टेनर की अनुपात रहित अधिक लागत होने के कारण महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं ने इसके उपयोग के बारे में संकोच व्यक्त किया और क्वार्टर मास्टर जनरल ने इस की अधिप्राप्ति के लिए सिफारिश नहीं की, विशेषतौर पर इसलिये कि सस्ते विकल्प पहले से ही उपयोग में थे। इस संकोच के बावजूद, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग ने जून 1992 में फर्म को संतुष्ट करने के लिए 52.91 लाख रूपये मूल्य के 92,600 एरोसोल बम के लिए आदेश दिया।

प्रयोक्ता यूनिटों से इस उत्पाद के प्रभावहीन होने और महंगा होने की जानकारी मिलने के कारण क्वार्टर मास्टर जनरल ने सितम्बर 1994 में इसे भंडार सूची से हटा दिया।

(पैराग्राफ 26)

जोखिम क्रय कार्रवाई में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय

थलसेना मुख्यालय 1.90 लाख कैनवास जूतों के क्रय हेतु की गई संविदाओं का समुचित नियंत्रण करने मे विफल रहा। न्यायिक परामर्श, संविदाओं को निरस्त करने और जोखिम क्रय संविदा करने में अनावश्यक विलम्ब के कारण कैनवास जूतों की अधिप्राप्ति पर 37.37 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 27)

संविदा करने में विलम्ब के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय

अपर वित्तीय सलाहकार (रक्षा) ने अप्रैल 1990 में एक मुख्य अभियंता द्वारा 77.53 लाख रूपये के लिए एक संविदा करने के लिए मांगी गई वित्तीय सहमति इस आधार पर देने से मना कर दिया कि निविदाएं प्रशासनिक अनुमोदन के दो साल बाद जारी की गई थीं। अपर वित्तीय सलाहकार (रक्षा) का यह निर्णय रक्षा कार्य प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। वित्तीय सहमति के लिए मना हो जाने के कारण प्राक्कलनों को अनेक बार संशोधित किया गया और मंत्रालय द्वारा नवम्बर 1995 में संशोधित प्राक्कलनों के लिए संस्वीकृति प्रदान की गयी। संशोधित संस्वीकृति के बाद मुख्य अभियंता ने जनवरी 1998 में 1.83 करोड़ रूपये पर संविदा की जिसमें 1.05 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 37)

एक संविदा को रद्द करने के कारण परिहार्य वयय

कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर, वैलिंगटन ने ठेकेदार को स्टोन बॉड स्टोन की अनुपलब्धता के कारण इसके बदले पी0सी0सी0 बॉड स्टोन उपयोग करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया यद्यपि इस आशय का प्रावधान संविदा अनुबंध में उपलब्ध था और उसी स्टेशन में उसी अवधि में दूसरे ठेकेदारों को पी0सी0सी0 बॉड स्टोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर के मनमाने निर्णय के कारण संविदा का अवैध निरस्तीकरण हुआ तथा जोखिम एवं लागत पर संविदा करनी पड़ी, ठेकेदार के पक्ष में पंचाट निर्णय हुआ, क्वार्टरों के पूर्ण होने में देरी के कारण मकान किराये भत्ते का भुगतान हुआ और इस सब पर 17.06 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 40)

एक ठेकेदार को लाभ पहुँचाने हेतु ठेका देने में जान बूझकर विलम्ब

मुख्य अभियन्ता (परियोजना) हिमांक ने पठानकोट से लेह तथा लेह के निकटवर्त्ती क्षेत्रों में भण्डार को चढ़ाने उतारने एवं ढुलाई हेतु निविदाएं आमंत्रित कीं और उस फर्म के साथ अनावश्यक पत्राचार किया जिसकी दरें लेह के निकटवर्त्ती क्षेत्रों के लिए दूसरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर से बहुत अधिक थी। मुख्य अभियंता की इस कार्रवाई से संविदा करने में देरी हुई और अन्य निविदाओं की वैधता समाप्त हो गई। मुख्य अभियंता ने पहली फर्म के साथ संविदा की, इसके परिणाम स्वरूप 11.82 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 43)

एक रॉकेट के देशजीकरण पर निरर्थक व्यय

122 एम0एम0 ग्रैड राकेट का शस्त्रास्त्र अनुसंधान एवं विकास स्थापना, पुणे (ए0आर0डी0ई0) ने देशजीकरण किया था । क्योंकि देशज रॉकेट रूसी रेंज सारिणी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा था अतः ए0आर0डी0ई0 ने महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी0जी0क्यू0ए0) से विचार विमर्श करके रॉकेटों के विनिर्माण हेतु नया स्वीकार्य मानदंड बनाया।

थोक उत्पादन की ऐसे में स्वीकृति देने के कारण, जबकि रॉकेट रेंज सारिणी मानदंडों को पूर्ण नहीं कर रहे थे, बाद में उत्पादन रोकना पड़ा, 6.33 करोड़ रूपये मूल्य के 2294 रॉकेट रद्द कर दिए गए और 24.41 करोड़ रूपये मूल्य के 8844 रॉकेट अलग रखने पड़े। इसके अतिरिक्त, उत्पादन रोक देने के कारण 25 करोड़ रूपये के भंडार एक आयुध फैक्टरी में पड़े हुए थे।

(पैराग्राफ 41)

विनिर्माण दोषों के कारण सुरंगों का अवश्रेणीकरण

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर डी0जी0क्यू0ए0 ने 1989 में ही सुरंगों की काय दरारों की मरम्मत हेतु एक प्रक्रिया स्थापित कर ली थी। चार डिपुओं में 1.56 करोड़ रूपये की सुरंगें काय दरारों के कारण 1992 से मरम्मत योग्य अवस्था में पड़ी हुई थीं। यद्यपि 1992 से 1995 के दौरान अधिकांश सुरंगें मरम्मत योग्य घोषित की गई थीं परन्तु डी0जी0ओ0एस0 ने सुरंगों की यथास्थिति में ही मरम्मत के लिए ओ0एफ0बी0 से अक्तूबर 1995 एवं अप्रैल 1997 तथा डी0जी0क्यू0ए0 से जून 1998 में सम्पर्क किया। डी0जी0क्यू0ए0 ने इस आधार पर मरम्मत के लिए मना कर दिया कि इनका जीवनकाल पहले ही समाप्त हो चुका था। सुरंगों की मरम्मत हेतु यथासमय कार्रवाई करने में डी0जी0ओ0एस0 की विफलता के कारण सुरंगों का भंडारण काल समाप्त हो गया तथा 1.56 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(पैराग्राफ 21)

लेखा परीक्षा के बताने पर वसूली

दो रक्षा लेखा नियंत्रकों, सात भुगतान एवं लेखा कार्यालयों (अन्य श्रेणी) और 16 थल सेना एककों द्वारा किए गए भुगतानों की नमूना जाँच के दौरान आन्तरिक लेखा परीक्षा के शिथिल नियंत्रण के कारण 75.76 लाख रूपये के अधिक भुगतान/ कम वसूलियाँ जानकारी में आई; बाद में अधिक भुगतानों की वसूली कर ली गईं। लेखा परीक्षा द्वारा एक विशेष प्रकार के अधिक भुगतान की पुनरीक्षा करने के अनुरोध पर एक भुगतान एवं लेखा अधिकारी ने 1.51 करोड़ रूपये के अधिक भुगतान चिन्हित किये और वसूली की।

(पैराग्राफ 16)

आयुध फैक्टरी संगठन

आयुध फैक्टरी संगठन का कार्य

आयुध फैक्टरी संगठन में 39 फैक्टरियाँ है जो 1.54 लाख की श्रमशक्ति से शस्त्र, गोलाबारूद, उपस्करों तथा घटकों की 1210 मदों का उत्पादन करती हैं । वर्ष 1998-99 में सकल उत्पादन मूल्य 5441.13 करोड़ रूपये था जो कि 1997-98 के सकल उत्पादन मूल्य 4384.58 करोड़ रूपये की तुलना में 24.10 प्रतिशत अधिक था ।

गत तीन वर्षों के दौरान आयुध फैक्टरी संगठन के शुद्ध व्यय में भारी वृद्धि हुई है ।

पूर्ण उत्पादों की 234 ऐसी मदें जिनके लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, में से 73 का उत्पादन निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ा हुआ था। आयुध फैक्टरी बोर्ड ने 50 पूर्ण उत्पाद मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे।

(पैराग्राफ 44)

155 मि0मी0 गोलाबारूद का देशज निर्माण

- थलसेना ने 155 मि0मी0 गोलाबारूद के लिए अपनी 5.85 लाख खोलों, 5.82 लाख फ्यूजों, 6.42 लाख प्राइमर और 6.13 लाख प्रणोदकों की आवश्यकता के प्रति 2.37 लाख खोलों (सात प्रकार के), 1.19 लाख फ्यूजों (चार प्रकार के), 1.29 लाख प्राइमरों और 2.51 लाख प्रणोदकों (चार प्रकार के) की 1991-92 से 1998-99 के दौरान परिदान हेतु अगस्त 1990 से अगस्त 1998 तक आयुध फैक्टरी बोर्ड को आठ मांग पत्र प्रस्तुत किये। आयुध फैक्टरी बोर्ड ने केवल खोल एम 107, 77 बी, हीर और स्मोक 24 के एम ही विकसित किये थे तथा उन्होंने थलसेना को 1992-93 से 1998-99

तक 2.23 लाख खोल निर्गमित किये। शेष तीन प्रकार के खोल अर्थात इल्यूमिनेटिंग, कार्गो और स्मोक (इन्फ्रारैड) मार्च 1999 तक विकसित नहीं किये गये थे। इसी प्रकार मार्च 1999 तक थलसेना को 0.38 लाख फ्यूज पी0डी0एम0 572, 0.59 लाख प्राइमर और 1.18 लाख प्रणोदक निर्गमित किये गये थे। घटकों की देरी से और कम मात्रा में आपूर्ति, चार प्रकार के खोलों के विकास में देरी और आयुध फैक्टरी बडमाल में सुविधाओं के सृजन में देरी के कारण हुई थी क्योंकि 29.36 करोड़ रूपये मूल्य की एक आयातित मशीन डेढ़ वर्ष के विलम्ब से चालू की गयी थी।

- यद्यपि थलसेना को गोलों को पूर्ण रूप से बनाने के लिए सभी घटकों की समान मात्रा में आवश्यकता थी किंतु आयुध फैक्टरियाँ केवल 0.38 लाख गोले ही जारी कर सकीं क्योंकि फ्यूज प्राइमर और प्रणोदक समान संख्या में जारी नहीं किये गये थे।

- आयुध फैक्टरियों द्वारा 155 मि0मी0 खोलों और फ्यूजों के विकास में देरी और कम मात्रा में आपूर्ति के कारण थलसेना ने मार्च 1997 में 188.10 करोड़ रूपये की लागत से 0.80 लाख खोलों तथा 20 लाख फ्यूजों की आपूर्ति हेतु एक विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ संविदा की।

(पैराग्राफ 45)

उच्च अस्वीकरण के बावजूद गोलाबारूद का उत्पादन जारी रखना

परीक्षण में 105 मि0मी0 एफ0एस0ए0पी0डी0एस0 गोलाबारूद के गोले के निरंतर अस्वीकरण के परिणामस्वरूप हैवी अलॉय पेनिट्रेटर फैक्टरी त्रिची में गोलों का निर्माण रोकना पड़ा और 19.77 करोड़ रूपये के भण्डार अवरूद्ध हो गये।

(पैराग्राफ 46)

विजयंत टैंक का शक्ति संवर्धन

भारी वाहन फैक्टरी, अवाडि को 1990 में विजयंत टैंक का शक्ति संवर्धन का कार्य सौंपा गया था जो कि प्रयोक्ता परीक्षणों में पाये गये दोषों के निवारण में भारी वाहन फैक्टरी की विफलता के कारण आरम्भ नहीं हो सका। विजयंत टैंक का शक्ति संवर्धन प्रयोक्ताओं की संतुष्टि के स्तर तक बढ़ाने में भारी वाहन फैक्टरी की विफलता के कारण फालतू भण्डारों और सिविल निर्माण कार्यों पर 15.99 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 52)

उपयोग की कोई सम्भावना न होने के बावजूद कोबाल्ट का निपटान न करना

कोबाल्ट की चोरी होने तथा जांच बोर्ड द्वारा इसके यथाशीघ्र अक्तूबर 1999 तक निपटान करने की संस्तुति के बावजूद धातु एवम् इस्पात फैक्टरी ईशापुर में 26 वर्ष से 6.72 करोड़ रूपये मूल्य का कोबाल्ट पड़ा हुआ था।

(पैराग्राफ 59)

मांग पत्रों के अल्प-समापन के परिणामस्वरूप भंडारों का अवरूद्ध होना

प्रत्येक जवान द्वारा ले जाये जाने वाले गोलीबारूद के पाउचों का थलसेना द्वारा अयथार्थपरक मानक निर्धारित करने तथा बाद में आयुध उपस्कर फैक्टरी कानपुर एवम् आयुध वस्त्र फैक्टरी, अवाडि पर प्रस्तुत मांगपत्रों के अल्प समापन के कारण 6.29 करोड़ रूपये मूल्य के भण्डार अवरूद्ध हो गये।

(पैराग्राफ 48)

अपात्र फर्मों से भण्डारों की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय

आयुध फैक्टरी, मेडक एवम् भारी वाहन फैक्टरी अवाडि द्वारा सीधे मुख्य निर्माताओं के बजाय विक्रय/ विपणन एजेन्टों से उच्च दरों पर भण्डारों की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 4.96 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 53)

दोषपूर्ण निर्माण के कारण हानि

आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ द्वारा एक गोला बारूद के पीतल कपों के दोषपूर्ण निर्माण के कारण 2.24 करोड़ रूपये मूल्य के 196 टन पीतल कपों का अस्वीकरण हुआ।

(पैराग्राफ 50)

आयातित ग्राइंडिंग मशीन का चालू न होना

महाप्रबंधक वाहन फैक्टरी जबलपुर द्वारा 1.97 करोड़ रूपये का भुगतान करके आयात की गयी एक क्रेंक पिन ग्राइंडिंग मशीन मार्च 1993 में इसकी प्राप्ति के बाद से ही अभी तक पूर्ण रूप से चालू की जानी थी।

(पैराग्राफ 57)

दोषपूर्ण उत्पादन को छिपाने के लिए अनुमेय अस्वीकरण सीमा को बढ़ाना

उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के स्थान पर तीन फैक्टरियों के महाप्रबंधकों द्वारा अपरिहार्य अस्वीकरण की सीमा बढ़ाने की कार्रवाई के कारण 2.26 करोड़ रूपये मूल्य के असामान्य अस्वीकरण हुए।

(पैराग्राफ 51)

एक मशीन की अनावश्यक अधिप्राप्ति

इन्फैन्ट्री यौद्धी वाहनों - बी0एम0पी0-II के घटकों के निर्माण हेतु पर्याप्त अधिसंरचना मौजूद होने के बावजूद महाप्रबंधक मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी अम्बरनाथ ने 1.09 करोड़ रूपये मूल्य की एक मंहगी मशीन का आयात किया जो कि परिहार्य था। इसके अलावा अधिप्राप्ति के बावजूद विलम्ब होने तथा खराब होने के कारण मशीन वस्तुतः बिना किसी उपयोग के पड़ी हुई थी।

(पैराग्राफ 56)

एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सर्चलाइट क्रय करने के कारण अतिरिक्त व्यय

भारी वाहन फैक्टरी अवाडि द्वारा भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड मछलीपट्टनम के माध्यम से सर्चलाइट के आयात पर 59.95 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसे सर्चलाइट का सीधे आयात करके परिहार्य किया जा सकता था।

(पैराग्राफ 55)

अन्तफैक्टरी आपूर्तियों में दोषों को छिपाना

38.49 लाख रूपये मूल्य के दोषपूर्ण घटकों को स्वीकार करने और आयुध फैक्टरी वरनगांव द्वारा सामग्री के अनावर्ती दर प्रपत्रों का उपयोग करके दोषों को छिपाने का कार्य विद्यमान आदेशों का पूरी तरह से उल्लंघन था।

(पैराग्राफ 61)

देश में ही विकसित भंडार का परिहार्य आयात

महाप्रबंधक भारी वाहन फैक्टरी अवाडि ने 1996-97 और 1997-98 के दौरान टी-72 टैंकों के डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का आयात किया, यद्यपि 1995-96 में इस मद को देश में ही

सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया था। पैनल के आयात से न केवल विदेशी मुद्रा देश से बाहर गयी अपितु देशज लागत की तुलना में 37.86 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

(पैराग्राफ 54)

लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभागों की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति के आग्रह पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार सचिवों को अर्द्धसरकारी पत्रों के अन्तर्गत भेजे गए ड्राफ्ट पैराग्राफों के उपर मंत्रालय को अपनी प्रतिक्रिया छः हफ्तों के भीतर भेजनी होती है । रक्षा मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 26 पैराग्राफों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं भेजी । इसी प्रकार रक्षा उत्पादन एवम् आपूर्ति विभाग ने आठ पैराग्राफों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं भेजी ।

(पैराग्राफ 17 तथा 62)

अध्याय I : रक्षा सेवाओं के लेखे

1. रक्षा व्यय

वर्ष 1996-99 के दौरान रक्षा सेवाओं के मुख्य घटकों पर हुआ व्यय निम्न प्रकार था:

(करोड़ रुपए में)

	1996-97	**1997-98**	**1998-99**
थलसेना	14560.33	18353.47	21994.26
नौसेना	2084.16	2476.85	3109.15
वायुसेना	4532.64	5337.84	5615.45
आयुध फैक्टरियाँ	859.72	1207.54	608.71
रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	8508.42	9103.51	10035.94
योग	**30545.27**	**36479.21**	**41363.51**

व्यय नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

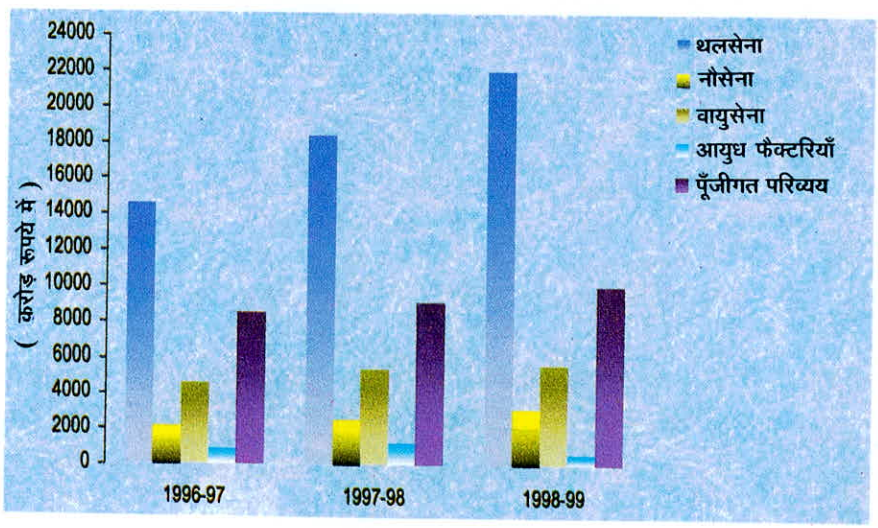

2. प्राधिकरण और व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 एवं 115 के अन्तर्गत पारित 1998 के विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में सभी प्राधिकृत राशियों के प्रति मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई समग्र राशियों के विनियोजन लेखों का संक्षिप्त विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रूपए में)

		प्राधिकरण			व्यय	प्रावधान में कुल बचत (-) आधिक्य (+)
		मूल अनुदान/ विनियोजन	*अनुपूरक अनुदान	योग	वास्तविक व्यय	
राजस्व						
19- थलसेना						
	दत्तमत	21856.80	---	21856.80	21988.48	(+) 131.68
	प्रभारित	10.30	---	10.30	5.78	(-) 4.52
20 - नौसेना						
	दत्तमत	2965.73	---	2965.73	3108.98	(+) 143.25
	प्रभारित	2.75	---	2.75	0.17	(-) 2.58
21-वायुसेना						
	दत्तमत	5904.85	---	5904.85	5615.28	(-) 289.57
	प्रभारित	0.75	---	0.75	0.17	(-) 0.58
22 - आयुध फैक्टरियाँ						
	दत्तमत	1284.03	---	1284.03	608.64	(-) 675.39
	प्रभारित	0.16	---	0.16	0.07	(-) 0.09
पूँजी						
23 - रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय						
	दत्तमत	10352.92	---	10352.92	10020.20	(-) 332.72
	प्रभारित	6.76	---	6.76	15.74	(+) 8.98

* मंत्रालय ने थलसेना, नौसेना एवं रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अनुदानों के अन्तर्गत क्रमशः 666.52 करोड़ रूपए (दत्तमत), 242.62 करोड़ रूपए (दत्तमत) और 9.00 करोड़ रूपए (प्रभारित) की अनुपूरक माँगें प्रस्तुत की परन्तु अतिरिक्त व्यय प्राधिकृत करने के लिए विनियोजन अधिनियम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् लागू हुआ।

वायु सेना, आयुध फैक्टरियों एवं रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अनुदानों में शेष प्रावधान तथा थलसेना एवं नौसेना के अनुदानों में व्यय के आधिक्य के परिणामस्वरूप रक्षा सेवाओं के दत्तमत खण्ड के अन्तर्गत सभी पाँचों अनुदानों में कुल शेष प्रावधान 1022.75

करोड़ रूपए का था। प्रभारित खण्ड के अन्तर्गत सभी विनियोजनों हेतु 20.72 करोड़ रूपए के कुल प्रावधान के प्रति व्यय का कुल आधिक्य 1.21 करोड़ रूपए का था।

3. अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

निम्नलिखित मामलों में, जिनमें विभिन्न शीर्षों से/ में पुनर्विनियोजन किये गये थे, शेष प्रावधान/ आधिक्य पाए गये, जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान किए गए पुनर्विनियोजन का सही आंकलन नहीं किया गया थाः

(अ) बिना आवश्यकता के शीर्षों में पुनर्विनियोजन

निम्नलिखित मामलों में मूल अनुमोदित प्रावधान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे अतः इन लघु शीर्षों में पुनर्विनियोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं थीः

(करोड़ रूपए में)

अनुदान संख्या लघु शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय
19 - थलसेना			
104 - सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते	1097.61	(+)34.19	1095.74
23 - रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत व्यय			
02/102 - भारी एवं मध्यम वाहन	6.00	(+) 1.50	3.93

(ब) उन शीर्षों से पुनर्विनियोजन जिनके अन्तर्गत व्यय अन्तिम प्रावधान से अधिक था

निम्नलिखित मामलों में, इन शीर्षों से पुनर्विनियोजन के पश्चात् शेष प्रावधान के प्रति वास्तविक व्यय 5 करोड़ रूपए से अधिक का हुआः

(करोड़ रूपए में)

अनुदान संख्या लघु शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अन्तिम प्रावधान	वास्तविक व्यय	अन्तिम प्रावधान के प्रति आधिक्य
19-थलसेना					
113-राष्ट्रीय कैडेट कोर	190.92	(-) 3.76	187.16	203.13	15.97
21-वायु सेना					
800- अन्य व्यय	91.08	(-)5.40	85.68	92.43	6.75
23- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय					
01/103- अन्य उपस्कर	1838.20	(-)43.56	1794.64	1799.86	5.22

(स) उन शीर्षों में पुनर्विनियोजन जिनमें व्यय अन्तिम राशि से कम था

निम्नलिखित मामलों में, पुनर्विनियोजन की राशियों को पूर्णतया उपयोग में नही लाया गया था:

(करोड़ रूपए में)

अनुदान संख्या लघुशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अन्तिम प्रावधान	वास्तविक व्यय	अन्तिम प्रावधान के प्रति शेष प्रावधान
21-वायु सेना					
104-सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते	258.94	(+)9.19	268.13	260.20	7.93
105-परिवहन	101.64	(+)45.62	147.26	124.44	22.82
23-रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय					
01/102-भारी एवं मध्यम वाहन	263.96	(+)121.13	385.09	346.34	38.75
02/202-निर्माण कार्य	85.00	(+)25.52	110.52	101.46	9.06
02/204-नौसेना बेडा	2081.02	(+)259.58	2340.60	2322.69	17.91
03/101-वायुयान एवं वायु इंजन	2708.18	(+)127.65	2835.83	2820.51	15.32

4. वसूलियों के कारण व्यय में कमी

अनुदानों हेतु मांगें व्यय की सकल राशि के लिए होती हैं अर्थात् विगत में अधिप्राप्त भण्डारों इत्यादि के उपयोग के कारण हुई वसूलियाँ या फिर अन्य विभागों को दी गई सेवाओं के बदले में जमा राशियाँ उनमें सम्मिलित होती हैं। संसद द्वारा अनुदानों के अन्तर्गत प्राधिकृत सकल राशि की तुलना सकल व्यय से करने पर आधिक्य एवं वसूलियों में कमी यह दर्शाती हैं कि वसूलियों का आँकलन सही प्रकार से नहीं किया गया था तथा बजट अनुमान दोषपूर्ण थे जो कि अन्त में अनुदान के अन्तर्गत शेष प्रावधानों/ आधिक्यों को प्रभावित करते हैं। रक्षा सेवाओं के अनुदानों के राजस्व खण्ड में, वास्तविक वसूलियाँ बजट में सम्मिलित वसूलियों से 27 प्रतिशत अधिक थीं जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रूपए में)

अनुदान का शीर्षक एवं संख्या	बजट में सम्मिलित वसूलियाँ	वास्तविक वसूलियाँ	बजट में सम्मिलित वसूलियों के प्रति वास्तविक वसूलियाँ आधिक्य (+) कमी (-)
राजस्व			
19- रक्षा सेवाएं - थलसेना	10.39	17.05	(+) 6.66
22- रक्षा आयुध फैक्टरियाँ	90.00	110.60	(+) 20.60
योग	**100.39**	**127.65**	(+) **27.26**

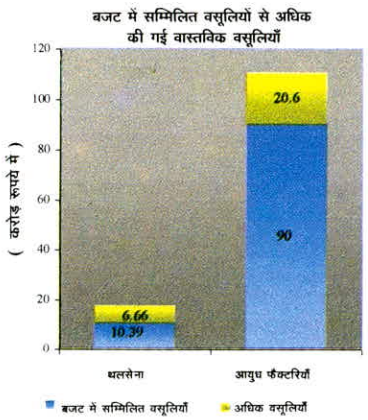

अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत 10.39 करोड़ रूपए की अनुमानित वसूलियों के प्रति वास्तविक वसूलियाँ बजट में सम्मिलित वसूलियों से 64 प्रतिशत अधिक थीं जबकि अनुदान संख्या 22 के अन्तर्गत 90 करोड़ रूपए की अनुमानित वसूलियों के प्रति वास्तविक वसूलियाँ बजट में सम्मिलित वसूलियों से 23 प्रतिशत अधिक थीं। बजट में सम्मिलित वसूलियों और राजस्व खण्ड में व्यय में कमी करने के लिए समायोजित वसूलियों के बीच अन्तर का थलसेना एवं आयुध फैक्टरियों के अनुदानों के अन्तर्गत आधिक्य तथा शेष प्रावधान पर प्रभाव पड़ा।

अतः बजटीय नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है।

5. अनुदानों में 100 करोड़ रूपए से अधिक की बचतें

लोक लेखा समिति ने अपनी 60वीं प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा) के पैरा 1.24 में संस्वीकृत प्रावधानों की तुलना में बचतों में तेजी से हुई वृद्धि पर टिप्पणी की थी। समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि वित्त मंत्रालय को भारी बचतों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए और कहा कि किसी भी अनुदान/ विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये और इससे अधिक की बचतों के संबंध में विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ उन्हें जानी चाहिए। तीन अनुदानों के अन्तर्गत दत्तमत खण्डों में हुए 100 करोड़ रूपए से अधिक की बचतों को नीचे दिए गए विवरण में दर्शाया गया है:

(करोड़ रूपए में)

अनुदान संख्या	संस्वीकृत अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	शेष प्रावधान	शेष प्रावधान की प्रतिशतता	कारण
21-रक्षा सेवाएं- वायुसेना	5904.85	5615.28	289.57	4.90	बकाया दावों तथा अपेक्षित विदेशी ठेकों को अन्तिम रूप न दिया जाना, संविदाओं के प्रति धीमी गति से आपूर्तियाँ का प्राप्त होना तथा रेल प्रभारों इत्यादि का कम लेखागत समायोजन
22-रक्षा आयुध फैक्टरियाँ	1284.03	608.64	675.39	52.60	समयोपरि में कम व्यय आपूर्तियों का प्राप्त न होना तथा फैक्टरियों द्वारा सामान इत्यादि के आयात में कम व्यय
23-रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	10352.92	10020.20	332.72	3.21	कुछ संविदाओं को अन्तिम रूप न दिया जाना/ संविदाओं का न किया जाना, निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति इत्यादि

इस संबंध मे लोक लेखा समिति को व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ भेजी जाना अपेक्षित हैं।

6. अनुदानों /विनियोजन पर आधिक्य

नीचे दी गई तालिका तीनों अनुदानों/ विनियोजन के अन्तर्गत अधिक व्यय को दर्शाती है:

(करोड़ रूपए में)

अनुदान संख्या	मूल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य
19-रक्षा सेवाएं थलसेना - दत्तमत	21856.80	21988.48	131.68
20- रक्षा सेवाएं नौसेना - दत्तमत	2965.73	3108.98	143.25
23- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- प्रभारित	6.76	15.74	8.98

उपरोक्त अनुदानों / विनियोजन के अन्तर्गत हुए आधिक्य की संपूर्ण राशि का कारण अतिरिक्त व्यय प्राधिकृत करने वाले विनियोजन अधिनियम का वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लागू होना था अतः अनुपूरक मांगों के द्वितीय बैच में सम्मिलित व्यय मार्च 1999 में विधिवत् उपलब्ध नहीं थे। उक्त असामान्य स्थिति के दृष्टिगत, अतिरिक्त व्यय को संसद के समक्ष अनुदानों हेतु अतिरिक्त मांगें प्रस्तुत करके नियमित कराने की आवश्यकता है।

7. प्रावधान में निरन्तर बचत

एक विस्तृत जाँच से पता चला है कि रक्षा सेवाओं से संबंधित अनुदानों / विनियोजनों के अन्तर्गत नियमित रूप से भारी बचतें हो रहीं थीं। निम्न तालिका में गत पाँच वर्षों के दौरान पाई गई समग्र बचतों की राशियाँ दर्शायी गई हैं :

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	कुल बचा हुआ प्रावधान	भारी बचतों के कारण
1994-95	384.61	रक्षा आयुध फैक्टरियों और रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अनुदानों / विनियोजनों में 120.40 करोड़ रूपए तथा 113.82 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग नहीं हुआ।
1995-96	289.60	रक्षा सेवाएं - वायु सेना तथा रक्षा आयुध फैक्टरियों के अनुदानों / विनियोजनों में 209.24 करोड़ रूपए तथा 49.74 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग नहीं हुआ।
1996-97	449.59	रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अनुदान/ विनियोजन में 437.36 करोड़ रूपए की एक राशि का उपयोग नहीं हुआ।
1997-98	1467.42	रक्षा सेवाएं - थलसेना तथा रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अनुदानों / विनियोजनों में 1160.98 करोड़ रूपए और 193.49 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग नहीं हुआ।
1998-99	1021.54	थल सेना (दत्तमत), नौसेना (दत्तमत) तथा रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय (प्रभारित) के अनुदानों में आधिक्य के बावजूद रक्षा सेवओं के अनुदानों/ विनियोजनों में 1021.54 करोड़ रूपए (समग्र) की राशि का उपयोग नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा ने यह भी बताया कि अनुदानों के निम्नलिखित लघु शीर्षों (दत्तमत खण्डों के अन्तर्गत) में प्रावधान राशियों में भारी बचतें जो अनेक मामलों में 5 करोड़ रूपये से अधिक थीं, वर्ष 1998-99 के दौरान भी जारी रही, जिनके कारण उनके सामने दर्शाए गए हैं :

(करोड़ रूपए में)

अनुदान संख्या लघु शीर्ष	1996-97	1997-98	1998-99	विनियोजन लेखों में दर्शायी गई शेष बचतों के कारण
19 - थलसेना				
101 - थलसेना के वेतन एवं भत्ते	51.32	322.37	58.92	महंगाई भत्ते की अपेक्षा से कम दरें तथा ॲनामलि समिति द्वारा अतिरिक्त भत्तों / प्रोत्साहनों की घोषणा न करना
104 - सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते	1.63	14.65	36.06	महंगाई भत्ते एवं बोनस की अपेक्षा से कम दरों की घोषणा किया जाना
21 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना				
110 - भण्डार	2.17	8.89	23.88	हेलीकॉप्टर पर और वायुयान की ओवरहाल पर व्यय की बुकिंग न होना ; थलसेना द्वारा कुछ वाऊचरों का प्रस्तुत न किया जाना
22 - रक्षा आयुध फैक्टरियाँ				
054 - विनिर्माण	13.09	23.64	12.31	फैक्टरियों द्वारा समयोपरि पर कम व्यय
23 - रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
01 - थलसेना				
102 - भारी एवं मध्यम वाहन	4.70	31.11	38.75	कुछ संविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब
02 - नौसेना				
101 - वायुयान एवं एयरो - इंजन	4.54	8.21	29.20	विदेशी उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब अवधि का पुर्ननिर्धारण तथा कुछ विदेशी ठेकों को अंतिम रूप न दिया जाना
103 - अन्य उपस्कर	2.26	3.69	8.45	कुछ संविदाओं को अन्तिम रूप न दिया जाना
205 - नौ सैनिक गोदी बाड़े	10.51	6.25	10.91	निर्माण कार्यों में अपेक्षित कम प्रगति
04 - रक्षा आयुध फैक्टरियाँ				
052 - मशीनरी एवं उपस्कर	7.85	6.31	7.92	परियोजनाओं पर कम व्यय तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से सी0आर0वी0 प्रैसों की आपूर्ति में विलम्ब
05 - अनुसंधान एवं विकास संगठन				
111 - निर्माण कार्य	15.92	16.54	8.94	कुछ विदेशी आपूर्तियों का प्राप्त न होना

अनुदानों / विनियोजनों में निरन्तर बचतों का रूख दर्शाता है कि रक्षा मंत्रालय ने निधियों की आवश्यकता का अधिक आँकलन किया था।

8. निरन्तर आधिक्य

गत तीन वर्षों के दौरान अनुदान के दत्तमत खण्ड के अन्तर्गत अनुमोदित प्रावधान के प्रति निरन्तर आधिक्य रहा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रूपए में)

अनुदान संख्या लघु शीर्ष	1996-97	1997-98	1998-99
19 - थलसेना			
113 - राष्ट्रीय कैडेट कोर	12.42	1.61	15.97

9. विशेष उड़ानों / विमान वहन के प्रति बकाया राशियाँ

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 1998 की संख्या 7, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं (थलसेना और आयुध फैक्टरियाँ) के पैरा 11 में उल्लेख किए जाने के बावजूद, वायुसेना द्वारा उपलब्ध कराई गईं विशेष उड़ानों / विमान वहन के लिए वसूली राशि 30 जून 1998 को 73.58 करोड़ रूपए से बढ़कर 30 जून 1999 को 90.06 करोड़ रूपए हो गई थी जो 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वसूली के लिए सबसे पुरानी राशि वर्ष 1962-63 से संबंधित है।

भारी बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

10. अन्तिम रूप दिए जाने/ नियमितिकरण हेतु बकाया हानियाँ

i) रेलवे/ शिपिंग कार्पोरेशन / एयरवेज़ को हानियों या पारगमन में भण्डारों की हानि हेतु 31 मार्च 1999 तक प्रस्तुत तथा 30 जून 1999 तक बकाया दावों की संख्या 2495 थी जिनकी राशि 24.44 करोड़ रूपये (लगभग) थी। इनमें से सबसे पुराना मामला 1971-72 से संबंधित है।

ii) 30 जून 1999 को हानियों के 223.62 करोड़ रूपए (लगभग) के 1498 मामले थे जो भारत सरकार अथवा रक्षा मंत्रालय द्वारा नियमितिकरण हेतु एक वर्ष से अधिक समय से बकाया थे। सबसे पुराना मामला 1969-70 का है।

इन मामलों के शीघ्रता से अन्तिम रूप दिये जाने/ नियमितिकरण हेतु कार्रवाई की जानी आवश्यक है।

11. उचंत खातों में शेष

जिन प्राप्तियों तथा भुगतानों का वर्गीकरण आगे की सूचना या आदेशों के अभाव में बाकी रहता है या फिर जिनका अभी उचित शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकन शेष है उन्हें एक उचंत शीर्ष में अलग से दिखाया जाता है और इसे उचंत खाते में शेष कहा जाता है। डेबिट पक्ष के उचंत शेष व्यय मदों को दर्शाते हैं तथा क्रैडिट पक्ष के शेष के प्राप्तियों की मदों को दर्शाते हैं जिनका समायोजन होना अभी शेष रहता है। शुद्ध राशियाँ के रूप में दर्शायी गयी राशियाँ दोनों पक्षों में समायोजित लेन-देन के मूल्य के कुल मान को नहीं दर्शाती हैं।

ऋण, जमा एवं धन- प्रेषण से संबंधित प्राप्तियाँ, राशि-वितरण एवं शेष की विवरणी संख्या 13 के अनुसार लेखा के विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में उचंत शेषों की स्थिति निम्न प्रकार थी:

रक्षा उचंत लेखे

(करोड़ रूपए में)

वर्ष तक	निबल शेष						
	पी ए ओ उचंत	ए जी उचंत	सरकारी क्षेत्र के बैंक उचंत	रिजर्व बैंक उचंत	पी एफ उचंत	विविध उचंत	31 मार्च को कुल शुद्ध उचंत शेष
1996-97	डेबिट 131.24	डेबिट 43.93	--	डेबिट 940.52	डेबिट 0.09	क्रेडिट 135.28	डेबिट 980.50
1997-98	डेबिट 145.44	डेबिट 72.81	डेबिट 349.40	डेबिट 1072.32	डेबिट 0.09	क्रेडिट 43.62	डेबिट 1596.44
1998-99	डेबिट 143.35	क्रेडिट 10.44	डेबिट 447.14	डेबिट 1797.79	डेबिट 0.15	क्रेडिट 27.56	डेबिट 2350.43

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि 31 मार्च 1999 को उचंत लेखे- रक्षा के अन्तर्गत कुल शुद्ध बकाया शेष राशि 2350.43 करोड़ रूपए (डेबिट) थी तथा उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेष निरंतर बढ़ रहे थे। प्रतिशतता के संदर्भ में वर्ष 1996-97 की तुलना में वर्ष

1997-98 एवं 1998-99 के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत वृद्धि क्रमशः 62.82 प्रतिशत तथा 139.72 प्रतिशत थी।

उचंत शेष न केवल अनुमोदित प्रावधान के संदर्भ में बचतों/ आधिक्यों को प्रभावित करते हैं वरन् विनियोजन लेखों की यथार्थता को भी प्रभावित करते हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखों में राशियाँ ठीक प्रकार से दर्शायी गई हैं, उचंत शीर्ष के अन्तर्गत भारी बकाया शेषों का लेखा के उचित शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत करके यथाशीघ्र निपटान करने की आवश्यकता है।

12. मार्च माह में अत्यधिक व्यय

रक्षा सेवाओं की वित्तीय विनियमावली भाग-1 खण्ड-1 के नियम 105 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने विशेषतया मार्च माह में व्यय की अधिकता, वित्तीय नियमितता का उल्लंघन समझी जाती है और इससे बचा जाना चाहिए। उपरोक्त प्रावधान के प्रतिकूल पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97 से 1998-99 तक में निम्नलिखित अनुदानों /विनियोजनों के अन्तर्गत कुल व्यय का एक बड़ा भाग मार्च माह में खर्च किया गया थाः

(करोड़ रूपए में)

अनुदान का शीर्षक	**1996-97**		**1997-98**		**1998-99**	
	कुल व्यय	मार्च माह में व्यय (%)	कुल व्यय	मार्च माह में व्यय (%)	कुल व्यय	मार्च माह में व्यय (%)
रक्षा सेवाएं- थलसेना	14560.33	3363.97 (23.10)	18353.47	4470.26 (24.36)	21994.26	6156.16 (27.99)
रक्षा सेवाएं- नौसेना	2084.16	327.70 (15.72)	2476.85	405.91 (16.39)	3109.15	764.76 (24.60)
रक्षा सेवाएं- वायुसेना	4532.64	830.13 (18.31)	5337.84	1162.97 (21.79)	5615.45	1777.37 (31.65)
रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	8508.42	2426.02 (28.51)	9103.51	2874.25 (31.57)	10035.94	4801.29 (47.84)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, 1998 की संख्या 7, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टरियाँ) के पैरा 13 में उल्लेख किए जाने के बावजूद मार्च माह में किया गया अत्यधिक व्यय निरंतर वृद्धि का रूख दर्शाता है।

अध्याय II : रक्षा मंत्रालय

13. सरकारी हितों की सुरक्षा करने मे विफलता

रक्षा मंत्रालय के निदेशक (प्रणालियाँ) ने एक फर्म को 200 रेडियो सैट की आपूर्ति की बाबत 4.22 करोड़ रूपए के दावों का फर्म के आन्तरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणन का सत्यापन किये बिना ही भुगतान कर दिया। वह उस बैंक गारण्टी का नवीनीकरण कराने में भी विफल रहा जिसके प्रति अग्रिम का भुगतान किया गया था।

रक्षा मंत्रालय के निदेशक (प्रणालियाँ) द्वारा आरम्भिक अग्रिम के प्रति बैंक गारण्टी का नवीनीकरण कराने में विफलता तथा आगे की किश्तों के लिए दावों को सत्यापित किये बिना ही प्रगामी व्यय की प्रतिपूर्ति के फलस्वरूप दोषी फर्म से आठ से अधिक वर्षों के बाद भी 4.22 करोड़ रूपए की वसूली नहीं हुई तथा इसके अलावा मुकदमा हुआ तथा ब्याज की 3.07 करोड़ रूपए की हानि हुई।

एच एक्स रेडियो सैट एक कम वजन वाला मैनपैक है जो कमान्डो इकाईयों और स्पेशल मिशनों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।

मंत्रालय ने 4.96 करोड़ रूपए में रेडियो सैटों के लिए अक्तूबर 1990 में आशय पत्र प्रस्तुत किया

निदेशक (प्रणालियाँ), रक्षा मंत्रालय ने फर्म 'क' को 4.96 करोड़ रूपए में 200 रेडियो सैट तथा सम्बन्धित अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति हेतु अक्तूबर 1990 में एक आशय-पत्र प्रस्तुत किया। आपूर्ति जून 1992 तक पूर्ण होनी थी।

यद्यपि फर्म द्वारा प्रस्तुत रेडियो सैट 1989 के आरम्भ में किये गये उच्च अक्षाँश परीक्षणों में विफल हो गये थे तथा थलसेना ने सैटों की संस्तुति भी नहीं की थी तथापि निदेशक (प्रणालियाँ) ने देशज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के आधार पर आशय पत्र प्रस्तुत कर दिया।

आशय पत्र में 20 प्रतिशत प्रारम्भिक अग्रिम के लिए प्रावधान था

आशय पत्र में फर्म सम मूल्य की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने पर आरम्भिक अग्रिम जो कि 4.96 करोड़ रूपए के 20 प्रतिशत से अधिक न हो, को निकालने तथा इस आशय के प्रमाण के साथ कि दावा की गयी राशि फर्म के आन्तरिक लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित कुल प्रगामी व्यय से अधिक नहीं है, आगे प्रगामी प्रतिपूर्ति, जो कि 4.96 करोड़ रूपए के 65 प्रतिशत से अधिक न हो, के लिए प्राधिकृत था।

निदेशक (प्रणालियाँ) ने थोक उत्पादन स्वीकृति से भी पहले ही फरवरी 1991 तक 3.23 करोड़ रूपए का भुगतान और कर दिया

निदेशक (प्रणालियाँ) ने अक्तूबर 1990 में 20 प्रतिशत अग्रिम 99.20 लाख रूपए का भुगतान कर दिया। यद्यपि फर्म ने कोई रेडियो सैट आपूरित नहीं किया था तथापि निदेशक (प्रणालियाँ) ने स्वतन्त्र रूप से यह सुनिश्चित किये बिना ही कि क्या फर्म ने रेडियो सैटों के उत्पादन हेतु वाँछित घटकों की अधिप्राप्ति कर ली है, केवल फर्म के आन्तरिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर फरवरी 1991 तक 3.23 करोड़ रूपए की राशि के भुगतान और करना जारी रखा । इस प्रकार फर्म को कुल 4.22 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया था। आपूरित की जाने वाली मदों में 1.08 करोड़ रूपए मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे, विशेष मशीन औजार, विशेष परीक्षण उपस्कर, तकनीकी नियम पुस्तकाओं के अलावा अन्य मदें जैसे कि बैटरियाँ, हाथ के क्रेंक वाले जनरेटर्स इत्यादि सम्मिलित थे जिनके लिए आपूर्तियाँ हो जाने तक भुगतान नहीं किया जाना चाहिये था।

निदेशक प्रणालियाँ ने बैंक गारण्टी का नवीनीकरण नहीं कराया

फर्म ने मंत्रालय (खाता परियोजना थलसेना रेडियो अभियांत्रिकी नेटवर्क) के पक्ष में बैंक गारण्टी दी थी जो 12 अक्तूबर 1991 तक वैद्य थी। यद्यपि बैंक गारण्टी 12 अक्तूबर 1991 को समाप्त हो चुकी थी किन्तु रक्षा लेखा नियन्त्रक मध्य कमान मेरठ जिसके पास बैंक गारण्टी थी और निदेशक प्रणालियाँ ने इसका नवीनीकरण नहीं कराया था।

निदेशक (प्रणालियाँ) ने परिदान अवधि 31 दिसम्बर 1994 तक के लिए बढ़ा दी

फर्म ने नवम्बर 1991 में मूल्याँकन हेतु दो सैट प्रस्तुत किये। मूल्यांकन एवम् इसके परिणामतः संशोधन निदेशक (प्रणालियाँ) द्वारा फर्म को दिसम्बर 1993 में रेडियो सैटों के थोक उत्पादन की स्वीकृति दिये जाने तक जारी रहे। परिदान अवधि 31 दिसम्बर 1994 तक बढ़ा दी गयी थी। इसी बीच अगस्त 1994 में निदेशक (प्रणालियाँ) को पता लगा कि फर्म वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही थी और उसके पास रेडियो सैटों के उत्पादन के लिए कार्यशील पूँजी नहीं थी। उसने राज्य उद्योग के सचिव से फर्म की कार्यशील पूँजी का विवरण उपलब्ध कराने के लिए सम्पर्क किया। इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

फर्म नवम्बर 1996 में बन्द हो गयी

फर्म के परिसर में सत्यापन करने पर पाया गया कि कुछ सैटों के अलावा, जिनके लिए घटक उपलब्ध समझे जाते थे, आपूर्ति आदेश का क्रियान्वयन सम्भव नहीं था। इसके बाद मामला थलसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय और फर्म के बीच फर्म के नवम्बर 1996 में बंद होने तक पत्राचार में रहा।

मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष 9 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित 7.28 करोङ रूपए की वसूली हेतु एक शपथ पत्र दाखिल किया। मामला नवम्बर 1999 तक न्यायालय में विचाराधीन था।

मंत्रालय को मामला जून 1999 में भेजा गया था; दिसम्बर 1999 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

14. एक शस्त्र प्रणाली की मरम्मत पर निष्फल व्यय

1.47 करोड़ रूपए की लागत पर अगस्त 1994 में विदेश से मरम्मत कराया गया एक उपस्कर 4 वर्ष पश्चात् भी पैक अवस्था में ही रहा।

के-1 कम्पलैक्स एक अति महत्वपूर्ण उपस्कर है जिसका उपयोग वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली के सामरिक एवं तकनीकी नियंत्रण हेतु किया जाता है, और मुख्यतः इसके सामरिक प्रभावशीलता को बनाये रखने के लिए इसकी मरम्मत की आवश्यकता थी। मरम्मत हेतु प्राप्त एक विदेशी प्रस्ताव का अनुबंध करके लाभ नहीं उठाया गया।

तकनीकी उपस्कर की विदेश से मरम्मत कराने के लिए 16 दिसम्बर 1991 को अनुबंध किया गया

मंत्रालय ने इस उपस्कर की मरम्मत हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए यू0एस0एस0आर0 के विदेश/ आर्थिक मामलों के मंत्रालय के जनरल इंजीनियरिंग विभाग के साथ 16 दिसम्बर 1991 को एक सामान्य अनुबंध किया। मंत्रालय ने सितम्बर 1992 में इस अनुबंध का अधिक्रमण करते हुए वार्षिक अनुपूरक अनुबंधों के माध्यम से दिसम्बर 1996 से और आगे वैधता बढ़ाने के लिए एक और अनुबंध किया। मरम्मत किए गए उपस्कर की परिदान की तिथि से 12 महीनों की गारंटी थी बशर्ते मरम्मत किया गया उपस्कर आपूर्तिकर्त्ता के निर्देशों के अनुसार ठीक तरह से खोला गया हो, संयोजित किया गया हो, परीक्षण किया गया हो, चालू किया गया हो और भंडारण किया गया हो ।

मरम्मत किए गए उपस्कर की परिदान तिथि से 12 महीने की गारंटी थी

मरम्मत की लागत 1.47 करोड़ रूपए थी

मंत्रालय ने वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली के-1 कम्पलैक्स की मरम्मत हेतु यू0एस0 डॉलर 408,080, के समतुल्य 1.47[1] करोड़ रूपए की लागत पर 31 दिसम्बर 1993 को एक अनुपूरक अनुबंध किया। मरम्मत किया गया उपस्कर आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अपने खर्चे पर रूसी विशेषज्ञों की तैनाती करके सौंपा जाना था।

मरम्मत कराया गया कम्पलैक्स चार से अधिक वर्षों तक एक डिपो में बिना पैकिंग खोले पड़ा रहा था

मरम्मत किया गया के-1 कम्पलैक्स जलपोत से अगस्त 1994 में भारत भेजा गया था तथा विदेशी विशेषज्ञों द्वारा इसकी पैकिंग खोलने तथा सौंपे जाने की प्रतीक्षा में एक डिपो में पड़ा हुआ था। थल सेना मुख्यालय अथवा मंत्रालय ने अक्तूबर 1997 तक मामले में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की और तभी मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने इस उद्देश्य हेतु रूसी विशेषज्ञों के दौरे की व्यवस्था करने की बाबत निर्णय लेने में विलम्बों के बारे में सूचित किया। मंत्रालय ने मरम्मत किये गये उपस्कर को सौपें जाने के लिए आठ महीनों के उपरान्त जून 1998 में रूसी विशेषज्ञों के दौरे की व्यवस्था की। भारत आये विदेशी विशेषज्ञों ने मरम्मत किया गया उपस्कर मार्च 1999 में सौंपा।

1.47 करोड़ रूपए व्यय करने बाद भी अति महत्वपूर्ण वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली की सामरिक प्रभावित को बढ़ाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

---

[1] यू एस डालर 36.02 रूपए

अक्तूबर 1999 में थलसेना मुख्यालय ने बताया कि विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने में विलम्ब का कारण दौरे से संबंधित अनुपूरक अनुबंध होने में आये गतिरोध और प्रथम ओवरहाल के अनुभव के दृष्टिगत और के-1 कम्पलैक्स का ओवरहाल का विचाराधीन होना था। थलसेना ने आगे बताया कि सामरिक इकाई की आवश्यकताओं को रिजर्व उपस्कर द्वारा पूरा किया गया था। उन्होंने बताया कि उपस्कर अब काम कर रहे थे और प्रयोक्ताओं की ओर से कोई बड़ी शिकायतें नहीं थीं।

इस प्रकार एक अनुबंध करने में विलंब तथा मरम्मत किये गये के-1 कम्पलैक्स का 1994 से चार से अधिक वर्ष तक अधिकार में न लेने के कारण थल सेना को वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली जिसके लिए 1.47 करोड़ रूपए की राशि व्यय की गई थी की बढ़ी हुई सामरिक प्रभावशीलता का लाभ नहीं मिला।

मंत्रालय को मामला मई 1999 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

15. जोखिम क्रय प्रक्रिया का अनुपालन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग जोखिम क्रय संविदाएं करने की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहा। इसके परिणाम 66.59 लाख रूपए के दावें नहीं किये जा सके।

डी0डी0पी0एस0 समय बढ़ाने के लिए औपचारिक पत्र जारी करने में विफल रहा

डी0डी0पी0एस0 ने संविदा विफल होने की तिथि के 12 माह पश्चात् जोखिम क्रय हेतु आदेश दिया

रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग ने टी-72 टैंकों हेतु 59,649 प्रति सैट के हिसाब से "सपोर्ट रोलर " के 125 सैटों के क्रय हेतु फर्म 'क' को मार्च 1987 में एक आपूर्ति आदेश दिया। आपूर्तियाँ 1 दिसम्बर 1990 तक पूर्ण होनी थीं। फर्म निर्धारित अवधि में सैटों का परिदान करने में विफल रही। मंत्रालय की अगस्त 1991 की बैठक में फर्म के द्वारा सैटों के विनिर्माण हेतु वांछित बीयरिंगों के सीमा शुल्क छूट सहित आयात के प्रस्ताव को मान लिया गया था। तथापि विभाग परिदान की निर्धारित मूल तिथि अर्थात् 1 दिसम्बर 1990 से आगे समय बढ़ाने के लिए औपचारिक पत्र जारी करने में विफल रहा। चूँकि फर्म ने इसके बाद मद की आपूर्ति करने में कोई रूचि नहीं दर्शायी अतः मंत्रालय की मई 1992 को एक अन्य बैठक में संविदा को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग ने जून 1992 में ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर आपूर्ति आदेश को रद्द कर दिया। तत्पश्चात् विभाग ने सितम्बर 1992 में इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि संविदा की सामान्य शर्तों के अनुसार कोई भी जोखिम क्रय संविदा विफल होने/ निर्धारित परिदान की तिथि से 12 माह के भीतर किया जाना था, 1.22 करोड़ रूपए

की कुल लागत पर फर्म 'ख' को 16 सैटों और फर्म 'ग' को 109 सैटों हेतु दो आपूर्ति आदेश दिए। दोनों फर्मों ने क्रमशः सितम्बर 1994 तथा जून 1997 में आपूर्ति पूर्ण कर दी।

पुनः क्रय पर व्यय हुए 47.08 लाख रूपए की वसूली हेतु दोषी फर्म पर दावा नहीं किया जा सका

रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की मूल परिदान अवधि से आगे समय बढ़ाने से संबंधित औपचारिक पत्र को जारी करने तथा इसके पश्चात् निर्धारित अवधि के भीतर जोखिम क्रय संविदा करने में विफलता के परिणामस्वरूप जोखिम क्रय आदेशों के कारण हुए 47.08 लाख रूपए के अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए दोषी फर्म पर दावा नहीं किया जा सका।

फर्म एक और मामले में निर्धारित अवधि में भण्डार आपूरित करने में विफल रही

अन्य स्रोत से क्रय करने पर हुआ अतिरिक्त व्यय 19.51 लाख रूपए था

एक अन्य मामले में, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग ने सितम्बर 1988 में, 12250 रूपए जमा 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर एवं लागू उत्पादन शुल्क प्रति की दर से पाईपलाइन एग्जास्ट के 125 सैटों की आपूर्ति के लिए फर्म 'घ' को आपूर्ति आदेश दिया। फर्म ने निर्धारित परिदान अवधि 10 फरवरी 1991 तक भण्डारों की आपूर्ति नहीं की। विभाग ने नवम्बर 1991 में जोखिम एवं खर्चे पर आदेश रद्द कर दिया तथा जून 1992 में 27254 रूपए जमा 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर एवं उत्पादन शुल्क प्रति सैट की दर से 125 सैटों की आपूर्ति हेतु फर्म 'ग' को एक आदेश दिया। बाद की फर्म ने मई 1993 तक आपूर्ति पूर्ण कर दी।

उच्च दर पर भण्डार की अधिप्राप्ति में 19.51 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय को मामला सितम्बर 1999 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

16. लेखापरीक्षा के बताने पर वसूली/बचतें

दो रक्षा लेखा नियंत्रकों, सात भुगतान लेखा कार्यालयों और 16 यूनिटों व फोरमेशनों में अपर्याप्त नियंत्रण होने के कारण 2.23 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा के बताने पर अनधिकृत कार्यों को निरस्त करने एवं प्राक्कलनों में संशोधन के कारण 32.22 लाख रूपये की बचतें हुईं।

वसूलियाँ

रक्षा लेखा नियंत्रक (अधिकारी), भुगतान एवं लेखा कार्यालय (अन्य श्रेणी) ए0ओ0सी0 सिकन्दराबाद, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (अन्य श्रेणी) एम0एल0आई0 बेलगाँव, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (अन्य श्रेणी) एम0आई0आर0सी0 अहमदनगर, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (अन्य श्रेणी) बी0ई0जी0 किरकी, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (अन्य श्रेणी)

लेखापरीक्षा ने सी0डी0ए0 (अधिकारी)/6 पी0ए0ओ0 में 21.37 लाख रूपये के अधिक भुगतान का पता लगाया

ए0सी0आर0 अहमदनगर और भुगतान एवं लेखा कार्यालय (जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स) द्वारा रखे जा रहे भुगतान लेखों में भुगतान एवं भत्तों और व्यक्तिगत दावों से सम्बन्धित कुल 21.37 लाख रूपये का अधिक भुगतान और कम वसूलियाँ पायी गयी। ये अधिक भुगतान सम्बंधित कार्यालयों द्वारा स्वीकार किये गये थे।

लेखापरीक्षा के अनुरोध पर की गई पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप 1.51 करोड़ रूपए की वसूली हुई

भुगतान एवं लेखा कार्यालय (अन्य श्रेणी) ई0एम0ई, सिकन्दराबाद द्वारा रखे गये व्यक्तिगत चालू खाता लेखों की लेखापरीक्षा में जाँच में अगस्त 1996 को समाप्त तिमाही के देय-आहरण विवरणों में दर्शायी राशि से 3.13 लाख रूपये की अधिक राशि जमा किए जाने का पता चला। इस मामले को उठाने के परिणामस्वरूप भुगतान एवं लेखा कार्यालय ने 23063 व्यक्तिगत चालू खाता लेखों की पुनरीक्षा की और अगस्त 1997 को समाप्त तिमाही के लेखों से 1.51 करोड़ रूपये की वसूली की।

रक्षा लेखा नियंत्रक, कैन्टीन भण्डार विभाग द्वारा रखे गये लेखों की जांच से पता चता कि यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों को उत्पाद कर की प्रतिपूर्ति की बाबत 6.96 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ, इसे स्वीकार किया गया और वसूलियाँ की गईं।

16 सेना यूनिटों/ फोरमेशनों के लेखों की जाँच के 44.10 लाख रूपये में अधिक भुगतान का पता चला

इसके अतिरिक्त 16 सेना यूनिटों एवं फोरमेशनों द्वारा रखे गये लेखों की जाँच से पता चला कि एल0टी0सी0, वेतन एवं भत्ते, ट्रॉसपोर्ट भत्ता, सी0सी0ए0, फील्ड भत्ता और जल प्रभार के अधिक भुगतान की बाबत 44.10 लाख रूपये का अधिक भुगतान/कम वसूली हुई। ये अधिक भुगतान और कम वसूली स्वीकार की गई थीं और वसूलियाँ की जा रही थीं।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा के बताने पर 2.23 करोड़ रूपये के अधिक भुगतान एवं कम वसूली की बाबत वसूलियाँ की गईं /नोट की गईं।

बचतें

लेखापरीक्षा के बताने पर निम्न मामलों में 32.22 लाख रूपये की बचतें हुई।

मामला 1

मंत्रालय ने मई 1997 में 14.72 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर सैनिकों के लिए पारिवारिक आवास के निर्माण हेतु संस्वीकृति प्रदान की, जिसे जनवरी 1998 में 15.96 करोड़ रूपये के लिए संशोधित किया गया। संस्वीकृति में प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त 5 प्रतिशत का प्रावधान किया गया था। निर्माणाधीन कुछ आवास प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं थे अतः लेखापरीक्षा ने संस्वीकृति राशि में आठ लाख रूपये की कटौती करने के लिए कहा। यह भी पाया गया कि यद्यपि कुछ पारिवारिक आवासों का निर्माण तीन

प्राक्कलनों में संशोधन के परिणामस्वरूप 20.11 लाख रूपये की बचत हुई

मंजिला फ्रेम ढ़ाँचों के स्थान पर दो मंजिला फ्रेम रहित निर्माण में बदल दिया गया था फिर भी जनवरी 1998 की संशोधित संस्वीकृति में फ्रेम ढ़ाँचों के लिए 11 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया था। इन मामलों को उठाने पर मुख्य अभियंता ने जून 1999 में संस्वीकृति राशि में आकस्मिक एवं स्थापना प्रभार सहित 20.11 लाख रूपये की कटौती करने के लिए कारवाई शुरू कर दी।

मामला II

लेखापरीक्षा के सुझाव पर पानी के मीटरों के प्रावधान को हटाने के कारण 1.58 लाख रूपये की बचत हुई

लेखापरीक्षा ने जब यह बताया कि विद्यमान आदेशों के अनुसार विवाहित जूनियर कमीशन अधिकारियों/ अन्य श्रेणी के लिए क्वार्टरों में पानी के मीटर नहीं लगाए जाने हैं तो मुख्य अभियंता 31 सब एरिया विभिन्न संविदाओं में से पानी के मीटरों के प्रावधान को हटाने के लिए सहमत हो गया इसके परिणामस्वरूप 1.58 लाख रूपये की बचत हुई।

मामला III

सी0ई0(पी0) ने 1971-89 के दौरान 13.93 लाख रूपये के तेल व स्नेहक की अधिप्राप्ति की लेकिन 1996 तक इसका उपयोग नहीं किया।

डी.जी.बी.आर. हानि विवरण तैयार करने का प्रस्ताव किया

जब लेखापरीक्षा ने हानि पर प्रकाश डाला तो 10.53 लाख रूपये मूल्य का तेल एवं स्नेहक के वैकल्पिक उपयोग की व्यवस्था की गयी

महानिदेशक सीमा सड़क के अधीन प्रोजेक्ट मुख्य अभियंता बीकन के द्वारा 1971 से 1989 के दौरान अधिप्राप्त 13.93 लाख रूपये मूल्य का तेल एवं स्नेहक का भण्डार नवम्बर 1996 तक भण्डार में पड़ा रहा जब अधिकारियों के एक बोर्ड ने उनके वैकल्पिक उपयोग का सुझाव दिया। महानिदेशक सीमा सड़क इस आधार पर वैकल्पिक उपयोग के सुझाव से सहमत नहीं हुआ कि वैकल्पिक उपयोग से कीमती यंत्रों में क्षति हो सकती थी और उसने हानि विवरण बनाने का सुझाव दिया। जब तेल एवं स्नेहक का अधिक प्रावधान करने व इनके उपयोग करने के लिए समय से कार्रवाई न करने के कारण परिहार्य हानि का मामला लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया तो मुख्य अभियंता, प्रोजेक्ट हिमांक ने जून 1999 में सूचित किया कि 10.53 लाख रूपये मूल्य के तेल एवं स्नेहक का वैकल्पिक उपयोग की व्यवस्था कर ली गयी थी और 4.63 लाख रूपये मूल्य की मात्रा का उपयोग भी कर लिया गया था। इसप्रकार, लेखा परीक्षा के बताने पर 10.53 लाख रूपये मूल्य के तेल एवं स्नेहकों के उपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया गया तथा 4.63 लाख रूपये मूल्य की मात्रा का उपयोग किया गया।

मंत्रालय को मामला सितम्बर 1999 में भेजा गया था; दिसम्बर 1999 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

17. लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभागों की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निदेश जारी किए थे कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफों पर अपनी प्रतिक्रियाएं छः हफ्ते में भेज दें।

ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ सदैव सम्बन्धित लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के सचिवों को, उनका ध्यान लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर आकृष्ट करते हुए, अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से भेजे जाते हैं तथा उनसे उनकी प्रतिक्रिया छः सप्ताह में भेजने का अनुरोध किया जाता है। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर सूचित कर दिया गया था कि चूंकि मामले भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जो कि संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, में सम्मिलित किए जाने सम्भावित थे अतः इसमें उनकी टिप्पणी को भी सम्मिलित करना वाँछनीय होगा।

मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) , थलसेना एवं आयुध फैक्टरियाँ 2000 की संख्या 7 में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों को अप्रैल 1999 और अक्तूबर 1999 के बीच अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के सचिव को भेजे गये थे।

लोक लेखा समिति की पहल पर जारी वित्त मंत्रालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में रक्षा मंत्रालय ने 42 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से 26 के उत्तर नहीं भेजे। अतः इनमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया सम्मिलित नहीं की जा सकी।

मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए मंत्रालय/विभाग के पैराग्राफों की कुल संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिन पर सचिव के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	पैराग्राफ संख्या
रक्षा मंत्रालय	42	26 (अध्याय I के पैराग्राफ 1 से 12 तक को छोड़कर)	13,14,15,16,18, 20,21,22,23,24, 27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36, 37,38,39,41,42, तथा 43

18. लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति के बार-बार अनुदेशों/संस्तुतियों के बावजूद मंत्रालय ने 159 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं कीं।

की गई कार्रवाई की टिप्पणियों को प्रतिवेदन के संसद के पटल पर रखे जाने के चार माह के अन्दर प्रस्तुत करना होता हैं

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित सभी विषयों के बारे में सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोक लेखा समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष एवं इसके बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ, लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित कराकर, प्रतिवेदन के संसद के पटल पर रखे जाने के चार माह के अन्दर प्रस्तुत की जाएं। की गई कार्रवाई की टिप्पणियों की समय सीमा में प्रस्तुति को सुनिश्चित करने तथा बकाया की गई कार्रवाई टिप्पणियों की स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए अगस्त 1998, दिसम्बर 1998 तथा सितम्बर 1999 में सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में बैठकें भी हुईं थीं।

मंत्रालय 159 पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने में असफल रहा

10 जनवरी 2000 को थलसेना से संबंधित बकाया की गई कार्रवाई की टिप्पणियों की पुनरीक्षा से पता लगा कि मंत्रालय परिशिष्ट के अनुसार, मार्च 1997 तक के एवं मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 159 पैराग्राफों से संबंधित की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने में विफल रहा। इनमें से 55 पैराग्राफ मार्च 1993 तक के एवं मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित थे।

मंत्रालय को मामला 29 नवम्बर 1999 को भेजा गया था; उनका उत्तर 10 जनवरी 2000 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय III : थलसेना

पुनरीक्षा

19. इन्फैन्ट्री यौद्धी वाहनों एवम् इंजनों की ओवरहाल

विशिष्टताएं

- वर्ष 1977 में सेवाओं में प्रवर्तित बी0एम0पी0 वाहनों की ओवरहाल हेतु वाँछित स्तर की सुविधाएँ 22 वर्ष उपरान्त दिसम्बर 1999 तक भी उपलब्ध नहीं थी।

- भोपाल में अतिरिक्त पुर्जों की सहायता हेतु एक समर्पित डिपो सहित एक नयी बेस कार्यशाला में ओवरहाल सुविधाओं की स्थापना हेतु मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1986 में दी गयी संस्वीकृति बी0एम0पी0 वाहनों के प्रवर्तन की दर में परिवर्तन के कारण 1988 में स्थगित कर दी गयी थी।

- मंत्रालय/थलसेना ने कार्यशाला सुविधाओं के परिमाण तथा एजेन्सी जिसे कार्य सौंपा जाना था, को अन्तिम रूप देने में 1988 से 1994 तक 6 वर्ष का समय लिया। आरम्भ में अपनायी गयी ओवरहाल नीति वाहनों के निर्माण काल पर आधारित थी। इसे 1987 में निर्माण काल और उपयोग में लाये जा रहे वाहनों के सामंजस्य में बदला गया एवम् अन्ततः केवल 1993 में उपयोग में लाये जा रहे वाहनों के लिए बदला गया।

- 130 वाहनों की नमूना जाँच से पता लगा कि मरम्मत योग्य वाहनों के निर्धारण की अन्तिम नीति यथार्थपरक नहीं थी और ये वाहन खराब हो जाने के बाद ओवरहाल को भेजे गये थे जो कि वाँछनीय नहीं है।

- ओवरहाल सुविधाओं के अभाव में 247 इंजनों की 5.83 करोड़ रूपए में विदेश से ओवरहाल करानी पड़ी और इसके अतिरिक्त मार्च/अगस्त 1992 में की गयी संविदाओं के अन्तर्गत 12.37 करोड़ रूपए में 250 नये इंजनों का आयात करना पड़ा।

- 110 वाहनों और 210 इंजन प्रति वर्ष की दर क्षमता के साथ मार्च 1994 में संस्वीकृत एक थलसेना बेस कार्यशाला में ओवरहाल सुविधाओं की स्थापना जो कि मार्च 1998 तक पूरी होनी थी अब वर्ष 2000 के मध्य तक ही पूर्व होना प्रत्याशित है। जबकि अब

तक 114 बी0एम0पी0। वाहन तथा 495 इंजन पहले ही ओवरहाल हेतु बकाया हो गये हैं और जब तक पिछला बकाया निपटेगा तब तक और संग्रहण हो जायेगा।

- **थलसेना बेस कार्यशाला ने 1994-95 से 1998-99 की अवधि के दौरान अपने क्रमशः 355 एवम् 765 के लक्ष्य के प्रति केवल 56 वाहनों एवम् 39 इंजनों की ओवरहाल की। इस दर से, मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री बटालियनों को निर्धारित तिथि तक पूरी तरह बी0एम0पी0-।। वाहनों से सज्जित करने की थलसेना की योजना से तालमेल बिठाने के लिए बकाया का निपटान प्रभावित होने की सम्भावना है।**

- **तकनीकी रूप से अप्रचलित हो चुकी मदों की ओवरहाल के लिए पूर्ण कालिक अतिरिक्त पुर्जों एवम् बी0एम0पी0-। वाहनों की दूसरी ओवरहाल के लिए कुछ अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2006 के बाद थलसेना बेस वर्कशाप के पास बी0एम0पी0-। की किसी ओवरहाल के लिए अतिरिक्त क्षमता नहीं होगी और तब तक वाहनों का केवल प्रथम ओवरहाल पूर्ण होना प्रत्याशित होगा। इन अतिरिक्त पुर्जों की लागत 18.27 करोड़ रूपए आँकी गयी है। इसकी तुरन्त पुनरीक्षा की आवश्यकता है।**

- **थलसेना बेस वर्कशाप ने वाहनों एवम् इंजनों की ओवरहाल की लागत मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमाओं में रखना सुनिश्चित करने के लिए लागत लेखा प्रणाली नहीं अपनाई।**

- **परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के बारे में राजनैतिक मामलों की संसदीय समिति को सूचित नहीं किया गया था यद्यपि वर्ष 1993 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 8 के पैराग्राफ 15 पर की गयी कार्रवाई की टिप्पणी में इसका आश्वासन दिया गया था।**

19.1 प्रस्तावना

थलसेना ने नाभिकीय विकिरण से सुरक्षा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त युद्ध क्षमताओं और संचलन को समुन्नत करने के लिए वर्ष 1977 में कवचित कार्मिक वाहनों के स्थान पर इन्फैन्ट्री योद्धी वाहनों (बी0एम0पी0)[1] को प्रवर्तित किया। बी0एम0पी0-। के बेड़े में 747 वाहनों में से अधिकांश का 1981-85 के दौरान आयात किया गया था। बी0एम0पी0-।। वाहन 1986 के दौरान सेवाओं में प्रवर्तित किये गये थे और वर्तमान बेड़े के 24 प्रतिशत का 1986-90 के दौरान आयात किया गया था तथा 76 प्रतिशत 1988 एवम् 1998-99 के बीच देश में ही निर्मित किये गये थे। थलसेना की योजना थी कि एक तिथि विशेष तक मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री बटालियनों को बी0एम0पी0-। और ।। से एवम् उसके बाद केवल

[1] बी0एम0पी0 : बोवेयामशीना पैखोटा (रूसी)

बी0एम0पी0-II वाहनों से सज्जित किया जाये। तथापि बी0एम0पी0-I अन्य शस्त्रों एवम् सेवाओं तथा गैर युद्ध क्षेत्र बलों के साथ 5 से 10 वर्ष तक सेवाओं में कार्यरत रहेंगे।

मंत्रालय ने अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित डिपो सहित एक नयी बेस कार्यशाला में बी0एम0पी0 वाहनों की ओवरहाल हेतु अप्रैल 1986 में "व्हाइट लिली" नामक एक परियोजना संस्वीकृत की।

वर्ष 1986 और 1988 के बीच जब भूमि का अधिग्रहण और तकनीकी दस्तावेजों के आयात जैसा कि तैयारी का कार्य प्रगति पर था तभी मंत्रालय ने घटी हुई प्रवर्तन दर और ओवरहाल नीति में परिवर्तनों के कारण परियोजना रोक दी। वर्ष 1993 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 8 के पैराग्राफ 15 में परियोजना के कार्यक्षेत्र तथा योजना में परिवर्तन के कारण परिहार्य व्यय पर टिप्पणी की गयी थी।

मंत्रालय ने मार्च 1994 में यह विनिर्दिष्ट करके कि किसी भी दशा में वाहनों तथा इंजनों की ओवरहाल की लागत आयुध फैक्ट्री से प्राप्त किये जाने वाले नये वाहन / इंजन की लागत के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, ओवरहाल का कार्य उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि करते हुए थलसेना बेस कार्यशाला को और अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध कराने का कार्य केन्द्रीय कवचित यौद्धी वाहन डिपो को सौंपने का निर्णय लिया।

19.2 कार्यान्वयन एजेन्सी

थलसेना मुख्यालय में मास्टर जनरल आयुध बी0एम0पी0 वाहनों एवम् इंजनों की ओवरहाल के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु नामित केन्द्रीय एजेन्सी था। परियोजना के कार्यान्वयन के मॉनीटरन हेतु अगस्त 1986 में एक परियोजना नियंत्रक की अध्यक्षता में 14 अधिकारियों तथा 18 कार्मिकों के एक परियोजना दल का गठन किया गया। परियोजना का समग्र मॉनीटरन रक्षा मंत्रालय के निदेशक (अधिप्राप्ति) की सहायता से रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आयुध) द्वारा किया जाना था।

19.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

पुनरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इन्फैन्ट्री यौद्धी वाहनों की ओवरहाल सुविधाओं को स्थापित करने की मंत्रालय की योजना एवम् कार्यक्रम कहाँ तक पूरे हुए हैं और यह भी कि क्या विलम्ब होने से वाहनों को युद्ध हेतु तैयार अवस्था में रखने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

पुनरीक्षा नवम्बर 1998 और फरवरी 1999 के बीच रक्षा मंत्रालय, थलसेना मुख्यालय में परियोजना कार्यालय थलसेना बेस कार्यशाला तथा केन्द्रीय कवचित यौद्धी वाहन डिपो के अभिलेखों तथा दस्तावेजों की नमूना जाँच के माध्यम से की गयी।

19.4 परियोजना खाका

मंत्रालय ने मार्च 1994 में ओवरहाल सुविधाओं के सृजन की संस्वीकृति दी।

मंत्रालय ने क्रमशः मार्च 1997 एवम् मार्च 1998 तक 210 इंजन और 110 वाहन प्रतिवर्ष ओवरहाल की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए 41.97 करोड़ रूपए की लागत पर सुविधाओं के सृजन हेतु मार्च 1994 में संस्वीकृति प्रदान की। संस्वीकृत लागत में सिविल निर्माण कार्यों, संयंत्र एवम् मशीनरी, उच्च असेम्बलियों तथा कार्मिकों का प्रशिक्षण का प्रावधान था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

कार्य की मद	लागत (करोड़ रूपए में)		
	थलसेना बेस कार्यशाला	के0क0यौ0वा0डि0	कुल
सिविल निर्माण कार्य	10.12	8.66	18.78
संयंत्र एवम् मशीनरी	9.96	3.23	13.19
प्रशिक्षण	1.50	-	1.50
उच्च असेम्बलियाँ	1.50	-	1.50
अप्रैल 1986 की संस्वीकृति के अन्तर्गत आयात की गयी संयंत्र एवम् मशीनरी	7.00	-	7.00
कुल	**30.08**	**11.89**	**41.97**

परियोजना के प्रति दिसंबर 1998 तक 31.43 करोड़ रूपए व्यय/ वचन-बद्धता के रूप में लेखांकित किया जा चुका था।

19.5 सिविल निर्माण कार्य

मंत्रालय ने अक्तूबर 1997 में 17.55 करोड़ रूपए की लागत पर सिविल निर्माण कार्यों के लिए संस्वीकृति दी

सिविल निर्माण कार्य वर्ष 2000 के मध्य तक पूर्ण होना प्रत्याशित थे

मंत्रालय ने नवम्बर 1994 में सिविल निर्माण कार्यों के लिए "कार्यारम्भ" संस्वीकृति प्रदान की। निर्माण कार्य अगस्त 1995 में आरम्भ हुए। मंत्रालय ने निवेदित दरों के आधार पर अक्तूबर 1997 में 17.55 करोड़ रूपए की औपचारिक संस्वीकृति दी। यद्यपि मंत्रालय ने मार्च 1994 में निर्देश दिये थे कि सुविधाओं का कार्य चार वर्ष में पूरा हो जाना चाहिये तथापि उन्होंने सिविल निर्माण कार्यों के पूर्ण होने में 5 1/2 वर्ष लगने दिये। अक्तूबर 1999 तक निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके थे और शेष निर्माण कार्य वर्ष 2000 के मध्य तक पूर्ण होने प्रत्याशित थे।

19.6 निर्णय लेने में विलम्ब तथा इसका प्रभाव

एक जीवन- मध्य ओवरहाल के साथ बी0एम0पी0 वाहनों का जीवन काल 15 वर्ष था

वर्ष 1977 में बी0एम0पी0-I के प्रवर्तन के समय बी0एम0पी0 वाहन सहित ट्रैक्ड वाहनों का जीवन काल एक जीवन मध्य ओवरहाल के साथ 15 वर्ष था। मंत्रालय ने प्रवर्तन की तिथि से 12वें और 22वें वर्ष में अथवा 10,000 कि0मी0 चलने पर जो भी पहले हो, दो ओवरहालों के प्रावधान के साथ वाहन की जीवनकाल बढ़ाकर 32 साल करते हुए जनवरी 1987 में ओवरहाल नीति में परिवर्तन कर दिया। थलसेना ने 1993 में एक बार फिर ओवरहाल नीति में परिवर्तन कर दिया जिसके अन्तर्गत ओवरहाल की अवधिकता निर्माण काल के बजाय किलोमीटरेज के आधार पर तय की जानी थी क्योंकि यह माना गया कि मरम्मतों की आवश्यकता निर्माण काल की अपेक्षा उपयोग के कारण अधिक पड़ती थी। बी0एम0पी0-I तथा II दोनों में लगे एक ही प्रकार के इंजनों का 4800 कि0मी0 के बाद ओवरहाल होना था। मंत्रालय ने इस ओवरहाल नीति को सिद्धांततः स्वीकार करते हुए केन्द्रीय कवचित यौद्धी वाहन डिपो में अतिरिक्त पुर्जों की सहायता के साथ थलसेना बेस कार्यशाला में विद्यमान सुविधाओं में बढ़ोतरी करके 110 बी0एम0पी0-I वाहनों तथा 210 इंजनों की प्रतिवर्ष ओवरहाल हेतु सुविधाओं के सृजन की मार्च 1994 में संस्वीकृति प्रदान की।

मंत्रालय ने 12वें और 22वें वर्ष में अथवा 10,000 कि0मी0 चलने पर, जो भी पहले हो, ओवरहाल के प्रावधान के साथ जीवनकाल बढ़ाकर 32 वर्ष कर दिया

मंत्रालय ने 1993 में ओवरहाल नीति को उपयोग आधारित कर दिया

ओवरहाल सुविधाएं वर्ष 2000 के मध्य तक पूर्णतया स्थापित होना प्रत्याशित थी। 686 बी0एम0पी0-I वाहनों का प्रथम ओवरहाल 2006 तक पूर्ण होना प्रत्याशित था तथा बी0एम0पी0-II वाहनों का ओवरहाल वर्ष 2007 से ही आरम्भ किया जायेगा। यह थलसेना की सभी मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री बटालियनों को निर्धारित तिथि तक बी0एम0पी0-II वाहनों से सज्जित करने की योजना के सन्दर्भ में संकटपूर्ण है। क्योंकि तब तक सभी आयातित बी0एम0पी0-II वाहन 16 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके होंगे।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1999 में बताया कि 56 वाहनों का ओवरहाल हो गया है तथा 1981 के निर्माण काल के 114 वाहन ओवरहाल हेतु बकाया हो गये है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि ओवरहाल के लिए वाहनों का अवश्रेणीकरण अनुमोदित नीति तथा मैकेनिकल अवस्था के आधार पर किया जाता था।

130 बी0एम0पी0-I वाहनों में से 121 खराब हो जाने के कारण ओवरहाल के लिए अवश्रेणीकृत किए गये थे जो नीति संगत नहीं था

मंत्रालय का यह तर्क आधारभूत वास्तविकताओं पर आधारित नहीं था क्योंकि ओवरहाल के लिए भेजे गये 130 बी0एम0पी0-I वाहनों में से 121 वाहन 1000 से 10,000 कि0मी0 चलने के उपरान्त अवश्रेणीकृत कर दिये गये थे और उनमें से 50 प्रतिशत निर्धारित मानदंडों का आधा अर्थात् 5000 किलोमीटर भी पूर्ण नहीं किया था। इससे पता लगता है कि वाहन किसी पूर्व निर्धारित मानदंड के बजाय खराब हो जाने के कारण अवश्रेणीकृत किये गये थे। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर दोहरी शर्तों पर आधारित ओवरहाल नीति इसलिए

दोहरी शर्तों पर आधारित ओवरहाल नीति विवेकपूर्ण होगी

विवेकपूर्ण होगी कि वाहनों को युद्ध के लिए तैयार अवस्था में रखने के लिए मरम्मत किए जाने वाले वाहनों का पहले से पता लग सकेगा और तद्नुसार उनके ओवरहाल की योजना बनायी जा सकेगी।

19.7 थलसेना बेस कार्यशाला में घटिया कार्य निष्पादन

19.7.1 वाहन

ओवरहाल के लिए थलसेना बेस कार्यशाला में प्राप्ति लक्ष्य से कम थी

मंत्रालय ने अपेक्षा की थी कि थलसेना बेस कार्यशाला में 110 वाहनों के ओवरहाल की पूर्ण क्षमता मार्च 1998 तक प्राप्त हो जानी चाहिए। थलसेना मुख्यालय ने 1994-95 से 1998-99 तक के लिए प्रगामी वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये थे। लक्ष्यों के प्रति प्राप्ति केवल 10 से 19 प्रतिशत थी जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	प्राप्ति का प्रतिशत
1994-95	10	1	9	10 %
1995-96	50	7	43	14%
1996-97	75	10	65	13%
1997-98	110	17	93	15%
1998-99	110	21	89	19%
योग	355	56	299	

मंत्रालय ने दिसम्बर 1999 में बताया कि रूस में बने सभी संयंत्र मशीनरी और सेवा उपस्करों की अनुपलब्धता के कारण इनकी देशज़ अधिप्राप्ति में पर्याप्त समय/ प्रयास लगा और देशज़ीकरण में समय लगने के कारण बहुत से महत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जे भी उपलब्ध नहीं थे।

यह उत्तर सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि वाहन 1977 से प्रवर्तित किये गये थे और ओवरहाल सुविधाएं स्थापित करने के लिए 1981 में ही कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी थी और अतिरिक्त पुर्जों के आयात अथवा देशजीकरण के माध्यम से अधिप्राप्ति हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध था। वैद्युत एवम् यांत्रिकी अभियन्ता कोर में वाँछित कार्मिक भी उपलब्ध थे।

19.7.2 इंजन

मरम्मत सुविधाओं की स्थापना में विलम्ब के कारण 497 इंजनों की विदेश से मरम्मत/आयात की आवश्यकता पड़ी

बी0एम0पी0-I तथा II वाहनों में एक समान इंजनों का 4800 कि0मी0 चलने के उपरान्त ओवरहाल होना था। क्योंकि इंजनों की ओवरहाल आरम्भ नहीं हुई थी अतः रखरखाव बनाये रखने के लिए 5.83 करोड़ रूपये में 247 इंजनों की विदेश से मरम्मत करायी गयी और

12.37 करोड़ रूपए के 250 नये इंजनों का आयात किया गया। अक्तूबर 1993 तक 388 इंजन ओवरहाल हेतु बकाया हो गये थे।

लक्ष्य के प्रति कभी 84 से 100 प्रतिशत के बीच थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

इंजनों की ओवरहाल में कमी 84 से 100 प्रतिशत के बीच थी

वर्ष	लक्ष्य			प्राप्ति	कमी का प्रतिशत
	फील्ड इंजन	वाहन इंजन	योग		
1994-95	40	10	50	8	84
1995.96	70	50	120	शून्य	100
1996-97	100	75	175	11	94
1997-98	100	110	210	10	95
1998-99	100	110	210	10	95
योग			765	39	

सितम्बर 1999 तथा बेस कार्यशाला ने 92 इंजनों की ओवरहाल की थी, 48 की ओवरहाल की जा रही थी तथा 495 इंजन कवचित यौद्धी वाहन डिपो में रखे हुए थे।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1999 में बताया कि इंजनों की ओवरहाल को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता था जो कि 1999 के मध्य में जाकर देश में उपलब्ध हो पाये।

19.8 श्रम घंटों का अधिक उपयोग

बी0एम0पी0 इंजनों एवम् वाहनों के लिए प्राधिकृत श्रम घंटे क्रमशः 450 एवम् 4453 थे। इनके प्रति जैसा कि सन्दर्भित पूर्ण कार्य आदेशों से निष्कर्ष निकाला गया इंजनों के लिए 541 तथा वाहनों पर औसतन 7000 श्रम घंटों का उपयोग किया गया।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1999 में बताया कि आरम्भिक अवस्था में श्रम घंटों का अधिक उपयोग ओवरहाल मानकों की स्थापना के लिए पायलट ओवरहाल के कारण था और शनै-शनै अधिक लेखांकन को घटाया जा रहा था।

अधिक श्रम घंटों के उपयोग में 35 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ

मंत्रालय का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि पायलट ओवरहाल में थलसेना बेस कार्यशाला ने केवल उच्च असेम्बलियों को बदल कर नयी उच्च असेम्बलियाँ लगाई थीं। वस्तुतः इसमें कम श्रम घंटे लगने चाहिये थे। इस बाबत हुआ अतिरिक्त व्यय 34.93 लाख रूपए बनता है।

19.9 देशज़ संयंत्र, मशीन एवम् सेवा उपस्करों की अधिप्राप्ति में विलम्ब

परियोजना हेतु कुल मिलाकर 884 संयंत्र, मशीन एवम् सेवा उपस्करों की आवश्यकता थी। इनमें से 234 का वर्ष 1990-92 के दौरान आयात किया गया था। शेष 654 में से 31 की आवश्यकता नहीं समझी गयी और शेष 623 की देशज अधिप्राप्ति की जानी थी। इनमें से फरवरी 1999 तक 250 अधिप्राप्त कर लिए गये थे।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1999 में बताया कि देशजीकरण हेतु किये गये प्रयासों और विधिक प्रक्रियागत आवश्यकताओं के कारण अधिप्राप्ति में इतना लम्बा समय लगा। मंत्रालय ने सूचित किया कि मुख्य संयंत्र, मशीनें और सेवा उपस्कर आपूर्ति की प्रक्रिया में थे और उन्हें स्थापित करने के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर थे।

संयंत्र, मशीनों और सेवा उपस्करों की अधिप्राप्ति में असाधारण विलम्ब हुआ

यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत सुविधा सृजन का कार्य मार्च 1998 तक पूर्ण होना था लेकिन वे फरवरी 1999 तक मात्र 250 मदों की अधिप्राप्ति ही कर सके जो कि इस सम्बन्ध में समवेत प्रयासों के अभाव को दर्शाता है। 373 मदों की अधिप्राप्ति की स्थिति नहीं दर्शायी गई थी।

19.10 बी0एम0पी0-I के लिए पूर्ण कालिक अतिरिक्त पुर्जे

विदेशी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बी0एम0पी0। का निर्माण बन्द कर दिये जाने के कारण परियोजना नियंत्रक ने वाहनों की ओवरहाल एवम् रखरखाव हेतु पूर्णकालिक अतिरिक्त पुर्जों के क्रय हेतु जून 1995 में एक प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त पुर्जों का यह प्रस्तावित क्रय 742 बी0एम0पी0 । वाहनों के दो ओवरहाल तथा तीन मध्यम मरम्मतों सहित वाहनों के 32 वर्ष के जीवन-चक्र की अवधारणा पर आँकलित किया गया था। मंत्रालय ने 133 मदों के सम्बन्ध में उनकी अप्रचलित तकनीक और आसन्न प्रतिस्थापन के दृष्टिगत अर्द्ध जीवनकाल तक के लिए प्रतिबंधित करते हुए जुलाई 1998 में 27.09 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर अतिरिक्त पुर्जों की 185 मदों के पूर्णकालिक क्रय हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। फरवरी 1999 में एक पुनरीक्षा में इमेज कन्वर्टर आधारित प्रणालियों की 30 मदों को 10वीं योजना के बाद सक्रिय प्रणालियों के निष्क्रियकरण के दृष्टिगत निरस्त कर दिया गया। थलसेना मुख्यालय ने दिसम्बर 1999 तक 155 मदों के लिए माँग पत्र प्रस्तुत किये थे।

अधिप्राप्ति की जा रही ऐसी 133 मदों जिनका क्रय उनके अर्द्धजीवन काल के लिए प्रतिबंधित किया गया था, के विश्लेषण से पता लगा कि इनमें से 114 मदें अप्रचलित गनर/ चालक रात्रि दृष्टि उपकरणों के प्रतिस्थापन तक प्रथम ओवरहाल तथा रखरखाव के लिए

थी। क्योंकि 10वीं योजना के आरम्भ में मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री बटालियनों का गठन बी0एम0पी0-II वाहनों के साथ होना था अतः मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री द्वारा बिल्कुल अन्त में इनके उपयोग हेतु इन मदों की ओवरहाल के लिए अतिरिक्त पुर्जों का आयात औचित्यपूर्ण नहीं था। इन 114 मदों के लिए अतिरिक्त पुर्जों की लागत 15.62 करोड़ रूपए प्राक्कलित की गयी थी जो कि 27.09 करोड़ रूपए की संस्वीकृत राशि में सन्निहित थी। इसके अलावा अतिरिक्त पुर्जों की अन्य 36 मदें दो ओवरहाल के लिए थीं।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1999 में बताया कि अपने मूल देश में बी0एम0पी0-I वाहनों का उत्पादन बन्द हो जाने के कारण, अधिक भण्डारण के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी बरतते हुए और बी0एम0पी0-I के 2019 तक रखरखाव हेतु यांत्रिकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ण कालिक क्रय की आवश्यकता दर्शायी गयी थी।

पूर्ण कालिक क्रय हेतु भारी मात्रा में अतिरिक्त पुर्जों की अनावश्यक अधिप्राप्ति पर सरकार की 18.27 करोड़ रूपए की लागत लगेगी

मंत्रालय का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि बी0एम0पी0-I वाहनों की प्रथम ओवरहाल 2006 तक पूरी होगी और तत्पश्चात बी0एम0पी0-II वाहनों की ओवरहाल आरम्भ होगी अतः थलसेना बेस कार्यशाला में किसी बी0एम0पी0-I वाहन के दूसरे ओवरहाल के लिए अतिरिक्त क्षमता नहीं होगी। इस परिदृश्य में 36 मदों के लिए 2.65 करोड़ रूपए की प्राक्कलित लागत पर द्वितीय ओवरहाल के लिए अतिरिक्त पुर्जों और इसी के साथ 15.62 करोड़ रूपए की प्राक्कलित लागत पर अप्रचलित उपकरणों की अधिप्राप्ति की कठिनता से ही औचित्यपूर्ण माना जायेगा। इन मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता है और 18.27 करोड़ रूपए की लागत से अतिरिक्त पुर्जों के आयात पर पुनर्विचार हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

19.11 हॉस्टल आवास का अनुपयोग

परियोजना नियंत्रक की अध्यक्षता में जनवरी 1994 में संयोजित अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर एक मुख्य अभियंता ने जुलाई 1995 में दौरा करने वाले 14 विदेशी विशेषज्ञों के लिए 43.46 लाख रूपए की लागत से एक वातानुकूलित हॉस्टल का निर्माण किया था। दिसम्बर 1999 तक उनके भारत दौरे के बारे में कोई संविदा विद्यमान नहीं थी। यहाँ तक कि मार्च 1994 में जारी संस्वीकृतियों में विदेशी विशेषज्ञों के दौरों की बाबत किसी विधि का आबंटन नहीं किया गया था। यद्यपि हॉस्टल दिसम्बर 1998 में तैयार हो गया था किन्तु कमाण्डेन्ट थलसेना बेस कार्यशाला ने इसे जून 1999 में ही अधिकार में लिया।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1999 में बताया कि विदेशी विशेषज्ञों द्वारा दौरा पुनरीक्षाधीन था तथा केवल निश्चित अवधि सहित न्यूनतम संख्या का प्रस्ताव रखा जायेगा। भारतीय टीम द्वारा 1999 में 98.81 लाख रूपए व्यय करके रूस का दौरा कर ओवरहाल में पहले ही तकनीकी

स्पष्टीकरण / प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के दृष्टिगत विदेशी विशेषज्ञों के ऐसे दौरों की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती है। इस प्रकार हॉस्टल के निर्माण का कोई औचित्य ही नहीं था।

19.12 लागत नियंत्रण का अभाव

मंत्रालय द्वारा वांछित ओवरहाल की लागत लेखांकन का कार्यशाला द्वारा पालन नहीं किया गया

मंत्रालय ने मार्च 1994 में प्रदान की गयी अपनी संस्वीकृति में उल्लेख किया था कि किसी भी समय वाहनों और इंजनों की ओवरहाल की लागत आयुध फैक्ट्री बोर्ड से लिए गये नये वाहन और इंजन की लागत की 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह निर्धारण बी0एम0पी0 की लागत 82.25 लाख रूपए और अतिरिक्त पुर्जों सहित प्रत्येक बी0एम0पी0 की ओवरहाल की लागत 25 लाख रूपए मानकर किया गया था। फिर भी थलसेना बेस कार्यशाला ने लागत नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अपने अभिलेख नहीं रखे। मंत्रालय ने दिसम्बर 1999 में बताया कि वर्तमान में थलसेना बेस कार्यशाला लागत लेखांकन की व्यवस्था नहीं है और इस अवस्था में ओवरहाल लागत का संगणन अपरिपक्व होगा। उत्तर में यह नहीं बताया गया था कि क्या भविष्य में लागत लेखा प्रणाली स्थापित की जायेगी। लागत लेखांकन के अभाव में ओवरहाल की मितव्ययिता का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

19.13 राजनैतिक मामलों की केन्द्रीय समिति को कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की सूचना नहीं दी गई

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के बारे में कैबिनेट को सूचित नहीं किया गया

मंत्रालय ने वर्ष 1993 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 8 के पैराग्राफ 15 पर की गयी कार्रवाई की टिप्पणी के द्वारा जनवरी 1996 में लोक लेखा समिति को सूचित किया था कि भोपाल में परियोजना के अल्प समापन का पूर्ण औचित्य देते हुए एक टिप्पणी तैयार करके कैबिनैट को सूचित किया जायेगा। तथापि, इस प्रकार के कोई दस्तावेज कैबिनेट को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

20. टी-72 टैंकों हेतु निर्मित नालों का अस्वीकरण

महानिदेशक आयुध फैक्टरियाँ ने मूल डिजाइनकर्ता से परामर्श किये बिना विनिर्माण तकनीक से विचलन किया। इसके परिणामस्वरूप 45.07 करोड़ रूपए मूल्य की दोषपूर्ण नालों का निर्माण हुआ और इससे टी-72 टैंको की भूमिका ही प्रभावित हुई।

महानिदेशक आयुध फैक्टरियाँ ने मूल डिजाइनकर्त्ता से परामर्श किये बिना नालों की टेम्परिंग के लिए महत्वपूर्ण तापोपचार पद्धति से विचलन करते हुए टी-72 टैंकों के लिए 770 नालों का विनिर्माण किया। इसके परिणामस्वरूप दोषपूर्ण नालों का विनिमार्ण हुआ। टैंकों से

फायर करते समय 11 नालों के फटने से दुर्घटना हुई। 44 करोड़ रूपए मूल्य की 454 दोषपूर्ण नाले भंडार में रखी हुई थीं तथा टैंको में लगी हुई शेष 305 नालें जून 1999 में जाँच की प्रक्रिया में थी। मामला निम्न प्रकार हैः

र0 उत्पादन एवम् आ0 विभाग ने 774 नालों के लिए मि0धा0नि0 को आदेश प्रस्तुत किया

मि0धा0नि0 ने गढ़तों को नालों में परिवर्तित करने हेतु म0नि0आ0फै0 को आशय पत्र भेजा

रक्षा उत्पादन एवम् आपूर्ति विभाग ने 67.72 करोड़ रूपए की लागत पर टी-72 टैंकों में लगाने के लिए 774 नालों की आपूर्ति हेतु एक आदेश अक्तूबर 1989 में मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद को प्रस्तुत किया। इस पर मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने ब्लैक फोर्जिंग हॉट रोल्ड छड़ों अर्थात् कच्चे माल को तैयार करने, मशीनीकृत एवम् परीक्षण की हुई नालों में परिवर्तित करने का आशय पत्र मार्च 1990 में महानिदेशक आयुध फैक्टरियाँ को भेजा। आशय पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि नालों की टेम्परिंग दो चरणों में अर्थात् प्रथम चरण में 520° - 550° सेन्टीग्रेड की ताप सीमा में तथा दूसरे चरण में 530° से 570° सेन्टीग्रेड की ताप सीमा में किया जायेगा। गुणवत्ता आश्वासन नियन्त्रणालय (शस्त्रास्त्र) जबलपुर द्वारा परीक्षण के उपरान्त ही नालों की आपूर्ति महानिदेशक आयुध फैक्टरियाँ द्वारा केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर को की जानी थी।

फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर में एक नाल टूट गयी

गु0आ0स्था0(फी0ग0) ने संकेत दिया कि टेम्परिंग 520°-570° से0 पर की जानी चाहिये

फी0ग0फै0 कानपुर ने 430° से0 से भी कम तापमान पर टेम्परिंग जारी रखी

आयुध फैक्टरियों में निर्मित मदों की गुणवत्ता आश्वासन का उत्तरदायित्व निर्मात्री फैक्टरी का होता है। महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन तथा उसके अधीन निरीक्षणालय चौकसी, गुणवत्ता लेखापरीक्षा तथा अन्तिम स्वीकृति निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। फील्ड गन फैक्टरी कानपुर में 1990 में नालों के निर्माण की चौकसी जाँच के दौरान जब एक नाल सीधा करने की प्रक्रिया में टूट गयी तो गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (फील्ड गन) ने ऐसी टूट-फूट से बचने के लिए फैक्टरी को अधिसूचित किया कि तापोपचार 520°से0 - 570°से0 पर कराया जाना चाहिए जैसा कि डिजाइन कर्त्ता ने प्रावधान किया था। तथापि फील्ड गन फैक्टरी ने यह तर्क देते हुए कि 1985 में हस्ताक्षरित समझौते के अन्तर्गत कम तापसीमा में तापोचार अनुमेय था 430° से0 से भी कम तापमान पर गढ़तों की टेम्परिंग जारी रखी ।

फील्ड गन फैक्टरी ने 1992 से 1996 के दौरान केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर को 770 नालें आपूरित की। तथापि गुणवत्ता आश्वासन स्थापना ने इन नालों की टेम्परिंग कम तापमान पर हुए होने के उपरान्त भी इन्हें प्रयोग हेतु उपयुक्त मानकर स्वीकृत कर दिया था। रक्षा उत्पादन एवम् आपूर्ति विभाग ने 74.67 करोड़ रूपए, जिसमें मूल्यवृद्धि भी सम्मिलित थी, का भुगतान मिश्र धातु निगम लिमिटेड को कर दिया।

फायरिंग के दौरान 11 नालें चटक/फट गयी जिससे दुर्घटनायें हुई

सितम्बर 1992 में एक टी-72 टैंक से फायरिंग के दौरान नाल के चटकने से एक दुर्घटना हो गयी। इसके बाद भी मार्च 1998 तक 35 और दुर्घटनाएँ हुईं जिसमें दस और नालें चटक/ फट गयीं। रूसी विशेषज्ञ, जिन्होंने दुर्घटना के कारणों की जाँच की, ने बताया कि

विदेशी विशेषज्ञ ने टेम्परिंग तापमान से विचलन को दुर्घटना का कारण बताया

सेना ने 1997 में सभी नालों को वापस लेने का निर्णय लिया

ऐसी टूट फूट का प्रत्यक्ष कारण निर्धारित टेम्परिंग तापमान से विचलन था और यह भी कि 1985 में हस्ताक्षरित समझौता मूल डिजाइन कर्त्ता के परामर्श के बिना किया गया था।

दिसम्बर 1997 में थलसेना मुख्यालय ने 460° से0 पर टेम्पर की गयी सभी नालों को वापस लेने का निणर्य लिया। जून 1998 तक भण्डार में से ऐसी 44 करोड़ रूपये मूल्य की 454 नालों को चिन्हित करके अस्वीकृत कर दिया गया था तथा टैंक में लगी 305 नालों की जाँच की जा रही थी। अब टेम्परिंग 500°से0 से अधिक के तापमानों पर की जा रही थी।

लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रत्युत्तर में आयुध फैक्टरी बोर्ड ने अगस्त 1998 में कहा कि टेम्परिंग के दौरान कम तापन पट्टी तकनीकी प्रक्रिया में एक परिशोधन था जो कि उपलब्ध संयंत्र एवम् मशीनरी के लिए भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्त था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिशोधन मूल डिजाइनकर्त्ता से परामर्श के बिना किया गया था और तदन्तर हुई दुर्घटनाओं के लिए सीधे इसे ही कारण माना गया था।

मंत्रालय को मामला सितम्बर 1999 में भेजा गया था; दिसम्बर 1999 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

21. विनिर्माण दोषों के कारण सुरंगों का अवश्रेणीकरण

1.56 करोड़ रूपए मूल्य की दोषपूर्ण चटके हुए खोल वाली सुरंगों की समय रहते मरम्मत कराने में महानिदेशक आयुध सेवाएं की विफलता के फलस्वरूप उनकी भण्डारण अवधि समाप्त हो गयी तथा धन के मूल्य की हानि हुई।

महानिदेशक आयुध सेवाएं द्वारा 5516 दोषपूर्ण सुरंगों की उनकी भंडारण अवधि के दौरान मरम्मत कराने में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.56 करोड़ रूपए की धनराशि का मूल्य वसूल नहीं हुआ। मामला निम्न प्रकार हैः

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं के वर्ष 1998 का प्रतिवेदन संख्या 2 के पैरा 76 में मरम्मत योग्य सुरंगों के भारी स्टॉक को छाँटने के बारे में उल्लेख किया गया था। मंत्रालय ने अपने की गयी कार्रवाई के प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा यह भी बताया था कि थलसेना मुख्यालय ने महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन को सुरंगों की मरम्मत की अनुमति प्रदान कर दी थी; महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन ने मरम्मत कराने के लिए ट्रेड फर्म चिन्हित कर ली थीं तथा मरम्मत कार्य उन्हीं डिपुओं में किया जाना था जहाँ इनका भण्डारण किया हुआ था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मुहरबन्द विवरण धारक

प्राधिकरण ने मरम्मत प्रकिया तथा सभी सम्बन्धित एजेन्सियों का अनुमोदन कर दिया था। मरम्मत का कार्य अक्तूबर 1989 से आरम्भ होना था।

फरवरी 1999 में तीन क्षेत्रीय गोलाबारूद डिपुओं तथा एक गोलाबारूद डिपो में 'क' प्रकार की 3356 तथा 'ख' प्रकार की 2160 सुरंगे खोल चटकने के कारण मरम्मत योग्य दशा में रखी हुई थी। डिपुओं ने इसे विनिर्माण दोष के कारण होना बताया। इन सुरंगों की भंडारण अवधि इनकी विनिर्माण तिथि से 5 वर्ष तक की थी। वर्ष 1998 में भंडारण अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गयी। तथापि मरम्मत की गयी सुरंगों की भंडारण अवधि मरम्मत की तिथि से अगले तीन वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती थी। मरम्मत योग्य सुरंगों, उनकी लागत तथा जितने वर्ष से उनकी भंडारण अवधि समाप्त हो चुकी थी उसका डिपो-वार विवरण नीचे दिया गया है:

डिपो का नाम	**विनिर्माण दोष (खोल चटकना) के कारण मरम्मत योग्य सुरंगे**		**विनिर्माण की अवधि**	**भण्डारण अवधि की समाप्ति**	**मरम्मत योग्य सुरंगों की लागत (लाख रूपए में)**	**कब से मरम्मत योग्य अवस्था में पड़ी हुई थी**
	प्रकार 'क'	प्रकार 'ख'				
19 क्षे0गो0बा0डिपो	15	.	1989-90	1994-95	0.42	1995
23 क्षे0गो0बा0डिपो	416	336	1988-90	1993-95	21.28	1992
24 क्षे0गो0बा0डिपो	150	1824	1988-91	1993-96	55.86	1995
गोलाबारूद डिपो भटिंडा	2775	.	1991	1996	78.53	1994-95(2762) 1998(13)
योग	3356	2160			156.09	

महा0नि0अ0से0 ने मरम्मत योग्य सुरंगों का पता लगने के तीन वर्ष उपरान्त मरम्मत हेतु कारर्वाई आरम्भ की महा0नि0गु0आ0 ने सुरंगों की मरम्मत करने से इंकार कर दिया

यद्यपि 23 क्षेत्रीय गोलाबारूद डिपो में मरम्मत योग्य सुरंगों का पता फरवरी 1992 में ही चल गया था किंतु महानिदेशक आयुध सेवाएं ने अक्तूबर 1995 में जाकर मामला आयुध फैक्ट्री बोर्ड के समक्ष रखा तथा सुरंगों के यथास्थान एवम् यथाशीघ्र मरम्मत के लिए मामला अप्रैल 1997 में आयुध फैक्टरी बोर्ड के समक्ष रखा। उन्होंने जून 1998 में मामला महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन के समक्ष भी रखा। प्रत्युत्तर में महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन से जून 1998 में इस आधार पर मरम्मत का कार्य हाथ में लेने से इन्कार कर दिया कि सुरंगें अपना जीवन काल पहले ही पूरा कर चुकी थीं।

इस प्रकार 1.56 करोड़ रूपए मूल्य की सुरंगें जो कि मरम्मत योग्य थी और जिन्हें प्रयोज्यनीय बनाया जा सकता था, लगातार पाँच से आठ वर्षों तक दोषपूर्ण तथा अप्रयोजनीय रहीं।

मंत्रालय को मामला अगस्त 1999 में भेजा गया था; दिसम्बर 1999 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

22. भण्डारण अवधि के दौरान मिसाइलों की मरम्मत न होने के कारण हानि

उपयुक्त मरम्मत एजेंसी का निर्धारण करने में थलसेना मुख्यालय की अक्षमता के कारण 1.11 करोड़ रूपए मूल्य की मिसाइलों की उनकी भण्डारण अवधि में मरम्मत नहीं हुई।

भण्डारण अवधि के दौरान ही 28 मिसाइलों की मरम्मत हेतु एक एजेंसी को चिन्हित/ स्थापित करने में थलसेना मुख्यालय की अक्षमता के कारण ये अप्रयोज्यनीय हो गयीं, इससे 1.11 करोड़ रूपए की राशि का मूल्य वसूल नहीं हुआ।

निरीक्षण प्राधिकारियों ने 28 मिसाइलों को इनकी भण्डारण अवधि में ही मरम्मत योग्य घोषित किया

दो कमानों में एक फील्ड़ गोलाबारूद डिपो तथा दो गोलाबारूद डिपुओं में अक्तूबर 1982 और मार्च 1992 के दौरान आयातित मिसाइलों के एक वर्ग के आवधिक निरीक्षण के दौरान निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा इनमें से 28 मिसाइलों को इलैक्ट्रानिक प्रणाली एवम् असेम्बलियों में दोषों के कारण मरम्मत योग्य घोषित किया। इन मिसाइलों का भण्डारण काल इनकी विनिर्माण तिथि से 12 वर्ष तक का था।

निर्माण वर्ष, भण्डारण अवधि की समाप्ति, वर्ष जिसमें मिसाइलों को मरम्मत योग्य वर्गीकृत किया गया और अप्रयोज्यनीय स्थिति में अवश्रेणीकृत होने से पूर्व की वह अवधि जिसमें मिसाइलें मरम्मतयोग्य अवस्था में रहीं, निम्न प्रकार थी;

निर्माण काल	जिस वर्ष में भण्डारण अवधि समाप्त हुई	वर्ष जिसमें इन्हें मरम्मत योग्य घोषित किया गया	मात्रा	मरम्मत योग्य अवस्था में रहने की अवधि (वर्ष में)
नवम्बर 1978	जनवरी 1990	अक्तूबर 1982	6	8
		नवम्बर 1984	5	6
		नवम्बर 1987	7	3
		दिसम्बर 1988	5	2
अप्रैल 1982	अप्रैल 1994	नवम्बर 1987	2	7
		मार्च 1992	3	2
		योग	28	

28 मिसाइलें 2 से 8 वर्षों के बीच मरम्मत योग्य अवस्था में रही

थलसेना मुख्यालय ने मरम्मत हेतु एजेन्सी का पता लगाने की कार्यवाही देर से आरम्भ की

फर्म ने मरम्मत करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की

यद्यपि मिसाइलें 2 से 8 वर्षों तक की अवधि में मरम्मत योग्य अवस्था मे रहीं तथापि थलसेना मुख्यालय ने तीन से तेरह वर्षों के विलम्ब से मिसाइलों की मरम्मत पर एक सम्भाव्यता अध्ययन कराने का कार्य जुलाई 1995 में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद को सौंपा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने वाँछित पुर्जों, परीक्षण उपस्करों और निपुणता के अभाव में इन मिसाइलों की मरम्मत में असमर्थता व्यक्त की। वैद्युत एवम् यांत्रिकी अभियंताओं ने पाया कि मुख्य इलैक्ट्रानिक इकाईयों के अप्रयोज्यनीय होने के कारण इन

ई0एम0ई0 भी मिसाइलों की मरम्मत नहीं कर सकी

मिसाइलों की मरम्मत सम्भव नहीं थी। अक्तूबर 1999 तक किसी मरम्मत एजेंसी को चिन्हित नहीं किया गया था। 28 मिसाइलों की कुल लागत 1.11 करोड़ रूपए बनती थी।

भण्डारण अवधि के दौरान आकस्मिक मरम्मतों के लिए देशज स्त्रोत चिन्हित किये बिना ही विदेश से मिसाइलों की अधिप्राप्ति से धन के मूल्य एवम् सामरिक तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मंत्रालय को मामला अगस्त 1999 में भेजा गया था; दिसम्बर 1999 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

23. दोषपूर्ण बुलेटप्रूफ विन्डस्क्रीन शीशों की अधिप्राप्ति

विद्रोह के विरूद्ध अभियान हेतु बुलेटप्रूफ विन्डस्क्रीन शीशों के क्रय में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफलता के फलस्वरूप इनके क्रय के तीन वर्ष उपरान्त भी ये लगाये नहीं गये।

बुलेटप्रूफ शीशों की अधिप्राप्ति से पूर्व संयोजन कार्यक्रम हेतु रेखांकन निर्धारित नहीं किये गये थे

ज0स्टा0गु0आ0 में विशिष्टताओं का उल्लेख नहीं था

कार्यकारी जनरल ऑफिसर कमाण्डिंग-इन-चीफ, पूर्वी कमान ने प्रदत्त विशिष्ट वित्तीय शक्तियों का उपयोग करते हुए विद्रोह से निपटने के लिए आन्तरिक सुरक्षा की तुरन्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निसान पेट्रोल कारों में लगाने के लिए फरवरी 1996 में 47.43 लाख रूपए की लागत पर 153 बुलेट प्रूफ विंडस्क्रीन शीशों की अधिप्राप्ति हेतु संस्वीकृति प्रदान की। तथापि सम्बन्धित कार्यशाला ने अधिप्राप्ति से पूर्व संयोजन कार्यक्रम के रेखांकन अथवा प्रक्रिया को निर्धारित नहीं किया1 यहाँ तक कि जनरल स्टॉफ गुणात्मक आवश्यकताएं भी सामग्री एवम् डिजाइन का कोई विस्तृत विशिष्टताएं दिये बिना ही बनायी गयी थीं।

पूर्वी कमान मुख्यालय ने 47.74 लाख रूपये की लागत पर 153 बुलेट प्रूफ शीशों की आपूर्ति हेतु फरवरी 1996 में एस.के. ट्रेडिंग कम्पनी दिल्ली को एक आदेश प्रस्तुत किया1 अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा निरीक्षण के उपरान्त विंडस्क्रीन शीशे आयुध डिपो कलकत्ता में मार्च से अप्रैल 1996 के दौरान प्राप्त किये गये। तथापि निरीक्षण से गुणवत्ता आश्वासन संगठन का कोई अधिकारी सम्बद्ध नहीं था।

पैकेजों को खोलने पर 9 शीशे टूटे हुए पाये गये

संविदा में प्रावधान के बावजूद डिपो ने द्वितीय निरीक्षण का आग्रह नहीं किया

आयुध डिपो ने सभी 153 विन्डस्क्रीन शीशे निसान पेट्रोल कारों में लगाने के लिए फैक्ट्री पैकिंग में ही एक सिविल ट्रक द्वारा अप्रैल 1996 में अग्रिम बेस कार्यशाला को प्रेषित कर दिये। अग्रिम बेस कार्यशाला में परेषण प्राप्त होने पर अधिकारियों के एक बोर्ड ने मई 1996 में पाया कि 153 शीशों में से 9 शीशे टूटे हुए थे क्योंकि फैक्ट्री द्वारा की गयी पैकिंग में शीशों के बीच रखी जाने वाली पैकिंग सामग्री उपयुक्त एवम् पर्याप्त नहीं थी। यद्यपि संविदा में प्रारम्भिक निरीक्षण की तिथि के छः माह के भीतर द्वितीय निरीक्षण का

प्रावधान था तथापि डिपो ने ऐसे किसी निरीक्षण की व्यवस्था नहीं की। तदनंतर पूर्वी कमान मुख्यालय के निर्देशों पर दिसम्बर 1997 में 2.79 लाख रूपए का हानि विवरण तैयार किया गया। इसके उपरान्त जुलाई 1998 में गठित एक जाँच न्यायालय ने राय दी कि शीशे पारगमन के दौरान चटक गये होंगे और यह सिफारिश की कि हानि को सरकार वहन करे।

चटक जाने के कारण शीशे नहीं लगाये जा सके

कार्यशाला में पड़े शीशों में भी दरारें पायी गयीं

अधिप्राप्ति के एक वर्ष उपरान्त अग्रिम बेस कार्यशाला ने अप्रैल 1997 में 50 शीशे पैट्रोल कारों में लगाने के लिए अपने मरम्मत अनुभाग को निर्गमित किये, इनमें से दो का परीक्षण में उपयोग हुआ तथा शेष 48 जुलाई 1997 में कार्यशाला को लौटा दिये गये। तदनंतर 48 शीशे जुलाई 1998 में 7003 संयुक्त कार्यशाला को निर्गमित किये गये। संयुक्त कार्यशाला ने मार्च 1998 में अग्रिम बेस कार्यशाला को सूचित किया कि शीशों में बारीक दरारें आ जाने के कारण इनका उपयोग नहीं हो सका और ये भंडार में पड़े हुए थे। अग्रिम बेस कार्यशाला ने भी अप्रैल 1998 में 7003 संयुक्त कार्यशाला को सूचित किया कि उनके यहाँ रखे कुछ शीशों में भी बारीक दरारें आ गयी थीं।

फरवरी 1999 में अग्रिम बेस कार्यशाला के कमाण्डेंट ने बताया कि उन्होंने भंडार में रखे हुए 94 शीशों के निपटान हेतु आदेश माँगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 7003 संयुक्त कार्यशाला को जारी 48 शीशों के बारे में उन्हें और कोई खबर नहीं थी।

इस प्रकार एक भी निसान पेट्रोल कार बुलेट प्रूफ विन्डस्क्रीन शीशों से रूपान्तरित नहीं की गयी थी और 47.74 लाख रूपए के व्यय के उपरान्त भी ये विद्रोह के विरूद्ध अभियान में उतनी ही असुरक्षित बनी रहीं जैसी कि ये तीन वर्ष पूर्व थी।

मंत्रालय को मामला अगस्त 1999 में भेजा गया था; फरवरी 2000 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

24. उच्च दरों पर बैटरियों की अधिप्राप्ति

कमाण्डेन्ट केन्द्रीय आयुध डिपो दिल्ली द्वारा ऐसी फर्मों जिनकी कम दरें स्वीकृत हो चुकी थी, की पूरी क्षमता का उपयोग किये बिना ही ऊँची दरों पर बैटरियों के लिए आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने की कार्रवाई के परिणामस्वरूप 25.58 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कमाण्डेन्ट केन्द्रीय आयुध डिपो दिल्ली ने कम दरें प्रस्तुत करने वाली फर्मों की क्षमता का पूर्ण दोहन किये बिना ही उच्च दरों पर आदेश प्रस्तुत किया

दो प्रकार की 12 वोल्ट सैकेन्डरी सीसा अम्ल बैटरियों (180 एम्पीयर घंटे तथा 92 एम्पीयर घंटे) की अधिप्राप्ति हेतु केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली के पास विभिन्न दरों पर वैद्य दर संविदा उपलब्ध थी। उच्च दर वाली फर्मों को आदेश प्रस्तुत करने से पूर्व, ऐसी फर्मों

जिनकी दरें उनकी क्षमता सीमा में न्यूनतम थी, को आदेश प्रस्तुत करने के स्थान पर कमाण्डेन्ट ने कम दरों वाली फर्मों की क्षमता का पूरा उपयोग किये बिना ही उच्च दर वाली फर्मों को आदेश प्रस्तुत किया। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन में इस पर प्रतिकूल टिप्पणी की गयी थी।

इसके परिणामस्वरूप 25.58 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ

इसके उपरान्त भी वर्ष 1998 में ऐसी बैटरियों के लिए आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करते समय कमाण्डेन्ट द्वारा यही प्रक्रिया अपनायी गयी परिणामतः कम दरें निवेदित करने वाली फर्मों की क्षमता का पूर्णतया उपयोग किये बिना ही उच्च दरों पर बैटरियों की अधिप्राप्ति करके 25.58 लाख रूपए का परिहार्य व्यय किया गया। इसे नीचे दी गयी सारणी में प्रदर्शित किया गया है:

बैटरी सैकेन्डरी सीसा अम्ल 12 वोल्ट, 180 एम्पीयर घंटे 1ए

फर्म	इकाई दर	प्रति वर्ष क्षमता (बैटरियों की संख्या)	आदेशित मात्रा	लागत (लाख रूपए में)
केजरीवाल ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग वर्क्स कलकत्ता	3357.12	3000	350	11.75
भारत बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, कलकत्ता	4028.50	7050	350	14.10
साहनी बैटरीज नई दिल्ली	3775.85	15000	4090	154.43
कुल			4790	180.28

बैटरी सैकेन्डरी सीसा अम्ल 12 वोल्ट, 93 एम्पीयर घंटे

फर्म	इकाई दर	प्रति वर्ष क्षमता (बैटरियों की संख्या)	आदेशित मात्रा	लागत (लाख रूपए में)
केजरीवाल ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग वर्क्स कलकत्ता	1813.76	3000	1000	18.14
सुपर बैटरीज नई दिल्ली	1995.14	5500	2000	39.90
निक्को कारपोरेशन नई दिल्ली	2176.51	6000	5250	114.27
भारत बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, कलकत्ता	2176.51	7050	1300	28.29
साहनी बैटरीज नई दिल्ली	2176.51	15000	8000	174.12
कुल			17550	374.72

मंत्रालय को मामला मई 1999 में भेजा गया था; दिसम्बर 1999 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

25. निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा घटिया स्तर की मच्छरदानियाँ स्वीकार करना

निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों की अवहेलना करते हुए लम्बाई में छोटी घटिया स्तर की मच्छरदानियों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप डिपो भण्डार में उपलब्ध 1.11 लाख मच्छरदानियों में से 1.80 करोड़ रूपये मूल्य की 83543 मच्छरदानियों का अस्वीकरण हुआ। यूनिटों को जारी की गई 3.54 करोड़ रूपये कीमत की 1.64 लाख मच्छरदानियों में इस प्रकार के दोषों की पहचान होनी बाकी थी।

डी0जी0ओ0एस0 ने 2.75 लाख मच्छरदानियों की खरीद के लिए दो आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किए।

सेना मुख्यालय के मास्टर जनरल आयुध शाखा के अन्तर्गत महानिदेशक आयुध सेवाएं ने अप्रैल 1997 में फर्म 'क' और फर्म 'ख' को कुल 5.92 करोड़ रूपये मूल्य की क्रमशः 1.50 लाख तथा 1.25 लाख मच्छरदानियों की अधिप्राप्ति हेतु दो आपूर्ति आदेश दिये। आपूर्ति की जाने वाली इन मच्छरदानियों की माप एवं छूट आपूर्ति आदेशों की विशिष्टताओं में दर्शाए गये थे।

एस0क्यू0ए0ई0 ने निरीक्षण के बाद मच्छरदानियाँ स्वीकार कीं।

गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (टैक्सटाईल एवं क्लोदिंग) कानपुर के अधीन वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना, कलकत्ता के वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी के द्वारा जाँच व स्वीकार करने के बाद इन दोनों फर्मों ने अगस्त 1997 और अक्तूबर 1997 के दौरान मच्छरदानियों की आपूर्ति की।

फीडिंग डिपुओं में से एक डिपो ने मच्छरदानियों की माप में अन्तर होने की सूचना दी

आयुध डिपो, कलकत्ता ने आगे सैन्य दलों को जारी करने के लिए इन मच्छरदानियों की सम्पूर्ण मात्रा 12 फीडिंग डिपुओं को जारी कर दी। इनमें से एक फीडिंग डिपो 6 एफ0 ओ0डी0 ने आयुध डिपो को अक्तूबर 1997 में सूचित किया कि मच्छरदानियों के आकार में अन्तर होने के कारण उपयोगकर्त्ता इकाइयों ने इन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी ने 28 अक्तूबर 1997 को इनका संयुक्त निरीक्षण किया और दावा किया कि विभिन्न गांठों से यत्र तत्र तरीके से ली गई मच्छरदानियों की माप स्वीकार योग्य सीमाओं के अन्तर्गत थी और उपयोग हेतु उपयुक्त थी।

महानिदेशक आयुध सेवाओं के माध्यम से अन्य दो फीडिंग डिपुओं 11 एफ0ओ0डी0 एवं 223 एफ0ओ0डी0 से इसी प्रकार की शिकायतों के प्राप्त होने पर गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय ने मई 1998 में मच्छरदानियों की जाँच हेतु एक अधिकारियों के बोर्ड का गठन किया ।

डी0जी0ओ0एस0 ने जुलाई 1998 में प्रतिस्थापन के लिए फर्मों को नोटिस भेजा

जुलाई 1998 में इस बोर्ड ने यत्र तत्र तरीके से 20 प्रतिशत मच्छरदानियों की जाँच में इन्हें लम्बाई में छोटा पाया और इसलिए इनको अस्वीकार करने तथा फर्मों के द्वारा सम्पूर्ण आपूर्ति के प्रतिस्थापन हेतु सिफारिश की। तद्नुसार जुलाई 1998 में महानिदेशक आयुध

सेवाओं ने दो फर्मों को उनके द्वारा आपूरित मच्छरदानियों में दोषों को सुधारने/प्रतिस्थापन करने के लिए नोटिस भेजा।

अगस्त 1999 में मंत्रालय ने इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि मामले की जांच एक तथ्य छानबीन समिति द्वारा की गई थी और उनके निष्कर्षों पर आगे की कार्रवाई करने के सम्बन्ध में जाँच की जा रही थी । मंत्रालय ने यह भी बताया कि डिपुओं में उपलब्ध 1.11 लाख मच्छरदानियों में से 1.80 करोड़ रूपये मूल्य की 83543 मच्छरदानियाँ अस्वीकार कर दी गई थीं। लेकिन मंत्रालय ने सैन्यदलों को जारी की गई 3.54 करोड़ रूपये मूल्य की 1.64 लाख (2.75-1.11 लाख) मच्छरदानियों में दोषों के बारे में कुछ नहीं बताया।

इस प्रकार, वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी, कलकत्ता की बार-बार विफलता के कारण, घटिया स्तर की मच्छरदानियों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 1.80 करोड़ रूपये मूल्य की मच्छरदानियाँ का अस्वीकरण हुआ।

26. भण्डार का प्रश्नास्पद क्रय

सस्ते विकल्पों की उपलब्धता और महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवायें एवं सेना मुख्यालय की क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा द्वारा संकोच व्यक्त करने के बावजूद रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग ने 52.91 लाख रूपये से ऐरोसोल बम नामक एक मच्छर एवं अन्य कीटरोधक का क्रय किया।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवायें पृथक-पृथक पार्टियों द्वारा अनियंत्रित क्षेत्रों में गश्त के दौरान मच्छरों एवं कीड़ों से बचाव के लिए एक प्रभावशाली एवं किफायती रसायन के उपयोग के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार कर रहा था।

डी0डी0पी0एस0 ने एरोसोल बम की खरीद के लिए निविदा जारी की
फर्म ने मद की दर 54.90 प्रति इकाई प्रस्तुत की
सी0क्यू0ए0 कानपुर ने प्रस्तुत नमूना मंजूर कर लिया

रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग ने एरोसोल बम नामक उत्पाद की पहचान करके नवम्बर 1990 में इस उत्पादन के क्रय हेतु निविदा जाँच जारी की। दिसम्बर 1990 में केवल फर्म 'क' ने निविदा प्रस्तुत की। प्रस्तुत दर कर रहित 54.90 रूपये प्रति इकाई थी। इसमें 9.30 रूपये रसायन के लिए और 44.50 रूपये स्प्रे-यंत्र सहित डिस्पोजेबल कंटेनर के लिए थे। नियंत्रक, गुणवत्ता आश्वासन कानपुर ने फर्म के द्वारा प्रस्तुत नमूने का परीक्षण किया और इसके उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी।

मई 1991 में सेना मुख्यालय में महानिदेशक, आपूर्ति एवं परिवहन तथा महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं की उपस्थिति में रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में हुई मंत्रालय की बैठक में एरोसोल बम के रसायन एवं डिस्पोजेबल कंटेनर के

क्यू0एम0जी0 ने उच्च दर के दृष्टिगत मद की संस्तुति करने से इंकार कर दिया

अनुपात रहित मूल्य होने के कारण इसके क्रय की पुनः जाँच करने का निर्णय लिया गया। जून 1991 में महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं ने एरोसोल बम के रसायन की लागत के अनुपात में कंटेनर की अधिक लागत होने के कारण संकोच व्यक्त किया। इसी प्रकार जुलाई 1991 में क्वार्टर मास्टर जनरल एरोसोल बम की अधिक कीमत होने और विशेषकर इसके सस्ते विकल्पों के पहले से ही प्रयोग में होने के कारण इसके क्रय के लिए सहमत नहीं हुआ।

डी0डी0पी0एस0 ने जून 1992 में 92,600 एरोसोल बमों के लिए फर्म को आदेश प्रस्तुत किया

अभी जबकि यह मामला पत्राचार में ही था, फर्म ने अक्तूबर 1999 में विभाग से क्षतिपूर्ति की माँग की क्योंकि विभाग ने इस मद के लिए कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया था जबकि पर्याप्त मात्रा में आदेश देने का आश्वासन दिया गया था। अप्रैल 1992 में महानिदेशक, आपूर्ति एवं परिवहन ने 50 लाख रूपये मूल्य के एरोसोल बम क्रय करने का अनुरोध किया। इसके पश्चात् रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग ने जून 1992 में 52.91 लाख रूपये मूल्य के 92,600 एरोसोल बमों की आपूर्ति हेतु फर्म को आदेश दे दिया।

फर्म ने मई 1993 में एरोसोल बम की आपूर्ति कर दी और जून 1993/फरवरी 1994 में उसको भुगतान कर दिया गया।

क्यू0एम0जी0 ने सितम्बर 1994 में मद को इनवेंटरी सूची से हटा दिया

उपभोक्ताओं से इसकी अधिक कीमत व सामरिक क्षेत्रों में इसके अप्रभावकारी होने से सम्बंधित रिपोर्टों के आधार पर क्वार्टर मास्टर जनरल ने सितम्बर 1994 में इस मद को इनवेंटरी/क्रय सूची से हटा दिया और उसके बाद इस मद का क्रय नहीं किया गया।

मंत्रालय ने जुलाई 1999 में बताया कि 'किसी मद का उपयोग उसके प्रयोग में लाने के उपरान्त ही किया जा सकता था और ऐसा ही इस मामले में भी किया गया'।

मंत्रालय का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि परीक्षण के द्वारा प्रभावशीलता के निर्धारण हेतु विभाग को 92,600 एरोसोल बमों के लिए आदेश प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी विशेषतया जबकि उन्हें रसायन मात्रा के प्रति डिस्पोजेबल कंटेनर की विषम अनुपाती उच्च दर के बारे में जानकारी थी।

27. जोखिम क्रय कार्रवाई में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय

जोखिम एवं लागत पर संविदा को निरस्त करने हेतु निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण सरकार का 37.37 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कैनवास जूतों की खरीद हेतु मई 1994 में एक संविदा की गई थी

सेना मुख्यालय ने मई 1994 में 34.50 रूपये की दर से 1.90 लाख जोड़ी कैनवास जूतों की आपूर्ति हेतु फर्म 'क' के साथ एक संविदा की। जनवरी 1995 में फर्म ने बाजार में विशेष प्रकार के भूरे रंग का कपड़ा उपलब्ध न होने के कारण जूतों की परिदान अवधि में वृद्धि करने की मांग की। मई 1996 में सेना मुख्यालय ने मंत्रालय एवं कानूनी सलाहकार के साथ लम्बे समय तक विचार-विमर्श के बाद फर्म की जोखिम एवं लागत पर संविदा को निरस्त कर दिया। 27 नवम्बर 1996 को जूतों की आपूर्ति के लिए की गई नई निविदा में उसी फर्म की न्यूनतम दर प्राप्त हुई। सेना मुख्यालय ने फरवरी 1997 में मूल संविदा के नियमों एवं शर्तों पर 30 दिन के अन्दर स्वीकार करने की बाबत फर्म को निविदा स्वीकरण प्रस्तुत किया। फर्म ने अप्रैल 1997 में यह कहते हुए एक कानूनी नोटिस भेजा कि जोखिम क्रय संविदा के अन्तर्गत फर्म भण्डार की आपूर्ति के लिए बाध्य नहीं थी क्योंकि इसमें विकल्प धारा के अर्न्तगत जूतों की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त आदेश प्रस्तुत करने के बारे में इसके संशोधित प्रस्ताव और बिक्री कर भुगतान के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था।

आपूर्तिकर्त्ता ने परिदान अवधि में वृद्धि की मांग की

जोखिम क्रय संविदा उसी फर्म के साथ की गई

ए0एच0क्यू0 ने बिना किसी वित्तीय प्रभाव के जाखिम क्रय संविदा को निरस्त कर दिया

फर्म से कानूनी नोटिस प्राप्त होने पर सेना मुख्यालय ने अगस्त 1997 में फिर से कानूनी सलाह ली। कानूनी सलाहकार ने मार्च 1998 में बताया कि कालातीत होने के कारण जोखिम क्रय संविदा फर्म के लिए बाध्य नहीं थी। अन्ततः सेना मुख्यालय को जून 1998 में किसी पर भी वित्तीय दायित्व के बिना ही जोखिम और क्रय संविदा को निरस्त करना पड़ा था।

जूतों का क्रय 37.37 लाख रूपये के अतिरिक्त व्यय पर करना पड़ा

कैनवास जूतों की पूरी मात्रा 46.00 रूपये से 56.60 रूपये प्रति जोड़ी तक की उच्च दरों, औसत दर 54.17 रूपये प्रति जोड़ी के हिसाब से खरीदी गई। मूल फर्म ने समय में वृद्धि की मांग करते हुए कहा था कि उसे भूरे कैनवास की क्रय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था लेकिन उसका क्रय कर लिया गया था। इसके बावजूद, सेना मुख्यालय ने समय में वृद्धि हेतु मना किया था और साथ ही डेढ़ साल तक संविदा को निरस्त करने में भी विफल रहा। इससे जूतों की खरीद में 37.37 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय को मामला मई 1999 में भेजा गया ; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

28. मूल्यवान रक्षा भूमि पर अधिवासित एक व्यवसायिक क्लब से बकायों की वसूली न होना

आयुध क्लब कलकत्ता सैन्य इंजीनियरी सेवा को 10 रूपए प्रति वर्ष का भुगतान करके एक भारी आमदनी वाली वाणिज्यिक स्थापना को चला रहा है। महानिदेशक (रक्षा सम्पदा) के निर्णय के अभाव में निदेशक रक्षा सम्पदा, कलकत्ता द्वारा आँकलित 33 लाख रूपए प्रतिवर्ष के किराये की 1996 से वसूली नहीं हुई हैं।

वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई जा रही 1.42 एकड़ भूमि के लिए क्लब 10 रूपए किराये का भुगतान कर रहा था

एक प्राइवेट क्लब आयुध क्लब कलकत्ता जो कि थलसेना आयुध कोर के प्रबन्धन में है, वर्ष 1907 से हेस्टिंग्स कलकत्ता में 1.42 एकड़ मूल्यवान रक्षा भूमि पर अधिवास किये हुए है। दुर्ग अभियंता कलकत्ता ने क्लब के साथ 10 रूपए प्रति वर्ष किराये पर मई 1935 में एक पट्टा अनुबंध किया एवम् 1958 में नवीकरन किया। इसके उपरान्त गत 40 वर्षों से अनुबन्ध का नवीकरण नहीं हुआ है यद्यपि एरिया मुख्यालय कलकत्ता ने जुलाई 1992 में नया पट्टा अनुबन्ध कराने के लिए निर्देश जारी किये थे। पट्टे पर ली गयी भूमि का वाणिज्यिक उपयोग में लाने के बावजूद भी क्लब को 10 रूपए प्रतिवर्ष के भुगतान पर अनाधिकृत अधिवास करने दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त क्लब वर्ष 1962 से 60 रूपए मासिक किराये पर 10 नौकरों के क्वार्टर भी रखे हुए था।

सैन्य अधिकारियों के लिए प्रतिबंधित क्लब की सदस्यता स्वतंत्रता के उपरान्त सभी नागरिकों के लिए खोल दी गयी थी। क्लब के 2000 आजीवन सदस्य तथा 1000 से ऊपर अत्यंत धनी सदस्य हैं। सितम्बर 1980 से क्लब का स्वामित्व आयुध सैन्य अधिकारी कल्याण समिति दिल्ली के पास है जोकि महानिदेशक आयुध सेवाएं नई दिल्ली के नियंत्रण में कार्य करती है।

रक्षा सम्पदा अधिकारी कलकत्ता ने संयुक्त रूप से एक नाप जोख की और पाया कि क्लब वस्तुतः जैसा कि पहले ज्ञात था, 1.42 एकड़ की बजाय 1.765 एकड़ क्षेत्र में अधिवास किये हुए था।

निर्णय के अभाव में किराये का बकाया वसूल नहीं हुआ है

रक्षा सम्पदा अधिकारियों ने क्लब से किराए की वसूली के लिए 23.20 लाख रूपये प्रति वर्ष की सिफारिश की

निदेशक रक्षा सम्पदा कलकत्ता ने जनवरी 1996 में महानिदेशक रक्षा सम्पदा को सूचित किया कि क्लब ने वास्तव में एक वाणिज्यिक स्थापना का रूप ग्रहण कर लिया है। उसने 1.16 करोड़ रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि के वाणिज्यिक मूल्य के आधार पर 23.20 लाख रूपए वार्षिक किराये की संस्तुति की जैसा कि रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब के मामले में किया गया था और जिस मामले में 31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ सरकार, रक्षा सेवाएं (थलसेना एवम् आयुध फैक्टरियाँ) के प्रतिवेदन के पैरा संख्या 14 में किराये की वसूली न होने पर टिप्पणी की गयी थी। 23.20 लाख रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से 1.42 एकड़ भूमि का किराया 33

लाख रूपए तथा प्रीमियम 6.60 करोड़ रूपए होगा। पूर्व की अवधि के लिए प्रत्येक 30 वर्षों की स्लैब हेतु वर्तमान मूल्य का 10 प्रतिशत घटाना प्रस्तावित किया गया था1 इस मामले पर महानिदेशक रक्षा सम्पदा द्वारा अभी निर्णय लिया जाना था यद्यपि संशोधित प्रस्ताव के आधार पर एक भारी राशि दिसम्बर 1999 तक वसूली के लिए शेष थी।

मंत्रालय को मामला जून 1999 में भेजा गया था; फरवरी 2000 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

29. एक परीक्षण रेन्ज के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र के उपलब्ध कराने में निष्फल व्यय

राज्य प्राधिकारियों के द्वारा पुनर्वास पैकेज के निर्धारण के आग्रह के कारण रक्षा विभाग 1.22 करोड़ रूपये पर अधिग्रहीत भूमि को अधिकार में नहीं ले सका। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में प्रावधान न होने के बावजूद सरकार ने इस के लिए दो करोड़ रूपये की राशि की संस्वीकृति प्रदान की जो एक नया उदाहरण प्रस्तुत करता है।

एक स्टेशन में परीक्षण रेंज के लिए लांचिंग पैड के चारों ओर बस्ती रहित 3.5 कि0मी0 घेरे के एक सुरक्षा क्षेत्र की आवश्यकता थी। भूमि अधिग्रहण में सम्भावित कठिनाईयों के दृष्टिगत, प्रथम फेज में लांचिंग पैड के एक कि0मी0 के व्यास में भूमि अधिग्रहण हेतु दिसम्बर 1989 में निर्णय लिया गया। मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अति आवश्यक धारा लागू करते हुए जनवरी 1991 में 1.15 करोड़ रूपये मूल्य पर 329.76 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण और 28.73 लाख रूपये मूल्य पर राज्य सरकार की 191.11 एकड़ भूमि के स्थानांतरण हेतु संस्वीकृति प्रदान की। रक्षा सम्पदा अधिकारी ने 321.06 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु अक्तूबर 1991 से मार्च 1993 के दौरान जिला कलैक्टर को 1.22 करोड़ रूपये का भुगतान किया।

रक्षा सम्पदा अधिकारी सभी बाधाओं रहित भूमि को अधिकार में लेने में असफल रहा

अति आवश्यक धारा में निर्धारित पूर्ण अधिग्रहण के प्रावधान को अनदेखा करते हुए स्थानीय रक्षा सम्पदा अधिकारी ने दिसम्बर 1994 में पुनर्वास पैकेज निर्धारण करने की शर्त पर भूमि को अधिकार में ले लिया। यद्यपि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 में इस प्रकार के पैकेजों का प्रावधान नहीं है, भूमि को शर्तों पर अधिकार में लेने के लिए सहमत होने से पूर्व महानिदेशक रक्षा सम्पदा मामले का निपटान करने में असफल रहा। भूमि के मालिक अनधिकृत रूप से अपने घरों में रहते रहे और प्रस्तावित सुरक्षा क्षेत्र में वर्ष 1992 में 576 व्यक्ति रह रहे थे जो 1997 में बढ़कर 700 हो गए और इस प्रकार भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

प्रत्येक बार परीक्षण के दौरान सभी लोगों को वहां से हटाने की व्यवस्था रक्षा विभाग को करनी पड़ती थी

प्रत्येक बार परीक्षण के दौरान वहां पर रह रहे सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ता था जिसके कारण उनके लाने ले जाने, अस्थायी आवास का निर्माण करने, भोजन व अन्य सुविधाओं पर अतिरिक्त व्यय होता था। फरवरी 1993 व जनवरी 1996 के दौरान इस मद में कुल 51.03 लाख रूपये का व्यय हुआ।

अतिक्रमणकारियों को हटाये बिना भूमि को अधिकार में लेने के कारण अनिश्चित दायित्व लेना पड़ा

रेन्ज प्राधिकारियों ने अगस्त 1997 में लेखापरीक्षा को सूचित किया कि सम्बन्धित भूमि उस पर 'मौजूदा आबादी सहित' अधिकार में ली गई थी। मिशन लांचिंग के लिए वहां के निवासियों की जान-माल की सुरक्षा के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होता था, सरकार ने जुलाई 1999 में पुनर्वास पैकेज हेतु दो करोड़ रूपये की राशि के लिए संस्वीकृति प्रदान की। तथापि तथ्य यह है कि अतिक्रमण हटाये बिना सशर्त भूमि को अधिकार में लेने के कारण अनिश्चित दायित्व लेना पड़ा। इसी के साथ पुनर्वास पैकेज एक नया उद्धरण बन गया जो कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता था।

मंत्रालय को मामला अगस्त 1999 में भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था ।

30. एक विमानन बेस की स्थापना में विलम्ब

1986 में अधिग्रहीत रक्षा भूमि पर थलसेना प्राधिकारियों द्वारा अतिक्रमण होने देने तथा इस पर विद्युत संप्रेषण लाइनें बिछाने की अनुमति देने के कारण विमानन बेस के निर्माण में बाधा पड़ी।

विमानन बेस स्थापित करने के लिए 1986 में 106.08 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया

एक स्टेशन में जनवरी 1986 में 1.02 करोड़ रूपए में 219.64 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी जिसमें से 106.08 एकड़ भूमि पर एक विमानन बेस स्थापित किया जाना था। भूमि थलसेना के कब्जे में थी।

स्टेशन कमांडर ने रक्षा भूमि पर अतिक्रमण होने दिया

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उच्च शक्ति की विद्युत संप्रेषण लाइनों के लिए पाइलोन खड़े करके अतिक्रमण किए जाने की जानकारी फरवरी 1993 में ही हो जाने के बावजूद स्टेशन कमांडर ने उनको हटाने अथवा समुचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

क्वार्टर मास्टर जनरल ने अतिक्रमण की सम्पुष्टि कर दी

क्वार्टर मास्टर जनरल थल सेना मुख्यालय ने भी 11 अप्रैल 1994 को कारपोरेशन के साथ इस आशय का एक करार करके अतिक्रमण को औपचारिक बना दिया कि रक्षा भूमि पर बिछाई जाने वाली उच्च शक्ति की विद्युत संप्रेषण लाइनों को इस करार की तिथि से दो वर्ष के अंदर हटा लिया जाएगा।

जुलाई 1999 तक भूमि अतिक्रमण के अधीन थी

कार्पोरेशन ने जुलाई 1999 तक उच्च शक्ति विद्युत संप्रेषण लाइनों को नहीं हटाया था, जिसके परिणामस्वरूप विमानन बेस स्थापित करने के लिए उक्त भूमि उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार विमानन बेस स्थापित करने हेतु 1986 में 1.02 करोड़ रूपए से भूमि अधिग्रहण करने के बावजूद मंत्रालय ने जुलाई 1999 तक इसके निर्माण की संस्वीकृति प्रदान नहीं की थी।

मंत्रालय को मामला अगस्त 1999 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

31. भूमि को कब्जे में लेने में विलम्ब के कारण वृक्षों की चोरी

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की तत्काल आवश्यकता धारा के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि एवं परिसम्पत्तियों पर कब्जा करने में विलम्ब के कारण उन पर किये गये 2.69 करोड़ रूपए का लाभ नहीं मिला। 37.78 लाख मूल्य के लापता वृक्षों की कीमत भी वसूली नहीं हुई।

तत्काल आवश्यकता धारा के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का कब्जा लेने में विलम्ब और तद्नन्तर भूमि को अधिग्रहण की अधिसूचना से मुक्त करने के कारण 2.37 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति की वसूली न होने का उल्लेख वर्ष 1995 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट रक्षा सेवायें संख्या 8 के पैराग्राफ 35 में किया गया था। मंत्रालय ने दिसम्बर 1996 को अपनी की गई कार्रवाई की टिप्पणी में बताया था कि भूमि को शीघ्र कब्जे में लेने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

लेखापरीखा में मामले की आगे की गई जांच में निम्नलिखित ज्ञात हुआः

रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा अधिसूचना से मुक्त भूमि के लिए किए गए 2.37 करोड़ रूपये के भुगतान की वसूली अप्रैल 1999 तक नहीं की गई थी यद्यपि उसने विशेष भूमि अधिग्रहण कलैक्टर से आवश्यक अधिसूचना प्रकाशित करने का जुलाई 1993 में अनुरोध किया था। भू-स्वामियों ने 1994 में अधिसूचना को रद्द करने पर आपत्ति की थी लेकिन 1998 मे उनकी रिट याचिका खारिज होने के बावजूद भी विशेष भूमि अधिग्रहण कलैक्टर ने अक्तूबर 1999 तक अधिसूचना को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

पूर्ण भुगतान के बावजूद डी0ई0ओ0 ने 1436.89 एकड़ भूमि पर कब्जा करने में देरी की

यद्यपि 1995.05 एकड़ भूमि के लिए सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान मार्च 1994 में पूरा हो गया था किन्तु रक्षा सम्पदा अधिकारी ने 1994 के दौरान केवल 493.31 एकड़ भूमि ही कब्जे में ली। उसने जुलाई 1996 में 242.98 एकड़, जुलाई 1997 में 425.58 एकड़ व दिसम्बर 1998 में 275.024 एकड़ भूमि कब्जे में ले ली।

अक्तूबर 1999 तक 557.77 एकड़ भूमि को कब्जे में लेना बाकी था

टी0टी0 नागरोता गाँव में 2.69 करोड़ रूपए मूल्य की 557.77 एकड़ भूमि अक्तूबर 1999 तक कब्जे में नहीं ली गई, परिणामतः पांच वर्षों तक उस पर व्यय धनराशि का कोई लाभ नहीं मिला। भूमि व उसकी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन अक्तूबर 1999 तक प्रगति में था।

भूमि अधिग्रहण में देरी से 37.78 लाख रूपये के मूल्य के वृक्षों की चोरी हुई

01 जुलाई 1996 को पंगोली गाँव में और 01 जुलाई 1997 को नागरोता बन गाँव में भूमि का कब्जा लेने के समय रक्षा सम्पदा अधिकारी ने पाया था कि एक बड़ी संख्या में वृक्ष लापता थे, जिनके लिए पहले ही 37.78 लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया था। इस बारे में उसने जून 1997 व जून 1998 में भू-स्वामियों से धनराशि की वसूली के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण कलैक्टर से अनुरोध किया था। यह वसूली अप्रैल 1999 तक होनी बाकी थी। रक्षा सम्पदा अधिकारी ने अक्तूबर 1999 में बताया कि विशेष भूमि अधिग्रहण कलैक्टर से लिखित में एवं व्यक्तिगत सम्पर्क करके वसूली के लिए अनुरोध किया गया था।

इस प्रकार तत्काल आवश्यकता धारा के अन्तर्गत क्रय की गई भूमि को कब्जा लेने में हुई देरी के कारण 37.78 लाख रूपये के वृक्षों की चोरी ही नहीं हुई वरन् 2.69 करोड़ रूपये लागत की 557.77 एकड़ भूमि से कोई लाभ नहीं मिला।

मंत्रालय को मामला सितम्बर 1999 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

32. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकार्य भुगतान

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चार वर्षों के उपरान्त भी दो रक्षा सम्पदा कार्यालयों में हुए अधिक भुगतान की वसूलियाँ नहीं हुईं; इसके अतिरिक्त दोनों में ऐसे अस्वीकार्य लाभ का भुगतान होता रहा। कुल 74.48 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित अधिक भुगतान की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने में रक्षा सम्पदा अधिकारी की असफलता और एक अन्य रक्षा सम्पदा कार्यालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद ऐसे अमान्य भुगतान जारी रखने के फलस्वरूप 74.48 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ। इससे आगे और देरी करने से वसूली कार्य अधिक कठिन हो जायेगा।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को 24 सितम्बर 1984 में संशोधित किया गया था। संशोधित अधिनियम में परिकल्पित किया गया है कि भूमि के बाजार मूल्य के रूप में क्षति पूर्ति के अतिरिक्त अधिसूचना अथवा कब्जे में लेने की तिथि, जो भी पहले हो, से पंच-

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को 24 सितम्बर 1984 को संशोधित किया गया

निर्णय की तिथि तक, इस बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष अतिरिक्त क्षति-पूर्ति, अनिवार्य प्रकृति के अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य पर 30 प्रतिशत सांत्वना क्षतिपूर्ति तथा कलैक्टर द्वारा निर्धारित क्षति पूर्ति के ऊपर कोर्ट द्वारा निर्धारित अधिक राशि पर भूमि को अधिकार में लेने की तिथि से एक वर्ष तक नौ प्रतिशत तथा इसके उपरान्त 15 प्रतिशत ब्याज देय हैं।

कुछ भूमि मालिकों ने संशोधित अधिनियम के अर्न्तगत पिछले मामलों में अतिरिक्त लाभ की मांग की
हाई कोर्ट ने अतिरिक्त लाभ देने का आदेश पारित किया

उपरोक्त संशोधन के बाद में कुछ भूमि मालिकों ने जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई थी और जिन्हें इस संशोधन से पहले ही पंच-निर्णय एवं डिक्री का भुगतान किया जा चुका था, अप्रैल 1987 में बम्बई हाई कोर्ट में सांत्वना क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति और ब्याज में वृद्धि करने के लिए एक याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सितम्बर 1993 में अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए याचिका कर्त्ताओं के पक्ष में आदेश पारित किया।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोर्ट के संदेहात्मक आदेश के खिलाफ उच्चतम कोर्ट में अपील की
उच्चतम कोर्ट ने निचले कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के इन आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 1995 में निर्णय दिया कि अतिरिक्त लाभ हेतु आवेदन-पत्र स्वीकार करने के लिए सिविल कोर्ट को कोई अधिकार नहीं था क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में दिनांक 24 सितम्बर 1984 में संशोधन से पहले की डिक्रीयों को संशोधित करने का अधिकार कोर्ट को नहीं था1 सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संशोधित अधिनियम में परिकाल्पित अतिरिक्त लाभ पंच-निर्णय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति का कोई घटक नहीं थे क्योंकि वे सिर्फ बाजार मूल्य के अलावा थे और परिणामतः ब्याज भी देय नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में की गई लेखापरीक्षा जांच में पता लगा कि रक्षा सम्पदा अधिकारी जयपुर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरान्त 50.68 लाख रूपये का अमान्य भुगतान किया जिसका कारण निर्णय की प्रति का प्राप्त नहीं होना बताया गया। डी0ई0ओ0 अम्बाला ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पूर्व 187 मामलों में अमान्य भुगतान किया। वह नवम्बर 1999 तक भी ब्यौरा तैयार कर रहा था। 10 मामलों में 23.80 लाख रूपये की वसूली की जानी थी।

और अधिक देरी करने से वसूली की सम्भावनायें और अधिक कठिन हो जायेंगी।

मंत्रालय को मामला अगस्त 1999 में भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

33. परिसम्पत्तियों के अनुपयोग के कारण निरर्थक निवेश

पर्वतीय ब्रिगेड के लिए 3.22 करोड़ रूपए की लागत से विवाहितों के लिए निर्मित आवास अधिकतर खाली ही रहे।

पूर्वी कमान मुख्यालय द्वारा संयोजित अधिकारियों के एक बोर्ड ने पर्वतीय ब्रिगेड के लिए मारियानी में विवाहितों के लिए आवास की आवश्यकता दर्शायी। 3.22 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित परिसम्पत्तियाँ निरर्थक निवेश सिद्ध हुई क्योंकि निर्माण के आठ और बारह वर्ष बाद भी क्वार्टर खाली रहे।

मई 1987 और जून 1991 के बीच विवाहितों के लिए निर्मित आवास की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आवासीय स्थिति निम्न प्रकार रही:

आवास की जनवरी 1999 को आवासीय स्थिति

निर्माण के 8 से 12 वर्ष के उपरान्त भी 70 प्रतिशत आवास खाली पडे थे

क्वार्टर अवांछित उद्देश्य के लिए विनियोजित किये गये

	मेजर एवम् उनसे ऊपर	कैप्टन	कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी	अन्य रैंक
निर्मित क्वार्टरों की संख्या	12	20	24	128
क्वार्टरों की संख्या जिनमें आवास था	2	.	14	52
खाली क्वार्टरों की संख्या	10	20	10	76
खाली का प्रतिशत	83	100	42	59
अन्यथा पुनर्विनियोजित	-	4	2	-
पुनर्विनियोजन का उद्देश्य	-	एकल अधिकारी आवास	परिवार कल्याण केन्द्र तथा नर्सरी स्कूल	-

आवास का निर्माण थलसेना मुख्यालय द्वारा नवम्बर 1979, दिसम्बर 1980 तथा फरवरी 1982 में प्रदत्त तीन संस्वीकृतियों के अन्तर्गत 3.22 करोड़ रूपए की लागत से किया गया था। अधिकारियों के बोर्ड के गठन हेतु संयोजन आदेश जारी करते समय पूर्वी कमान ने यह कहा था कि निर्मित हो जाने पर ब्रिगेड आवास में रहने लग जायेगी। इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड ने दिसम्बर 1978 में राय दी कि पर्वतीय बिग्रेड फील्ड क्षेत्र में थी और उसके विवाहित अधिकारियों एवम् सैन्य कार्मिकों के लिए वहाँ पर आवास उपलब्ध नहीं था।

मंत्रालय को मामला सितम्बर 1999 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

34. जे0सी0ओ0 के लिए पारिवारिक आवास का विवाहित अफसरों के आवासों में अनुचित पुनर्विनियोजन

जे0सी0ओ0 के लिए पारिवारिक आवास की आवश्यकता के पर्याप्त आंकलन में थलसेना मुख्यालय की विफलता के कारण 1.16 करोड़ रूपये की लागत से बने आवास का अनधिकृत पुनर्विनियोजन हुआ।

जूनियर कमीशन अधिकारियों के पारिवारिक आवास की 40 इकाइयों का उन प्रशिक्षणाधीन विवाहित अधिकारियों के लिए पुनर्विनियोजन किया गया जिनके लिए आवास-निर्माण प्रस्तावित तो था लेकिन उसकी संस्वीकृति नहीं मिली थी।

सेना मुख्यालय ने मार्च 1996 में पारिवारिक आवास के निर्माण की संस्वीकृति दी

बोर्ड ने प्राधिकृत प्रतिशत 60 से बढ़ाकर 75 करके उपरोक्त आवास में कमी निर्धारित की

सेना मुख्यालय ने अक्तूबर 1995 में गठित अधिकारियों के एक बोर्ड की सिफारिश पर मार्च 1996 में जूनियर कमीशन अधिकारियों के लिए 1.13 करोड़ रूपये मूल्य से पारिवारिक आवास की 40 इकाइयों के निर्माण की संस्वीकृति दी। यद्यपि प्रचलित आदेशों में जूनियर कमीशन अधिकारियों के लिए उनकी कुल प्राधिकृत संख्या के केवल 60 प्रतिशत के लिए पारिवारिक आवास का प्रावधान है किन्तु अधिकारियों के बोर्ड ने स्टेशन में कुल प्राधिकृत संख्या के 75 प्रतिशत पर जूनियर कमीशन अधिकारियों के लिए पारिवारिक आवास की 40 इकाईयों की कमी इस आधार पर दर्शायी कि स्टेशन पर जूनियर कमीशन अधिकारियों के लिए पारिवारिक आवास की आवश्यकता उनकी प्राधिकृत संख्या की 60 प्रतिशत से भी अधिक थी।

सी0ई0(फैक्ट्री) ने मई 1997 में कार्य पूरा किया

स्टेशन मुख्यालय ने अगस्त 1997 में इन क्वार्टरों का एम0सी0ई0एम0ई0 के विवाहित छात्र अफसरों के लिए पुनर्विनियोजन किया

मुख्य अभियंता (फैक्ट्री) सिकन्दराबाद ने 1.16 करोड़ रूपये की लागत पर मई 1997 में कार्य पूरा किया। यद्यपि विवाहित जूनियर कमीशन अधिकारियों की संख्या बढ़ गई थी फिर भी स्टेशन मुख्यालय सिकन्दराबाद ने अगस्त 1997 में इस तर्क पर इन क्वार्टरों का इलैक्ट्रीकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिकन्दराबाद के विवाहित छात्र अफसरों के लिए पुनर्विनियोजन कर दिया कि उस स्टेशन पर जूनियर कमीशन अधिकारियों की प्राधिकृत 60 प्रतिशत की आवश्यकता पूरी हो रही थी। इलैक्ट्रीकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मिलिट्री कालेज में प्रशिक्षणाधीन विवाहित अफसरों के लिए आवास-निर्माण का एक प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन इसकी संस्वीकृति अभी प्रतीक्षित थी। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह कार्रवाई बाद के प्रस्ताव की संस्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया से बचने के लिए की गई थी।

मंत्रालय को मामला अप्रैल 1999 में भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

35. जे0सी0ओ0 के लिए पारिवारिक आवासों का अनधिकृत उपयोग

वर्तमान कमी की उपेक्षा करते हुए और विद्यमान प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए स्टेशन कमांडेन्ट पिथोरागढ़ ने आवास को एक आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए पुनर्विनियोजित करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी तथा ऐसे 10 क्वार्टर आवंटित कर दिए।

मुख्यालय मध्य कमान लखनऊ ने जे0सी0ओ0 के लिए पारिवारिक आवासों की संस्वीकृति दी

निर्माण कार्य अक्तूबर 1996 में पूरा हो गया था

जे0सी0ओ0 के 10 पारिवारिक क्वार्टर एक पब्लिक स्कूल के स्टाफ को आवंटित कर दिये गए थे

अधिकारियों के एक बोर्ड ने अप्रैल 1993 में पिथोरागढ़ में विद्यमान कमी के प्रति 18 विवाहित जूनियर कमीशन अफसरों हेतु आवास के प्रावधान हेतु सिफारिश की। मुख्यालय मध्य कमान लखनऊ ने जून 1994 में 74.89 लाख रूपए की निर्माण कार्य सेवाओं हेतु संस्वीकृति प्रदान की। कार्य अक्तूबर 1996 में पूर्ण हो गया था। स्टेशन मुख्यालय पिथोरागढ़ ने क्वार्टरों के निर्माण के दौरान ही अप्रैल 1996 में आवास को जनरल बी0सी0जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल के अध्यापन स्टाफ हेतु पुनर्विनियोजित करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी। लेखापरीक्षा की एक आपत्ति के उत्तर में स्टेशन मुख्यालय ने जुलाई 1999 में बताया कि चूँकि औपचारिक रूप से पुनर्विनियोजन संभव नहीं था इसलिए क्वार्टरों को आर्मी पब्लिक स्कूल स्टाफ को अस्थायी आधार पर आवंटित किया गया था। जुलाई 1999 में दुर्ग अभियन्ता ने भी इस बात की पुष्टि की कि दिसम्बर 1996 में अध्यापन स्टाफ को 10 क्वार्टर आवंटित किए गए थे।

सरकारी संस्वीकृति के बिना 37.91 लाख रूपए की लागत पर निर्मित 10 विवाहित जे0सी0ओ0 आवासों को एक निजी स्कूल के अध्यापन स्टाफ के लिए पुनर्विनियोजित करना अनियमित है।

मंत्रालय को मामला अगस्त 1999 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय I V : निर्माण कार्य एवं सैन्य इंजीनियरी सेवाएं

36. सीवरेज शुल्क का अनुचित भुगतान

बी0डब्ल्यू0एस0एस0बी0 द्वारा अनुचित रूप से सीवरेज शुल्क लगाने के बारे में मंत्रालय को अवगत न कराने के परिणामस्वरूप 3.52 करोड़ रूपए का भुगतान हुआ।

यद्यपि दुर्ग अभियन्ता येलाहान्का तथा दुर्ग अभियन्ता जलाहल्ली की सीवर लाइनें बंगलौर जलापूर्ति एवम् सीवरेज बोर्ड की सीवर प्रणाली से जुड़ी हुई नहीं थी तथापि दोनों दुर्ग अभियंताओं ने बोर्ड द्वारा फरवरी 1995 से मार्च 1999 की अवधि के लिए लगाये गये 3.52 करोड़ रूपए के सीवर शुल्क का भुगतान किया।

बी.डब्ल्यू.एस.एस.बी. की प्रणाली से जुड़ी सीवरेज लाइनों के लिए अप्रैल 1987 से सीवरेज शुल्क लागू किया गया

कर्नाटक सरकार ने जुलाई 1987 में बंगलौर जलापूर्ति एवम् सीवरेज बोर्ड को निर्देश दिये कि जिन उपभोक्ताओं के सीवरेज, बोर्ड की सीवर प्रणाली से जुडे हों, उन उपभोक्ताओं पर उनके जलमूल्य बिलों का 10 प्रतिशत सीवर शुल्क अप्रैल 1987 से लगाया जाये।

सितम्बर 1996 से सीवरेज तत्व को जल मूल्य में सम्मिलित कर लिया गया

शुल्क की दर बढ़ाकर 1 नवम्बर 1991 से 25 प्रतिशत और 1 सितम्बर 1993 से 30 प्रतिशत की गयी जो अगस्त 1996 तक लागू थी। सितम्बर 1996 से एक सर्व सन्निहित जलमूल्य लागू किया गया जिसमें सीवरेज तत्व भी सम्मिलित था।

जुलाई 1995 में सिविल-मिलिट्री संपर्क बैठक में रक्षा सेवाओं पर शुल्क न लगाने का निर्णय लिया गया

दोनों दुर्ग अभियंताओं की सीवरेज लाइनें बोर्ड की सीवरेज प्रणाली से न जुड़े होने के कारण कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर (वायु सेना) बंगलौर ने मार्च 1992 में बोर्ड के साथ मामले पर बातचीत की। बोर्ड शुल्क न लगाने पर सहमत हो गया था। फिर भी बोर्ड ने फरवरी 1995 से शुल्क लगाना जारी रखा। जुलाई 1995 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सिविल-मिलिट्री संपर्क बैठक में मामले पर पुनः चर्चा हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि जब तक रक्षा सेवाएं सीवरेज प्रणाली का उपयोग न करें उन पर शुल्क नहीं लगाया जायेगा। मुख्य अभियंता (वायु सेना) बंगलौर ने अक्तूबर 1995 में बोर्ड पर पहले ही जारी किये जा चुके बिलों में उपयुक्त संशोधन हेतु दबाव डाला।

बी.डब्ल्यू.एस.एस.बी. का अध्यक्ष उपरोक्त के लिए सहमत नहीं हुआ

तथापि बोर्ड का अध्यक्ष इस आधार पर कि 1996 से प्रभावी शुल्क प्रभारों में सीवरेज तत्व को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था, राशि को वापस लौटाने पर सहमत नहीं हुआ। तथापि बोर्ड विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज माफ करने को सहमत हो गया।

मार्च 1999 तक किया गया भुगतान 2.29 करोड़ रूपए बनता था

मुख्य अभियंता बंगलौर जो कि स्थिति से पूरी तरह परिचित था, मंत्रालय को इससे अवगत कराने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप दो दुर्ग अभियंताओं ने फरवरी

1995 से अगस्त 1996 तक की अवधि से सम्बन्धित शुल्क की बकाया 1.23 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान कर दिया एवम् शुल्क का भुगतान जारी रखा । कुल राशि 2.29 करोड़ रूपए बनती थी।

मई 1999 में मुख्य अभियंता, बंगलौर ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा को सूचित किया कि यद्यपि 1995 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जहां सीवर सुविधाएं प्रदान नहीं की गयी हैं वहां शुल्क नहीं लगाया जायेगा किन्तु बोर्ड ने शुल्क लगाना जारी रखा।

मंत्रालय को मामला अप्रैल 1999 में भेजा गया था; फरवरी 2000 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

37. संविदा करने में विलम्ब के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय

एक पारिवारिक आवास परियोजना के संबंध में वित्तीय सहमति देने से मना करने के कारण प्राक्कलनों को बार-बार संशोधित करना पड़ा तथा संविदा कार्रवाई में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

डलहौज़ी में पारिवारिक आवास के निमार्ण हेतु संविदा करने में 1998 तक आठ वर्ष का विलम्ब हुआ जबकि निविदाएं 1990 में प्राप्त हो चुकी थीं। अपर वित्तीय सलाहकार (रक्षा) ने उन आधारों पर वित्तीय सहमति प्रदान करने से मना किया जो कि रक्षा निर्माण कार्य विनियमावली के अन्तर्गत नहीं आते थे। मुख्य अभियन्ता ऊधमपुर क्षेत्र, प्रमुख अभियंता तथा मंत्रालय ने संस्वीकृति में संशोधन करने में पाँच वर्ष से अधिक का समय लिया। मुख्य अभियन्ता को संस्वीकृति संप्रेषित करने तथा संविदा करने मे आगे दो वर्ष और लग गए। परिणामतः जिन कार्य सेवाओं का निष्पादन 1990 में 77.53 लाख रूपए की संविदा करके किया जा सकता था, उन्हीं के लिए 1998 में 1.83 करोड़ रूपए में संविदा की गई थी।

निर्माण कार्यों की लागत में संस्वीकृत लागत के 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की पूर्व संस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है

रक्षा निर्माण कार्य विनियमावली 1986 में प्रावधान है कि किसी सेवा की अन्तिम लागत में वृद्धि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी अधिकारी को एक वित्तीय सहमति या शुद्धिपत्र या संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के रूप में सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की पूर्व संस्वीकृति के बिना ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि सरकार को निर्धारित प्रतिशतता से अधिक किसी व्यय हेतु बाध्य होना पड़े।

मंत्रालय ने 1986 में 1.47 करोड़ रूपए की लागत पर 116 पारिवारिक आवासों के प्रावधान हेतु संस्वीकृति प्रदान की

मंत्रालय ने जनवरी 1986 में बकलोह और डलहौजी में 1.47 करोड़ रूपए की लागत पर जूनियर कमीशन अफसरों/हवलदारों/ अन्य रैंकों के लिए 116 पारिवारिक आवासों के प्रावधान हेतु संस्वीकृति प्रदान की। कार्य के निष्पादन हेतु मार्च 1986 में आदेश दिये गये थे।

मुख्य अभियंता, ऊधमपुर क्षेत्र ने निविदा के आधार पर वित्तीय सहमति मांगी

बकलोह में पारिवारिक आवास की 52 इकाईयाँ 62.91 लाख रूपए की लागत पर मई 1991 में पूरी हो गयीं थीं। डलहौज़ी में निमार्ण की जाने वाली आवास की शेष 64 इकाइयों के लिए मुख्य अभियंता, ऊधमपुर क्षेत्र ने मई 1988 मे निविदा कार्रवाई की। तथापि, तकनीकी कारणों से इसे फरवरी 1990 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और तभी निविदाएं अन्तिम रूप से प्राप्त हो गयी थीं। निम्नतम निवेदित 77.53 लाख रूपए की राशि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि तथा इस पर सहन-सीमा की 10 प्रतिशत से अधिक थी। इसलिए मुख्य अभियंता, ऊधमपुर क्षेत्र ने 87.51 लाख रूपए की कुल देयता के लिए संविदा करने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन में संशोधन को लम्बित रखते हुए वित्तीय सहमति प्राप्त करने के लिए अप्रैल 1990 में कार्रवाई आरम्भ की।

अपर वित्तीय सलाहकार (रक्षा) ने अनुमोदन पर सहमति प्रदान नहीं की

अपर वित्तीय सलाहकार (रक्षा) के दिनांक 16 अप्रैल 1990 के इस निर्णय के दृष्टिगत कि उन वित्तीय सहमति के मामलों में जिनमें निविदाएं संस्वीकृति की तिथि के दो वर्ष पश्चात् जारी की गई थीं, विचार नहीं किया जाएगा, प्रमुख अभियंता द्वारा मांगी गई वित्तीय सहमति 18 अप्रैल 1990 को लौटा दी गई। यह निर्णय रक्षा निर्माण कार्य विनियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था क्योंकि इसके अनुसार ऐसा कोई भी निर्णय केवल उसी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकता था जिसने कार्य सेवाओं हेतु संस्वीकृति प्रदान की थी। इस असहमति के कारण प्रस्ताव की वैधता अवधि के भीतर संविदा करने पर रोक लग गयी तथा आगे निविदाएं आमंत्रित करने में अनुवर्ती विलम्ब हुआ और मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण सरकार को अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

मुख्य अभियंता ऊधमपुर क्षेत्र ने 1990 और 1994 के दौरान प्राक्कलनों को तीन बार संशोधित किया
मंत्रालय ने 1995 में लागत को संशोधित करके 2.53 करोड़ रूपए कर दिया

मुख्य अभियंता ऊधमपुर क्षेत्र को मई 1990 में सम्पूर्ण परियोजना के लिए संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करने पड़े। तथापि, प्राक्कलनों को 2.08 करोड़ रूपए के आरम्भिक संशोधित प्राक्कलनों से बढ़ाकर तीन बार अगस्त 1990, जनवरी 1991 तथा अगस्त 1994 में अंततः 2.51 करोड़ रूपए के लिए संशोधित करना पड़ा। अगस्त 1994 के प्राक्कलनों के आधार पर मंत्रालय ने एक वर्ष से अधिक के विलम्ब के बाद नवम्बर 1995 में संपूर्ण कार्य के लिए संस्वीकृति को 2.53 करोड़ रूपए के लिए संशोधित कर दिया।

मुख्य अभियंता ऊधमपुर क्षेत्र को संशोधित संस्वीकृति लगभग एक वर्ष के विलम्ब के पश्चात् 1996 में प्राप्त हुई
मुख्य अभियंता पठानकोट ने 1998 में 1.83 करोड़ रूपए की लागत पर संविदा की

मुख्य अभियंता, ऊधमपुर क्षेत्र को संशोधित संस्वीकृति लगभग एक वर्ष के विलम्ब के बाद सितम्बर 1996 में ही प्राप्त हुई तथा उसने इसे जनवरी 1997 में मुख्य अभियंता, पठानकोट क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया जिसकी कि उसी माह स्थापना की गई थी। तत्पश्चात् जून 1997 में, मुख्य अभियंता, पठानकोट क्षेत्र ने पारिवारिक आवास की 64 इकाईयों हेतु निविदाएं आमंत्रित कीं। संविदा 1.83 करोड़ रूपए के लिए जनवरी 1998 में की गई थी। इससे सरकार को 1.05 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय को मामला अगस्त 1999 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

38. कार्य छोड़ने पर ठेकेदारों से सरकारी भंडार की वापसी सुनिश्चित करने में लापरवाही

एक दुर्ग अभियन्ता द्वारा दो ठेकों में दोषी ठेकेदारों के कार्यकलापों के बारे में सतर्कता बरतने, निरीक्षण करने एवं निगरानी रखने में बरती गई लापरवाही के कारण 33.43 लाख रूपए के सरकारी भंडार की वापसी नहीं हो सकी।

संविदा शर्तों में प्रावधान है कि ठेकेदारों द्वारा वापस न किए गए भण्डार हेतु दंडात्मक वसूली की जाएगी

सैन्य इंजीनियरी सेवाएं द्वारा किए गए संविदा करारों के एक भाग के रूप में सम्मिलित, आई0ए0एफ0डब्ल्यू0 2249 की संविदाओं की सामान्य शर्त 10(बी) के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि यदि कोई ठेकेदार किसी कार्य की समाप्ति पर प्रभारी अभियंता द्वारा दी गई लिखित अधिसूचनाओं के पश्चात् भी सरकार द्वारा आपूरित सामग्री में से शेष बची सामग्री को वापस करने में असफल होता है तो उसे ऐसी वापस न की गई सामग्री के लिए प्रचलित बाजार दरों के दुगने का भुगतान करना पड़ेगा।

मुख्य अभियंता, जालंधर क्षेत्र ने फिरोजपुर में कुछ कार्यों के निष्पादन हेतु फरवरी और अप्रैल 1984 में दो संविदाएं कीं। ठेकेदारों के दोषों के कारण संविदाएं उनके जोखिम एवं खर्च पर अप्रैल 1988 में निरस्त कर दी गई थीं। मुख्य अभियंता ने जोखिम एवं खर्च संविदाएं कीं तथा शेष कार्यों का अगस्त 1989 एवं अक्तूबर 1990 में निष्पादन किया गया।

अन्तिम बिलों मे वापस न किए गए भंडारों के लिए 66.86 लाख रूपए सम्मिलित थे

11 वर्ष पश्चात् भी मई 1999 तक वसूलियाँ नहीं की गई थीं

तत्पश्चात्, दुर्ग अभियंता (पूर्व) फिरोज़पुर ने दोषी ठेकेदारों के अन्तिम बिलों पर कार्रवाई करने में 8 से 28 महीने लगाए। आंतरिक लेखापरीक्षा ने आगे 44 से 53 महीने का समय लगाया तथा अगस्त 1995 एवं मई 1996 में बिल पास किए गए। अन्तिम बिलों में, दोषी ठेकेदारों द्वारा वापस न की गई विभागीय सामग्री की लागत की बाबत दांडिक दरों पर क्रमशः 29.41 लाख रूपए और 37.45 लाख रूपए सम्मिलित थे। ठेकेदारों द्वारा कार्य छोड़ने पर उपयोग में न लाए गए भण्डारों की वापसी सुनिश्चित करने में प्रभारी अभियंता असफल रहा। मई 1999 तक वसूलियाँ नहीं हो पाई थीं।

मुख्य अभियंता भटिंडा क्षेत्र ने मई 1999 में बताया कि शेष कार्य के जोखिम एवं खर्च संविदाओं के माध्यम से पूरा कराए जाने की प्रतीक्षा में दोषी ठेकेदारों के अन्तिम बिलों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। तथ्यों से ये बात प्रमाणित नहीं होती थी क्योंकि जहाँ छोड़े गए शेष कार्यों का निष्पादन अगस्त 1989 तथा अक्तूबर 1990 में कराया जा चुका था, वहीं अन्तिम बिलों को पाँच से छः वर्ष पश्चात् क्रमशः अगस्त 1995 एवं मई 1996 में अन्तिम रूप दिया गया था। मुख्य अभियंता ने यह भी बताया कि राशि इस लिए भी वसूल नहीं की जा सकी क्योंकि मामला या तो मध्यस्थ के पास और/या न्यायालय में लम्बित पड़ा था। यह उत्तर भी मान्य नहीं था क्योंकि मध्यस्थ की नियुक्ति जोखिम एवं लागत संविदाओं के 1989 एवं 1990 में पूरा होने के छः वर्ष पश्चात् दिसम्बर 1996 में हुई थी। तत्पश्चात् चूँकि मध्यस्थ अपनी कार्रवाई को अन्तिम रूप

प्रभारी अभियंता ठेकेदारों द्वारा उपयोग में न लाए गए भण्डारों की वापसी सुनिश्चित करने में विफल रहा

नहीं दे सका, इसीलिए मामले को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार से उनकी गलती के समय ही उपयोग में न लाए गए भण्डारों की वापसी सुनिश्चित न करना, अभियंताओं द्वारा सतर्कता बरतने, निरीक्षण करने एवं कार्यकलापों के मानीटरन करने में बरती गई लापरवाही का सीधा परिणाम था। यद्यपि वापस न किए गए सरकारी भण्डारों का दाण्डिक दर पर मूल्य 66.86 लाख रूपए आंका गया था तथापि इनका बाजार मूल्य 33.43 लाख रूपए था।

8 वर्ष पश्चात् भी लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था

यद्यपि, विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही हेतु गठित जाँच न्यायालय की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, परन्तु मई 1999 तक न तो इसका अनुमोदन हुआ था और न ही यह प्राप्त हुई थी। इस प्रकार घटना के 8 वर्ष पश्चात् भी लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था।

मंत्रालय को मामला अगस्त 1999 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

39. एक अनुपयुक्त स्थान पर एक व्योमस्थ टंकी का निर्माण

एक दुर्ग अभियंता ने एक ऐसे स्थान पर एक व्योमस्थ टंकी का निर्माण आरम्भ कर दिया जो अंततः उड़ानों की सुरक्षा में बाधक साबित हुआ। वायु सेना द्वारा प्रतिबंधित घटी हुई ऊँचाई के कारण यह व्योमस्थ टंकी एक मंजिला आवास के लिए निर्धारित मात्रा की 50 प्रतिशत आवश्यकता की ही पूर्ति करने में सक्षम थी अतः व्योमस्थ टंकी से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

वायुसेना अथवा दुर्ग अभियंता ने निर्धारित स्थल के प्रमाण में कोई स्थल मानचित्र नहीं बनाया

मुख्यालय पूर्वी कमान ने नवम्बर 1996 में बेस अस्पताल बैरकपुर के लिए 61.80 लाख रूपये की लागत पर 40,000 गैलन क्षमता की एक व्योमस्थ टंकी के निर्माण के लिए संस्वीकृति प्रदान की, जिसका निर्माण रक्षा वायु क्षेत्र के समीप किया जाना था। वायु सेना की नंबर 6 विंग ने स्थल पर सर्वेक्षण के उपरान्त जून 1996 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया। तथापि, प्रमाण- पत्र में स्थान के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं था और न ही स्थल मानचित्र संलग्न था। व्योमस्थ टंकी के प्रावधान हेतु गठित सर्वेक्षण-स्थल-चयन-लागत निर्धारण बोर्ड ने भी स्थल मानचित्र के संदर्भ में वायुसेना द्वारा अनुमोदित स्थल को प्रमाणित नहीं किया।

मुख्य अभियंता द्वारा 42.27 लाख रूपये पर की गई संविदा के अन्तर्गत कार्य अक्तूबर 1997 में आरम्भ हुआ जो मार्च 1999 में पूर्ण होना था।

निर्माण स्थल वायु सेना द्वारा अनुमोदित स्थल से भिन्न था

नवम्बर 1998 में उसी वायु सेना विंग ने कमान्डर वर्क्स इंजीनियर से काम रोक देने का अनुरोध किया क्योंकि निर्माण स्थल 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के पूर्व दिखाए गए स्थल से भिन्न था। उन्होंने यह भी कहा कि टावर की ऊँचाई अधिकतम अनुमेय ऊँचाई

बहुत देरी से वायुसेना ने पाया कि निर्मित ढ़ाँचा उड़ान सुरक्षा के लिए बाधक था

से ज्यादा थी जो उड़ानों के लिए गंभीर खतरा बन रही थी। उन्होंने अनुरोध किया कि विनियमों के अनुसार ऊँचाई चोटी की उच्चतम सीमा जैसे विद्युत चालक/अवरोधक प्रकाश इत्यादि सहित 10.16 मीटर की अनुमेय सीमा तक घटा दी जानी चाहिए। जिस समय कार्य रोका गया तब तक 29.55 लाख रूपये का व्यय हो चुका था और कार्य की प्रगति 70 प्रतिशत थी।

पूर्वी वायु कमान ने क्षति नियंत्रण उपाय के रूप में रोक हटा दी

वित्तीय एवं कानूनी उलझनों के दृष्टिगत मुख्य अभियंता कलकत्ता द्वारा फरवरी 1999 में कार्य पुनः आरम्भ करने की अनुमति के लिए अनुरोध करने पर मुख्यालय पूर्वी वायु कमान ने अप्रैल 1999 में इस शर्त पर रोक हटा ली कि टंकी की ऊँचाई 10.16 मीटर तक ही रखी जायेगी। तद्नुसार दुर्ग अभियंता बैरकपुर ने जून 1999 में ठेकेदार को निर्देश दिए कि अतिरिक्त ऊँचाई को गिराकर टंकी का निर्माण 10.16 मीटर की ऊँचाई तक रखा जाये। कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर ने मई 1999 में पाया कि सीमित ऊँचाई की व्योमस्थ टंकी से बेस अस्पताल क्षेत्र के एक मंजिला भवनों में केवल 21000 गैलन पानी ही पहुंच पायेगा और शेष पानी लाइन में बूस्टर लगाकर पम्प करना पड़ेगा जिसके लिए विशेष तौर पर प्रावधान करना पड़ेगा। इस कारण व्योमस्थ टंकी की कार्य क्षमता गंभीर रूप से सीमित हो गई।

ठेकेदार ने सितम्बर 1999 तक कार्य आरम्भ नहीं किया था

ठेकेदार द्वारा सितम्बर 1999 तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया था। यदि परियोजना पूर्ण हो भी जाती है तो भी इससे बेस अस्पताल की आंशिक आवश्यकता की ही पूर्ति होगी और इस प्रकार व्योमस्थ जलाशय के निर्माण का वांछित उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

मंत्रालय को मामला अगस्त 1999 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

40. एक संविदा के रद्द करने के कारण परिहार्य व्यय

एक कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर द्वारा अनुपलब्ध सामग्री का प्रावधान करने हेतु ठेकेदार पर जोर दिये जाने तथा बाद में धीमी प्रगति के आधार पर अवैध रूप से संविदा रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप 17.06 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ।

स्टोन बाँड पत्थरों के उपलब्ध न होने की स्थिति में संविदा में दीवारों में स्टोन या पी0सी0सी0 बाँड पत्थर के उपयोग का प्रावधान था

कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर वैलिंग्टन ने फरवरी 1990 तक पूरा किये जाने हेतु वैलिंग्टन में 15.38 लाख रूपए से पारिवारिक आवास के प्रावधान हेतु फरवरी 1989 में एक संविदा की। संविदा की विशिष्टताओं की विवरणी के अनुसार भवन की दीवारों में उनकी 60 से0मी0 मोटाई तक स्टोन बाँड पत्थर लगाया जाना था और 60 से0मी0 की मोटाई से अधिक के लिए स्टोन बाँड या पी0सी0सी0 बाँड पत्थरों का उपयोग करने हेतु विकल्प दिया गया था। तथापि, विशिष्टताओं की विवरणी में एक अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत यह प्रावधान था कि यदि यह स्टोन बाँड पत्थर उपलब्ध न हो तो, बिना किसी अतिरिक्त लागत के पी0सी0सी0 बाँड पत्थर उपयोग में लाया जा सकता था।

कमांडर वर्क्स इंजीनियर ने स्टोन बाँड पत्थर के उपयोग के लिए जोर दिया

चूँकि वांछित गति से कार्य की प्रगति हेतु अपेक्षित आकार के स्टोन बाँड पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे अतः ठेकेदार ने बिना किसी अतिरिक्त लागत के पी0सी0सी0 बाँड पत्थर उपयोग में लाने के लिए कमांडर वर्क्स इंजीनियर की अनुमति हेतु अनुरोध किया। कमांडर वर्क्स इंजीनियर ने ठेकेदार का अनुरोध नहीं माना तथा केवल स्टोन बाँड पत्थर उपयोग में लाने हेतु जोर दिया। यद्यपि उसी स्टेशन में तथा उसी अवधि के दौरान अन्य ठेकेदारों के उसी प्रकार के अनुरोधों को, अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा स्टोन बाँड पत्थर की अनुपलब्धता की पुष्टि किए जाने पर, मान लिया गया था।

अन्य ठेकेदारों से प्राप्त उसी प्रकार के अनुरोधों को मान लिया गया था

धीमी प्रगति के कारण संविदा को ठेकेदार की जोखिम एवं खर्च पर रद्द कर दिया गया था

कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर ने धीमी प्रगति के आधार पर जून 1990 में संविदा रद्द कर दी तथा नवम्बर 1990 में 19.24 लाख रूपए की एक जोखिम एवं खर्च संविदा की। यह सितम्बर 1992 में पूरी हो गई थी। आवास सितम्बर 1992 में आवंटित कर दिया गया था तथा तब तक सरकार की क्वार्टरों के पूरा होने में देरी की अवधि के लिए भुगतान किए गये मकान किराया भत्ते के रूप में 1.15 लाख रूपए के राजस्व की हानि हो चुकी थी।

ठेकेदार निरस्तीकरण को चुनौती देते हुए पंचाट में चला गया

ठेकेदार पंचाट मे चला गया और उसने यह दावा किया कि अन्य बातों के साथ उसे लाभ का भुगतान कराया जाए जो संविदा रद्द न किए जाने की स्थिति में उसने कमाया होता तथा उसको देय सभी राशियों पर ब्याज का भुगतान कराया जाए। कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर ने देरी इत्यादि के लिए 8.33 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति के प्रति दावे प्रस्तुत किए जिसमें अधूरे छोड़े गए कार्य को पूरा कराने पर किया गया 7.86 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय सम्मिलित था।

पंचाट ने ठेकेदार के कुछ दावों का उसके पक्ष में फैसला दिया

कमांडर वर्क्स इंजीनियर ने फैसले पर बार-बार कानूनी सलाह मांगी जो निरर्थक रही

पंचाट ने जून 1997 में कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर के दावों को नकार दिया और पी0सी0सी0 बाँड पत्थर उपयोग में न लाने देने का मनमाना निर्णय लेने तथा संविदा को अवैध रूप से रद्द करने के लिए ठेकेदार को 3.22 लाख रूपए एवं जून 1990 से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 18 प्रतिशत साधारण ब्याज का भुगतान करने का फैसला किया। बिना समय खोये फैसले की तिथि से इसे लागू करने की बजाय कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर ने मामले में जून 1997 और अप्रैल 1998 में बार-बार कानूनी सलाह माँगी जो निरर्थक रही तथा अगस्त 1998 में उप-न्यायालय में 7.58 लाख रूपए जमा करा दिये।

अधूरे छोड़े गए कार्य, पंचाट फैसले और क्वार्टरों के पूरा होने में विलम्ब के कारण मकान किराया भत्ता के रूप में भुगतान किए गए 1.15 लाख रूपये सहित कुल 17.06 लाख रूपए की हानि हुई।

तथ्यों को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने अगस्त 1999 में बताया कि कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर द्वारा ठेकेदार के अनुरोध को मान लिया जाना चाहिए था।

अध्याय V : अनुसंधान एवं विकास संगठन

41. एक रॉकेट के देशज़ीकरण पर निरर्थक व्यय

थलसेना मुख्यालय ने शिथिल स्वीकार्यता मानदंडों के साथ 122 मि0मी0 रॉकेटों का देशज़ उत्पादन आरम्भ किया जिसके परिणामस्वरूप आयुध फैक्टरी में 25 करोड़ रूपए मूल्य के भंडार सूची धारण के बावजूद रॉकेटों का उत्पादन बीच में ही निलम्बित करना पड़ा।

शस्त्रास्त्र अनुसंधान एवम् विकास स्थापना, महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन और थलसेना मुख्यालय की रॉकेटों के देशज़ उत्पादन में सीमा सारिणी के अनुसार स्वीकार्यता मानदंड प्राप्त न करने पर भी निर्णय लेने में विफलता के परिणामस्वरूप 49.41 करोड़ रूपए का व्यय करने के उपरान्त रॉकेटों का उत्पादन बीच में ही निलम्बित करना पड़ा।

रूसी मूल का 122 मि0मी0 ग्रैड रॉकेट एक उच्च विस्फोटक है जो स्वयं प्रणोदी बहुनालीय लाँचर (बी एम-21) से दागा जाता है। इन रॉकेटों की भण्डारण अवधि 20 वर्ष है।

वर्ष 1978 में प्रयोक्ता परीक्षण के उपरान्त मानक स्वीकरण मानदंड निर्धारित किये गये

रक्षा अनुसंधान एवम् विकास संगठन के अधीन शस्त्रास्त्र अनुसंधान एवम् विकास स्थापना पुणे ने देश में ही रॉकेट का विकास किया तथा प्रयोक्ता परीक्षण 1978 में किये गये। इस परीक्षण में सम्भाव्य त्रुटि रूसी सीमा सारणी का 1.5 से दो गुनी थी। शस्त्रास्त्र अनुसंधान एवम् विकास स्थापना ने महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन के परामर्श से एक मानदंड निर्धारित किया कि पाँच की सीरीज में से एक भी रॉकेट टक्कर के मध्य बिन्दु से सीमा में 750 मीटर से अधिक और लाइन में 400 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह उत्पादन किये जा रहे रॉकेटों के स्वीकरण हेतु मानक था।

थलसेना मुख्यालय ने 25000 रॉकेटों की आपूर्ति हेतु मांग-पत्र प्रस्तुत किया

तद्नुसार थलसेना मुख्यालय ने अगस्त 1979 में आयुध फैक्ट्री बोर्ड के अधीन आयुध फैक्टरी चाँदा से रॉकेटों का उत्पादन आरम्भ कराने का निर्णय लिया। थलसेना मुख्यालय ने सितम्बर 1979 में 5000 रॉकेटों की आपूर्ति हेतु एक आरम्भिक माँग पत्र आयुध फैक्टरी बोर्ड को प्रस्तुत किया और इसके उपरान्त अप्रैल 1982 में 20000 रॉकेटों के लिए एक अन्य माँग पत्र भेजा।

थलसेना मुख्यालय ने मई 1994 में 5000 रॉकेटों के लिए भा0डा0लि0 को आदेश प्रस्तुत किया

आयुध फैक्टरी चाँदा द्वारा नवम्बर 1983 तक रॉकेटों का उत्पादन न करने के कारण थल सेना मुख्यालय ने 5000 रॉकेटों की आपूर्ति हेतु भारत डायनमिक्स लि0 हैदराबाद को एक तत्काल आदेश प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। तथापि थलसेना मुख्यालय ने आदेश मई 1984 ही में प्रस्तुत किया।

आ0 फै0 चाँदा एवम् भा0डा0लि0 ने 1991 तक क्रमशः 7467 एवम् 5079 रॉकेटों की आपूर्ति की

इसी बीच आयुध फैक्ट्री चाँदा ने आपूर्ति आरम्भ कर दी तथा 1991 तक 7467 रॉकेटों की आपूर्ति पूर्ण कर दी। भारत डायनमिक्स लि0 ने भी 1987 से 1991 के बीच 5079 रॉकेटों की आपूर्ति की। आयुध फैक्टरी चाँदा एवम् भारत डायनमिक्स लि0 द्वारा उत्पादन किये गए रॉकेटों की इकाई लागत क्रमशः 29,374 रूपए एवम् 25,000 रूपए थी। शस्त्रास्त्र अनुसंधान एवम् विकास स्थापना ने मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकरण के रूप में आयुध फैक्टरी एवम् भारत डायनमिक्स लि0 द्वारा उत्पादन किये गये रॉकेटों को थलसेना को निर्गमन हेतु स्वीकृत कर लिया। जबकि 6144 रॉकेट केवल प्रशिक्षण हेतु स्वीकार किये गये थे और 2294 अस्वीकृत कर दिये गये थे तथा 4075 जनरल स्टाफ मानदंडों की परिधि में थे।

श0अ0वि0स्था0 ने आ0फै0चाँदा तथा भा0डा0लि0 द्वारा निर्मित रॉकेट स्वीकार किये

देशज़ रॉकेटों में विक्षेपण सीमा रूसी सीमा सारणी में निर्धारित सीमा से बढ़ी हुई थी

महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन ने सितम्बर 1990 में थलसेना मुख्यालय को बताया कि जिन स्वीकृत मानदंडों के आधार पर रॉकेटों का उत्पादन हुआ था और ये शस्त्रास्त्र अनुसंधान एवम् विकास स्थापना द्वारा स्वीकरण हेतु पारित किये गये थे वे रूसी सीमा सारणी में निर्दिष्ट विक्षेपण मानदंडों से अधिक पाये गये थे। मानक निर्धारित करने में महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन स्वयं शस्त्रास्त्र अनुसंधान एवम् विकास स्थापना के साथ सम्बद्ध रहे थे।

थलसेना मुख्यालय ने मार्च 1991 में रॉकेटों का और उत्पादन रोक दिया

थलसेना मुख्यालय ने मार्च 1991 में आयुध फैक्टरी चाँदा में रॉकेटों का आगे उत्पादन निलम्बित कर दिया। इस समय आयुध फैक्टरी चाँदा के पास 25 करोड़ रूपए मूल्य के घटक/सामग्री भंडार में थी।

आ0फै0बो0 ने बताया कि रॉकेटों का उत्पादन स्वीकृत मानकों के अनुसार किया गया था

आयुध फैक्टरी बोर्ड के अध्यक्ष ने फरवरी 1993 में बताया कि आयुध फैक्टरी में रॉकेटों का उत्पादन शस्त्रास्त्र अनुसंधान एवम् विकास स्थापना द्वारा उपलब्ध कराये गये डिजाइन/स्वीकृत मानकों के अनुसार ही हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि रॉकेटों का प्रशिक्षण उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। थलसेना मुख्यालय ने इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया क्योंकि इससे प्रयोक्ताओं के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ेगा और उत्पादनशीलता के विरूद्ध होगा।

अक्तूबर 1995 में दो दुर्घटनायें हुईं

जुलाई 1996 से 8844 रॉकेटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया

इसके बावजूद थलसेना मुख्यालय ने एक रेजिमेन्ट को इसकी कोर्स शूटिंग के लिए ये देशज़ रॉकेट निर्गमित किये। अक्तूबर 1995 में कोर्स फायरिंग के दौरान दो दुर्घटनायें हुईं। परिणामतः 24.41 करोड़ रूपए मूल्य के 8844 रॉकेट पृथक कर दिये गये एवम् जुलाई 1996 से प्रशिक्षण के लिए भी प्रतिबंधित कर दिये गये।

थल सेना मुख्यालय ने 1996 में 72.21 करोड़ रूपए के 23500 रॉकेटों का आयात किया

थलसेना मुख्यालय को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 1996 में 72.21 करोड़ रूपए के 23500 रॉकेटों का आयात करना पड़ा।

रॉकेट सीमा सारणी के अनुरूप न होने के बावजूद भी थोक उत्पादन हेतु स्वीकृति प्रदान करने के निर्णय के फलस्वरूप 6.33 करोड़ रूपए मूल्य के 2294 रॉकेटों का अस्वीकरण हुआ तथा आयुध फैक्टरी चाँदा में 25 करोड़ रूपए की भंडार सूची अवरूद्ध हुई । 24.41 करोड़ रूपए मूल्य के रॉकेट जुलाई 1996 से पृथक करके रखे गये थे।

मंत्रालय को मामला मई 1999 में भेजा गया था ; दिसम्बर 1999 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय VI : सीमा सड़क संगठन

पुनरीक्षा

42. महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा सेतुओं के निमार्ण में विलम्ब

विशिष्टताएं

- **अनुपयुक्त स्थलों का आरम्भिक चयन, अपर्याप्त उप-मृदा जांच, संविदा करने/ निर्माण कार्य आरम्भ होने के उपरान्त डिजाइन और ड्राइंग में बार-बार परिवर्तन एवम् परस्पर आश्रित निर्माण कार्यों को एक साथ न कराने के परिणामस्वरूप सेतुओं के निर्माण में असाधारण विलम्ब हुआ जिससे रक्षा आवश्यकताओं के साथ सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य भी प्रभावित हुए। इन मुद्दों पर सेतु निदेशालय द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता है।**

42.1 प्रस्तावना

सीमान्त क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति तेज करने तथा रक्षा बलों के संचलन एवम् कार्य को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मार्च 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड का गठन किया गया था। विगत वर्षों में इसकी गतिविधियों का सेतुओं, विमानपत्तनों, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण में विविधीकरण हो चुका है। सेतु निर्माण कार्य की बढ़ी हुई गतिविधियों के सुचारू संचलन हेतु अगस्त 1983 में महानिदेशक सीमा सड़क के अधीन एक सम्पूर्ण सेतु निदेशालय बनाया गया।

42.2 संगठनात्मक ढ़ांचा

सीमा सड़क विकास बोर्ड जिसमें रक्षा सचिव और भूतल परिवहन सचिव सम्मिलित होते हैं, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। बोर्ड संघ सरकार के एक विभाग की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। 13 परियोजना मंडल जिनका प्रमुख अभियंता होता है तथा 30 टास्क फोर्सों द्वारा महानिदेशक सीमा सड़क की सहायता की जाती है। संगठन के अधिकारी एवम् कार्मिक जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स से सम्बन्ध रखते हैं तथा थलसेना से भी प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते हैं। सेतु निदेशालय विभिन्न मुख्य अभियंताओं द्वारा निर्मित किये जाने वाले सेतुओं की योजना बनाने, मॉनीटरन तथा डिजाइनिंग के लिए उत्तरदायी होता है।

42.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सेतु निदेशालय द्वारा सेतुओं को पूरा करने में उनकी निष्पादन क्षमता का आंकलन करने, समय एवम् लागत में वृद्धि होने के कारणों की पहचान करने एवम् इससे होने वाले प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के उद्देश्य से महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा सेतुओं के निर्माण कार्य की पुनरीक्षा की गयी। पुनरीक्षा मई और जून 1999 के बीच मुख्यालय महानिदेशक सीमा सड़क के सेतु निदेशालय तथा तेरह में से नौ परियोजना मुख्य अभियंताओं के कार्यालय के अभिलेखों और दस्तावेजों की नमूना जांच के माध्यम से की गयी थी।

42.4 सेतु निर्माण कार्य का क्रियान्वयन

संस्वीकृतियों में सेतुओं के पूर्ण होने की अवधि नहीं निर्धारित की गयी थी

महानिदेशक सीमा सड़क और भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु निर्माण हेतु प्रदान की गयी संस्वीकृतियों में उनके पूर्ण होने के लिए आवश्यक समय का उल्लेख नहीं था अतः सेतुओं के पूर्ण होने में हुई विलम्ब की अवधि का पता नहीं लगाया जा सका।

तथापि, अप्रैल 1996 और मार्च 1999 के बीच बनाये जा रहे विभन्न लम्बाइयों के 124 सेतुओं की संवीक्षा से पता लगा कि सेतुओं को पूरा करने में लगे समय का सेतुओं की लम्बाई से कोई सम्बन्ध नहीं था।

मार्च 1999 तक पूर्ण हो चुके 45 सेतुओं तथा 61 निर्माणाधीन सेतुओं की नमूना जांच से जिस स्थिति का पता लगा उसे नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

लम्बाई (मीटर में)	पूर्ण हो चुके सेतु			निर्माणाधीन		
	सेतुओं की संख्या	प्रगति का प्रतिशत	संस्वीकृति की तिथि से पूर्ण होने तक लगा समय (महीनों में)	सेतुओं की संख्या	प्रगति प्रतिशत की सीमा	संस्वीकृति की तिथि से लगे समय की सीमा (महीनों में)
50 तक	24	100	24 से 96	23	शून्य से 99	1 से 160
51-100	15	100	36 से 120	21	शून्य से 97	4 से 162
101-150	3	100	24 से 132	7	2 से 99	4 से 166
151-200	3	100	48 से 120	2	11 से 70	29
201-250	-	-	-	3	18 से 36	50 से 272
300-350	-	-	-	1	17	29
401-450	-	-	-	1	67	99
451-500	-	-	-	2	2 से 64	21-65
500 से अधिक	-	-	-	1	61	138
योग	45			61		

प्रगति के मॉनीटरन हेतु संस्वीकृतियों में समय-सीमा का उल्लेख आवश्यक है

उपरोक्त को देखते हुए विभिन्न लम्बाइयों के सेतुओं के पूर्ण होने की विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करने से सेतुओं को समय से पूर्ण करने के मॉनीटरन में सहायता मिलेगी।

42.5 सेतुओं के लिए मानक दर अनुसूची

यद्यपि सेतु निदेशालय ने महानिदेशक सीमा सड़क के अधीन 1983 से कार्य आरम्भ कर दिया था तथापि अभी तक कोई मानक दर अनुसूची तैयार नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा द्वारा इस बारे में बताये जाने पर महानिदेशक सीमा सड़क ने जुलाई 1999 में बताया कि प्राक्कलनों का मूल्यांकन पूर्ण हो चुके बड़े स्थायी सेतुओं की दरों के आधार पर किया जाता है। उसने यह भी बताया कि तीन परियोजना मुख्य अभियंताओं के लिए मानक दर अनुसूची ड्राफ्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा था तथा अन्य परियोजना मुख्य अभियंताओं के लिए मानक दर अनुसूची को अन्तिम रूप देने में और एक वर्ष का समय लग सकता है।

42.6 विलम्ब का विश्लेषण

मार्च 1997 से मार्च 1999 के अंत तक पूर्ण हो चुके अथवा प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में 124 सेतुओं में से 39 में उपयुक्त स्थल के आरम्भिक चयन, अपर्याप्त उप-मृदा परीक्षण, संविदा करने/कार्य आरम्भ होने के उपरान्त डिजाइन और ड्राइंग में बार-बार परिवर्तन तथा परस्पर आश्रित निर्माण कार्यों को साथ-साथ कराने में विफलता के कारण परिहार्य विलम्ब हुए जिससे रक्षा आवश्यकताओं के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य भी प्रभावित हुए। आगे आने वाले पैराग्राफों में उदाहरणार्थ कुछ मामलों को दर्शाया गया है।

42.6.1 अनुपयुक्त स्थलों का आरम्भिक चयन तथा अपर्याप्त उप-मृदा परीक्षण

अनुपयुक्त स्थलों के चयन के कारण निर्माण कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ तथा लागत में 2.08 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई

तीन मामलों में अनुपयुक्त स्थल के आरम्भिक चयन तथा अपर्याप्त उप-मृदा परीक्षण के परिणाम स्वरूप डिजाइन में संशोधन करना पड़ा और सेतु की लम्बाई में वृद्धि करनी पड़ी। इसी के साथ-साथ कार्यान्वयन में सहवर्ती विलम्ब और 2.08 करोड़ रूपए की मूल्य वृद्धि हुई।

मामला I

महानिदेशक सीमा सड़क ने अगस्त 1995 में 7.62 करोड़ रूपए की लागत से 'नाओधिंग' नदी पर 320 मीटर लम्बाई के स्थायी सेतु के निर्माण की संस्वीकृति दी। सेतु नदी के दक्षिणी किनारे पर राष्ट्रीय राजमार्ग 38 को जोड़ने के लिए देबान से 1.175 कि0मी0 पर बनना था।

मुख्य अभियंता (परियोजना) वर्तक ने दो वर्ष बाद अगस्त 1997 में 8.96 करोड़ रूपए की लागत पर सेतु के निर्माण हेतु एक संविदा की तथा सेतु अगस्त 2001 तक पूर्ण होना था। महानिदेशक सीमा सड़क ने निविदा जारी करने, प्राप्त करने, निविदाओं की संवीक्षा, तथा निविदाकर्ताओं से डिजाइन तथा ड्राइंगों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने में दो वर्ष का समय लगाया।

कार्य आरम्भ करने के बाद चयनित स्थल अनुपयुक्त पाया गया

सेतु की मध्य पंक्ति बिछाते समय मुख्य अभियंता ने पाया कि स्थल सेतु निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि अंत्याधार वाले स्थान का मृदा स्तर महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा एक एजेन्सी के माध्यम से कराये गये 1986-88 के उप-मृदा परीक्षण की रिपोर्ट में वर्गीकृत स्तर से भिन्न था तथा सेतु का अंत्याधार रखने के लिए लेज़[1] भी उपलब्ध नहीं थी।

मुख्य अभियंता ने धारा पर 92 मीटर नीचे की ओर कूप नींव पर स्तम्भ टिकाकर सेतु निर्माण के लिए दिसम्बर 1997 में एक अन्य स्थल का चयन किया। महानिदेशक सीमा सड़क ने इस परिवर्तन का अनुमोदन किया। तथपि महानिदेशक ने फरवरी 1999 में धारा पर 162 मीटर नीचे की और एक अन्य ही स्थल पर जो कि सर्वथा उपयुक्त, तकनीकी रूप से योग्य तथा संविदा प्रावधानों के अन्तर्गत आता था, सेतु निर्माण का निर्णय लिया। तद्नुसार मुख्य अभियंता ने फरवरी 1999 में संविदा में स्थल परिवर्तन से सम्बन्धित संशोधन जारी किया। मई 1999 तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ था।

इस प्रकार अपर्याप्त मृदा जांच के आधार पर ड्राइंगों को अन्तिम रूप देने तथा संविदा करने के परिणामस्वरूप दो बार स्थल में परिवर्तन हुआ तथा कार्य दो वर्ष तक रूका रहा।

एक सेतु जिसकी 1995 में ही आवश्यकता थी उसका निर्माण कार्य चार वर्ष बाद मई 1999 तक आरम्भ होना शेष था जिससे देबान और राष्ट्रीय राजमार्ग 38 के बीच सम्पर्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसके अतिरिक्त लागत वृद्धि भी हुई जिसका आंकलन निर्माण कार्य के पूर्ण होने पर ही किया जा सकता है।

मामला II

भूतल परिवहन मंत्रालय ने फरवरी 1993 में भूटान में हा-गासेखा-दमथाँग रोड़ पर 0.46 कि0मी0 पर 85.13 लाख रूपए की लागत से 35 मीटर लम्बाई के एक सबलीकृत कंक्रीट सीमेंट सेतु तथा सम्पर्क मार्ग के निर्माण की संस्वीकृति दी।

मुख्य अभियंता (परियोजना) दन्तक ने हा की और के अंत्याधार पर सितम्बर 1993 में कार्य आरम्भ कर दिया और इसे अगस्त 1994 में पूर्ण कर लिया। मुख्य अभियंता ने खुदाई के

[1] लेज : कगार

कारण भूस्खलन होने की वजह से गासेखा की ओर के अंत्याधार पर कार्य निलम्बित कर दिया। समस्या से निपटने के लिए महानिदेशक सीमा सड़क ने नवम्बर/ दिसम्बर 1995 में डिजाइन में संशोधन करके इसे 35 और 15 मीटर लम्बे दो स्कू सेतुओं[2] में परिवर्तित कर दिया जिसमें मध्य में एक स्तम्भ तथा खुली नींव पर कृत्रिम अंत्याधार प्रस्तावित था। आगे हुए भू-स्खलनों के कारण यह व्यवस्था भी कारगर नहीं पायी गयी।

समस्या की जाँच करने वाले अधिकारियों के एक तकनीकी बोर्ड ने पाया कि गासेखा की ओर का अंत्याधार मध्य में स्तम्भ के स्थान पर निर्मित किया जाना चाहिये। महानिदेशक ने सितम्बर 1996 में इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अंत्याधार के अंतिम उठाव का छोड़कर अक्तूबर 1998 तक उप-संरचना का कार्य पूरा हो गया था। ड्राइंग को अन्तिम रूप देने तथा 2.09 करोड़ रूपए की लागत पर कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संस्वीकृति लम्बित होने के कारण मई 1999 तक स्कू सेतु की अधिरचना के लिए संविदा नहीं की गयी थी।

उप-संरचना का कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के कारण अधिरचना के निर्माण का कार्य आरम्भ करने में विलम्ब हुआ

स्थल की स्थिति का आंकलन करने में महानिदेशक सीमा सड़क की विफलता के परिणामस्वरूप अपर्याप्त डिजाइन अपनाया गया और भूस्खलनों से बचने के लिए इसमें बार-बार संशोधन हुए। इसके कारण उप-संरचना के पूर्ण होने में दो वर्ष का विलम्ब हुआ क्योंकि इसके बिना अधिरचना का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता था। परिणामतः दिसम्बर 1999 तक भी एक स्थायी सेतु के निर्माण के उद्देश्य के साथ समझौता करना पड़ा है।

मामला III

महानिदेशक सीमा सड़क ने नौटीकुद नदी पर विद्यमान बैली-सेतु से धारा पर 10 मीटर ऊपर की ओर 28.75 लाख रूपए की लागत से स्थायी सेतु के प्रावधान हेतु मार्च 1997 में संस्वीकृति प्रदान की।

अनुपयुक्त मृदा स्तर के कारण मूल स्थान पर कार्य बन्द करना पड़ा और बढ़ी हुई लम्बाई के साथ दूसरा स्थान चुनना पड़ा

निर्माण के दौरान वांछित मृदा नहीं पायी गयी और रास्ते से ठीक पहले पहाड़ी की ढ़लान अस्थिर हो गयी और अंत्याधार की ऊंचाई दुगनी करने की आवश्यकता थी। 13.09 लाख रूपए व्यय करके मार्च 1999 में इस स्थान पर सेतु बनाने का विचार त्याग दिया गया। महानिदेशक सीमा सड़क ने मार्च 1999 में प्रस्ताव रखा कि मौजूदा बैली-सेतु को धारा पर 10 मीटर ऊपर की ओर स्थानान्तरित कर दिया जाये और इसके स्थान पर 32 मीटर लम्बाई के स्थायी सेतु का निर्माण किया जाये। इस निर्माण कार्य पर 1.13 करोड़ रूपए की लागत आंकी गयी।

---

[2] स्कू सेतु : एक ऐसा सेतु जिसकी मेहराब अथवा मेहराबें अंत्याधार पर तिरछी रखी जाती है।

इस प्रकार एक स्थायी सेतु का प्रावधान दिसम्बर 1999 तक भी अभी आरम्भ होना शेष था।

42.6.2 डिजाइन, ड्राइंग तथा विशिष्टताओं में बार-बार परिवर्तन

डिजाइन में बार-बार परिवर्तनों के कारण क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ और लागत में 19.84 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई

ड्राइंगों और डिजाइन को अन्तिम रूप देना तकनीकी योजना का एक अभिन्न अंग है जोकि निर्माण के कार्यान्वयन पूर्व आवश्यक है। आठ मामलों में महानिदेशक सीमा सड़क ने डिजाइन और ड्राइंगों में बार-बार परिवर्तन करके निर्माण कार्य के क्रियान्वयन को लम्बा खींच दिया। इसमें बहुत अधिक समय लगा और लागत में वृद्धि हुई। लागत वृद्धि 19.84 करोड़ रूपए बनती थी। मामले निम्न प्रकार हैः

मामला I

भूतल परिवहन मंत्रालय ने मई 1988 में मनाली-सरचू रोड़ पर 107.98 कि0मी0 पर टॉडी में 49.50 लाख रूपए में 33 मीटर लम्बे स्थायी सेतु के निर्माण की संस्वीकृति दी।

सेतु निदेशालय अंत्याधार की डिजाइन को अपनाते समय जल निकासी की समस्या पर ध्यान देने में विफल रहा

महानिदेशक सीमा सड़क ने जल निकासी में आने वाली बाधाओं की ओर ध्यान दिये बिना ही नदी की तलहटी में सेतु की अंत्याधार नींव डिजाइन की। अंत्याधार का निर्माण कार्य आरम्भ होने पर महानिदेशक ने जल निकासी की समस्या को महसूस किया तथा इससे निपटने के लिए उसने 67.50 लाख रूपए की लागत से सितम्बर 1989 में सेतु की लंबाई बढ़ाकर 45 मीटर कर दी ताकि अंत्याधार नदी तल से काफी बाहर रहे। यह निर्णय डिजाइन तैयार करते समय ही लिया जा सकता था और ऐसा करके एक वर्ष से अधिक के विलम्ब से बचा जा सकता था।

जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए एक कोफर बांध का निर्माण कराना पड़ा

विभाग द्वारा सेतु का निर्माण आरम्भ कर दिया गया, यह अक्तूबर 1995 तक पूर्ण होना था। अक्तूबर 1992 में जब कार्य में 24 प्रतिशत प्रगति हो चुकी थी तब मुख्य अभियंता (परियोजना) दीपक ने सेतु की लम्बाई बढ़ाकर 60 मीटर करने का प्रस्ताव रखा ताकि अंत्याधार नदी की जलधारा से बिल्कुल परे सूखी भूमि पर बन सके। महानिदेशक सीमा सड़क प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ। परिणामतः जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए 16.27 लाख रूपए की लागत से एक कोफर बाँध बनाया गया। उपसंरचना का कार्य लम्बित होने के कारण अधिरचना के निर्माण हेतु संविदा 93.22 लाख रूपए में अगस्त 1997 में ही की जा सकी। अप्रैल 1999 तक अधिरचना के निर्माण कार्य में 77 प्रतिशत प्रगति हो चुकी थी और इस पर 1.77 करोड़ रूपए का व्यय लेखांकित हो चुका था। सेतु की लागत 2.05 करोड़ रूपए प्राक्कलित की गयी थी तथा मई 1999 तक संशोधित संस्वीकृति प्रतीक्षित थी।

महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा सूखी भूमि के स्थान पर नदी की तलहटी में अंत्याधार के निर्माण के निर्णय के फलस्वरूप उप-संरचना के कार्यान्वयन में लम्बा समय लगा तथा अधिरचना के लिए संविदा करने में सहवर्ती विलम्ब हुआ।
इस प्रकार 1988 में संस्वीकृत एक सेतु जो कि अक्तूबर 1995 में पूर्ण होना था वह दिसम्बर 1999 तक प्रगति में था।

मामला II

भूतल परिवहन मंत्रालय ने अप्रैल 1987 में सेना के रांगपो-गंगटोक राष्ट्रीय राजमार्ग-31-ए पर 28.343 कि0मी0 पर 2.20 करोड़ रूपए की लागत से तीस्ता नदी पर 180 मीटर लम्बे स्टील ट्रस केन्टीलिवर प्रकार के सेतु के निर्माण की संस्वीकृति दी।

मुख्य अभियंता (परियोजना) स्वास्तिक ने मार्च 1988 में एक ठेकेदार के डिजाइन के आधार पर 3.92 करोड़ रूपए की लागत से एक मेहराबदार सेतु के निर्माण हेतु संविदा की; सेतु सितम्बर 1990 तक पूर्ण होना था। तदनुसार मार्च 1991 में संविदा संशोधित करके 4.00 करोड़ रूपए के लिए कर दी गयी।

सेतु निदेशालय ठेकेदार के कहने पर सेतु के डिजाइन में परिवर्तन करता रहा जिसके कारण सेतु के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ

मार्च 1991 में कार्यान्वयन के दौरान ठेकेदार ने सुझाव दिया कि मृदा की स्थिति को देखते हुए संविदा में निर्धारित मेहराबदार सेतु के बजाय केवल कूप नींव के साथ केन्टीलिवर डिजाइन के सेतु का निर्माण ही सम्भव था। तद्नुसार मुख्य अभियंता ने जनवरी 1992 में संविदा में संशोधन किया, कार्य 1993 में पूर्ण होना था। ठेकेदार ने केन्टीलिवर सेतु 6.53 करोड़ रूपए में तीन वर्ष बाद अप्रैल 1996 में पूरा किया, इसमें मूल पूर्णता तिथि सितम्बर 1990 के बाद हुई 2.10 करोड़ रूपए की मूल्य वृद्धि भी सम्मिलित थी।

अप्रैल 1987 में केन्टीलिवर प्रकार के सेतु के निर्माण की संस्वीकृति प्रदान किये जाने के बावजूद महानिदेशक सीमा सड़क ने दोनों बार ठेकेदार के कहने पर, पहली बार इसे मेहराबदार डिजाइन में और बाद में पुनः केन्टीलिवर प्रकार के डिजाइन में परिवर्तित किया। इस गलती के कारण सेतु का कार्यान्वयन पूर्णता की मूल तिथि से छः वर्ष लम्बा खिंच गया।

मामला III

भूतल परिवहन मंत्रालय ने अपनी अगस्त 1986 की संस्वीकृति के अधिक्रमण में मार्च 1988 में 3.66 करोड़ रूपए में राष्ट्रीय राजमार्ग 54 के लुंगलेह-तुईपेंग मार्ग पर कलादन नदी पर 300 मीटर लम्बे सेतु के निर्माण हेतु संस्वीकृति प्रदान की।

मुख्य अभियंता (परियोजना) पुष्पक ने जून 1990 की पूर्णता अवधि के साथ 3.59 करोड़ रूपए पर मार्च 1987 में एक संविदा की। मार्च 1999 तक 5.36 करोड़ रूपए के लेखांकित व्यय के साथ निर्माण कार्य 89.39 प्रतिशत पूर्ण हो चुका था। मई 1999 तक 6.46 करोड़ रूपए की संशोधित संस्वीकृति प्रतीक्षित थी।

मंद प्रगति मुख्यतः डिजाइन/ड्राइंगों में बार बार परिवर्तन के कारण थी

विलम्ब के विश्लेषण से पता लगा कि 105 माह के कुल विलम्ब में से 65 माह का विलम्ब कार्यान्वयन के दौरान पाया गया मृदा का स्तर निविदा में दर्शाये गये मृदास्तर से भिन्न होने के कारण डिजाइन और ड्राइंगो में किये गये बार-बार परिवर्तन की वजह से हुआ था। विलम्ब के कारण 2.80 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसमें मूल पूर्णता तिथि जून 1990 के बाद हुई 1.63 करोड़ रूपए की मूल्य वृद्धि भी सम्मिलित थी।
इस प्रकार, एक सेतु जिसकी 1986 में ही आवश्यकता थी, 2.80 करोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय तथा 13 वर्ष बाद भी मार्च 1999 तक तैयार नहीं हुआ था।

मामला IV

सेतु के डिजाइन में बार-बार परिवर्तन के कारण अधिरचना का निर्माण कार्य तीन से अधिक वर्ष तक रूका रहा

भूतल परिवहन मंत्रालय ने चारदुरास-तवांग मार्ग पर 287 कि0मी0 पर तवांगचू नदी पर 99 लाख रूपए की लागत से 40 मीटर लम्बे एक स्थायी प्रीस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु के निमार्ण हेतु जनवरी 1994 में संस्वीकृति प्रदान की। मार्च 1994 में आरम्भ हुआ उपसंरचना का निर्माण कार्य 61.65 लाख रूपए की लागत से फरवरी 1996 में पूर्ण हुआ। महानिदेशक सीमा सड़क ने फरवरी 1996 में अधिरचना के प्रकार को प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट से संशोधित करके इस्पात कर दिया। तद्नुसार मुख्य अभियंता (परियोजना) वर्तक ने अप्रैल 1996 में निविदाएं मंगायी। निवेदित राशि 99 लाख रूपए संस्वीकृति की भिन्नता - सीमा से अधिक होने के कारण मुख्य अभियंता ने महानिदेशक सीमा सड़क के कहने पर संस्वीकृति के संशोधन हेतु अगस्त 1997 में मामला प्रस्तुत किया। तथापि, महानिदेशक सीमा सड़क ने इसे उलटकर प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट अधिरचना के मूल डिजाइन में विभाग द्वारा ही बनाने को कहा। मई 1998 में टास्क फोर्स कमाण्डर ने परामर्श दिया कि दोनों प्रकार की अधिरचना की लागत एक समान 1.45 करोड़ रूपए होगी। मई 1999 तक महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना शेष था।

इस प्रकार, महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा अधिरचना के प्रकार के सम्बन्ध में अनिर्णय के कारण अधिरचना का निर्माण कार्य तीन वर्ष से अधिक तक रूका रहा।

मामला V

नौ-परिवहन मंत्रालय ने 77 लाख रूपए की लागत से चिनाब अखनूर नदी पर 230 मीटर लम्बे सेतु के निर्माण हेतु मई 1977 में संस्वीकृति दी। मुख्य अभियंता (परियोजना) सम्पर्क

ने दिसम्बर 1981 की पूर्णता तिथि के साथ 59 लाख रूपए में फर्म 'क' के साथ एक संविदा की।

बिना लागत के वायुचालित धंसाव पर विवाद के कारण संविदा निरस्त हुई

अप्रैल 1981 में फर्म ने सेतु के स्तम्भ संख्या 4 के नीचे कूप सं 3 के वायुचालित धंसाव हेतु अनुमति मांगी। मुख्य अभियंता ने इसके लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत की शर्त के साथ अनुमति दे दी। फर्म ने बिना अतिरिक्त लागत के वायुचालित धंसाव विधि प्रयोग करने से मना कर दिया। विवाद का हल न होने के कारण फर्म ने 25.27 प्रतिशत प्रगति के उपरान्त निर्माण कार्य रोक दिया। मुख्य अभियंता ने लगभग चार वर्ष बाद जून 1985 में संविदा निरस्त की। बचे हुए कार्य को पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता ने मई 1989 की पूर्णता तिथि के साथ दिसम्बर 1986 में फर्म 'ख' के साथ 2.12 करोड़ रूपए में जोखिम एवम् लागत संविदा की। फर्म 'ख' ने कार्य में 21.89 प्रतिशत प्रगति के बाद आगे नदी तल में नींव डालने तथा प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट अधिरचना के निर्माण में कठिनाइयां बताते हुए मंद प्रगति के बाद जून 1994 में निर्माण कार्य रोक दिया। एक तकनीकी समिति को मामला भेजने पर उसने नवम्बर 1995 में परामर्श दिया कि मुख्य धारा में नींव न डाली जाये तथा सेतु का निर्माण मिश्रित प्रकार की अधिरचना से किया जाये। सेतु निदेशालय ने इस मामले पर तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मार्च 1998 में विभिन्न फर्मों से सम्पर्क किया। इस मामले में सेतु निदेशालय द्वारा निर्णय लिया जाना अभी शेष था। सेतु निदेशालय का अन्तिम निर्णय लम्बित होने के कारण सेतु पर आगे कोई कार्य नहीं हुआ।

बाद वाले ठेकेदार ने भी उसी आधार पर निर्माण कार्य रोक दिया

सेतु निदेशालय द्वारा एक अनुपयुक्त डिजाइन अपनाये जाने के कारण दो बार संविदाएं निरस्त हुईं और सेतु के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ

सेतु निदेशालय ने स्थल दशा की पूर्णतः जांच किये बिना ही सेतु के लिए एक अनुपयुक्त डिजाइन अपनाया। दोनों फर्मों ने संविदा में दिये गये डिजाइन के अनुसार नींव डालने में कठिनाईयां दर्शायी किंतु सेतु निदेशालय ने ठेकेदारों से निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु आग्रह किया। इस कारण दोनों ठेकेदारों ने कार्य रोक दिया। इस प्रकार दिसम्बर 1978 में आरम्भ हुआ सेतु निर्माण का कार्यान्वयन इक्कीस वर्षों के बाद मई 1999 में उपसंरचना स्तर तक भी अभी पहुंचना बाकी था। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य पर व्यय हुए 1.94 करोड़ रूपए से धन का कोई मूल्य प्राप्त नहीं हुआ।

मामला VI

भूतल परिवहन मंत्रालय ने 20.69 लाख रूपए की लागत से मुठीवाला खुड, नागबनी खुड तथा द्वितीय दमाना खुड पर तीन लघुसेतुओं के निर्माण हेतु अप्रैल 1977 में संवीकृति दी। निर्माण कार्य विभाग द्वारा ही किया जाना था।

अपर्याप्त डिजाइन के कारण 22 वर्ष बाद भी तीसरे सेतु का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था

दो सेतु नवम्बर 1980 में पूर्ण हो गये थे। अपर्याप्त डिजाइन के कारण द्वितीय दमाना खुड पर तीसरे सेतु का निर्माण आरम्भ नहीं हुआ। नवम्बर 1981 में पुनः डिजाइन किया गया सेतु भी अनुपयुक्त पाया गया। और मृदा परीक्षण करके 17 वर्ष बाद जुलाई 1994 में, 9.33

लाख रूपये की आरम्भिक लागत के प्रति 69.42 लाख रूपए की लागत पर तीसरे डिजाइन को अन्तिम रूप दिया गया तथा संस्वीकृत किया। दो वर्ष से अधिक के और विलम्ब के बाद सितम्बर 1996 में निर्माण कार्य आरम्भ हुआ। मई 1999 तक भी सेतु पूर्ण होना शेष था।

एक उपयुक्त डिजाइन को अन्तिम रूप देने में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप विचारणीय लागत वृद्धि के अलावा 22 वर्षों के बाद भी सेतु उपलब्ध नहीं था।

मामला VII

सेतु के प्रकार को अन्तिम रूप देने में सेतु निदेशालय के अनिर्णय के फलस्वरूप संविदा करने में 2 वर्ष का विलम्ब हुआ

भूतल परिवहन मंत्रालय ने हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क मार्ग पर 483.13 किलोमीटर पर सुमदो नदी के उपर 1.38 करोड़ रूपए में एक सेतु के निर्माण हेतु जनवरी 1993 में संस्वीकृति दी। मई 1993 में जारी निविदाओं के उत्तर में एक निविदाकर्ता ने प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट अधिरचना के विकल्प के रूप में इस्पात अधिरचना का प्रस्ताव रखा। संविदा निदेशालय ने इस्पात अधिरचना सेतु के लिए अन्य निविदा कर्ताओं से जुलाई 1993 से मार्च 1995 तक पत्राचार किया जो कि ठंडी जलवायु, कम कार्य अवधि तथा क्षेत्र की सुदूरता के कारण पूर्णतः उपयुक्त था। इस्पात अधिरचना सेतु के लिए न्यूनतम निविदा 1.25 करोड़ रूपए की थी। किन्तु संविदा निदेशालय ने सुन्दर लगने तथा कम रखरखाव लागत के कारण प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु के निर्माण का ही निर्णय लिया। अंततः दो वर्ष बाद मई 1995 में मुख्य अभियंता ने 1.25 करोड़ रूपए में प्रीस्ट्रेस्ड़ कंक्रीट अधिरचना के लिए एक संविदा की। ठेकेदार ने जुलाई 1995 में निर्माण कार्य आरम्भ किया किन्तु दिसम्बर 1997 में 88 प्रतिशत प्रगति होने पर कार्य रोक दिया। इस कार्य पर 1.28 करोड़ रूपए का व्यय लेखांकित हुआ। शेष कार्य को पूर्ण कराने के लिए संविदा निदेशालय द्वारा मई 1999 तक कोई जोखिम एवम् लागत संविदा नहीं की गयी थी।

यद्यपि इसपात अधिरचना सेतु कम समय में और उतनी ही लागत पर निर्मित किया जा सकता था अतः ऐसे में महानिदेशक सीमा सड़क का प्रीस्ट्रेस्ड़ कंक्रीट अधिरचना के लिए निर्णय समझदारीपूर्ण नहीं था।

मामला VIII

ड्राइंगों को अन्तिम रूप देना लम्बित होने के कारण निर्माण कार्य 8 वर्ष बाद 1990 में भी आरम्भ नहीं हुआ था

भूतल परिवहन मंत्रालय ने तेजु-हायुलियांग सड़क मार्ग पर 96.20 कि0मी0 पर दलाई नदी पर 43.25 लाख रूपए की लागत से 106 मीटर लम्बे स्थायी सेतु के निर्माण हेतु सितम्बर 1982 में संस्वीकृति दी। प्राक्कलन यथार्थ परक नहीं था। अतः इसे बढ़ाकर 1.48 करोड़ रूपए करना पड़ा था। मुख्य अभियंता (परियोजना) वर्तक ने जून 1985 में 1.45 करोड़ रूपए की लागत से फर्म 'ग' के साथ एक संविदा की। ठेकेदार द्वारा मई 1990 तक सामान्य व्यवस्था ड्राइंग प्रस्तुत करना और तदनंतर सेतु निदेशालय द्वारा इसकी स्वीकृति

लम्बित होने के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ। कार्य आरम्भ करने के बाद ठेकेदार ने जून 1990 में कूप के लिए वायुचालित धंसाव का प्रस्ताव रखा। सेतु निदेशालय ने 5 वर्ष लगाकर मई 1995 में प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस बीच में ठेकेदार स्थल से अपने सभी संसाधन हटा चुका था। ठेकेदार ने दो वर्ष और विलम्ब के बाद अप्रैल 1997 में कार्य पुनः आरम्भ किया और मई 1999 तक कार्य में 47.73 प्रतिशत प्रगति हुई थी। मई 1999 तक इस कार्य के प्रति चार करोड़ रूपए का व्यय लेखांकित हो चुका था। मुख्य अभियंता ने मार्च 1999 में 7.93 करोड़ रूपए के संशोधित प्राक्कलन के लिए कार्रवाई आरम्भ की।

सेतु निदेशालय ने ड्राइंगों को अनुमोदित करने में 5 वर्ष का समय लिया

निर्माण कार्य जिसके लिए 1985 में संविदा की गयी थी लगभग 12 वर्ष बाद 1997 में आरम्भ हुआ और मई 1999 तक भी पूरा होना शेष था।

42.7 सेतु निर्माण कार्य और सड़क निर्माण कार्य में तालमेल न होना

सड़कों और सेतुओं के निर्माण की योजना इस प्रकार बनायी जानी आवश्यक है कि दोनों साथ-साथ पूर्ण हों ताकि एक का पूर्ण होना लम्बित होने के कारण दूसरा पूर्ण हुआ कार्य बिना किसी उपयोग के न पड़ा रहे।

भूतल परिवहन मंत्रालय ने अक्तूबर 1988 में 1.31 करोड़ रूपए की लागत से कताखाल नदी पर 142 मीटर लम्बे स्थायी सेतु के निर्माण हेतु सस्वीकृति दी जो कि बाद में 2.02 करोड़ रूपए के लिए संशोधित की गयी। मुख्य अभियंता (परियोजना) पुष्पक ने अगस्त 1992 में 1.98 करोड़ रूपए में एक संविदा की और निर्माण कार्य मार्च 1996 में 2.49 करोड़ रूपए की लागत से पूर्ण हुआ।

सेतु मार्च 1996 में पूर्ण हुआ

महानिदेशक सीमा सड़क ने सेतु के लिए संस्वीकृति के आठ वर्ष बाद तथा संविदा करने के चार वर्ष बाद 19.25 करोड़ रूपए में फरवरी 1996 में सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु संस्वीकृति दी यद्यपि इसमें भूमि का अधिग्रहण भी किया जाना था। सम्पर्क सड़कें मार्च 2001 तक पूर्ण होनी निर्धारित थीं। मई 1997 के भूकम्प में सेतु क्षतिग्रस्त हो गया। सेतु निदेशालय ने पाया कि यदि सम्पर्क मार्ग बने होते तो भूकम्प के झटके को सहने के लिए गद्दे का काम करते और इससे भूकम्प का प्रभाव घट जाता। क्षति की लागत 38.86 लाख रूपए आंकी गयी।

सम्पर्क सड़क मार्च 2001 तक पूर्ण होनी प्रत्याशित है

सेतु 2001 तक बिना किसी उपयोग के रहेगा

इस प्रकार, सम्पर्क सड़क का निर्माण लम्बित होने के कारण मार्च 1996 में 2.49 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित सेतु बिना किसी उपयोग के पड़ा हुआ है।

42.8 अन्य मामले

मामला I

भूतल परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के दिराक-चौखाम सड़क सेक्टर में नाओडिंग नदी पर 8.61 करोड़ रूपए की लागत से 270 मीटर लम्बे सेतु के निर्माण हेतु अक्तूबर 1993 में संस्वीकृति दी जिसमें बाढ़ से तट के कटाव को बचाने के लिए 492 मीटर का गाइड बंड का निर्माण भी सम्मिलित था।

मृदा स्तर भिन्न पये जाने के कारण नींव में परिवर्तन करना पड़ा

मुख्य अभियंता (परियोजना) उदयक ने 10.35 करोड़ रूपए की लागत पर नवम्बर 1995 में 271.20 मीटर लम्बे सेतु के निर्माण हेतु एक संविदा की। कार्यान्वयन के दौरान ठेकेदार ने पाया कि महानिदेशक सीमा सड़क ने जिस अक्षरणीय चट्टानी स्तर की भूमि के आधार पर सेतु डिजाइन किया था, भूमि स्तर की न होकर बजरी और कंकड़-पत्थर मिश्रित भारी रूप से रेतीली थी। मुख्य अभियंता ने एक अंत्याधार के लिए खुली नींव के स्थान पर कूप नींव अपनाने की संस्तुति की। महानिदेशक सीमा सड़क ने इसे अनुमोदित कर दिया।

बचाव कार्य के अभाव में तटों के कटाव के कारण सेतु की लम्बाई में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी

वर्ष 1996-97 और 1997-98 की बाढ़ों में नदी के तटों में कटाव हुआ क्योंकि बाढ़ों में तटों को कटाव से बचाने के लिए गाइड बंड जैसे बचाव कार्य नहीं किये गये थे यद्यपि यह संस्वीकृत किया गया था। परिणामतः सेतु की लम्बाई बढ़ाकर 341.40 मीटर करनी पड़ी जिसे बाद में और बढ़ाकर 477 मीटर किया गया, इससे कुल 6.60 करोड़ रूपए का वित्तीय प्रभाव पड़ा। जनवरी 1999 तक निर्माण कार्य 271.73 मीटर पूर्ण हो गया जिस पर 11.19 करोड़ रूपए का व्यय लेखांकित किया गया था। सेतु की लम्बाई बढ़ाने के कारण 6.60 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

मामला II

भूतल परिवहन मंत्रालय ने नौशेरा-तवी नदी पर 65.79 लाख रूपए की प्राक्कलित लागत पर 86 मीटर लम्बे एक स्थायी सेतु के निर्माण हेतु दिसम्बर 1983 में संस्वीकृति दी। मुख्य अभियंता (परियोजना) सम्पर्क ने 80 लाख रूपए की लागत पर अक्तूबर 1986 में एक संविदा की। निर्माण कार्य सेतु निदेशालय द्वारा अनुमोदित ठेकेदार के डिजाइन और ड्राइंगों पर आधारित था।

स्थल इंजीनियरों ने ठेकेदार को डी0जी0बी0बार0 के निर्देशों के विपरीत अंत्याधार निर्माण करने दिया

निर्माण कार्य नवम्बर 1986 में आरम्भ होकर मई 1989 में पूर्ण होना था। एक ओर के अंत्याधार पर निर्माण कार्य आरम्भ होने से पूर्व ही स्थल इंजीनियरों ने निर्माण कार्य अंशतः कठोर चट्टानों पर तथा अंशतः ठोस भराव की गयी चट्टानों पर कराने के सम्बन्ध में अपना संशय व्यक्त किया। महानिदेशक सीमा सड़क ने भूमि के असमतल धंसाव से बचने के लिए

अच्छी तरह से भराव की गयी चट्टान पर अंत्याधार का निर्माण कराने का निर्णय लिया। महानिदेशक सीमा सड़क के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद स्थल इंजीनियरों ने ठेकेदार को अंत्याधार अंशतः कठोर चट्टान पर और अंशतः भराव की हुई चट्टान पर निर्मित करने दिया। इस प्रकार निर्माण कार्य चार वर्ष बाद 89 लाख रूपए की लागत से अप्रैल 1993 में पूर्ण हुआ।

सेतु का अंत्याधार झुक गया जिसके परिणामस्वरूप इसे 4 वर्ष तक यातायात के लिए बन्द करना पड़ा

सेतु यातायात हेतु अप्रैल 1993 में खोला गया था और जुलाई 1994 में बन्द कर दिया गया क्योंकि सेतु की एक ओर की अंत्याधार दीवार मुख्य धारा की ओर झुक गयी थी जिससे सेतु की पूरी लम्बाई खतरे में पड़ गयी थी। बिना किसी अतिरिक्त लागत के सेतु की लम्बाई 18 मीटर बढ़ाकर इसका पुनः प्रतिष्ठापन करना पड़ा। सेतु को यातायात हेतु 1998 में खोल दिया गया था।

महानिदेशक सीमा सड़क द्वारा विनिर्दिष्ट भली प्रकार ठोस भराव की गयी चट्टान पर अंत्याधार निर्माण कराने में स्थल इंजीनियरों की विफलता के परिणामस्वरूप भूमि के असमतल धंसाव से अंत्याधार झुक गया और सेतु के पुनः प्रतिष्ठापन की आवश्यकता पड़ी; इसके अतिरिक्त सेतु चार वर्ष तक बन्द पड़ा रहा।

मंत्रालय को मामला नवम्बर 1999 में भेजा गया था; दिसम्बर 1999 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

43. एक ठेकेदार को लाभ पहुँचाने हेतु ठेका देने में जान-बूझ कर विलम्ब

मुख्य अभियंता ने एक ठेकेदार विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ठेका देने में न्यूनतम प्रस्ताव के अवैध हो जाने तक जान-बूझ कर देरी की।

निविदाएं प्राप्त होने के पश्चात् मुख्य अभियंता (परियोजना) हिमांक के द्वारा एक ठेकेदार के साथ पत्र व्यवहार करने के निर्णय के कारण अन्य किफायती निविदाओं की वैधता अवधि समाप्त हो गई तथा उच्च दर पर संविदा करनी पड़ी।

5 अप्रैल 1994 को निविदाएं प्राप्त हुईं जो 4 मई 1994 तक वैध थीं

मुख्य अभियंता (परियोजना) हिमांक ने किसी भी किस्म के भंडारों को पठानकोट से लेह तथा लेह के समीपवर्ती क्षेत्रों तक चढ़ाने-उतारने एवं ढुलाई हेतु निविदाएं आमंत्रित कीं। 5 अप्रैल 1994 को पाँच मूल्यांकित निविदाएं प्राप्त हुई थीं। फर्म 'क' ने पठानकोट से लेह के लिए अनुसूची 'क' की दरों के उपर 334.98 प्रतिशत तथा लेह के समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए उपरोक्त दरों के उपर 30 प्रतिशत अधिक दरें निवेदित कीं जो कि 435.47 प्रतिशत बनती थी। फर्म 'ख' ने लेह तथा लेह के समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए 339.43 प्रतिशत की दर

मुख्य अभियंता प्रस्तावों की वैधता अवधि में निर्णय लेने में असफल रहा

प्रस्तावों की वैधता अवधि में मामला सुलझाने में विफलता के परिणामस्वरूप मंहगी संविदा करनी पड़ी

निवेदित की। इस प्रकार, फर्म 'क' द्वारा पठानकोट से लेह के समीपवर्ती क्षेत्रों तक भंडार के चढ़ाने-उतारने एवं ढुलाई हेतु प्रस्तुत दर बहुत अधिक थी। तथापि मुख्य अभियंता फर्म 'क' के साथ इस निवेदन के साथ पत्र व्यवहार में लग गया कि वह लेह के समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत 30 प्रतिशत की अतिरिक्त दर को वापस ले ले, जिसके लिए वैधता अवधि 4 मई 1994 तक कोई उत्तर नहीं मिला। फर्म 'ख' ने यह तर्क देते हुए वैधता अवधि आगे नहीं बढ़ाई कि वैधता अवधि को बढ़ाने हेतु पत्र उन्हें मूल वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात् मिला था। फर्म 'क' ने वैधता अवधि के अन्दर कोई उत्तर नहीं दिया था परन्तु 1 जून 1994 को लेह के समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए एक प्रतिशत की कमी करते हुए अतिरिक्त दर 30 प्रतिशत से घटाकर 29 प्रतिशत प्रस्तावित की। इस प्रकार उसके द्वारा लेह के समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत दर अनुसूची की दर से 432.12 प्रतिशत अधिक थी तथा फर्म 'ख' द्वारा प्रस्तुत दर अनुसूची की दर से 339.43 प्रतिशत अधिक थी।

महंगी निविदा स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 11.82 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ

मुख्य अभियंता द्वारा फर्म 'क' के साथ पत्र व्यवहार करने की कार्रवाई के कारण निर्णय लेने में देरी हुई और तब तक अन्य निविदाओं की वैधता समाप्त हो गयी थी। इससे न्यूनतम निविदाकर्त्ता द्वारा कार्य किए जाने का मार्ग प्रभावी रूप से बन्द हो गया जिसके परिणामस्वरूप 11.82 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय को मामला अगस्त 1999 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VII : आयुध फैक्टरी संगठन

44. आयुध फैक्टरी संगठन का कार्य

44.1 प्रस्तावना

उन्तालीस आयुध फैक्टरियाँ 1.50 लाख श्रमशक्ति के साथ मुख्यतः देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए शस्त्र, गोलाबारूद, कपड़ा उपस्कर आदि के उत्पादन में कार्यरत हैं। फालतू उपलब्ध क्षमता को उपयोग में लाने के लिए, आयुध फैक्टरियों ने विविधीकरण के तौर पर सिविल ट्रेड की मदों का भी उत्पादन आरम्भ कर दिया है। शीर्ष स्तर पर आयुध फैक्टरियों का संचालन एक "बोर्ड" द्वारा किया जाता है जो कि नीति निर्धारण, पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी है। महानिदेशक आयुध फैक्टरियाँ आयुध फैक्टरी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। उसकी सहायता के लिए नौ सदस्य/अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं जो विभिन्न कर्मचारी और कार्य समूह के प्रभारी होते हैं।

उत्पादन के संदर्भ में आयुध फैक्टरियों के मुख्य समूहों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः-

डिविजन	फैक्टरियों की संख्या
(i) सामग्रियाँ और घटक	9
(ii) शस्त्र, वाहन और उपस्कर	10
(iii) गोलाबारूद एवं विस्फोटक	10
(iv) कवचित वाहन	5
(v) आयुध उपस्कर फैक्टरियाँ	5

उत्पाद के आधार पर फैक्टरियों को धातु कार्मिक (6) अभियांत्रिकी (17) भरण (6) रासायनिक (4) और आयुध उपस्कर (6) में भी वर्गीकृत किया गया है।

44.2 राजस्व व्यय

वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक राजस्व शीर्ष में व्यय नीचे सारणी में दर्शाया गया हैः-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आयुध फैक्टरियों द्वारा किया गया कुल व्यय	सशस्त्र बलों को आपूरित उत्पादों के प्रति प्राप्ति	अन्य प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	कुल प्राप्तियाँ	आयुध फैक्टरियों का शुद्ध व्यय
1994-95	2347.94	1868.85	473.74	2342.59	(+) 5.35
1995-96	2775.90	2114.82	484.98	2599.80	(+) 176.10
1996-97	3272.30	2416.22	433.06	2849.28	(+) 423.02
1997-98	4050.47	2852.93	517.06	3369.99	(+) 680.48
1998-99	4461.72	3854.92	598.59	4453.51	(+) 8.21

44.3 आयुध फैक्टरी बोर्ड के कार्य का विश्लेषण

44.3.1 सामान्य

1998-99 में भारी वाहन फैक्टरी आवडि में उच्चतम उत्पादन 658.19 करोड़ रूपये का था जिसमें 76.64 प्रतिशत सामग्रीघटक सम्मिलित थे जबकि आयुध केबल फैक्टरी चंडीगढ़ में 49.14 प्रतिशत सामग्रीघटकों के साथ 22.79 करोड़ रूपये का न्यूनतम उत्पादन हुआ।

44.3.1.1 नीचे दी गयी सारणी में गत पाँच वर्षों में हुए घटकवार उत्पादन मूल्य को दर्शाया गया है:-

तत्व	उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपए में)				
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998.99
(क) प्रत्यक्ष सामग्री	1580.79 (56.30)	1962.48 (58.77)	2299.79 (58.53)	2502.08 (57.07)	3268.98 (60.08)
(ख) प्रत्यक्ष श्रम	168.16 (5.99)	213.26 (6.39)	272.48 (6.94)	264.94 (6.04)	319.93 (5.88)
(ग) परिवर्तनीय उपरिव्यय	607.85 (21.65)	488.78 (14.64)	548.21 (13.95)	651.47 (14.86)	707.56 (13.00)
(घ) निर्धारित उपरिव्यय प्रभार	450.99 (16.06)	674.46 (20.20)	808.56 (20.58)	966.09 (22.03)	1144.66 (21.04)
कुल	2807.79	3338.98	3929.04	4384.58	5441.13

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उत्पादन की कुल लागत का प्रतिशत है।

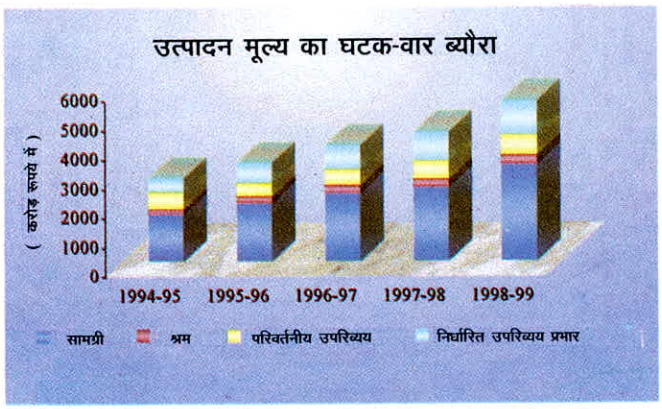

जबकि प्रत्यक्ष श्रम का भाग उत्पादन की लागत में 5.88 से 6.94 प्रतिशत के बीच रहा वहीं निर्धारित उपरिव्यय बढ़ता हुआ रुझान दर्शाते हुए 1994-95 में 16.06 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 21.04 प्रतिशत हो गया। 1998-99 के दौरान फैक्टरियों में उत्पादन की कुल लागत में निर्धारित तथा परिवर्तनीय उपरिव्यय में बहुत भिन्नता थी। यह ग्रे आयरन फांऊडरी जबलपुर में 82.25 प्रतिशत तथा आयुध फैक्टरी खमरिया में 10.23 प्रतिशत रहा।

44.3.2 उपभोक्ताओं को निर्गम

गत पाँच वर्षों के दौरान माँगकर्त्तावार निर्गमों का मूल्य निम्न प्रकार थाः-

(करोड़ रुपए में)

	1994-95	**1995-96**	**1996-97**	**1997-98**	**1998-99**
थलसेना	1492.58	1690.97	1964.99	2427.02	3339.46
नौसेना	28.02	37.41	46.56	60.39	62.49
वायु सेना	54.12	98.89	107.47	106.12	89.42
सैन्य इंजीनियरी सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास (दूसरे रक्षा विभाग)	39.55	54.16	65.31	59.23	79.61
कुल रक्षा	1614.27	1881.43	2184.33	2652.76	3570.98
सिविल ट्रेड	371.88	404.33	381.55	417.96	441.08

44.3.3 उत्पादन योजना और निष्पादन

44.3.3.1 उत्पादन कार्यक्रम और प्रगति

आयुध फैक्टरी बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के प्रति अनेक मदों का उत्पादन निर्धारित समय सीमा से पीछे था। गत पाँच वर्षों की मदों की संख्य जिनकी मांग विद्यमान थी, जिनके लिए लक्ष्य निर्धारित थे तथा निर्माण की गई मदों और जिन मदों के लक्ष्य निर्धारित थे लेकिन उनका उत्पादन समय सीमा से पीछे था को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया हैः

वर्ष	मदों की संख्या जिनकी मांग विद्यमान थी	मदों की संख्या जिनके लक्ष्य निर्धारित थे	लक्ष्य के अनुसार निर्माण की गई मदें	मदों की संख्या जिनके लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये थे लेकिन उत्पादन समय सीमा से पीछे था
1994-95	296	250	167	83
1995-96	323	289	220	69
1996-97	331	289	195	94
1997-98	284	234	161	73
1998-99	353	288	222	66

44.3.4 क्षमता उपयोग

किसी आयुध फैक्टरी की क्षमता उपयोग का आंकलन मानक श्रम घंटों♣ और मशीन घंटों में किया जाता है। नीचे की सारणी गत पाँच वर्षों के दौरान मानक श्रम घंटों और मशीन घंटों के प्रति क्षमता उपयोग की सीमा दर्शाती है:-

(मशीन घंटों में क्षमता उपयोग)

(इकाई लाख घंटों में)

वर्ष	उपलब्ध मशीन घंटे	उपयोग किए गए मशीन घंटे
1994-95	1199	894
1995-96	1235	947
1996-97	1271	936
1997-98	1341	972
1998-99	1266	959

(मानक श्रम घंटों में क्षमता उपयोग)

(इकाई लाख घंटों में)

वर्ष	क्षमता मानक श्रम घंटों में	उपयोग मानक श्रम घंटों में
1994-95	2040	1359
1995-96	1914	1485
1996-97	1848	1558
1997-98	1650	1539
1998-99	1436	1639

♣ मानक श्रम घंटों का अर्थ है आयुध फैक्टरी में उत्पादन गतिविधियों में संलग्न एक औसत निपुण कर्मी से अनुमान में प्रदत श्रेणी के अनुसार एक घंटे में अपेक्षित औसत उत्पादन। इसमें सैटिंग समय व श्रम थकावट भत्ता जैसे तथ्य सम्मिलित नहीं है।

44.3.5 निर्यात तथा सिविल व्यापार

आयुध फैक्टरियों में सृजित क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा था क्योंकि सशस्त्र बलों से आदेश लगातार घटते जा रहे थे। जुलाई 1986 में मंत्रालय ने आयुध फैक्टरियों की क्षमता के उपयोग के दृष्टिगत विविधीकरण के माध्यम से देश के सिविल बाज़ारों में प्रवेश करने तथा निर्यात संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया।

44.3.5.1 निर्यात

नीचे दी गई सारणी 1994-95 से 1998-99 तक निर्यात के लक्ष्य के संदर्भ में उपलब्धियाँ दर्शाती है:

वर्ष	सम्मिलित फैक्टरियों की संख्या	लक्ष्य (करोड़ रुपए में)	उपलब्धि (करोड़ रुपए में)	उपलब्धि की प्रतिशतता
1994-95	14	35.00	7.15	20.42
1995-96	11	25.00	18.94	75.76
1996-97	8	25.00	3.22	12.88
1997-98	13	25.00	23.83	95.32
1998-99	13	25.00	13.46	53.84

गत वर्ष की तुलना में 1998-99 के दौरान निर्यात क्षेत्र के कार्य में तेजी से गिरावट आई। आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने निर्यात क्षेत्र कार्य में गिरावट के लिए इन कारणों को बताया:

(i) दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों से आदेश प्राप्त नहीं हुए;

(ii) विद्यमान आयुध फैक्टरियों में फालतू क्षमता का उपलब्ध नहीं होना तथा

(iii) उन देशों से बड़े आदेश प्राप्त नहीं हुए जिनसे बार-बार आदेश प्राप्त होते थे (उदाहरण के तौर पर साईप्रस)।

44.3.5.2 सिविल व्यापार

1994-95 से 1998-99 के दौरान गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के पुलिस विभाग को की गई आपूर्तियों को छोड़ कर सिविल व्यापार से प्राप्त आय की स्थिति निम्न प्रकार थी:

वर्ष	संबद्ध फैक्टरियों की संख्या	लक्ष्य (करोड़ रुपए में)	उपलब्धि (करोड़ रुपए में)	उपलब्धि की प्रतिशतता
1994-95	38	224.30	112.03	49.45
1995-96	38	141.49	140.45	99.26
1996-97	38	180.00	137.96	76.64
1997-98	38	180.00	168.34	93.52
1998-99	38	185.00	178.74	96.67

1996-97 को छोड़कर कुल मिलाकर सिविल व्यापार से वसूली में बढ़त का रुझान रहा।

44.3.5.3 सिविल व्यापार से राशि का वसूल न होना

जून 1985 में आयुध फैक्टरी बोर्ड के द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुसार सभी सिविल माँगकर्त्ताओं द्वारा आदेश के साथ नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट के साथ पूर्ण अग्रिम अथवा अपरिवर्तनीय साख-पत्र द्वारा भुगतान करना आवश्यक था। आयुध फैक्टरी बोर्ड ने नवम्बर 1999 में कहा कि सरकारी विभागों को आपूर्ति के मामले में कुछ मामलों में अग्रिम भुगतान पर जोर नहीं दिया जाता है। प्राईवेट सैक्टर की प्रतिष्टित फर्मों को आपूर्ति के मामले में भी भुगतान शर्तों में संशोधन किया गया लेकिन ऐसे मामलों में आपूर्तियों के लिए साख पत्र देना अनिवार्य है। 31 मार्च 1999 तक सिविल माँगकर्त्ताओं को आपूरित विभिन्न मदों की बाबत 34.28 करोड़ रुपए बकाया थे। अक्तूबर 1999 तक यह कम होकर 13.56 करोड़ रूपये रह गयी जिसमें मुख्यतः भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, त्रिची से 10.26 करोड़ रूपये का बकाया भी सम्मिलित था।

44.3.6 श्रमशक्ति का उपयोग

44.3.6.1 आयुध फैक्टरी संगठन के कर्मचारियों को (i) "अधिकारियों" जो कि वरिष्ठ पर्यवेक्षण स्तर पर नियुक्त होते हैं (ii) "अराजपत्रित" अथवा "गैर औद्योगिक कर्मचारी" जो कि कनिष्ठ पर्यवेक्षण स्तर पर एवं लिपिकीय स्थापना पर पदस्थ होते हैं तथा (iii)"औद्योगिक कर्मचारी" जो कि उत्पादन और रखरखाव सम्बन्धी कार्यों को करते हैं, श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। गत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या को नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है। इससे यह पता लगता है कि अधिकारियों की संख्या कुल श्रमशक्ति तथा सम्पूर्ण रूप में प्रतिशतता के प्रति बढ़ोतरी का रूख दिखाती है।

(संख्या में)

कर्मचारियों की श्रेणी	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
अधिकारी	2856	3286	3331	3579	4140
कुल श्रमशक्ति के प्रति अधिकारियों की प्रतिशतता	1.76	2.01	2.14	2.33	2.76
अराजपत्रित अधिकारी/गैर औद्योगिक कर्मचारी	43167	45641	49462	42920	42483
कुल श्रमशक्ति के प्रति अराजपत्रित अधिकारी♦/गैर औद्योगिक कर्मचारियों की प्रतिशतता	26.69	28.03	31.81	27.94	28.31
औद्योगिक कर्मचारी•	115702	113865	102675	107137	103444
कुल श्रमशक्ति के प्रति औद्योगिक कर्मचारियों की प्रतिशतता	71.54	69.94	66.03	69.73	68.93
कुल	161725	162792	155468	153636	150067

44.3.6.2 श्रम पर व्यय उत्पादन दो तरीकों से प्रभारित किया जाता है - 'प्रत्यक्ष श्रम' जो उत्पादन से सम्बन्धित सीधे श्रम व्यय होता है तथा 'अप्रत्यक्ष श्रम' जो श्रम पर अन्य व्यय जैसे रखरखाव तथा उत्पादन से सम्बंधित दूसरे क्रियाकलाप आदि के लिए होता है। गत पाँच वर्षों में हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम पर व्यय नीचे दर्शाया गया है।

(करोड़ रुपए में)

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
(क) कुल अप्रत्यक्ष श्रम	316.73	387.29	410.52	557.34	675.61
(ख) कुल प्रत्यक्ष श्रम	183.23	228.13	260.89	289.94	345.86
(ग) अप्रत्यक्ष श्रम की प्रत्यक्ष श्रम के प्रति प्रतिशतता	172.86	169.77	157.35	192.22	195.34

1994-95 से 1998-99 के दौरान अप्रत्यक्ष श्रम की प्रत्यक्ष श्रम पर प्रतिशतता 157.35 प्रतिशत और 195.34 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 1998-99 में यह 195.34 प्रतिशत थी।

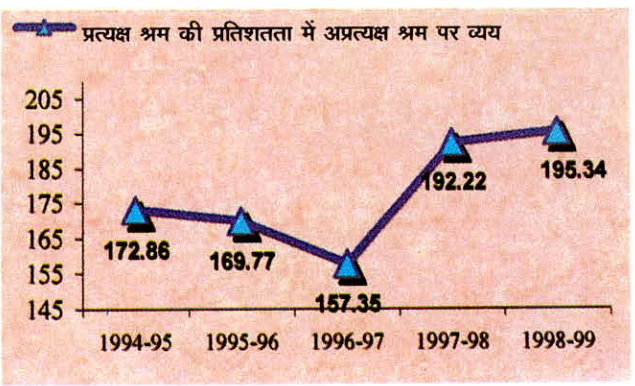

♦ अराजपत्रित अधिकारी से मतलब आयुध फैक्ट्री संगठन में सेवा करने वाले अराजपत्रित अधिकारी है। गैर औद्योगिक कर्मचारी का मतलब आयुध फैक्ट्री संगठन में सेवा करने वाले गैर औद्योगिक कर्मचारी है।

• औद्योगिक कर्मचारी का मतलब आयुध फैक्ट्री संगठन में सेवा करने वाले औद्योगिक कर्मचारी है।

44.3.7 भण्डार सूची प्रबन्ध

44.3.7.1 भण्डारण

विद्यमान प्रावधान नीति के अनुसार आयुध फैक्टरियाँ नीचे दर्शाए गए विभिन्न प्रकार के भण्डार रखने के लिए प्राधिकृत हैं:-

क्रम संख्या	सामग्री का प्रकार	महीनों की आवश्यकता जो भण्डार में रखी जा सकती हैं
1.	आयातित भण्डार	12 महीने
2.	स्वदेशी दुर्लभ मदें	9 महीने
3.	दूसरी स्वदेशी मदें	6 महीने

1998-99 के दौरान छः फैक्टरियों में औसतन भण्डारण जैसा कि नीचे दिया गया है, 10 माह और 19 माह के बीच की आवश्यकतों के अन्दर रहा जो विद्यमान प्रतिमान से अधिक था।

क्रम सं0	फैक्टरी का नाम	01 अप्रैल 1998 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 1999 को अन्तिम शेष	भण्डारण की औसत	औसतन मासिक खपत	खपत महीनों के सन्दर्भ में भण्डारण
1.	आयुध फैक्टरीअम्बाझरी	5.94	8.85	7.40	0.70	10.57
2.	आयुध फैक्टरी कानपुर	47.84	52.74	50.29	4.52	11.13
3.	भारी वाहन फैक्टरी आवडि	372.50	443.02	407.76	39.59	10.30
4.	आयुध फैक्टरी मेडक	197.47	153.99	175.73	16.34	10.75
5.	इंजन फैक्टरी आवडि	35.82	48.26	42.04	3.02	13.92
6.	आप्टो-इलेक्ट्रोनिक फैक्टरी देहरादून	13.42	17.70	15.56	0.81	19.20

44.3.7.2 1997-98 की तुलना में 1998-99 के लिए दिनों की संख्या पर आधारित खपत के संदर्भ में भण्डारण औसत में गिरावट हुई है। यद्यपि यह 180 दिनों के निर्धारित प्रतिमान से अधिक थी।

(करोड़ रुपए में)

क्र0सं0	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1.	कार्यशील भण्डार					
क	सक्रिय	736.51	1020.59	1245.90	1462.38	1433.41
ख	निर्गमित न होने वाले	103.75	109.21	77.93	109.69	146.25
ग	कम निर्गमित होने वाले	126.08	122.10	148.39	133.56	149.45
	कुल कार्यशील भण्डार	966.34	1251.90	1472.22	1705.63	1729.11
2.	अनुपयोगी एवं अप्रचलित	13.12	8.47	8.09	10.56	10.94
3.	आधिक्य/भंगर	35.29	33.34	41.21	39.87	36.14
4.	रखरखाव भंडार	93.84	76.00	72.82	79.80	92.80
	कुल	1108.59	1369.71	1594.34	1835.86	1868.99
5.	खपत दिनों की संख्या के सन्दर्भ में औसत भंडारण	247	214	209	232	200
6.	कुल कार्यशील भंडार के प्रति कुल कम निर्गमित होने वाले एवं निर्गमित न होने वाले भंडार की प्रतिशतता	23.78	18.47	15.37	14.26	17

44.3.7.3 तैयार भंडार

1994-95 से तैयार घटकों के कुल धारण में निरंतर वृद्धि हुई थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
तैयार घटक धारण	197.85	247.51	303.83	439.60	486.36
उपयोग दिवसों की संख्या के संदर्भ में तैयार घटकों का धारण	96	90	99	123	150

उपयोग दिवसों की संख्या के संदर्भ में तैयार घटकों का धारण भी 1994-95 के 96 दिवसों से बढ़कर 1998-99 में 150 दिवस हो गया।

44.3.7.4 प्रगति में कार्य

आयुध फैक्टरी का महाप्रबन्धक एक उत्पादन शॉप को वारंट जारी करके एक मद की दी गई मात्रा का उत्पादन करने के लिए प्राधिकृत करता है जिसकी सामान्य अवधि छः महीने की होती है। विभिन्न वारंटों से सम्बन्धित शॉप फ्लोर पर पड़ी हुई अपूर्ण मदों को प्रगति में कार्य कहा जाता है।

1994-95 से प्रगति में कार्य के मूल्य में निरन्तर वृद्धि हुई थी जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

31 मार्च को स्थिति	प्रगति में कार्य का मूल्य
1995	714.00
1996	855.00
1997	1038.00
1998	1194.00
1999	1214.00

31 मार्च 1999 को 372.16 करोड़ रुपए मूल्य के 12047 वारंट एक से 13 वर्ष से अधिक पुराने थे जबकि इनकी सामान्य अवधि छः माह है। पुराने वारंटों का नियमित अंतराल में पुनर्निरीक्षण करना आवश्यक है ताकि उत्पादन के अधीन मदें उनके पूर्ण होने के समय तक अप्रचलित न हो जाएं और व्यय निष्फल न हो जाए।

44.3.8 अपलेखित की गई हानियाँ

नीचे दी गई सारणी में सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों द्वारा अपलेखित की गई हानियों का विवरण दर्शाया गया है:-

(लाख रुपए में)

क्र0सं0	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1.	वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान और छोड़े गए दावे	12.66	3.45	2.44	2.38	3.20
2.	चोरी, धोखाधड़ी और लापरवाही के कारण हुई हानियाँ	0.20	0.52	0.92	1.29	2.57
3.	चोरी, धोखाधड़ी और लापरवाही के अलावा वास्तविक शेष में हुई कमियों के कारण हानियाँ	0.40	3.97	18.73	4.16	0.17
4.	पारगमन के दौरान हानियाँ	16.80	21.18	15.82	13.99	8.41
5.	अन्य कारण (जैसे खराब हुए भंडार जो कि दोषपूर्ण भंडारण के कारण नहीं हुए और अप्रचलित आदि होने के कारण भंडार का स्क्रेप किया जाना)	19.75	17.01	22.70	10.43	9.12
6.	दोषपूर्ण भंडारण के कारण हानियाँ	-	-	-	2.36	0.74
7.	निर्माण हानियाँ	377.77	394.07	527.64	893.97	399.37
8.	भंडार से इतर हानियाँ	-	7.85	5.48	-	.
9.	**कुल**	427.58	448.05	593.73	928.58	423.58

टिप्पणी: इस पैराग्राफ में सम्मिलित आँकड़े मुख्यतः आयुध एवं आयुध उपस्कर फैक्टरियों के वार्षिक लेखों और आयुध फैक्ट्री बोर्ड के दस्तावेजों पर आधारित हैं।

पुनरीक्षा

45. 155 मि.मी. गोलाबारूद का देशज उत्पादन

विशिष्टतायें

- 155 मि.मी. गोलाबारूद के सात तरह के खोलों में से जिनकी आपूर्ति 1991-93 के दौरान करनी थी, आयुध फैक्टरियों ने 1992-93 से 1997-98 के दौरान चार तरह के खोलों को विकिसित किया । शेष तीन तरह के खोलों को सात वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी विकसित नहीं किया जा सका ।

- सेना ने सात तरह के 155 मि.मी. गोला बारूद की अपनी 5.85 लाख खोलों की आवश्यकता के प्रति केवल 2.37 लाख खोलों के लिए आयुध फैक्टरी बोर्ड पर अपनी मांग रखी क्योंकि दो तरह के खोलों के विकास में देरी हुई तथा तीन तरह के खोलों का विकास ही नहीं हुआ । आयुध फैक्टरियों ने मार्च 1999 तक सेना को 2.23 लाख खोलों की आपूर्ति की ।

- फयूज, प्राइमर व प्रोपेलैण्ट के बिना एक खोल उपयोग के योग्य नहीं होता । इन घटकों की आपूर्ति में ताल मेल न होने के कारण सेना को जारी किये गये 2.23 लाख खोलों में से केवल 38,239 खोलों का ही उपयोग हो सका ।

- सैन्य अभियन्ता सेवाएँ द्वारा सिविल कार्य के निष्पादन में तथा एक विदेशी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा 29.36 करोड रूपये मूल्य के एक आयातित भराई संयत्र के चालू करने में देरी के कारण आयुध फैक्टरी बदमाल में 1995-96 से 1997-98 के दौरान तीन तरह के खोलों का उत्पादन नहीं हुआ ।

- नियंत्रक गुणवत्ता आश्वासन (गोला बारूद) खड़की द्वारा भरे खोलों का परीक्षण करने से पूर्व खाली खोलों के थोक उत्पादन की समय पूर्व अनुमति देने के कारण 79.50 लाख रूपये मूल्य के 1173, 77 बी भरे खोल परीक्षण में अस्वीकृत हो गये ।

- पाँच वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी आयुध फैक्टरी देहू रोड़ में 38.70 लाख रूपये मूल्य के एक आयल हाईड्रोलिक प्रैस को चालू न होने के कारण प्रकाशीय खोलों का विकास नहीं हो सका ।

- **चार तरह के अपेक्षित फ्यूजों के प्रति आयुध फैक्टरी खमरिया ने दो वर्ष की देरी के बाद केवल पी.डी.एम.572 फ्यूज का विकास किया । शेष तीन तरह के फ्यूज अर्थात् जीलर, डी.एम.153 व डी.एम.163 फ्यूजों को अप्रचलित घोषित कर दिया गया लेकिन उनके प्रतिस्थानियों को मार्च 1999 तक विकसित किया जाना था ।**

- **आयुध फैक्टरियों द्वारा एच.ई.ई. आर खोल के विकास में पाँच वर्ष की देरी तथा प्रकाशीय खोल का विकास न करने के कारण सेना को 188.10 करोड़ रूपये मूल्य के 80,000 खोलों एवं 20,000 फ्यूजों का आयात एवं मुफ्त तकनीक के हस्तांतरण के लिये मार्च 1997 में एक विदेशी आपूर्तकर्त्ता के साथ ठेका करना पड़ा ।**

- **आयुध फैक्टरी अम्बाझारी की उत्पादन क्षमता का आयुध फैक्टरी कानपुर को स्थानातंरित करने के कारण आयुध फैक्टरी अम्बाझरी में प्रकाशीय खोलों के निर्माण हेतु रखा 23.25 लाख रूपये मूल्य का सामान निष्फल हो गया ।**

45.1 प्रस्तावना

रक्षा मंत्रालय ने मार्च 1986 से जनवरी 1990 के दौरान ए.बी.बोफोर्स, स्वीडन से 155 मि.मी. की 410 तोपों तथा 5.27 लाख चक्र गोलाबारूद का आयात किया । मंत्रालय ने मार्च 1986 में बिना कोई अतिरिक्त फीस दिये तोपों व गोलाबारूद के देशज उत्पादन हेतु बोफोर्स के साथ एक लाइसेंस समझौता भी किया । मंत्रालय ने जनवरी 1990 में निर्णय लिया कि बोफोर्स द्वारा ठेके के संबंध में दिये गये कमीशन प्राप्त करने वालों के नाम व पूरे विवरण का खुलासा तथा भुगतान किये गये धन की वापसी न करने तक लाइसेंस समझौते को क्रियान्वन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जायेगा । सेना ने वार्षिक परीक्षण तथा युद्ध के लिये आरक्षित प्रारंभिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए गोलाबारूद का आयात किया । नई आयुध फैक्टरी बदमाल में अपेक्षित स्तर की सुविधाऐं उपलब्ध होने तक 155 मि.मी. गोलाबारूद की भराई तथा पूर्णता का देशज विकास, सीमित क्षमता वाली विद्यमान फैक्टरियों में करने की योजना बनाई गई थी ।

45.2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

आयुध फैक्टरी बोर्ड और इससे संबधित आयुध फक्टरियों द्वारा रखे गये अभिलेखों के आधार पर एवं सेना की आवश्यकताओं और वास्तविक मांग के संदर्भ में 155 मि.मी. गोला बारूद के निर्माण की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए अप्रैल 1999 के दौरान एक पुनरीक्षा की गई ।

45.3 सुविधाओं के सृजन के लिए सेना की आवश्यकता का प्रक्षेपण

सेना ने अगस्त 1986 में 155 मि.मी. गोला बारूद के 4.61 लाख चक्र प्रतिवर्ष की आवश्यकता प्रक्षेपित की थी जिसे जुलाई 1988 में संशोधित करके 2.94 लाख चक्र प्रतिवर्ष कम कर दिया। जून 1989 में परियोजना संस्वीकृति के समय आवश्यकता को और कम करके 1.79 लाख चक्र कर दिया गया लेकिन परियोजना प्रबंधन बोर्ड में सेना के प्रतिनिधि ने दिसंबर 1992 में बताया कि तोपों का उत्पादन शुरू नहीं होने के कारण 1.79 लाख चक्र गोलाबारूद प्रतिवर्ष की आवश्यकता भी अब वैध नहीं है तथा फरवरी 1993 में बताया कि निधियों की उपलब्धता तथा प्रशिक्षण गोलाबारूद के वर्तमान मापदण्ड और कुछ प्रतिशत कटौती को ध्यान में रखते हुये उन्होंने 73000 चक्र गोलाबारूद की वार्षिक आवश्यकता पुननिर्धारित की थी ।

सेना की आवश्यकता जून 1989 में 1.79 लाख चक्र से घटकर फरवरी 1993 में 0.73 लाख चक्र रह गई

45.4 सुविधाओं के सृजन में देरी

आयुध फैक्टरी, अंबाझरी, आयुध फैक्टरी, कानपुर और बंदूक एवं खोल फैक्टरी, कोसीपुर में खाली खोलों के निर्माण तथा आयुध फैक्टरी, चांदा, आयुध फैक्टरी, खमरिया तथा आयुध फैक्टरी, देहु रोड़ में खोलों की भराई की योजना बनाई गई थी । अपनी विद्यमान सुविधाओं के अन्तर्गत कोरडाईट फैक्टरी, अरूवानकडु को प्रोपेलैण्ट, गोलाबारूद फैक्टरी,खड़की को प्राइमर तथा आयुध फैक्टरी, खमरिया को फ्यूज समान मात्रा में निर्माण करने का कार्य सौपा गया था। सामान मात्राओं में प्रोपेलेन्टों का कारडाईट फैक्टरी अरूवानकडु, प्राइमरों को गोला बारूद फैक्टरी खड़की तथा फ्यूजों का निर्माण आयुध फैक्टरी खमरिया को उनकी विद्यमान सामर्थ्य के अन्तर्गत सौंपा गया था ।

45.4.1 आयुध फैक्टरी बदमाल

मंत्रालय ने दो अवस्थाओं में जून 1993 में नियोजित कार्यअवधि समाप्ति को ध्यान में रखते हुये 664.73 करोड़ रूपये लागत पर आयुध फैक्टरी बदमाल परियोजना को जून 1989 में संस्वीकृती दी। अवस्था-। तीन तरह के गोलाबारूद की सामान्य सुविधाओं तथा अवस्था-।। 155 मि.मी. गोला बारूद की सुविधाओं के सृजन के लिए थी । गोलाबारूद उत्पादन के स्वरूप को अंतिम रूप दिये जाने तथा लाइसेंस समझौते पर प्रतिबंध लगने के बाद बोफोर्स तकनीक अपनाने का निर्णय लिए जाने में हुई देरी के कारण अवस्था-।। तीन वर्ष से अधिक तक रूकी रही। सरकार ने अवस्था-।। को नवंबर 1992 में अनुमति दी। परियोजना की प्रगति को नीति निर्देश तथा उनकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए नवंबर 1984 में एक परियोजना प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया। नवंबर 1994 में बोर्ड ने परियोजन लागत को संशोधित करके 544.06 करोड़ रूपये कर दिया जिसमें 114 करोड़ रूपये पूरी तरह 155 मि.मी. गोला बारूद की सुविधाएं सृजन करने के लिए थे । परियोजना प्रबंधन बोर्ड कार्य

29.36 करोड़ मूल्य के आयातित संयत्र के चालू न होने के कारण एम-107, 77-बी एवं हीर खोलों के उत्पादन में आयुध फैक्टरी बदमाल को विलम्ब हुआ

पूर्ण होने की नियोजित अवधि को निरंतर संशोधित करता रहा तथा जिसे संयंत्रों की अधिप्राप्ती एवं प्रचालन तथा सिविल कार्य पूर्ण होने में हुई देरी को देखते हुये अंतिम रूप से जुलाई 1998 निर्धारित किया। आयुध फैक्टरी बदमाल ने 1998-99 में आंशिक रूप में उत्पादन शुरू किया ।

परियोजना पूर्ण होने में देरी मुख्यतया एक अतिआवश्यक संयत्र की संस्थापना में हुई देरी के कारण थी जैसा नीचे बताया गया है:-

आयुध फैक्टरी बदमाल ने एकल पारी में 50,000 चक्र प्रतिवर्ष क्षमता वाले 155 मि.मी. भराई संयत्र की डिजाईन, आपूर्ति एवं प्रचालन हेतु 29.36 करोड़ रूपये मूल्य, जिसमें 6.88 मिलियन अमरीकी डालर विदेशी मुद्रा भी शामिल थी पर एक विदेशी फार्म के साथ मई 1994 में एक ठेका किया। उस समय परियोजना पूरा होने की अवधि जून 1996 थी परन्तु ठेके के अनुसार संयत्र दिसंबर 1996 तक चालू होना था। ठेके की अवधि मई 1996 के प्रति मशीनरी छह प्रेषणों में अक्तूबर 1995 से जून 1997 के बीच प्राप्त हुई । यह मई 1998 में चालू की गई प्रचालन में देरी मशीनरी प्राप्ति में देरी के अतिरिक्त इस तथ्य के कारण भी हुई कि जो भवन आपूर्तिकर्त्ता को फरवरी 1996 में सौंपने थे वास्तव में मई 1997 में सौपे गये तथा ठेके के अनुसार संस्थापना और प्रचालन की कार्यवाई इसके बाद ही होनी थी ।

सिविल कार्य के निष्पादन हेतु आयुध फैक्टरी बदमाल ने भवन निर्माण, वातानुकूलन तथा बाह्य विद्युतीकरण के लिए जून 1996 तक कार्य पूरा होने के लिये मार्च और मई 1995 के दौरान कुल 16.25 करोड़ रूपये के तीन प्रशासनिक अनुमोदन जारी किये । यद्यपि भवन सौंपने के लिए फरवरी 1996 में तैयार होने जाने चाहिए थे फिर भी सिविल कार्यो के समापन की अवधि जून 1996 निर्धारित की गई थी । सिविल कार्य जनवरी 1997 में पूर्ण हुए परंतु मशीन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बताये गये कुछ सुधार केवल मई 1997 में ही पूर्ण हुये । आपूर्तिकर्त्ता द्वारा विभिन्न फिटिगों की ड्राईंग सौंपने में देरी, आयुध फैक्टरी बदमाल द्वारा कार्य करने के घंटों पर प्रतिबंधन और सैन्य अभियंता सेवाएँ द्वारा ठेका करने तथा कार्य निष्पादन में देरी जैसे तथ्यों के कारण सिविल कार्य के संतोषजनक निष्पादन में ग्यारह महीनों की देरी हुई ।

इसके अतिरिक्त भराई संयत्र के प्रचालन में आयुध फैक्टरी बदमाल द्वारा आपूरित खोलों के साथ परीक्षण चालन भी सम्मिलित था। लेकिन आपूर्तिकर्त्ता ने खाली खोलों और बारूद की घटिया गुणवत्ता की शिकायत की जिसके कारण संयत्र के चालू होने में देरी हुई तथा तदनंतर एम-107, 77 बी तथा एच.ई.ई.आर. खोलों के उत्पादन की स्थापना में देरी हुई ।

45.4.2 आयुध फैक्टरी देहू रोड़

हाइड्रोलिक प्रैस को चालू न होने के कारण प्रकाशीय खोलों का विकास नहीं हुआ तथा 40.36 लाख रूपये मूल्य के सामान का उपयोग नहीं हुआ

आयुध फैक्टरी देहू रोड़ के लिए एक आयल हाइड्रोलिक प्रैस की अधिप्राप्ति के लिए आयुध फैक्टरी बोर्ड ने सितंबर 1993 में संस्वीकृति दी। प्रकाशीय खोलों को प्रैस करने के लिए यह प्रैस अपेक्षित थी । आयुध फैक्टरी देहु रोड़ ने मूल कीमत 38.70 लाख रूपये तथा अतिरिक्त कर एवं अन्य प्रभारों पर अगस्त 1995 तक आपूरित करने के लिये फर्म क को अगस्त 1994 में एक आदेश दिया। फैक्टरी ने मार्च 1997 में प्रैस प्राप्त की तथा देरी से आपूर्ति करने के लिए फर्म से 2.29 लाख रूपये क्षतिपूर्ती के रूप में वसूल किये । मार्च 1999 तक प्रैस चालू नहीं हुई थी ।

प्रैस की संस्थापन और प्रचालन में देरी निम्न तथ्यों के कारण हुईः

क) आयुध फैक्टरी देहु रोड़ ने प्रैस की संस्थापना हेतु 14.06 लाख रूपये लागत पर जून 1996 की निर्धारित कार्य समापन अवधि पर एक विद्यमान भवन में आवश्यक परिवर्तन के लिए अक्तूबर 1994 में संस्वीकृति दी। लेकिन फैक्टरी प्रबंधन ने निर्धारित कार्य समापन अवधि के बाद अर्थात् अगस्त 1996 में भवन सैन्य अभियंता सेवाएँ को सौंपा। देरी उस भवन में विद्यमान उत्पादन क्षमता को दूसरे भवन में स्थानांतरण के कारण हुई जिसका भी आवश्यक परिवर्तन किया जा रहा था। प्रैस के लिए नींव के गड्ढ़े, मुख्य स्विच, रोशनदान के सुराखों तथा पैनल बोर्ड के कुछ दोषों/कमियों को ठेकेदार द्वारा दूर करने के कारण भी सैन्य अभियंता सेवाएँ द्वारा कार्य निष्पादन में देरी हुई । कार्य फरवरी 1999 में पूर्ण हुआ ।

ख) प्रैस के प्रचालन में देरी परीक्षण चालन के दौरान वांछित विशेषताऐं प्राप्त करने में असफल होने के कारण भी हुई। महाप्रबंधक ने जनवरी 1999 में कहा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा उपयोगनीय उचित सांचें की आपूर्ति न करने के कारण वे प्रैस को उपयोग करने की स्थिति में नहीं थे। आपूर्तिकर्ता मार्च 1999 तक दोषों को दूर नहीं कर सका तथा मार्च 1999 तक उनकी आपूर्ति नहीं कर सका।

प्रैस के प्रचालन न होने के परिणामस्वरूप निम्न परिणाम निकलेः

- आयुध फैक्टरी कानपुर से 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्राप्त 13.40 लाख रूपये मूल्य के 193 प्रकाशीय खोल मार्च 1999 तक भराई के लिए पड़े थे।

- आयुध फैक्टरी कानपुर द्वारा खाली प्रकाशीय खोलों के निर्माण हेतु 1995-96 के दौरान अधिप्राप्त 40.36 लाख रूपये का सामान मार्च 1999 तक बिना उपयोग के रखा था क्योंकि आयुध फैक्टरी कानपुर में उत्पादन स्थगित कर दिया गया था।

45.5 खोलों के विकास एवं उत्पादन में देरी

सेना ने 1991-93 की निर्धारित आपूरित अवधि के साथ 155 मि0मी0 गोलाबारूद के एम 107, 77 बी एच0ई0ई0आर0, स्मोक 24 के एम, प्रकाशीय, कारगो तथा स्मोक इनफरेरड खोलों के निर्माण तथा आपूर्ति हेतु अगस्त 1990 में आयुध फैक्टरी बोर्ड को अपना पहला आदेश दिया।

चार तरह के खोलों का विकास देरी से किया गया तथा तीन तरह के खोलों का विकास नहीं किया गया

पांच तरह के खोलों के देशजीकरण के लिए बोफोर्स से तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध थे। बोफोर्स पर जनवरी 1990 में प्रतिबंध लगने के कारण कारगो तथा स्मोक इनफरेरड खोलों के तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। विभिन्न खोलों के निर्माण तथा संस्थापना में देरी को नीचे बताया गया है:

45.5.1 एम 107 और 77 बी खोल

आयुध फैक्टरियों ने एम 107 बी व 77 बी खोलों का विकास एवं आपूर्ति का प्रारम्भ क्रमशः 1992-93 और 1994-95 में किया। खाली खोलों का उत्पादन आयुध फैक्टरी अम्बाझरी में तथा भराई का कार्य आयुध फैक्टरी बदमाल और आयुध फैक्टरी चांदा में किया गया।

45.5.2 एच0ई0ई0आर0 खोल

आयुध फैक्टरी बोर्ड ने सितंबर 1992 में आयुध फैक्टरी चांदा को 1992-93 तक भरे हुये एच0ई0ई0आर0 खोलों के उत्पादन की स्थापना का आदेश दिया जबकि सेना ने आयुध फैक्टरी बोर्ड को 2268 खोलों के लिए पहला आदेश अगस्त 1990 में दिया था। आयुध फैक्टरी चांदा ने इसके बाद जनवरी 1993 में आयुध फैक्टरी अंबाझरी को खाली खोलों के निर्माण हेतु आदेश दिया। आयुध फैक्टरी अम्बाझरी ने दिसम्बर 1994 में 20 खाली खोलों को परीक्षण नमूने अन्तरिम भराई करने के लिए आयुध फैक्टरी चाँदा को भेजे। लेकिन आयुध फैक्टरी चाँदा ने खोलों की भराई की स्थापना 1996-97 में की तथा सेना को 975 खोल जारी किये। खाली खोलों के व भरे खोलों को परीक्षण में देरी भराई की स्थापना देरी से करने के कारण हुई। इसके अलावा सेना द्वारा उपभोक्ता परीक्षण रिर्पोट देरी से देने के कारण भी 1997-98 तक खोलों की भराई रूकी रही। सेना ने फरवरी और मार्च 1998 के बीच परीक्षण करने के बाद खोल के थोक उत्पादन की अनुमति जुलाई 1998 में दी। आयुध फैक्टरी बोर्ड ने भी खोल एच0ई0ई0आर0 की भराई के लिए नवम्बर 1998 में आयुध फैक्टरी बदमाल को आदेश दिया तथा फैक्टरी ने 1998-99 में उत्पादन शुरू किया। देरी फैक्टरी में सुविधाओं के सृजन में हुई देरी के कारण हुई जैसा कि पिछले उप-पैरा में बताया है। सेना की आवश्यकता, खोलों की मांग तथा उनका आयुध फैक्टरियों द्वारा जारी करने का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	सेना की आवश्यकता	सेना की मांग	सेना को जारी	टिप्पणी
1991-92	27194	1134	शून्य	(क) यह 187.7 खोलों का एक तिहाई है जिनकी सुपुर्दगी 1998-99 से 2000-2001 के दौरान करनी थी।
1992-93	27194	1134	शून्य	
1993-94	27194	शून्य	शून्य	
1994-95	27194	शून्य	शून्य	
1995-96	27194	शून्य	शून्य	
1996-97	27194	शून्य	975	
1997-98	27194	शून्य	10	
1998-99	27194	6235(क)	3154	
कुल	217552	8503	4139	

उपभोक्ता परीक्षण के लिए सेना को लक्षित अवधि 1992-93 के प्रति केवल 1996-97 में भरे खोलों को उपलब्ध कराया गया। यह देरी सेना द्वारा उपभोक्ता परीक्षण में एक वर्ष की देरी करने से और बढ़ गई।

45.5.3 स्मोक 24 के एम खोल

आयुध फैक्टरी बोर्ड ने दिसंबर 1990 में स्मोक 24 के एम खोलों की भराई और 1991-93 तक जारी करने का कार्य आयुध फैक्टरी देहु रोड़ को सौंपा। आयुध फैक्टरी देहु रोड ने खाली खोलों के निर्माण हेतु अप्रैल 1991 में आयुध फैक्टरी अंबाझरी को एक आदेश दिया। लेकिन खाली खोलों के निर्माण तथा खोलों की भराई का उत्तरदायित्व क्रमशः तोप व खोल फैक्टरी कोसीपुर को 1992 में तथा आयुध फैक्टरी चांदा को अक्तूबर 1993 में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि इन फैक्टरियों में इस कार्य के लिए नया निवेश करने की आवश्यकता नहीं थी।

तोप एवं खोल फैक्टरी कोसीपुर ने आयुध फैक्टरी अंबाझरी से प्राप्त गढ़तों का उपयोग करके खाली खोलों के निर्माण की प्रक्रिया 1995-96 के दौरान स्थापित कर दी थी।

आयुध फैक्टरी चांदा ने खोलों की भराई की प्रक्रिया 1997-98 के दौरान आरम्भ की तथा सेना को 40 खोल परीक्षण हेतु जारी किये। सेना ने सितंबर 1998 में थोक उत्पादन की अनुमति प्रदान की। आयुध फैक्टरी चांदा ने 1998-99 के दौरान 3000 भरे खोलों का उत्पादन किया लेकिन सेना को 1998-99 में 235 खोल जारी किये। शेष 2765 खोल तोप में कठिनाई और फ्यूज के असफल होने के कारण परीक्षण एवं प्रयोगात्मक स्थापना में मार्च 1999 तक परीक्षण के लिए प्रतीक्षारत थे। सेना की आवश्यकतायें, खोलों की मांग और इनका आयुध फैक्टरियों द्वारा जारी किये जाने का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	सेना की आवश्यकता	सेना की मांग	सेना को जारी
1991-92	4482	1814	शून्य
1992-93	4482	1814	शून्य
1993-94	4482	शून्य	शून्य
1994-95	4482	शून्य	शून्य
1995-96	4482	शून्य	शून्य
1996-97	4482	शून्य	शून्य
1997-98	4482	शून्य	40
1998-99	4482	शून्य	235
कुल	35856	3628	275

तोप एवं खोल फैक्टरी कोसीपुर में खाली खोलों के निर्माण की स्थापना में देरी आयुध फैक्टरी अम्बाझरी से प्राप्त दोषपूर्ण गढ़तों के कारण हुई। आयुध फैक्टरी चांदा द्वारा देरी उपभोक्ता परीक्षण की अनुमति मिलने तथा परीक्षण एवं प्रयोगात्मक स्थापना द्वारा भरे खोलों के परीक्षण करने में देरी के कारण हुई।

इस तरह सेना की अपेक्षित निर्धारित सुपुर्दगी के प्रति स्मोक 24 के एम खोल के उत्पादन की स्थापना में पांच वर्ष से अधिक की देरी हुई।

45.5.4 प्रकाशीय खोल

23.25 लाख रूपये मूल्य के भण्डार उत्पादन क्षमता के हटाने के कारण बेकार हो गए

सेना ने अपनी वार्षिक 2994 खोलों की आवश्कयता के प्रति अगस्त 1990 में आयुध फैक्टरी बोर्ड को 1512 प्रकाशीय खोलों के लिए आदेश दिया। आयुध फैक्टरी बोर्ड ने 1512 खोलों की भराई एवं उनको 1991-93 तक सेना को जारी करने के लिए आयुध फैक्टरी देहु रोड़ को आदेश दिया। आयुध फैक्टरी देहु रोड़ ने अप्रैल 1991 में आयुध फैक्टरी अम्बाझरी तथा आयुध फैक्टरी कानपुर को क्रमशः 500 और 200 खाली खोलों के निर्माण हेतु आदेश दिया।

आयुध फैक्टरी अंबाझरी ने मार्च 1992 से फरवरी 1993 के दौरान खाली खोलों के निर्माण हेतु 78.47 लाख रूपये मूल्य की 337.50 टन इस्पात छड़ों की अधिप्राप्ति की। लेकिन खोलों की मशीनिंग जटिल होने के कारण फैक्टरी तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी खाली खोलों के निर्माण की प्रक्रिया स्थापित करने में असफल रही। इस कारण से आयुध फैक्टरी देहु रोड़ ने मई 1994 में आयुध फैक्टरी अंबाझरी पर खाली खोलों के आदेश को निरस्त करके आयुध फैक्टरी कानुपर पर खाली खोलों के निर्माण हेतु आदेश को 1512 खाली खोलों तक बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप आयुध फैक्टरी अम्बाझरी में अप्रैल 1993 से 23.25 लाख रूपये मूल्य की 100 टन इस्पात की छड़ें आधिक्य हो गईं। आयुध फैक्टरी कानपुर ने इस आधिक्य सामान को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी आवश्यकता

भिन्न प्रकार की थी तथा उन्होंने अपनी पूरी आवश्यकता पूर्ति हेतु 49 लाख रूपये मूल्य की 162 टन इस्पात छड़ें नवम्बर 1993 से अक्तूबर 1995 के दौरान बाजार से अधिप्राप्त की। आयुध फैक्टरी कानपुर ने 1993-94 और 1994-95 के दौरान 193 खाली खोलों का निर्माण किया तथा उन्हें भराई व परीक्षण हेतु आयुध फैक्टरी देहु रोड़ को जारी किया। लेकिन मार्च 1999 तक हाईड्रोलिक प्रैस के चालू न होने के कारण आयुध फैक्टरी देहु रोड में खोलों की भराई करने का कार्य रूका रहा।

इस तरह आयुध फैक्टरी देहु रोड़ सात वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्रकाशीय खोलों का उत्पादन करने में असफल रही।

45.5.5 कारगो खोल

सेना ने अपनी 3873 खोल कारगो की वार्षिक आवश्यकता के प्रति आयुध फैक्टरी बोर्ड को 1991-92 के दौरान 756 खोलों की 1991-93 के दौरान आपूर्ति हेतु अगस्त 1990 में एक आदेश दिया। आयुध फैक्टरी बोर्ड ने दिसंबर 1993 में कारगो खोलों के देशज निर्माण का निर्णय लिया तथा मार्च 1994 में 756 कारगो खोलों की भराई करके उन्हें 1994-95 तक सेना को जारी करने के लिए आयुध फैक्टरी खमरिया को एक आदेश दिया। इसके फलस्वरूप आयुध फैक्टरी खमरिया ने 850 खाली खोलों के निर्माण हेतु अप्रैल 1994 में आयुध फैक्टरी कानपुर को एक आदेश दिया। आयुध फैक्टरी कानपुर ने खाली खोलों की स्थापना एवं थोक उत्पादन की अनुमति से पूर्व ही मार्च 1995 से जनवरी 1997 के दौरान 30.02 लाख रूपये मूल्य के वांछित सामान की अधिप्राप्ति की। लेकिन फैक्टरी ने 4.93 लाख रूपये मूल्य के सामान का उपयोग करके 20 खाली खोलों का उत्पादन किया और उन्हें फरवरी 1998 में परीक्षण हेतु परीक्षण एवं प्रयोगात्मक स्थापन को भेजा। तोप में दोष होने के कारण मई 1999 तक परीक्षण नहीं हो पाया। यद्यपि जून 1999 में परीक्षण हो गया था लेकिन फ्यूज के ठीक से कार्य न करने के कारण परिणाम असंतोषजनक रहा। इस तरह सात वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी कारगो खोलों का उत्पादन स्थापित नहीं हो सका।

45.5.6 स्मोक इनफरारेड खोल

सेना ने 1991-93 के दौरान आपूरित 908 स्मोक इन्फरारेड खोलों की आपूर्ति हेतु अगस्त 1990 में आयुध फैक्टरी बोर्ड को एक आदेश दिया। क्योंकि लाईसेंस समझौते पर प्रतिबंध के कारण बोफोर्स ने तकनीकी दस्तावेज प्रदान नहीं किये जिससे आयुध फैक्टरियां खोलों के देशज विकास का कार्य अभी तक शुरू नहीं कर पाई थीं।

45.6 फ्यूज, प्राईमर और प्रोपेलैण्ट का विकास तथा उत्पादन

45.6.1 फ्यूज

आयातित घटकों की सहायता से चार में से केवल एक तरह के फ्यूज का विकास किया गया

भिन्न भिन्न तरह के 155 मि0मी0 बोला बारूद के लिए चार तरह के फ्यूजों (पी0डी0एम0 572, जीलर, डी0एम0 153 और डी0एम0163) के विकास की आवश्यकता थी। सेना के अगस्त 1990 के 40,000 पी0डी0एम0 572 फ्यूजों के प्रथम आदेश के प्रति आयुध फैक्टरी बोर्ड ने दिसम्बर 1990 में आयुध फैक्टरी खमरिया को फ्यूजों के उत्पादन और उनको 1991-93 के दौरान सेना को जारी करने का कार्य सौंपा। फ्यूज के लिए वांछित एम 24 डेटोनेटर की स्थापना न होने के कारण फैक्टरी फ्यूजों का देशज विकास नहीं कर सकी। फिर भी आयातित डेटोनेटरों की सहायता से फैक्टरी ने 1995-96 से फ्यूजों का उत्पादन शुरू कर दिया।

इस तरह आयुध फैक्टरी खमरिया में फ्यूज पी0डी0एम0 572 के विकास में दो वर्षों की देरी हुई जिसके कारण नीचे दर्शायी गई विवरणी के अनुसार उत्पादन में कमी रहीः

वर्ष	सेना की आवश्यकता	सेना की मांग	सेना को जारी
1991-92	37034	20,000	शून्य
1992-93	37034	20,000	शून्य
1993-94	37034	60,268	शून्य
1994-95	37034	शून्य	शून्य
1995-96	37034	शून्य	2000
1996-97	37034	शून्य	20,000
1997-98	37034	शून्य	15,990
1998-99	37034	1,366	289
कुल	2,96,272	1,01,634	38,239

फ्यूज पी0डी0एम0 572 की भराई की स्थापना का कार्य आयुध फैक्टरी बदमाल को सौंपा गया था। परन्तु आयुध फैक्टरी खमरिया से खाली डैटोनेटर घटकों की उपलब्धता न हो के कारण फैक्टरी अक्तूबर 1990 तक भी उत्पादन शुरू नहीं कर सकी क्योंकि आयुध फैक्टरी खमरिया ने उनके पास फ्यूज के उत्पादन का भारी लक्ष्य होने के कारण जून 1999 में डेटोनेटरों की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

सेना ने अपनी 24686 फ्यूज जीलर तथा 11059 डी0एम0153 व डी0एम0163 फ्यूजों की वार्षिक आवश्कयता के प्रति अगस्त 1990 में आयुध फैक्टरी बोर्ड को 1991-93 के दौरान आपूरित करने के लिए 10130 फ्यूज जीलर तथा 6804 फ्यूज डी0एम0 153 व डी0एम0 163 का आदेश दिया। फ्यूज के इलैक्ट्रोनिक हिस्से का बाजार में उपलब्ध नहीं होने के

कारण फ्यूज जीलर का विकास नहीं हो पाया परन्तु सेना ने दिसम्बर 1996 में फ्यूज यूनीवर्सल वी टी को फ्यूज जीलर के स्थान पर स्वीकार किया क्योंकि फ्यूज जीलर की तकनीक अप्रचलित हो गई थी। बोफोर्स से तकनीकी स्थानान्तरण उपलब्ध न होने के कारण फ्यूज डी0एम0 153 व डी0एम0163 का देशजीकरण शुरू नहीं हो सका। सेना ने दिसम्बर 1996 में फ्यूज डी0एम0153 व डी0एम0 163 के स्थान पर एम672 फ्यूज का चयन किया।

सेना की सहायता से विदेशी सहयोगी से तकनीक प्राप्त करके यूनीवर्सल वी0टी0 और एम 672 के खाली फ्यूजों के निर्माण का उत्तरदायित्व एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम को सौंपा गया। फ्यूजों की भराई व उनको जारी करने की जिम्मेवारी आयुध फैक्टरी बदमाल की थी। फ्यूजों के उत्पादन की स्थापना अक्तूबर 1999 तक होनी थी।

45.6.2 प्राईमर

प्राईमर के उत्पादन में भारी कमी थी

सेना के अगस्त 1990 के प्रथम आदेश के प्रति आयुध फैक्टरी बोर्ड ने गोलाबारूद फैक्टरी खड़की को प्राईमर के निर्माण व उनको 1991-93 के दौरान सेना को जारी करने के लिए दिसम्बर 1990 में आदेश दिया। फैक्टरी ने एक वर्ष की देरी के बाद 1993-94 में प्राईमर के उत्पादन क्षमता की स्थापना की। सेना की प्राईमर की आवश्यकता, मांग तथा गालोबारूद फैक्टरी खड़की द्वारा उनके जारी किये जाने का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	सेना की आवश्यकता	सेना की मांग	सेना को जारी
1991-92	80,277	31,601	शून्य
1992-93	80,277	31,601	शून्य
1993-94	80,277	66,295	15,000
1994-95	80,277	शून्य	29,000
1995-96	80,277	शून्य	5,000
1996-97	80,277	शून्य	5,000
1997-98	80,277	शून्य	5,000
1998-99	80,277	शून्य	शून्य
कुल	6,42,216	1,29,497	59,000

प्राईमर के उत्पादन में कमी के कारण इस प्रकार है:

(i) निर्माण प्रक्रिया के एक आप्रेशन में तकनीकी समस्याओं का सामने आना;

(ii) प्राईमर की पैकिंग के लिए एल्यूमिनियम वर्क के थैले के लिए स्रोत स्थापित करने में फैक्टरी का कठिनाइयों का सामना करना।

45.6.3 प्रोपेलैण्ट

प्रोपेलैण्ट के उत्पादन में भारी कमी थी

आयुध फैक्टरी बोर्ड ने नवंबर/दिसंबर 1990 में कोरडाईट फैक्टरी अरूवानकडु को चार्ज एम3, एम4, 8 और 9 के लिए प्रोपेलैण्ट के विकास तथा निर्माण के लिए आदेश दिया। सेना द्वारा एम3 चार्ज के उपयोग की नीति में परिवर्तन के कारण इसके प्रापेलैण्ट का उत्पादन 1993-94 से निलंबित था। सेना की 19157 चार्ज एम4, 38314 चार्ज 8 व 19157 चार्ज 9 की आवश्यकता के प्रति उनके प्रोपेलेण्ट की सेना की मांग तथा उनका कोरडाईट फैक्टरी अरूवानकडु द्वारा जारी किये जाने का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	चार्ज एम3		चार्ज एम 4		चार्ज 8		चार्ज 9		टिप्पणी
	मांग	जारी	मांग	जारी	मांग	जारी	मांग	जारी	
1991-92	11113	शून्य	11947	शून्य	6589	5612	516	शून्य	(क)34547 का 50 प्रतिशत 1998-99 के दौरान सुपुर्द करना था। (ख)85,000 का 50 प्रतिशत 1998-99 के दौरान सुपुर्द करना था।
1992-93	11113	5000	11947	10000	6589	7566	516	1600	
1993-94	शून्य	शून्य	शून्य	15000	6822	6822	शून्य	शून्य	
1994-95	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
1995-96	शून्य	शून्य	8000	शून्य	2000	2000	शून्य	शून्य	
1996-97	शून्य	शून्य	54309	2000	60,000	शून्य	शून्य	शून्य	
1997-98	शून्य	शून्य	शून्य	7966	शून्य	20000	शून्य	शून्य	
1998-99	शून्य	शून्य	17274 (क)	10000	शून्य	9010	42500 (ख)	15000	
कुल	22226	5000	103477	44966	82000	51010	43532	16600	

45.7 सेना को गोला बारूद जारी करने में कमी

सेना की आवश्यकता के प्रति खोलों के जारी करने में कमी थी

अगस्त 1990 और अगस्त 1998 के बीच सेना के आठ आदेशों के प्रति आयुध फैक्टरी चांदा और आयुध फैक्टरी बदमाल ने सम्मिलित रूप से मार्च 1999 तक 155 मि0मी0 के निम्न खोलों को जारी किया:

155 मि0मी0 खोलों का प्रकार	सेना की		सेना को	सेना की आवश्यकता के प्रति जारी किये जाने में कमी	कमी का प्रतिशत
	आवश्यकता	मांग	जारी		
खोल पी	1,11,880	1,22,932	1,18,560	शून्य	शून्य
खोल 77बी	1,64,336	98,952	99,991	64,345	39
खोल एच ई0ई0आर0	2,17,552	8503	4139	2,13,413	98
खोल स्मोक 24 के0एम0	35,856	3628	275	35,581	99
खोल प्रकाशीय	23,952	1512	शून्य	23,952	100
खोल कारगो	30,984	756	शून्य	30,984	100
खोल स्मोक इनफ्रारेड	-	908	शून्य	908	100
कुल	5,84,560	2,37,191	2,22,965		

आयुध फैक्टरियों द्वारा एच0ई0ई0आर0 व स्मोक 24 के0एम0 खोल के विकास और उत्पादन में देरी तथा प्रकाशीय, कारगो व स्मोक इनफरारेड खोलों का विकास न होने तथा आयुध फैक्टरी बदमाल में भराई सुविधाओं की स्थापना करने में देरी के कारण सेना की आयुध फैक्टरी बोर्ड पर खोलों की मांग उनकी आवश्यकता से 59 प्रतिशत कम थी। खोलों को कम जारी करने के कारण् सेना ने इनका आयात किया जिसे पैराग्राफ 9 में बताया गया है।

सेना की फ्यूज, प्राईमर तथा प्रोपेलैण्ट की आवश्यकता, मांग तथा उनका आयुध फैक्टरियों द्वार मार्च 1999 तक जारी किये जाने को नीचे दी गई विवरणी में दर्शाया गया है:

सेना की मांग के प्रति फ्यूज, प्राईमर तथा प्रापेलैण्ट के जारी करने में 53 से 68 प्रतिशत सीमा तक कमी आई

मद	सेना की आवश्यकता	सेना की मांग	सेना को जारी	मांग के संदर्भ में कमी	कमी का प्रतिशत
फ्यूज					
i)पी.डी.एम.572	2,96,272	1,01,634	38,239	63,395	
ii)जीलर	1,97,488	10,130	शून्य	10,130	
iii)डी.एम.153	59,088	6048	शून्य	6048	
iv)डी.एम.163	29,384	756	शून्य	756	
कुल	5,82,232	1,18,568	28,239	80,329	68
प्राईमर	6,42,216	1,29,497	59,000	70,497	54
प्रोपेलैण्ट	6,13,024	2,51,235	1,17,576	1,33,659	53

फ्यूज जीलर, डीएम 153 और डी एम163 का विकास न होना तथा चार्जों के लिए फ्यूज पी0डी0एम 572, प्राईमर और प्रोपेलैण्ट के विकास में देरी इस कमी के कारण रहे। इस कारण सम्पूर्ण गोला बारूद के घटकों में असमानता रही एवं सेना को फ्यूजों का आयत करना पड़ा जैसा कि बाद के पैरों में बताया गया है।

45.8 एक पूर्ण गोलाबारूद के लिए घटकों में असमानता

सेना को जारी किये गये खोल,फ्यूज, प्राईमर व प्रोपेलैण्ट की बेमेल मात्रा के कारण सेना को जारी किये गये 2.23 लाख खोलों में से केवल 38239 खोलों को उपयोग में लाया जा सका

सेना ने अक्तूबर 1990 में एक मीटिंग में जोर देकर कहा कि वे गोलाबारूद को उसके घटकों के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और पूर्ण सैट को ही स्वीकार करेंगे। गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (शस्त्रास्त्र), नई दिल्ली ने भी नवंबर 1990 में आयुध फैक्टरी बोर्ड को सूचित किया कि गोला बारूद की आपूर्ति खोलों, चार्जों, प्राइमरों तथा फ्यूजों की मेल खाती मात्रा में होनी चाहिए ताकि पूर्ण गोला बारूद बन सके और सेना के उपयोग योग्य हो। लेकिन सेना को मार्च 1999 तक गोला बारूद के विभिन्न घटकों की जारी मेल खाती मात्रा में नहीं थी जैसा पिछले पैराग्राफों में बताया गया है।

इस तरह आयुध फैक्टरियों द्वारा जारी किये गये 2.23 लाख खोलों में से केवल 38,239 खोल ही पूर्ण गोला बारूद के रूप में उपयोग किये जा सके क्योंकि जारी किये गये फ्यूज, प्राईमर व प्रोपेलैण्ट की संख्या खोलों से मेल नहीं खाती थी।

45.9 आयात

सेना ने आयुध फैक्टरियों द्वारा खोलों के उत्पादीकरण में हुई देरी के कारण 188.10 करोड़ रूपये मूल्य के खोल व फ्यूजों का आयात किया

मंत्रालय ने अप्रैल 1995 में 155 मि0मी0 गोलाबारूद के आयात का निर्णय लिया क्योंकि मार्च 1995 तक आयुध फैक्टरियों ने सेना की 1.36 लाख खोलों की मांग के प्रति केवल 49,257 खोलों की आपूर्ति की थी। तद्नुसार मंत्रालय ने मार्च 1997 में आयुध फैक्टरियों द्वारा गोलाबारूद के उत्पादीकरण में हुये अत्यंत विलम्ब के कारण 86,955 खोलों की विद्यमान कमी को दूर करने के लिए एक दूसरी विदेशी फर्म से 188.10 करोड़ रूपये मूल्य के 80,000 चक्र गोलाबारूद (खोल 77 बी, एच0ई0ई0आर0 और प्रकाशीय) तथा 20000 फ्यूजों के आयात हेतु एक करार किया। मंत्रालय ने आप्रेशन विजय के लिए 107.67 करोड़ रूपये मूल्य के 9000 चक्र स्मोक व 7300 चक्र प्रकाशीय गोलाबारूद के आयात के लिए क्रमशः अगस्त 1999 व जनवरी 2000 में करार किये।

45.10 77 बी खोल के उत्पादन के लिए समयपूर्व अनुमति

सेना के अगस्त 1990 के प्रथम आदेश के प्रति आयुध फैक्टरी बोर्ड ने 2268 77बी के खाली खोलों के निर्माण हेतु आयुध फैक्टरी अंबाझरी को जनवरी 1991 में आदेश दिया। फैक्टरी ने अक्तूबर 1991 में खाली खोलों का परीक्षण लॉट, खाली परीक्षण के लिए आपूरित किया। नियंत्रक गुणवत्ता आश्वासन (गोलाबारूद) खड़की ने मई 1992 में खाली खोलों के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर लेकिन भरे खोलों के परीक्षण से पूर्व थोक उत्पादन की अनुमति प्रदान की। आयुध फैक्टरी अंबाझरी ने 1243 खाली खोलों का निर्माण किया और भरे खोलों के परीक्षण हेतु इन्हें आयुध फैक्टरी चांदा को आपूरित किया। नवंबर 1992 से सितम्बर 1993 के बीच किये गये विभिन्न् परीक्षणों के दौरान 1243 भरे खोलों में से 1003 खोलों को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त खोलों ने तोप के मज्जल ब्रेक को भी नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही 170 भरे हुये खोल जून 1994 के बाद की गई खोजपूर्ण फायरिंग के दौरान अल्ट्रासोनिक व हाईड्रोलिक दबाव परीक्षण में अस्वीकृत हुये।

समयपूर्व थोक उत्पादन की अनुमति के कारण 79.50 लाख रूपये मूल्य के 77 बी के भरे खोलों को अस्वीकृत कर दिया गया

इस तरह नियंत्रक गुणवत्ता आश्वासन (गोलाबारूद) खड़की द्वारा भरे खोलों का परीक्षण करने से पूर्व थोक उत्पादन की अनुमति देने के कारण 79.50 लाख रूपये मूल्य के 1173 77बी के भरे खोल अस्वीकृत हुये।

45.11 मामला मंत्रालय को सितंबर 1999 में भेजा गया, उनका उत्तर दिसंबर 1999 तक प्रतीक्षित था।

46. उच्च अस्वीकरण के बावजूद गोला बारूद का उत्पादन जारी रखना

महाप्रबंधक हैवी अलाएँ पैनीट्रेटर फैक्टरी ट्रिची द्वारा बढ़ते अस्वीकरण पर नियंत्रण करने के लिए उपचारात्मक कार्यवाई करने में असफल होने तथा उत्पादन जारी रखने के कारण 19.77 करोड़ रूपए लागत का इकट्ठा हो जाने के अतिरिक्त शॉटों के अस्वीकरण के साथ-साथ उनकी मरम्मत पर 12.19 करोड़ रूपए का अपव्यय हुआ।

जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है हैवी अलाएँ पैनीट्रेटर फैक्टरी ट्रिची में उत्पादित 105 मि0मी0 टैंक रोधी गोला बारूद के अस्वीकरण में 1994-95 से तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी। इसके बावजूद फैक्टरी के महाप्रबंधक ने इसका उत्पादन आयुध फैक्टरी बोर्ड द्वारा 1997-98 के दौरान इसके निलम्बन तक जारी रखा और उस समय तक अस्वीकरण का स्तर उत्पादित मात्रा के 68 प्रतिशत तक पहुँच गया था। इससे फैक्टरी की टैंक रोधी गोलाबारूद के उत्पादन/ आपूर्ति की योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लग गया और इसके कारण अस्वीकृत शॉट और गोलाबारूद भी व्यर्थ गए। हैवी अलाएँ पैनीट्रेटर फैक्टरी के पास अब 19.77 करोड़ रूपए मूल्य की भण्डार सूची है जो बेकार है।

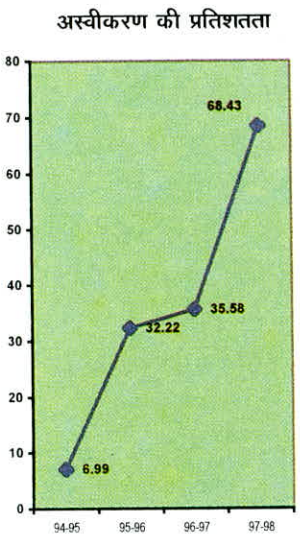

1997-98 के दौरान उत्पादित शॉटों का निरीक्षण में असामान्य अस्वीकरण

हैवी अलाए पैनीट्रेटर फैक्टरी की मार्च 1990 में स्थापना हुई तथा इसने 1990-91 में 105 मि0मी0 गोलाबारूद के खाली शॉटों का उत्पादन शुरू किया। यद्यपि 1993-94 तक फैक्टरी द्वारा उत्पादित खाली शॉटों का अस्वीकरण नगण्य था, गुणवत्ता निरीक्षण में 1994-95 के दौरान अस्वीकरण तेजी से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गया और निरंतर तेजी से बढ़कर 1995-96 और 1996-97 के दौरान क्रमशः 32.22 प्रतिशत व 35.59 प्रतिशत हो गया। अंततः 1997-98 के दौरान उत्पादित 68.43 प्रतिशत खाली शॉट अस्वीकृत हो गए। फैक्टरी ने 1994-98 के दौरान कुल 24548 खाली शॉटों का उत्पादन किया जिनमें से 12.19 करोड़ रूपये लागत के 6594 शॉट जो कुल उत्पादित शॉटों के 26.86 प्रतिशत थे अस्वीकृत हो गए। इनमें से 3381 शॉटों पर 1.17 करोड़ रूपये की लागत पर पुनर्कार्य किया गया। पुनर्कार्य किए गए ये शॉट दिसम्बर 1999 तक निर्गमित नहीं किए गए थे।

स्वीकृत खाली शॉटों में से भी अनेक भरण करने वाली फैक्टरी में असफल हो गए

1992-93 के दौरान आयुध फैक्टरी खमरिया को भरण के लिए निर्गमित 15308 शॉटों में से 3.07 करोड़ रूपए मूल्य के 2368 शॉट परीक्षण में अस्वीकृत हो गए और उन्हें परिशोधन/ पुनर्कार्य के लिए वापिस हैवी अलाएँ पैनीट्रेटर फैक्टरी ट्रिची को भेजा गया। हैवी अलाएँ पैनीट्रेटर फैक्टरी ट्रिची ने 1994-95 से 1997-98 के दौरान 51.10 लाख रूपए की

अतिरिक्त लागत पर 2368 शॉटों पर पुनर्कार्य किया जिनमें से 720 शॉट परीक्षण में अस्वीकृत हुए जिससे उत्पादन और तदुपरान्त पुनर्कार्य पर हुआ 1.21 करोड़ रूपए का समस्त व्यय निष्फल हो गया।

आयुध फैक्टरी बोर्ड ने मई 1996 में एक असफलता का विश्लेषण करने वाली समिति का गठन किया परन्तु अस्वीकरण 1994-95 के 7 प्रतिशत से बढ़कर 1995-96 में 32.22 प्रतिशत तक होने पर भी उत्पादन जारी रखने का निर्णय लिया। यह समिति अस्वीकरण में अत्यधिक वृद्धि के कारणों को बताने में असफल रही। आयुध फैक्टरी बोर्ड ने सितंबर 1997 में खाली शॉटों के और उत्पादन को निलम्बित कर दिया।

अप्रैल 1998 तक हैवी अलाएँ पैनीट्रेटर फैक्टरी के पास 22615 खाली शॉटों की मांग बकाया थी तथा 19.77 करोड़ रूपए मूल्य के घटक, अस्वीकृत शॉट एवं कच्चा माल रखा था। अस्वीकृत शॉटों, गोलाबारूद, मरम्मत लागत और संचित भंडार सूची का कुल मूल्य 28.13 करोड़ रूपए था।

आयुध फैक्टरी बोर्ड ने अगस्त 1999 में बताया कि चूँकि सेना ने 1998-99 के लिए अपनी आवश्यकता को शून्य बताया अतः अस्वीकृत खेपों पर पुनर्कार्य और रद्द करने का प्रयास रोक दिया गया। उत्तर में 22615 खाली शॉटों की बकाया मांग की पूर्ति न करने के कारणों को नहीं दर्शाया गया।

जून 1999 में मामला रक्षा मंत्रालय को भेजा गया उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

47. बक्सों का अविवेकपूर्ण उत्पादन

आयुध फैक्टरी बोर्ड का गोला बारूद के दो प्रकार के बक्सों के उत्पादन का निर्णय बिना तकनीकी आशय की उचित जाँच किए था।

आयुध फैक्टरी खमरिया ने दो प्रकार के गोलाबारूद के पैकिंग बक्सों के लिए गन कैरिज फैक्टरी पर मांग रखी

आयुध फैक्टरी खमरिया 23 मि0मी0 घाशा और 30 मि0मी0 सारथ गोला बारूद की पैकिंग के लिए आवश्यक पैकिंग बक्सों की बाजार से अधिप्राप्ति कर रही थी। लेकिन महाप्रबंधक आयुध फैक्टरी खमरिया ने गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर को फालतू क्षमता के उपयोग और फैक्टरी के स्रोत के विकास के लिए नवंबर 1992 में ऐसे 3000 बक्सों जिसे जून 1994 में 5000 कर दिया को दिसम्बर 1994 तक आपूरित करने का आदेश दिया। चूंकि गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर ऐसे बक्सों का पहली बार उत्पादन कर रही थी अतः इन बक्सों के

उत्पादीकरण में घटकों, सामान व श्रम के अलावा पुनः टूलिंग के लिए विकासीय मूल्य और परीक्षण सम्मिलित थे।

गन कैरिज फैक्टरी सफलतापूर्वक बक्सों का उत्पादन स्थापित नहीं कर सकी

इस आदेश की पूर्ति हेतु गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर ने कच्चे माल, घटकों और निर्माण प्रक्रिया पर 36.12 लाख रूपए खर्च किए लेकिन 1412 रूपए प्रति बक्से के मूल्य पर नवंबर 1996 में केवल 14 बक्से आयुध फैक्टरी खमरिया को आपूरित किए। आयुध फैक्ट्री खमरिया ने उत्पादन लक्ष्य की पूर्ती हेतु 1996-97 में 900 रूपए प्रति बक्से के मूल्य पर बाजार से यह बक्सें अधिप्राप्त किए। चूँकि गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर में बक्सों का उत्पादन अभी स्थापित होना था इसलिए फैक्टरी को 35.93 लाख रूपए मूल्य के अधबने सामान का वहन करना पड़ा।

गन कैरिज फैक्टरी ढ़क्कन के लिए टूल को तैयार नहीं कर सकी

आयुध फैक्टरी बोर्ड ने सितम्बर 1999 में कहा कि ढ़क्कन के लिए कुछ टूलों का अभी तक संशोधनीकरण होना था तथा उचित आयाम प्राप्त करने के लिए बार बार परीक्षण होने के कारण बक्सों की आपूर्ति में देरी हुई।

आयुध फैक्टरी बोर्ड की विधि पुस्तिका में दो प्रकार के अधिपत्र 'विकासीय' और 'नियमित' की व्यवस्था है। जहां एक पूरी तरह नई मद का उत्पादन करना होता है वहां संतोषजनक उत्पादन शुरू होने तक सीमित संख्या में विकासीय अधिपत्र के तहत कार्य करना एक उचित विधि है। जबकि तथ्य यह है कि 3000 बक्सों का उत्पादन नियमित अधिपत्र के अंतर्गत किया गया और एक भी बक्से का उत्पादन करने से पूर्व ही मांग को बढ़ाकर 5000 बक्से कर दिया जो मामले पर निर्णय लेने से पूर्व तकनीकी प्रक्रिया की उचित जाँच करने में असफलता को दर्शाता है।

मामला रक्षा मंत्रालय को जुलाई 1999 में भेजा गया; उनका उत्तर दिसंबर 1999 तक प्रतीक्षित था।

48. मांग पत्रों के अल्पसमापन के परिणामस्वरूप भण्डारों का अवरूद्ध होना

महानिदेशक आयुध सेवाएं द्वारा जवानों द्वारा उठाए जाने वाले गोलाबारूद के थैलों का अवास्तविक मापदंड अपनाने के परिणामस्वरूप आयुध उपस्कर फैक्टरी कानपुर और आयुध वस्त्र फैक्टरी आवडि में 6.29 करोड़ रूपए मूल्य का सामान परिहार्य संचित हो गया।

सेना ने गोलाबारूद के दो थैले प्रति जवान के आधार पर 5.62 लाख थैलों के लिए मांग पत्र रखे

महानिदेशक आयुध सेवाएं द्वारा जवानों द्वारा उठाए जाने वाले गोलाबारूद के थैलों के अवास्तविक मापदण्ड के आधार पर मांग पत्र रखने के कारण मांग पत्रों को समयपूर्व बंद

करना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप आयुध उपस्कर फैक्टरी कानपुर एवं आयुध वस्त्र फैक्टरी आवडि में 6.29 करोड़ मूल्य रूपये के भंडार संचित हो गए।

आयुध उपस्कर फैक्टरी ने 2.90 लाख गोलाबारूद के थैले आपूरित किए

पैदल सेना योद्धी किट के सुधरे रूप के लागू होने पर जिसमें गोलाबारूद के दो थैले सम्मिलित थे महानिदेशक आयुध सेवाएं ने सितंबर 1994 और दिसंबर 1994 में अतिरिक्त महानिदेशक आयुध उपस्कर फैक्टरी, कानपुर पर दो मांग पत्र रखे जिन्होंने 5.62 लाख थैलों के उत्पादन का कार्य आयुध उपस्कर फैक्टरी, कानपुर को सौंपा। इनमें से एक लाख थैलों के उत्पादन का कार्य अप्रैल 1996 में आयुध वस्त्र फैक्टरी आवडि को सौंपा। आयुध उपस्कर फैक्टरी कानपुर ने 1995-96 से 1997-98 के दौरान 2.90 लाख थैले केन्द्रीय आयुध डिपो कानपुर को आपूरित किए। आयुध वस्त्र फैक्टरी आवडि ने गोलाबारूद के थैलों के उत्पादन का कार्य नहीं किया।

गोलाबारूद थैलों के मापदंड में परिवर्तन होने के कारण मांग पत्रों का अल्पसमापन

उपभोक्ता परीक्षण के दौरान सेना ने महसूस किया कि जवानों द्वारा गोला बारूद के दो थैले नहीं उठाए जा सकते। तद्नुसार गोला बारूद के थैलों का मापदण्ड दो थैलों से घटाकर एक थैला कर दिया तथा सेना ने अगस्त 1996 में अपना मांग पत्र समयपूर्व बंद कर दिया। मापदण्ड में परिवर्तन और 2.72 लाख थैलों की बकाया मात्रा पर मांग पत्र को समयपूर्व बन्द करने से आयुध उपस्कर फैक्टरी कानपुर पर 3.06 करोड़ रूपए का आर्थिक प्रभाव पड़ा और आयुध वस्त्र फैक्टरी आवडि में 3.23 करोड़ रूपए के भंडार अवरूद्ध हो गए।

आयुध फैक्टरी बोर्ड ने सितम्बर 1999 में बताया कि बकाया सामान को संशोधित उपस्कर के लिए भविष्य के दिए जाने वाले मांग पत्रों के लिए उपयोग में लाया जाएगा जैसा कि सेना मुख्यालय ने जनवरी 1999 में सूचित किया था।

उत्तर यह नहीं दर्शाता कि वास्तव में कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ तथा भविष्य में ऐसे मामलों को टालने के लिए कार्यवाई की गई।

इस तरह उपभोक्ता परीक्षण में यह सुनिश्चित किए बिना कि एक जवान गोलाबारूद के दो थैले उठा सकता है या नहीं 5.62 लाख गोलाबारूद थैलों के थोक उत्पादन का आदेश देने के कारण आदेश का अल्पसमापन किया गया जिसके परिणामस्वरूप 6.29 करोड़ रूपए के भंडार अवरूद्ध हो गए।

मामला जुलाई 1999 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

49. एक रसायन का अमितव्ययी उत्पादन

हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी खड़की में स्ट्रोनशियम नाईट्रेट का उत्पादन बहुत अमितव्ययी था क्योंकि यही उत्पाद बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध था।

हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी खड़की ने 620 रूपए प्रति कि0ग्रा0 के औसत मूल्य पर स्ट्रोनशियम नाईट्रेट का उत्पादन किया जबकि उसी समय उन्हीं विशेषताओं का स्ट्रोनशियम नाईट्रेट 52 रूपए से 69 रूपए प्रति कि0ग्रा0 की दर पर बाजार में उपलब्ध था। इसके कारण 77.72 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि नीचे बताया गया है।

एच0ई0एफ0 ने स्ट्रोनशियम परआक्साईड का उपयोग करके स्ट्रोनशियम नाईट्रेट का उत्पादन किया

स्ट्रोनशियम नाईट्रेट बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध था

हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी खड़की स्ट्रोनशियम नाईट्रेट का उत्पादन करती है जिसे दूसरी फैक्टरियों को पायरोटैक्निक कम्पोजीशन के उत्पादन के लिए आपूरित किया जाता है। यह देखा गया कि हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी खड़की ने 1993-94 से 1997-98 के दौरान 613 रूपए प्रति कि0ग्रा0 की औसत लागत पर 9867 कि0ग्रा0 स्ट्रोनशियम नाईट्रेट का उत्पादन किया तथा इसे आयुध फैक्टरी खमरिया, आयुध फैक्टरी चान्दा और आयुध फैक्टरी वारानगांव को निर्गमित किया जबकि आयुध फैक्टरी देहु रोड़ ने इसी अवधि के दौरान 52 रूपये से 69 रूपए प्रति कि0ग्र0 की दर पर यह सीधा बाजार से प्राप्त किया। बाजार के मूल्य की तुलना में स्ट्रोनशियम नाइट्रेट के अमितव्ययी उत्पादन के परिणामस्वरूप 54.65 लाख रूपये का अतिरिक्त खर्च हुआ।

कच्चे माल की अधिक कीमत तथा अत्यधिक उपरिव्यय के कारण हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी खड़की में उत्पादन की उच्च लागत आई थी।

यद्यपि फैक्टरी ने 1998-99 में सस्ता कच्चा माल अर्थात् स्ट्रोनशियम कारबोनेट का प्रयोग करके सामान की लागत 118 रूपए प्रति कि0ग्रा0 कम करने पर भी बाजार की तुलना में कुल उत्पादन लागत अमितव्ययी रही जो इस तथ्य से देखी जा सकती है कि हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी खड़की ने 69 रूपए प्रति कि0ग्रा0 बाजार मूल्य की तुलना में 759 रूपए प्रति कि0ग्रा0 की लागत पर 3343 कि0ग्रा0 स्ट्रोनशियम नाईट्रेट का उत्पादन किया जिसके परिणामस्वरूप 23.07 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

रक्षा मंत्रालय ने सितम्बर 1999 में स्ट्रोनशियम नाईट्रेट के उत्पादन में प्रयोग में लाई गई तकनीक के अतिरिक्त कच्चे माल को उच्च लागत का कारण बताया। मंत्रालय ने आगे बताया कि सहायक फैक्टरियों की आवश्यकता अति आवश्यक थी अतः अधिक शुद्ध और महंगा कच्चा माल जो स्ट्रोनशियम परआक्साईड था का उपयोग करके उत्पादन की शीघ्र स्थापना की जो उपभोक्ताओं की सभी आवश्यकताओं को पूरी करता था।

मंत्रालय का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि स्ट्रोनशियम परआक्साईड स्ट्रोनशियम कार्बोनेट से महंगा रसायन है। आयुध फैक्टरी देहू रोड द्वारा बाजार से प्राप्त स्ट्रोनशियम नाईट्रेट का प्रयोग करके उत्पादित पायरोटैक्निक परीक्षण में सफल रहा तथा बिना किसी शिकायत के सेना को आपूरित किया गया।

मंत्रालय ने यह तर्क भी दिया कि भिन्न-भिन्न फैक्टरियों द्वारा प्रयोग किया गया रसायन आयुध फैक्टरी देहु रोड़ द्वारा उपयोग में लाए गए रसायन से भिन्न था।

50. दोषपूर्ण निर्माण के कारण हानि

आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ द्वार पीतल के कपों के दोषपूर्ण उत्पादन के परिणामस्वरूप 2.24 करोड़ रूपये की हानि हुई।

महाप्रबंधक आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ स्वीकार्य गुणवत्ता परिमाप के अनुसार पीतल के कपों का उत्पादन करने में विफल होने के कारण गोलाबारूद फैक्टरी खड़की में 2.24 करोड़ रूपये लागत के कपों का अस्वीकरण हुआ जैसा कि नीचे बताया गया है:

आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ के0एफ030 A प्रकार के पीतल के कपों का उत्पादन करती है जो 5.56 मि0मी0 गोलाबारूद में प्रयोग होने के लिए गोलाबारूद फैक्टरी खड़की को आपूरित होते हैं।

दीवार व डोम के मोटापन में भिन्नता के कारण आयुध फैक्टरी अम्बाझरी द्वारा आपूरित 537.50 टन पीतल के कप गो0बा0फै0 खड़की द्वारा उपयोग नहीं किए गए

आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ ने मार्च 1993 से मई 1994 के दौरान अपनी गुणवत्ता नियंत्रण शाखा द्वारा निरीक्षण के पश्चात् 160 टन कपों को आपूरित किया। विकासशील मद होने के आधार पर इनकी गुणवत्ता आश्वासन स्थापना द्वारा जाँच नहीं होनी थी। इनमें से 18 टन कप इसकी दीवारों की मोटाई के साथ-साथ डोम की मोटाई में बहुत अंतर होने के कारण गोलाबारूद फैक्टरी में बिना उपयोग के रखे थे। आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ ने जून 1994 से मार्च 1998 तक गुणवत्ता लेखापरीक्षा जाँच के उपरांत 1980 टन कपों की और आपूर्ति की। दीवार और डोम की मोटाई ड्राइंग के अनुसार न होने के बावजूद आयुद्ध फैक्टरी अम्बरनाथ व गोलाबारूद फैक्टरी खड़की के महाप्रबंधक नवंबर 1994 में इस पर सहमत हुए कि इन परिमापों का आपसी सहमति से निपटान किया जाएगा और लेखा परीक्षा जाँच दृष्टिगत और धातु जांच तक सीमित रहेगी। इस कारण कपों का निर्धारित डोम एवं दीवार की मोटाई के निर्धारित सीमाओं में न होने के बावजूद भी उत्पादन जारी रहा। 42.96 करोड़ रूपए लागत के 2140 टन पीतल के कपों में से मार्च 1996 से मार्च 1997 के बीच 537.5 टन कप दीवार व डोम की मोटाई निर्धारित सीमा के बाहर होने के कारण

गोलाबारूद फैक्टरी खड़की द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए और कारतूस के निर्माण में उपयोग में नहीं लाए गए।

आ0फै0अम्ब0और गो0बा0फै0खड़की के अधिकारियों का कपों की छंटाई व अस्वीकृत कपों को आ0फै0अम्ब0 को वापिस भेजने का निर्णय

अप्रैल 1997 में हुई एक सभा में यह निर्णय लिया गया कि 35.84 लाख रूपये मूल्य के 18 टन कपों को आयुध फैक्टरी अम्बाझरी को वापिस भेजा जाए और 1996 व 1997 के दौरान आपूरित बकाया 519.50 टन कपों में से अस्वीकार्य कपों को अलग किया जाए।

183.40 टन पीतल के कपों को अंतिम रूप से अस्वीकृत किया गया तथा 1.93 करोड़ रूपए की हानि आंकी गई

गोलाबारूद फैक्टरी खड़की ने प्राप्ती के चार वर्ष उपरांत कपों की पुनःप्रक्रिया के लिए 18 टन कपों को फरवरी 1998 में आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ को वापिस भेजा। आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ और गोलाबारूद फैक्टरी खड़की के एक संयुक्त दल द्वारा 519.50 टन पीतल के कप जिन में से और छंटाई की जानी थी, 165.40 टन कपों को अंतिम रूप से अस्वीकृत कर दिया गया तथा यह अक्तूबर 1999 तक आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ को वापिस भेजे जाने थे। 183.40 टन पीतल के कपों के अस्वीकरण के कारण स्क्रैप से प्राप्त मूल्य को निकालकर 1.93 करोड़ रूपये की कुल हानि होगी।

रक्षा मंत्रालय ने अक्तूबर 1999 में बताया कि 165.40 टन कपों की छंटाई आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ में एक दल के द्वारा की जा रही है तथा कपों का टी0एण्ड0सी0 प्रैसों में क्रियान्वन किया जा रहा था जिसमें प्रक्रिया क्षमता की सीमाएं रखने की क्षमता थी और गोलाबारूद फैक्ट्री खड़की में 183.40 टन कपों के अस्वीकरण के अतिरिक्त और कोई अवीकरण नहीं हुआ। मंत्रालय ने यह भी बताया कि आयुध फैक्ट्री अम्बरनाथ अब फ्रिटज-वर्नर प्रैसों में कपों का उत्पादन कर रही थी1

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि नई फ्रिटज-वर्नर प्रैस में नवम्बर/दिसम्बर 1998 में उत्पादित 31 लाख रूपये मूल्य के 12.5 टन पीतल के कपों को भी डोम की कम मोटाई के कारण गोलाबारूद फैक्टरी खड़की द्वारा जून 1999 में अस्वीकृत कर दिया गया जिससे मशीन की सीमाओं की क्षमता के बारे में मंत्रालय के कथन पर प्रश्नचिन्ह लग गया।

इस तरह आयुध फैक्टरी अम्बरनाथ में दोषपूर्ण पीतल के कपों के उत्पादन के साथ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी और फैक्टरी की गुणवत्ता निरीक्षण शाखा की कमियों के कारण कपों का उपयोग नहीं हुआ तथा आयुध फैक्टरी खड़की में 196 टन कपों के अस्वीकरण से 2.24 करोड़ रूपए की हानि हुई।

51. दोषपूर्ण उत्पादन को छिपाने के लिए अनुमेय अस्वीकरण सीमा को बढ़ाना

महाप्रबंधक अपनी फैक्टरियों में अस्वीकरण के स्वीकार्य स्तर को उच्च करने की अनुमति देकर उत्पादन स्तर को कम कर सकते हैं, उन्हें स्पष्टतया नियमों के तहत बोर्ड की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

लेखा परीक्षा में यह पाया गय कि तीन फैक्टरियों के महाप्रबंधकों ने वास्तव में हुए अस्वीकरण के स्तर को छिपाने के लिए विशेष मदों के स्वीकार्य अस्वीकरण स्तर को बढ़ा दिया था। इन मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है:

मामला I

महाप्रबंधक धातु एवं इस्पात फैक्टरी ने अस्वीकरण को नियंत्रण में करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने के बजाए सामान्य अस्वीकरण प्रतिशतता को बढ़ाकर असामान्य अस्वीकरण को छिपा दिया।

कच्चे माल में निहित दोषों और 30 मि0मी0 गोलाबारूद के खोलों की सतह पर लगातार घुमाव निशानों के होने के कारण धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर में निर्धारित मानक से अधिक 1.79 करोड़ रूपए मूल्य के 32385 इस्पात के कारतूस खोलों का अस्वीकरण हुआ। महाप्रबंधक ने उच्च अस्वीकरण को पूरा करने के लिए और वृद्धि के औचित्य को प्रमाणित किए बिना ही अपरिहार्य अस्वीकरण प्रतिशतता में वृद्धि कर दी।

धा.ई.फै0 में खाली कारतूस खोलों का असामान्य अस्वीकरण पाया गया

सामान्य अस्वीकरण के प्रावधान के लिए अस्वीकरण की ऊपरी सीमा बढ़ाने का अनुमान का संशोधन

धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर ने जुलाई 1992 से सितंबर 1995 के दौरान जारी किए गए पाँच अधिपत्रों• के तहत जुलाई 1992 से अक्तूबर 1996 के दौरान आयुध फैक्टरी खमरिया को आपूर्ति करने हेतु 30 मि0मी0 गोलाबारूद के 1.37 लाख इस्पात के खाली कारतूस खोलों का उत्पादन किया जो 1991 से उत्पादन की एक स्थापित मद थे। धातु एवं इस्पात फैक्टरी द्वारा नवंबर 1990/ मार्च 1991 में तैयार किए गए अनुमानों में 10 से 15 प्रतिशत सामान्य अस्वीकरण का प्रावधान था1 पाँच अधिपत्रों में वास्तविक अस्वीकरण 16.77 और 28.70 प्रतिशत के बीच था जिसके कारण 82.67 लाख रूपए लागत के 18491 कारतूसों का अस्वीकरण हुआ। अभियांत्रिकी महत्ता और सततः प्रयासों के बाद 8 अक्तूबर 1996 को अस्वीकरण कम होकर 22-23 प्रतिशत तक रह गया।

कच्चे माल में निहित दोषों और खोलों पर लगातार घुमाव निशानों होने के कारण असामान्य अस्वीकरण हुआ

महाप्रबंधक ने अनुमानों में प्रदत सामान्य अस्वीकरण से अधिक अस्वीकरण को देखते हुए अक्तूबर 1999 में बिना किसी माप दण्ड के अपरिहार्य अस्वीकरण के मानक को संशोधित करके 15-25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया1 फैक्टरी ने अक्तूबर 1995 से अगस्त 1996 के

• अधिकार पत्र फैक्टरी के महाप्रबंधक द्वारा उत्पादन शॉप को दिए गए कार्य को करने का प्राधिकार देता है।

दौरान जारी किए गए पाँच दूसरे अधिपत्रों के प्रति अक्तूबर 1995 से जनवरी 1998 के बीच 1.48 लाख कारतूसों का और उत्पादन किया जिनमें 18.03 और 24.15 प्रतिशत के बीच वास्तविक अस्वीकरण रहा लेकिन महाप्रबंधक ने अनुमान में अस्वीकरण सीमा बढ़ाने का संशोधन करके पहले की अनुमेय अस्वीकरण सीमा की तुलना में 96.42 लाख रूपए लागत के 13894 कारतूसों के असामान्य अस्वीकरण को छिपा दिया।

जाँच बोर्ड का गठन केवल लेखा परीक्षा में बताए जाने के बाद किया

यद्यपि सितम्बर 1995 तक दिए गए पाँच अधिपत्रों को मार्च 1994 से अक्तूबर 1996 तक पूरा कर दिया गया था, महाप्रबंधक ने सितम्बर 1997 में लेखा परीक्षा में बताए जाने के बाद 15 प्रतिशत से अधिक असामान्य अस्वीकरणों के कारणों की जाँच करने के लिए दिसम्बर 1997 और मार्च 1998 में तीन जाँच बोर्डों का गठन किया। जाँच बोर्ड ने अपनी अगस्त 1998 और सितम्बर 1998 की रिपोर्ट में यह मत दिया कि अस्वीकरण मुख्यतः कच्चे माल में निहित दोषों, फैक्टरी द्वारा घटिया गुणवत्ता के खोलों का उपयोग और खोलों की सतह पर लगातार धुमाव निशानों के कारण हुआ और इस्पात की गुणवत्ता में सुधार, खोलों पर से घुमाव निशानों को हटाने, वैक्यूम संवर्धित इस्पात का प्रयोग आदि जैसे उपचारात्मक सुझाव दिए।

देर से गठित जाँच बोर्ड ने 82.67 लाख रूपए की हानि की औपचारिकताएं पूरी करने, क्योंकि अस्वीकरण सीमा पहले ही बढ़ा दी गई थी के अलावा कोई और उद्देश्य पूरा नहीं किया।

रक्षा मंत्रालय ने सितम्बर 1999 में कहा कि जाँच बोर्ड के गठन में देरी हुई थी और अनुमान में अपरिहार्य अस्वीकरण की प्रतिशतता में वृद्धि प्रक्रिया क्षमता और सामान में गुणवत्त की आवश्यकता के आधार पर की थी न कि असामान्य अस्वीकरण को छिपाने के लिए।

रक्षा मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1998 में पूर्ण हुए जँच बोर्ड ने महाप्रबंधक द्वारा अक्तूबर 1996 में अभियांत्रिकी महता के अध्ययन के बाद अपरिहार्य अस्वीकरण को 25 प्रतिशत तक बढ़ा देने के बाद भी 15 प्रतिशत से अधिक के अस्वीकरण को नियंत्रण में करने हेतु उपचारात्मक सुझाव दिए थे। उत्तर में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अक्तूबर 1996 के संशोधन को वृद्धि किए गए संशोधन से पूर्व जारी किए गए पाँच अधिपत्रों पर क्यों लागू किया गया।

मामला II

आयुध फैक्टरी कानपुर द्वारा बॉडी एवं बोट टेल गड़तों की थोक में विकास पूर्व मशीनीकरण की परिणति 47.48 लाख रूपये के अस्वीकरण में हुई

औ0एफ0सी0 में गड़तों के मशीनीकरण के दौरान असामान्य अस्वीकरण पाये गए

दिसम्बर 1995 से जनवरी 1998 के दौरान आयुध फैक्टरी कानपुर द्वारा ढ़ाले गए 2500 बॉडी में से 1196 बॉडी अस्वीकृत हुई। इस प्रकार अपरिहार्य अस्वीकरण प्रावधान 20 प्रतिशत के प्रति यह 48 प्रतिशत था। असामान्य अस्वीकरण का मूल्य 39.19 लाख रूपये था। इसी प्रकार इसी अवधि में मशीनीकृत 2200 बोट टेल में से 440 अस्वीकृत हुई इस प्रकार अपरिहार्य अस्वीकरण प्रावधान 10 प्रतिशत के प्रति 20 प्रतिशत कुल अस्वीकरण हुआ इस मामले में असामान्य अस्वीकरण का मूल्य 8.15 लाख रूपये था।

जांच मंडल ने अस्वीकरण के बढ़ाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया

महाप्रबंधक आयुध फैक्टरी कानपुर ने इन दो मामलों में असामान्य अस्वीकरण के कारणों के विश्लेषण हेतु दिसम्बर 1996 में जांच मण्डल का गठन किया। मार्च 1997 में जांच मण्डल ने अपनी जांच मे बताया कि इन दो मदों का भारी उत्पादनीकरण, विकास वारंट के माध्यम से पूर्णतः विकसित होने से पूर्व ही कर दिया गया था। अस्वीकरण का एक मुख्य कारण ढ़लाई का दोष था यद्यपि यह उत्पादन फैक्टरी में निरीक्षण के दौरान स्वीकृत किया गया था बॉडी ढ़लाई तथा बोट टेल ढ़लाई के मशीनीकरण का अपरिहार्य अस्वीकरण में क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत बढ़ाने का संशोधन प्रस्तावित किया गया । इसने कुछ अन्य सुधारात्मक उपचार भी संस्तुत किए जिनके लागू होने से बॉडी ढ़लाई के अस्वीकरण के मामले में 30 से 35 प्रतिशत तक की कमी आई।

महाप्रबंधक ने अस्वीकरण प्रतिशत जांच मण्डल की संस्तुती से अधिक किया

महाप्रबंधक आयुध फैक्टरी कानपुर ने तथापि मई 1997 में बोट टेल का प्रतिशत 10 से 20 तथा जुलाई 1997 में बॉडी का प्रतिशत 20 से 48 प्रतिशत तक अपरिहार्य अस्वीकरण में मानक वृद्धि की। यह देखा गया कि ये प्रतिशत में बढ़ौती इन मदों के उत्पादन में हो रही वास्तविक अस्वीकरण स्तर के सत्य समानुपाती थे।

यू0ए0आर में बढ़ोतरी हेतु संशोधन सक्षम प्राधिकरण की पूर्वानुमति आवश्यक है

यह पाया गया कि "गोलाबारूद एवं विस्फोटक" समूह की फैक्टरियाँ जो आयुध फैक्टरी मेडक के निरीक्षणाधीन है, के मामले में अनुदेश है कि असामान्य अस्वीकरणों के स्तर में वृद्धि केवल सम्बन्धित सदस्यों की अनुमति उपरान्त ही किया जाना चाहिए। लेकिन आयुध फैक्टरी कानपुर में यह निर्देश लागू नही होते हैं। यह मंत्रालय एवं आयुध फैक्टरी बोर्ड के बताने पर बजाए इसके कि इसको आयुध फैक्टरी बोर्ड के अन्तर्गत सारी फैक्टरियों में लागू करने के बारे में विचार करते हुए मंत्रालय ने बताया कि अपरिहार्य अस्वीकरण को बढ़ाना महाप्रबंधक की शक्तियों में है।

किसी नियंत्रण की अनुपस्थिति में, महाप्रबंधक जो स्वयं अपनी फैक्टरी में उत्पादन मानकों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी है उत्पादन गुणवत्ता में सुधार करने के बजाए वर्तमान अक्षमता स्तर अनुपालन में आश्रय लेने हेतु सदभागी हैं।

लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में फैक्टरी के महाप्रबंधक ने बताया कि ढ़लाई के दोष केवल मशीनीकरण के दौरान प्रकाश में आये। यह दृष्टिकोण रक्षा मंत्रालय द्वारा पृष्ठांकित किए गए जिसने उत्पादक फैक्टरी में तैयार अवस्था की ढ़लाई का निरीक्षण के दौरान अपनाए गए गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया की समीक्षा करना आवश्यक नहीं समझा।

मामला III

1990-97 के दौरान रायफल फैक्टरी ईशापुर में 9 एम0एम0स्वचालित पिस्तोल हेतु बैरल विनिर्माण में 11327 बैरलों का असामान्य अस्वीकरण हुआ; अस्वीकरण अभी तक तर्कसंगत सीमाओं में लाई जानी थी।

रा0फै0 ईशापुर में बैरल विनिर्माण में असामान्य अस्वीकरण

1990-97 के दौरान राइफल फैक्टरी ईशापुर में 9 एम0एस0 स्वचलित पिस्तौलों के बैरलों के निर्माण में वर्षों तक असाधारण अस्वीकरण होने से 11327 बैरलों का अस्वीकरण हुआ; अस्वीकरण अभी तक तर्क संगत सीमाओं के अन्तर्गत लाने थे।

फरवरी 1991 तथा अक्तूबर 1996 के दौरान रायफल फैक्टरी ईशापुर ने 9 एम0एम0 स्वचालित पिस्तौल की 1.02 लाख बैरलें निर्मित तथा निर्गमित की। विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान आकलनों में प्रावधानित 12 प्रतिशत सामान्य अस्वीकरण् के प्रति अस्वीकरण 18 प्रतिशत से 36.98 प्रतिशत तक पाया गया। इसके परिणामस्वरूप स्वीकार्य स्तर से 11327 अधिक बैरलें अस्वीकृत हुई। मार्च 1995 तथा अप्रैल 1999 के दौरान आयुध फैक्टरी बोर्ड ने केवल 9.48 लाख रूपये लागत की 1605 बैरलों की हानि को विनियमित किया।

महाप्रबंधक रायफल फैक्टरी ईशापुर ने असामान्य अस्वीकरण, जटिल आयाम, तैयार छिद्र चक्र की उच्च गुणवत्ता तथा कच्चे माल में निहित दोषों जैसे क्रैक, बलो होल्स पिट मार्क इत्यादि के कारण बताया।

वर्षों तक आवर्ती असामान्य अस्वीकरणों के बावजूद, महाप्रबंधक रायफल फैक्टरी ईशापुर ने आयुध फैक्ट्री बोर्ड के जनवरी 1987 के अनुदेशानुसार, बैरलों में असामान्य अस्वीकरणों के कारणों की जांच तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु कोई जांच बोर्ड गठित नहीं किया।

अगस्त 1997 में लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने पर महाप्रबंधक रायफल फैक्टरी ईशापुर ने बैरलों के असामान्य अस्वीकरण के कारणों की जांच हेतु सितम्बर 1997 में जांच

बोर्ड का गठन किया। जांच बोर्ड जिसका वर्क्स मैनेजर पीठासीन अधिकारी एवं कनिष्ठ वर्क्स मैनेजर सदस्य थे ने असामान्य अस्वीकरणों का कारण आंकलन में अवास्तविक अपरिहार्य अस्वीकरण प्रावधान तथा घटिया सामग्री एवं पुरानी राइफालिंग मशीनों का होना बताया।

जांच बोर्ड ने अस्वीकरण का कारण घटिया सामग्री व पुरानी मशीनें बताया

इस स्थिति के उपचार हेतु बोर्ड ने फैक्टरी को सुझाव दिया कि अपरिहार्य अस्वीकरण प्रतिशत में 22 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर दी जाए तथा ठण्डे स्वेजिंग संयंत्र से रायफल ग्रूव उत्पादन की तकनीकी एवं मितव्ययी सम्भावना का पता लगाया जाये। अप्रैल 1998 में महाप्रबंध राईफल फैक्टरी ईशापुर ने अपरिहार्य अस्वीकरण को 22 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। अक्तूबर 1999 तक रायफल ग्रूव हेतु ठंडा स्वेजिंग रूट नहीं अपनाया गया।

दिसंबर 1998 में मामला ध्यान में लाये जाने पर रक्षा मंत्रालय ने आयुध फैक्टरी बोर्ड को असामान्य अस्वीकरणों के प्रश्न की गहन जांच हेतु लेखाकार सहित कम से कम अतिरिक्त महाप्रबंधक के दर्जे के अधिकारी की अध्यक्षता में एक नये जांच बोर्ड के गठन का सुझाव दिया।

दिसंबर 1998 के रक्षा मंत्रालय के अनुदेशानुसार अतिरिक्त महाप्रबंधक मैटल एवं स्टील फैक्टरी ईशापुर की अध्यक्षता में, मई 1999 में उपमहानिदेशक आयुध फैक्टरी बोर्ड ने जून 1999 तक कार्यवाई पूर्ण करने की शर्त सहित एक जाँच मण्डल का गठन किया। तथापि जांच बोर्ड की प्रतिवेदन नवम्बर 1999 तक प्रतीक्षित थी। इसी बीच 1997-98 के दौरान अस्वीकरणों का 20 प्रतिशत सत्तत जारी था।

नवम्बर 1999 में आयुध फैक्टरी बोर्ड ने बताया कि उनके 1987 के अनुदेश राइफल फैक्टरी ईशापुर को पृष्ठांकित नहीं थे तथा उच्च अस्वीकरण रोकने हेतु यदि संभव हुआ तो जांच बोर्ड की अनुसंशा के अनुरूप कार्य किया जाएगा। आयुध फैक्टरी बोर्ड ने 1987 के उनके अनुदेश रायफल फैक्टरी ईशापुर को पृष्ठांकित न होने के कारण नहीं बताये।

अतः 1997 में लेखापरीक्षा द्वारा इन्गित किये जाने के बावजूद आयुध फैक्टरी बोर्ड ने 9 एम0एम0 स्वचलित पिस्तोलों के बैरल के असामान्य अस्वीकरण को रोकने हेतु जो 1991 से जारी था सुधारात्मक उपचार नहीं किए। जांच बोर्ड के प्रस्तावानुरूप, महाप्रबंधक राईफल फैक्टरी ईशापुर ने अपरिहार्य अस्वीकरण सीमा वृद्धि की जिसने 1990, जब तक उच्च स्तर की लगातार अस्वीकरणें रोशन नहीं हुई, से पूर्व का उत्पादन मानक प्राप्ति हेतु उपचारात्मक उपाय स्थापित करने के लिए फैक्टरी की विफलता के कारण उत्पन्न हानियों को विनयमित मात्र किया।

मामला रक्षा मंत्रालय को अगस्त 1999 में संदर्भित किया गया उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

52. विजयंत टैंक का शक्ति संवर्धन

फैक्टरी 'क' की उपभोक्ताओं के संतुष्टीकरण तक विजयंत टैंक के शक्ति संवर्धन में विफलता के कारण टैंकों की पुनः शक्ति के लिए 82.42 लाख रूपए लागत की परिसम्पतियों के सृजन करने के अलावा 15.17 करोड़ रूपए मूल्य के भण्डार फालतू हो गए।

मंत्रालय ने टी-72 टैंक के इंजन के साथ विजयंत टैंक का शक्ति संवर्धन का निर्णय लिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने 1991 के वार्षिक प्रतिवेदन संख्या 8 में विजयंत टैंक के आधुनिकीकरण में विलंब पर टिप्पणी की थी। टिप्पणियों में मंत्रालय का अक्तूबर 1990 में दिया गया यह कथन भी सम्मिलित था कि मई/जून 1991 के दौरान परीक्षणों की पुष्टीकरण के पश्चात् विजयंत टैंक में टी-72 टैंक का इंजन लगाया जाएगा। जुलाई 1992 में अतिरिक्त महानिदेशक (मैकनाइज्ड बलों) द्वारा पीठासीन जनरल स्टाफ ब्रांच की एक तकनीकी मूल्यांकन समिति ने सर्वसम्मति से कहा कि फैक्टरी 'क' द्वारा प्रस्तावित डिजाइन का विजयंत टैंक के शक्ति संवर्धन के लिए चयन किया जाए। लेकिन रिपोर्ट में ऐसी 15 कमियां दर्शायी गई जिन्हें शक्ति संवर्धन का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व दूर किया जाना चाहिए था1 इनमें हवा साफ करने की प्रणाली, ठण्डा करने की प्रणाली और ड्राइव लाइन जैसी जटिल प्रणालियां सम्मिलित थी।

टैंकों में क्षति तथा विकार के कारण शक्ति संवर्धित टैंकों का परीक्षण बाधित हुआ

तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा बताई गई कमियों को देखते हुए जनवरी 1994 में यह निर्णय लिया गया कि जून 1994 तक गहन उपभोक्ता परीक्षण हेतु पाँच शक्ति संवर्धित टैंक उपलब्ध कराए जाएं। जुलाई 1995 तक सेना को केवल दो शक्ति संवर्धित टैंक ही आपूरित किए जा सके। इन टैंकों का अक्तूबर 1995 में परीक्षण किया जाना था लेकिन अधिक गर्म होने, कम्प्रैशर सिलैण्डर के मुखभाग के टूट जाने और एयर स्टारटिंग प्रणाली के काम न करने के कारण परीक्षण होने में बाधा पड़ी। चूंकि सेना स्वयं क्षति सुधार नहीं कर सकी अतः दिसंबर 1995 में ओर परीक्षण रोक दिए गए। अगस्त-नवंबर 1996 में दो ओर शक्ति संवर्धित टैंकों के परीक्षणों में भी निरंतर कुछ समस्याएं सामने आईं। परिणामस्वरूप सेना ने जुलाई 1997 में शक्ति संवर्धन किट की अधिप्राप्ति में अक्षमता दिखलाई और सितम्बर 1997 में शक्ति संवर्धन परियोजना को समयापूर्व बंद कर दिया।

सेना ने शक्ति संवर्धन परियोजना को समयपूर्व बन्द कर दिया

सफल परीक्षण से पूर्व समयपूर्व अधिप्राप्ति ने किटों आदि को फालतू किया

इस तथ्य के बावजूद कि कोई भी शक्ति संवर्धित टैंक उपभोक्ता परीक्षण में सफल नहीं हुआ फैक्टरी 'क' के महाप्रबंधक ने 1994-95 में 135 आधुनिकीकरण किटों का सामान तथा घटकों की अधिप्राप्ति आरम्भ कर दी और फरवरी 1998 तक इस खाते में 12 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके थे। इनमें से 6.30 करोड़ रूपए मूल्य के सामानों/ घटकों को टी-72 टैंक के उत्पादन में उपयोग लाए लाने के लायक माना गया। लेकिन 4.17 करोड़ रूपए मूल्य का सामान जो पूरी तरह विजंयत टैंक के शक्ति संवर्धन के लिए था उसका कोई वैक्लपिक उपयोग उपयुक्त नहीं है।

विजयंत टैंक शक्ति संवर्धन की योजना के सफल परिणामों की शर्तपर सेना ने विजयंत टैंक के चैसिस पर लगाए गए नौ ' Z' टैंकों, जिसके लिए फैक्टरी ने सामान और घटकों की अधिप्राप्ति भी कर ली थी फैक्टरी 'क' को एक आदेश दिया। शक्ति संवर्धन परियोजना की विफलता के कारण सेना द्वारा बाद में आदेश रद्द करने से इस खाते में 11 करोड़ रूपए लागत के सामान का संचय हुआ।

सफल परीक्षण पूर्व ही मौलिक सुविधा हेतु संस्वीकृती प्रदान की गई।

मंत्रालय ने शक्ति संवर्धित टैंकों के सफलतापूर्वक परीक्षणों का इंतजार किए बिना ही टैंकों का शक्ति संवर्धन और ओवरहॉल करने हेतु एक बेस वर्कशॉप में अतिरिक्त भण्डारण शैड और इससे जुड़ी सुविधाओं के लिए 82.42 लाख रूपए अक्तूबर 1995 में स्वीकृत किए।

मूलभूत सुविधा प्रदान करने हेतु 1996 और 1997 के बीच ठेके किए गए।

दिल्ली छावनी में दो कमांडर वर्क्स अभियंताओं और दो दुर्ग अभियंताओं ने फरवरी 1996 और मई 1997 के बीच अतिरिक्त भण्डारण शैड और इससे जुड़ी कार्य सेवाओं के निर्माण हेतु कुल 69.12 लाख रूपए के छह ठेके किए।

सितम्बर 1999 तक कार्य के तहत 90.13 लाख रूपए का कुल व्यय लेखागत किया गया

बेस कार्यशाला में क्रैन के प्रावधान के अलावा सभी सिविल कार्य अगस्त 1996 और सितम्बर 1997 के बीच पूर्ण हो गये थे। सितम्बर 1997 में शक्ति संवर्धन परियोजना समयपूर्व बंद करने के बाद भी बेस कार्यशाला में वातानुकूलन संयंत्र के प्रावधान हेतु एक कमांडर वर्क्स अभियंता ने जून 1998 में 12.74 लाख रूपए का एक ठेका किया। वातानुकूलन संयंत्र की संस्थापना मई 1999 में की गई। सितम्बर 1999 तक परियोजना पर 0.74 लाख रूपए के लेखागत दायित्व के अतिरिक्त कुल 89.39 लाख रूपए खर्च हो गए थे।

स्टाफ/ प्राधिकारियों/ उपभोक्ताओं ने परियोजना के समयापूर्व बंद होने की सूचना मुख्य अभियंता दिल्ली क्षेत्र को नहीं की

अक्तूबर 1999 में मुख्य अभियंता दिल्ली क्षेत्र ने बताया कि स्टाफ प्राधिकारियों/ उपभोक्ताओं से कार्य के समयपूर्व बंद करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए आधारभूत सुविधा कार्य प्रगति में रहे तथा सम्पन्न हुए।

इस तरह परियोजना, जो उपभोक्ता परीक्षणों में सफल नहीं हुई, के लिए समयपूर्व अधिप्राप्ति कार्यवाई करने के कारण 15.17 करोड़ रूपये के भण्डारों का अधिग्रहण किया गया जिनका कोई वैक्लपिक उपयोग नहीं था तथा टैंकों के शक्ति संवर्धन के लिए 82.42 लाख रूपए की परिसम्पतियों का निर्माण किया गया जो बेकार हो गई।

मामला अगस्त/सितम्बर 1999 में मंत्रालय को भेजा गया उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

53. अपात्र फर्मों से भण्डारों की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय

अपात्र फर्मो का रक्षा विक्रेता के रूप में पंजीकरण तथा उनसे विभिन्न वैल्डिंग तारों, इलैक्ट्रोडस और फ्लक्स कोर्ड तारों की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 4.96 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग की तकनीकी समिति (शस्त्राशस्त्र भण्डार) द्वारा अपात्र फर्मों को रक्षा विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने के कारण आयुध फैक्टरी मेडक और भारी वाहन फैक्टरी आवडि को फ्लक्स कोर्ड तारें और विभिन्न वैल्डिंग तारें/ इलैक्ट्रोडस अधिप्राप्ति करने में 4.96 करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा।

रक्षा मंत्रालय की संयुक्त सेवाएं गाईड एकल विक्रेता ऐजेंटों के पंजीकरण को प्रतिबंधित करती है

तकनीकी समिति (शस्त्राशस्त्र भण्डार) ने विक्रेता ऐजेंटों को रक्षा सेवाएं को भण्डार आपूर्तिकर्ता के रूप में नियुक्त किया

रक्षा क्रय के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा 1992 में जारी संयुक्त सेवाएं गाईड के प्रावधानों के अनुसार क्षमता पुष्टिकरण, विक्रेताश्रेणी, विक्रेता क्रमीकरण और उत्पादक फर्मों के पंजीकरण के लिए मुख्य उत्पादक के एकल विक्रेता ऐजेटों पर रक्षा विक्रेताओं की पात्रता के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली की तकनीकी समिति (शस्त्राशस्त्र भण्डार) ने फर्म 'क' और फर्म 'ख' को वैल्डिंग इलैक्ट्रोडस और फ्लक्स कोर्ड तारों के आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जबकि ये क्रमशः मुख्य उत्पादक फर्म 'ग' और फर्म 'घ' की विक्रेता ऐजेंट थी। इन दोनों फर्मों को भी वैल्डिंग तारें/ इलैक्ट्रोडस की आपूर्ति के लिए अगस्त 1990 और नवम्बर 1993 में रक्षा विक्रेता के रूप में अनुमोदित कर दिया गया था।

विक्रेता ऐजेंटों से वैल्डिंग तारें/ इलैक्ट्रोडस की अभिप्राप्ति से 4.96 करोड़ रूपए का अतिरिक्त भार पड़ा

फ्लक्स कोर्ड तारें/वैल्डिंग तारें/ इलैक्ट्रोडस की अधिप्राप्ति के लिए आयुध फैक्टरी मेडक ने अप्रैल 1995 और अप्रैल 1997 के बीच इन दोनों फर्मों को आपूर्ति आदेश दिए तथा भारी वाहन फैक्टरी आवडि ने जून 1997 और मार्च 1998 के बीच उनको आठ आपूर्ति आदेश दिए। यह देखा गया कि आयुध फैक्टरी मेडक को मुख्य उत्पादकों की दरों से तुलना करने पर, जिसे उत्पादन शुल्क प्रतिपूर्ति के कागजातों के समर्थन में दर्शाया गया था, 39.68 लाख रूपयों का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा। इसी तरह भारी वाहन फैक्टरी आवडि ने भी इन दो फर्मों से अधिप्राप्तियों पर 4.56 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय वहन किया। इस तरह मुख्य उत्पादकों के बजाए विक्रेता ऐजेंटों के पंजीकरण के परिणामस्वरूप आयुध फैक्टरी मेडक व भारी वाहन फैक्टरी आवडि दोनों को 4.96 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

सितंबर 1996 में जब मामले पर लेखा परीखा में आपत्ति की गई तो आयुध फैक्टरी मेडक ने मुख्य उत्पादकों को आपूर्ति आदेश दिए तथा कम दरों पर आपूर्तियां प्राप्त की। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि तकनीकी समिति (शस्त्राशस्त्र भण्डार) द्वारा संयुक्त सेवाएं गाईड

की सिफारिशों को जानबूझकर अनदेखी करने से 4.96 करोड़ रूपए की परिहार्य हानि हुई जिससे एकल विक्रेता ऐजेंटों को लाभ पहुंचा।

मामला मई 1999/ अगस्त 1999 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

54. देश में ही विकसित भण्डार का परिहार्य आयात

1995-96 में देश में ही सफल विकास के बावजूद महाप्रबंधक भारी वाहन फैक्टरी आवडि द्वारा 1996-97 और 1997-98 के दौरान 105 वितरण पैनलों के आयात के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा विनियम के परिहार्य बहिर्गमन के अलावा 37.86 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

1995-96 में वितरण पैनल का देश में ही सफल विकास

भारी वाहन फैक्टरी आवडि ने 1998 में टी-72 टैंक के लिए वितरण पैनलों का आयात किया जिसके परिणामस्वरूप बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विनियम का बहिर्गमन हुआ तथा 37.86 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ जबकि, जैसा कि नीचे बताया गया है, फर्म 'क' ने वितरण पैनल का 1995-96 में सफल विकास कर लिया था:

रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग ने अक्तूबर 1993 में फर्म 'क' तथा फरवरी 1994 में भारत इलैक्ट्रोनिकस लिमिटेड चैन्नई से टी-72 टैंकों के वितरण पैनल के देश में ही विकास तथा क्रमशः 63 सैटों और 64 सैटों की 35000 रूपए प्रति सैट की दर से आपूर्ति करने हेतु दो विकास आदेश निष्पादित किए। दोनों ही ने वितरण पैनल का सफल विकास किया तथा 1995-96 के दौरान समस्त आदेशित मात्रा की भारी वाहन फैक्टरी आवडि को आपूर्ति की जिन्हें 1996-97 में फैक्टरी में उपयोग में लाया गया।

देश में ही विकास के बावजूद वितरण पैनल का आयात

वितरण पैनलों की देश में ही उपलब्धता के बावजूद महाप्रबंधक, भारी वाहन फैक्टरी आवडि ने अप्रैल 1996 से अक्तूबर 1997 के दौरान देशी फर्मों को आदेश नहीं दिए। इसके बजाए महाप्रबंधक ने 1996-97 और 1997-98 की आवश्यकता की पूर्ति हेतु फर्म 'ख' और फर्म 'ग' को क्रमशः जुलाई 1996 और सितम्बर 1997 में $1650 और $3100 प्रति की दर से वितरण पैनलों के 55 और 50 सैटों की अधिप्राप्ति के लिए दो आयात आदेश दिए। यद्यपि फर्म 'ख' को दिसम्बर 1996 तक मद की आपूर्ति करनी थी लेकिन वह जूलाई 1998 में ही आपूर्ति कर सकी। फर्म 'ग' ने 50 सैटों की समस्त मात्रा मार्च/अप्रैल 1998 की प्रस्तावित अवधि में आपूर्ति की जिसे जून 1998 में उपयोग में लाया गया।

मंत्रालय ने देरी को पूरा करने के लिए दिसम्बर 1997 में 48,200 रूपए की लागत पर 271 सैटों की आपूर्ति हेतु फर्म 'क' को एक आदेश दिया। फर्म 'क' में इन सैटों की निर्धारित अवधि में आपूर्ति की। देश में ही स्थापित स्रोतों से कम दर पर उपलब्ध होने पर भी अधिक कीमत पर वितरण पैनल के आयात के कारण विदेशी मुद्रा विनियम के परिहार्य बहिर्गमन के अतिरिक्त 37.86 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

आयुध फैक्टरी बोर्ड ने अगस्त 1999 में बताया कि पुनरीक्षा की अवधि के दौरान निरंतर देशज आपूर्ति न होने पर रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग द्वारा आयात की अनुमति देने पर ही भारी वाहन फैक्टरी आवडि ने मद का आयात किया। आयुध फैक्टरी बोर्ड का यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि फर्म 'क' तथा भारत इलैक्ट्रोनिकस लिमिटेड ने मदों की पूर्व में निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक आपूर्ति की थी और उनके निरंतर देशज आपूर्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था।

मामला जून 1999 में रक्षा मंत्रालय को भेजा गया उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

55. एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सर्च लाइट क्रय करने के कारण अतिरिक्त व्यय

प्रत्यक्ष आयात के बजाए भारी वाहन फैक्टरी अवाडि ने सर्च लाइट का भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड माचिलिपतनम के माध्यम से आयात करने के फलस्वरूप 59.95 लाख रूपये का फालतू व्यय सहन किया।

आ0फै0 वो0 ने भा0ई0लि0 को टी-72 टैंक की आपूर्ति के रूप में चुना

भारी वाहन फैक्टरी आवडि में निर्मित टी-72 टैंकों हेतु आवश्यक सर्च लाइट सहित कुछ ऑप्टो इलैक्ट्रोनिक मदों की आपूर्ति हेतु आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने भारत इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड माचिलिपतनम को एक घरेलू स्रोत के रूप में पहचान की।

भा0ई0लि0 के माध्यम से भारी वाहन फैक्ट्री द्वारा सर्च लाइट का आयात

भारी वाहन फैक्टरी आवडि ने जनवरी 1998 में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को विक्रय उपरान्त सेवा, घरेलू विकल्प की अनुपलब्धता तथा स्थानीय स्रोत चालू रखने के आधार पर 1.75 लाख रूपये इकाई लागत पर 186 सर्च लाइट की आपूर्ति हेतु एक आदेश दिया। सर्च लाइट दिसम्बर 1998 में प्राप्त हो गई थीं।

वास्तव में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड माचिलिपतनम ने एक विदेश फर्म से 3380 अमरीकी डालर इकाई कीमत पर जो 1.42 लाख के समान थी पर यंत्र का आयात किया

तथा बिना कोई अतिरिक्त विनिमार्ण कार्यवाही किए भारी वाहन फैक्ट्री अवाडि को 1.75 लाख रूपये प्रत्येक पर आपूरित किया।

भा0ई0लि0 के माध्यम से आयात में 59.95 लाख रूपए का फालतू व्यय हुआ

क्योंकि भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड माचिलिपटनम का कोई देशज़ कार्य अथवा मूल्य संयोजन नहीं था, भारी वाहन फैक्टरी स्वयं ही सर्च लाइट का उसी विदेशी फर्म से आयात कर 59.95 लाख रूपए की बचत कर सकती थी।

सितम्बर 1999 में मंत्रालय ने बताया कि फैक्टरी द्वारा आयातित सर्च लाइट का मूल्य तथा भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की संविदा में मध्य अन्तर अनुमानतः कल्पित लागत का 21 प्रतिशत था यदि फैक्ट्री प्रत्यक्ष आयात करती तथा यह कि भारत इलैक्ट्रानिक्स की 15 % वित्तीय लागतों एवं निरीक्षण लागतों तथा विक्रय उपरान्त सेवा के मद्दे नजर अन्तर व्याख्येय था।

मंत्रालय की यह धारणा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महाप्रबन्धक भारी वाहन फैक्टरी, 3500 अमरीकी डालर प्रत्येक की दर से 50 सर्च लाइट के अधिग्रहण हेतु अप्रैल 1998 में चैक रिपब्लिक की एक फर्म को प्रत्यक्ष रूप से आदेश भी दे चुका था तथा उसे नवम्बर 1998 में प्राप्त किया।

56. एक मशीन की अनावश्यक अधिप्राप्ति

महा प्रबंधक मशीन टूल प्राटोटाइप फैक्टरी अम्बरनाथ द्वारा एक महंगी आयातित मशीन की अधिप्राप्ति परिहार्य थी क्योंकि विद्यमान क्षमता इन्फैन्ट्री योद्धी वाहनों के घटकों के उत्पादन के लिए पर्याप्त थी।

आयुध फैक्टरी बोर्ड ने अप्रैल 1991 में बी0एम0पी0 परियोजना के लिए 1.09 करोड़ रूपये मूल्य की एक उच्च क्षमता वाली चार घुरों वाली टर्निंग मशीन की प्राप्ति के लिए संविदा करने की अनुमति दी जबकि 1990 में बी0एम0पी0 की आवश्यकता 500 से घटकर 200 रह गई जो विद्यमान क्षमता से पूरी हो सकती थी। टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी अम्बरनाथ में मशीन अक्तूबर 1997 में चालू हो गई थी तथा मार्च से जुलाई 1998 तक केवल 187 पारियों में ही प्रयोग की गयी थी और उसके बाद दिसम्बर 1999 तक मरम्मत के लिए पड़ी थी। इसके सीमित प्रयोग के बावजूद फैक्टरी में उत्पादन में कोई बाधा नहीं आई थी जैसा कि नीचे बताया गया है:

अप्रैल 1991 में डी0जी0एस0डी0 द्वारा आयात आदेश रखा गया

आयुध फैक्टरी बोर्ड के फरवरी 1989 के मांग पत्र के आधार पर महानिवेदक आपूर्ति एवं निपटान ने अप्रैल 1991 में एक विदेशी फर्म के एजेन्ट 'क' के साथ 1.09 करोड़ रूपये

मूल्य पर मशीन के आयात करने के लिए संविदा की। इन्फैन्ट्री योद्धी वाहनों बी0एम0पी0।। के पांच घटकों केप्रत्येक के 500 नग प्रति वर्ष निमार्ण करने के लिए इस मशीन की मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी अम्बरनाथ में आवश्यकता थी। यद्यपि थल सेना ने जून 1990 में इन्फैन्ट्री योद्धी वाहनों बी0एम0पी0।। की आवश्कयता 500 से घटाकर 200 प्रतिवर्ष कर दी थी फिर भी महा प्रबंधक मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी अम्बरनाथ ने मशीन की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चालू रखी। संविदा के अनुसार मशीन की आपूर्ति दिसम्बर 1991 तक होनी थी। लेकिन मशीन अक्तूबर 1997 में ही चालू की गई थी।

बी0एम0पी0 की आवश्यकता कम होने के बावजूद फैक्टरी ने मशीन अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चालू रखी मशीन देरी से अक्तूबर 1997 में चालू की गयी

इसी बीच महा प्रबंधक मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी अम्बरनाथ से अपनी फरवरी 1987 की चार पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन में नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापना की मांग के प्रति नवम्बर 1992 में उसी विदेशी आपूर्तिकर्त्ता से ऐसी ही एक मशीन का आयात किया था। यह मशीन फरवरी 1994 में चालू की गई थी। थलसेना द्वारा 1990 में अपनी वाहनों की आवश्यकता कम करने और इस मशीन के चालू होने के कारण आयुध फैक्टरी बोर्ड ने जनवरी 1995 में महाप्रबंधक मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी अम्बरनाथ से फैक्टरी की विद्यमान सुविधाओं से इन्फैन्ट्री योद्धी वाहन बी0एम0पी0।। के घटकों का उत्पादन स्थापित करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1991 के आदेश के प्रति मशीन की अधिप्राप्ति की आवश्यकता की पुनरीक्षा करने को कहा। लेकिन महाप्रबंधक मशीन प्रोटोटाइप फैक्टरी अम्बरनाथ ने अप्रैल 1991 के आपूर्ति आदेश के प्रति मशीन की अधिप्राप्ति के लिए जोर दिया। इस प्रकार अक्तूबर 1997 में अधिप्राप्ति एवम् चालू की गई मशीन मार्च 1998 से अगस्त 1998 तक के छः महीनों के लिए ही मात्र 187 पारियों में उत्पादन में प्रयोग की गई थी और उसके बाद मशीन क्षतिग्रस्त हो गई थी और दिसम्बर 1999 तक इसकी मरम्मत प्रतीक्षित थी।

ओ0एफ0बी0 ने मशीन अधिप्राप्ति की समीक्षा करने को कहा

एम0टी0पी0एफ0 ने मशीन की अधिप्राप्ति की

रक्षा मंत्रालय ने दिसम्बर 1999 में बताया कि अप्रैल 1991 के आदेश के प्रति प्राप्त की गई मशीन बहुआयामी एवम् ऐसे गुणों युक्त थी जो किसी ओर मशीन में उपलब्ध नहीं हैं और इसके उपलब्ध न होने पर तकनीकी आवश्यकता एवम् मात्रा के संदर्भ में भी उत्पादन क्षमता पर प्रति कूल प्रभाव पड़ता।

मंत्रालय का यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि अधिप्राप्ति के उपरान्त भी यह मशीन मार्च 1998 से अगस्त 1998 तक के 6 महीनों की संक्षिप्त अवधि के अतिरिक्त उत्पादन कार्य के लिए वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी ने कभी भी इस मशीन की अनुपलब्धता को उत्पादन में बाधा नहीं बताया।

57. आयातित ग्राइंडिग मशीन का चालू न होना

दो क्रेकंशाफ्टों की पिनों की ग्राइंडिग के लिए आयातित और वाहन फैक्टरी जबलपुर मे नवम्बर 1993 में प्रतिष्ठापित एक महंगी मशीन दो में से एक क्रेकशाफ्ट की क्रेंकपिन की ग्राइंडिग के लिए अभी तक चालू नहीं हुई थी।

वाहन फैक्टरी जबलपुर द्वारा 1.97 करोड रूपये मूल्य पर अधिप्राप्ति की गई एक क्रैन्क पिन ग्राइन्डिंग मशीन आपूर्तिकर्ता द्वारा उसकी प्राप्ति के 6 महीने बाद अगस्त 1999 तक भी चालू नहीं की गई थी जैसा कि नीचे बताया गया है:

आयुध फैक्टरी बोर्ड के एक मांगपत्र के प्रति महानिदेशक आपूर्ति एवम् निपटान ने शक्तिमान और निशान वाहनों के क्रैन्क शाफ्ट के क्रैन्क पिन की एक बार में ग्राइंडिंग के लिए 4.53 लाख पौंड मूल्य की एक क्रैन्क पिन ग्राइंडिग मशीन की अधिप्राप्ति के लिए विदेशी फर्म के एक एजेन्ट को सितम्बर 1987 में एक आदेश दिया। जनवरी 1982 में स्वीकृत शक्तिमान और निशान वाहनों के उत्पादन को बढ़ाकर 10,000 प्रति वर्ष किये जाने पर इस मशीन की आवश्यकता पड़ी थी।

वाहन फैक्टरी जबलपुर ने एक सम्वर्धन परियोजना के प्रति मशीन का आयात किया

महानिदेशक आपूर्ति एवम् निपटान की निरीक्षण विंग द्वारा अप्रैल/ मई 1992 में विदेशी फर्म के परिसर में निरीक्षण के उपरान्त मार्च 1993 में यह मशीन वाहन फैक्टरी जबलपुर में प्राप्त की गई थी। नवम्बर 1993 में फर्म के इन्जीनियरों द्वारा यह मशीन प्रतिष्ठापित की गई थी।

विदेशी फर्म निशान क्रैन्क शाफ्ट के लिए यह मशीन की उपयोगिता सिद्ध नहीं कर सकी

विदेशी फर्म फरवरी एवं मार्च 1994 में किए गए परीक्षणों में सतह समानता एवम् एन्गुलर भिन्नता प्राप्त न कर सकने के कारण निशान क्रैन्क शाफ्ट के उत्पादन के लिए इस मशीन की उपयोगिता सिद्ध नहीं कर सकी यद्यपि वह शक्तिमान क्रैन्क शाफ्ट के उत्पादन में इसकी उपयोगिता सिद्ध करने में सफल रही। इसी बीच संविदा मूल्य की 90 प्रतिशत एवम् एजेन्सी कमीशन की राशि 1.97 करोड़ रूपये का भुगतान विदेशी फर्म को हो चुका था।

विदेशी फर्म को 1.97 करोड़ रूपये का भुगतान भी कर दिया गया था

वाहन फैक्टरी जबलपुर और महानिदेशक आपूर्ति एवम् निपटान द्वारा विदेशी फर्म के साथ लम्बे समय तक पत्राचार के उपरान्त भी निशान क्रैन्क शाफ्ट के उत्पादन के लिए मशीन को उपयोगिता अभी सिद्ध होनी थी।

आयुध फैक्टरी बोर्ड ने अगस्त 1994 में बताया कि मशीन को अन्तिम रूप से चालू करने के लिए विदेशी फर्म के भारतीय एजेन्ट से बातचीत चल रही थी और विदेशी आपूर्तिकर्त्ता अपने एपलीकेशन इंजीनियर भेजने पर तैयार हो गये थे और मशीन के शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा थी।

इस प्रकार, एक महंगी मशीन जिसके लिए 1.97 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका था प्राप्ति के 6 वर्ष बाद भी पूरी तरह से चालू नहीं की जा सकी।

यह अनुशंसा की जाती है कि आयुध फैक्टरी बोर्ड/ आयुध फैक्टरियाँ आयात एवं अन्य स्रोतों से मशीनों की अधिप्राप्ति करते समय उनकी आपूर्ति संविदा में मशीनों को चालू होने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने के लिए समुचित प्रावधान भी रखे जिसे बैंक गारंटी के माध्यम से लागू किया जाए।

मंत्रालय को मामला जून 1999 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

58. दोषपूर्ण स्टेबीलाइजरों की अधिप्राप्ति

वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना हेस्टिंग्स की विफलता के कारण गन एवं शैल फैक्टरी कोसी पुर को बाजार से 23.17 लाख रूपये से अधिप्राप्त एक गोलाबारूद की दोषपूर्ण स्टेबीलाइजर इकाइयों को स्वीकार करना पड़ा।

महाप्रबंधक गन एवम् शैल फैक्टरी कोसीपुर के दो आपूर्ति आदेशों के प्रति एक प्राइवेट फर्म से प्राप्त 125 एम0एम0 गोला बारूद के 2709 स्टैबीलाइजर इकाईयों का वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना हेस्टिंगस ने अप्रैल 1992 एवम् मार्च 1993 के बीच निरीक्षण किया और उन्हें स्वीकार कर लिया। फैक्ट्री ने जून 1992 और अप्रैल 1993 के बीच तीन खेपों में वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (शस्त्र) द्वारा स्वीकार किए गए स्टेबीलाइजरों को गोला बारूद के खाली खोलों के साथ भराई एवम् संयोजन के लिए आयुध फैक्टरी चांदा को भेजी।

निरीक्षणालयों द्वारा निरीक्षित स्टेबीलाइजर परीक्षण में विफल हो गये

महाप्रबंधक आयुध फैक्टरी चांदा ने 1993 में 2709 भरे हुए खोलों में से 23.17 लाख रूपये मूल्य के 1624 खोल अस्वीकृत कर दिये क्योंकि वे स्थायित्व परीक्षण एवं रिकवरी परीक्षण में विफल हो गये थे। परीक्षण में विफलता के कारणों की समीक्षा करने पर पाया गया कि एक विशेष खपे के स्टेबिलाइजरों को बदले जाने की आवश्यकता थी। महा प्रबंधक गन एवं शैल फैक्टरी ने जुलाई 1995 में आपूर्तिकर्ता से 1624 स्टेबलाइजरों के बदलने का अनुरोध किया क्योंकि उनके कड़े व्यास में मोटी चूडियां होने एवम् पिन्स में दोष होने के कारण गर्म गैस निकाल रही थी।

महाप्रबंधक आयुध फैक्टरी चांदा ने अप्रैल 1995 से अप्रैल 1998 के बीच अस्वीकृत स्टेबीलाइजरों को गन एवम् शैल फैक्टरी को वापस भेज दिया।

गन एवम् शैल फैक्ट्री ने अस्वीकृत स्टेबीलाइजरों का डमी गोलाबारूद में उपयोग किया

आपूर्तिकर्ता ने दोषपूर्ण स्टेबीलाइजरों का प्रतिस्थापन नहीं किया इसलिए गन एवम् शैल फैक्ट्री कोसीपुर से जुलाई 1999 तक 154 अस्वीकृत स्टेबीलाइजरों का डम्मी गोला बारूद के संयोजन में उपयोग कर लिया था हालांकि इन्हें डम्मी गोला बारूद में प्रयोग करने के लिए नहीं खरीदा गया था और 20.97 लाख रूपये मूल्य के 1470 अस्वीकृत स्टेबीलाइजर पिछले 6-7 साल से बिना उपयोग के पड़े थे।

रक्षा मंत्रालय ने सितम्बर 1999 में बताया कि गन एवम् शैल फैक्टरी की गुणवत्ता नियंत्रण ईकाई द्वारा स्टेबीलाइजरों का व्यापक परीक्षण आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन के कर्मचारियों द्वारा इनका पहले ही यथावत निरीक्षण कर लिया गया था लेकिन मंत्रालय ने इस निरीक्षण की उपयुक्तता के बारे में कुछ नहीं बताया।

59. उपयोग की कोई सम्भावना न होने के बावजूद कोबाल्ट का निपटान न करना

महाप्रबंधक धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर के पास उपयोग की सम्भावना न होने के बावजूद 6.72 करोड़ रूपए मूल्य की कोबाल्ट 26 वर्षों से भण्डार में रखा है।

सुरक्षा चूकों के कारण धा0इ0फै0 में कोबाल्ट की चोरी हुई

उपयोग की सम्भावना न हाने के बावजूद धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर के पास दिसम्बर 1996 की दरों पर 6.72 करोड़ रूपये मूल्य के कोबाल्ट की बडी मात्रा 26 वर्षों से अधिक से रखी है। इस बीच कोबाल्ट की चोरी के कारण फैक्टरी को हानि उठानी पड़ी तथा चोरी के प्रयास का एक मामला भी हुआ।

नवम्बर 1994 में कोबाल्ट की चोरी का प्रयास और जांच बोर्ड का गठन

1981-82 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रक्षा सेवाएं) के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 14 में धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर में कोबाल्ट के बड़े भण्डार पर टिप्पणी की गई थी। फिर भी सितंबर 1999 तक धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर में 27.32 टन कोबाल्ट रखा हुआ था। लेखापरीक्षा जांच ने उद्घटित किया कि कोबाल्ट के वास्तविक वजन की पुष्टि प्रथम बार मार्च 1981 में की गई थी जिसमें 275 कि0ग्रा0 कोबाल्ट कम पाया गया और उसे जनवरी 1993 में नियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त अक्तूबर 1994 में एक फैक्ट्री कर्मचारी द्वारा 6.3 कि0ग्रा0 कोबाल्ट की चोरी का प्रयास भी किया गया जिसके कारण महाप्रबंधक धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर ने नवम्बर 1994 में एक जांच बोर्ड का गठन किया1

बोर्ड ने मई 1995 में कुल 1.391 टन कोबाल्ट की कमी बताई तथा एक स्टोरकीपर व दो अन्यों को हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया और राय दी कि सुरक्षा सतर्कता की विफलता के कारण चोरी हुई। जांच बोर्ड ने सुरक्षा सतर्कता सख्त करने तथा धातु की आवश्यकता न होने को देखते हुए कोबाल्ट के जल्द निपटान का सुझाव दिया।

अप्रैल 1997 में धा0इ0फै0 द्वारा गठित दूसरे जांच बोर्ड ने केवल 1.512 टन कोबाल्ट की कमी पाई

धातु एवं इस्पात फैक्टरी द्वारा बैठाया गया दूसरा बोर्ड 37.18 लाख रूपये मूल्य के 1.512 टन कोबाल्ट की कमी के निष्कर्ष पर पहुंचा। चोरी के खतरे और उपयोग की सम्भावना न होने के बावजूद महाप्रबंधक धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर ने अप्रैल /मई 1996 में 27.21 लाख रूपए प्रति टन की दर से एक प्राईवेट फर्म को दो टन कोबाल्ट बेचने के अलावा भण्डार के समापन के लिए कोइ कदम नहीं उठाया।

सितम्बर 1997 में लेखापरीक्षा की आपत्ति के उत्तर में आयुध फैक्टरी बोर्ड ने बताया कि कोबाल्ट की हानि के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए गए तीन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया था। रक्षा मंत्रालय ने नवम्बर 1999 में बताया कि धातु एवं इस्पात फैक्टरी ईशापुर में रखे कोबाल्ट के निपटान हेतु जुलाई 1999 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ बात की गई थी जिसका उत्तर प्रतीक्षित था।

इस तरह धातु की चोरी के निरंतर खतरे और कोबाल्ट के शीघ्र निपटान हेतु जांच बोर्ड की मई 1995 की सिफारिशों के बावजूद महाप्रबंधक द्वारा 26 वर्षों से अधिक भण्डार में रखे 6.72 करोड़ रूपए मूल्य के 27.32 टन कोबाल्ट का निपटान किया जाना था।

चोरी के खतरे और इसके उपयोग की सम्भावनाएं न देखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि सम्भावित उपयोग के लिए इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या मिधानी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को स्थानांतरण करने के लिए प्रभवी कदम उठाए जाए।

60. विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान

चार आयुध फैक्टरियों ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को 99.45 लाख रूपये के विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान किया।

वरनगाँव, चान्दा, अम्बाझरी तथा भुसावल चार आयुध फैक्टरियों के महाप्रबन्धकों ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को 99.45 लाख रूपये के विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान किया। केवल आयुध फैक्टरी अम्बाझरी ही बाद के बिलों से दिसम्बर 1998/जनवरी 1999 में अधिक भुगतान का समायोजन कर सकी तथा तीन अन्य आयुध फैक्टरियों द्वार अधिक भुगतान की गई 89.19 लाख रूपये की राशि की धन वापिसी अभी भी शेष थी।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की जून 1994 तक उच्च हाईटेंशन स्रोत से विद्युत प्राप्त कर रहे घरेलू तथा व्यवसायी उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की गई विद्युत के लिए शुल्क समान था। बोर्ड ने जुलाई 1994 में शुल्क दरें संशोधित की थीं जिसके अनुसार व्यवसायिक व घरेलू दरें क्रमशः 2.64 रूपये एवं 1.60 रूपये प्रति इकाई संशोधित कर दी गई थीं। शुल्क दरें

जुलाई 1996 में पुनः संशोधित करके व्यवसायिक व घरेलू उपभोक्ताओं हेतु 3.59 रूपये तथा 2.20 रूपये प्रति इकाई कर दी गई।

महाप्रबंधक ने घरेलू उपयोग का भुगतान व्यवसायिक उपभोक्ताओं को लागू दरों पर किया

आयुध फैक्टरियों द्वारा एम0एस0ई0बो0 को 99.45 लाख रूपये का अधिक भुगतान किया गया

लेखा परीक्षा में जांच से पता चला कि यद्यपि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शुल्क् दरें कम कर दी गई थीं परन्तु इन फैक्टरियों के महाप्रबन्धक फैक्टरी सम्पदा के निवासियों को आपूरित विद्युत के लिए भी व्यवसायिक उपभोक्ताओं को लागू उच्च दरों पर भुगतान करते रहे। परिणामतः जुलाई 1994 से अगस्त 1998 के दौरान महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड को 99.45 लाख रूपए का अधिक भुगतान किया गया। महाप्रबंधक आयुध फैक्टरी अम्बाझरी ने दिसम्बर 1999 में विद्युत बोर्ड से 10.26 लाख रूपये को लौटाने हेतु अनुरोध किया था।

लेखा परीक्षा में बताये जाने पर चारों फैक्टरियों के महाप्रबन्धकों ने जनवरी व अक्तूबर 1998 में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से अधिक भुगतान की राशि की वापिसी हेतु सम्पर्क किया। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने आयुध फैक्टरी अम्बाझरी से जुलाई से दिसम्बर 1994 के दौरान अधिक वसूल की गई राशि 10.26 लाख रूपये का दिसम्बर 1998 तथा जनवरी 1999 के विद्युत बिलों में समायोजन कर दिया। शेष तीन फैक्टरियों से अधिक वसूल की गई राशि 89.19 लाख रूपये की वापसी के बारे में राज्य विद्युत बोर्ड का निर्णय सितम्बर 1999 तक प्रतीक्षित था।

मंत्रालय ने नवम्बर 1999 में बताया कि दरों में संशोधन परिपत्र या तो बहुत विलम्ब से प्राप्त हुआ था या नहीं हुआ था तथा तीनों फैक्टरियाँ राज्य विद्युत बोर्ड से निरंतर सम्पर्क में थी।

यह संस्तुत किया जाता है कि एक उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि जब कभी भी शुल्क दरों में संशोधन हो तो आयुध फैक्टरियों को इसकी तुरंत जानकारी प्राप्त हो सके ओर विद्युत बिलों का सही दरों पर भुगतान किया जा सके।

61. अन्तर्फैक्टरी आपूर्तियों में दोषों को छिपाना

सामग्री के अनावर्ती दर प्रपत्र के बढ़ाने के कारण आयुध फैक्टरी वारानगांव ने 38.49 लाख रूपये के दोषपूर्ण घटकों की स्वीकृति का दबाया

अपवादात्मक परिस्थितियों में जिसमें अनावर्ती प्रकृति के छिटपुट कार्य भी है के लिए मानक अनुमानों में प्रदत्त से अधिक सामान के उपयोग, जो अपरिहार्य अस्वीकरण की एक विशिष्ट प्रतिशतता निर्धारित करता है, को अनावर्ती दर प्रपत्र पर आहरित किया जा सकता है।

ओ0एफ0वी0 ने अनुमानित मात्रा से अधिक चार्जर क्लिपों और कैरियर का उपयोग किया

आयुध फैक्टरी वारानगांव ने फरवरी और मार्च 1997 के दौरान मानक अनुमानों से अधिक 6ए/ एल चार्जर क्लिपों और कैरियर के सामान का अनावर्ती दर प्रपत्र के द्वारा आहरण किया। ये मदें सहफैक्टरियों से प्राप्त की गई तथा उनका आयुध फैक्टरी वारानगांव में भण्डारण किया गया और उनका उस फैक्टरी मे उत्पादित गोलाबारूद की पैकिंग के लिए उपयोग होता था । मानक अनुमानों में प्रदत्त से 38.49 लाख रूपए का सामान अधिक आहरण किया गया था।

अधिक अपव्यय को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाई करने के बजाए म0प्र0 ने उनको संचित होने दिया

मामला जब रक्षा मंत्रालय के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने दिसम्बर 1999 में बताया कि मानक अनुमानों से अधिक जिसको संदर्भित सामग्री के अनावर्ती दर प्रपत्र पर प्राप्त की गई सामग्री द्वारा पूरा किया गया था, संचित अस्वीकरणों का प्रतिनिधित्व करती थी तथा अस्वीकरणों को, जब सामग्री को 3/4 अधिपत्रों के तहत निरंतर उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में उपयोग किया जा रहा हो, तो अधिपत्र-वार नहीं पहचाना जा सकता। मंत्रालय ने आगे बताया कि अभयंकर समिति ने बाजार से या अंतर्फैक्टरी स्रोतों से घटिया आपूर्ति के मामलों में इस विधि को अपनाने की सिफारिश की थी।

रक्षा मंत्रालय का उत्तर स्पष्ट संकेत देता है कि सह-फैक्टरियों से प्राप्त इन सामग्रियों की आपूर्तियों के दोषों का स्तर मानक अनुमानों में निर्धारित स्वीकार्य स्तर से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप अपरिहार्य अस्वीकरण हुए। रक्षा मंत्रालय का उत्तर इस बारे में मौन है कि क्या अभयंकर समिति द्वारा सुझाई मद आवश्यक निवारक/ सुधारात्मककार्यवाई की गई और क्या उचित जांच की गई तथा अधिक अस्वीकरणों के विशेष कारणों को अभिलेखित किया गया।

वर्तमान मामला मानक अनुमानों के प्रावधानों से अधिक अपव्यय को सामग्री के अनावर्ती दर प्रपत्र के रूप में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा छिपाने का और ऐसी कार्यवाई को आयुध फैक्ट्री बोर्ड/ रक्षा मंत्रालय का समर्थन होने का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

62. लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर जून 1960♦ में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए थे कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफों के उत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेज दें।

♦ संख्या. फ 32 (9) ई.जी.1/60 दिनांक 3 जून 1960

ड्राफ्ट पैराग्राफ सदैव सम्बन्धित लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर ध्यान दिलाते हुए अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से भेजे जाते हैं तथा छः सप्ताह के अन्दर उत्तर भेजने का उनसे अनुरोध किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया था कि इन मामलों की नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है; में सम्मिलित किए जाने की संभावना थी अतः इन मामलों में उनकी टिप्पणियों को भी सम्मिलित करना उपयुक्त होगा।

मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) 2000 की संख्या 7 के आयुध फैक्टरी खण्ड में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफ रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के सचिव को मई 1999 तथा सितम्बर 1999 के बीच अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से भेजे गये थे।

लोक लेखा समिति के आग्रह पर जारी वित्त् मंत्रालय के अनुदेशों के बावजूद भी रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग के सचिव ने 18 में से 8 ड्राफ्ट पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे। अतः मंत्रालय के सचिव के उत्तर उनमें सम्मिलित नहीं किए जा सके।

मंत्रालय /विभाग	मंत्रालय/विभाग के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए पैराग्राफों की कुल संख्या	सम्बन्धित सचिवों से उत्तर प्राप्त न होन वाले पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफ संख्या
रक्षा मंत्राल, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग आयुध फैक्ट्री बोर्ड	18	8	45,46,47,48,52, 53,54 तथा 57

सुधा राजागोपालन

(सुधा राजागोपालन)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं

नई दिल्ली
दिनांकः 1 मई 2000

प्रतिहस्ताक्षर

विजय शुंगलू

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 1 मई 2000

परिशिष्ट

बकाया की गई कार्रवाई की टिप्पणियों की स्थिति

(पैराग्राफ 18 के संदर्भ में)

क्रम संख्या	प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
1.	संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) का वर्ष 1985-86 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	34*	कम/दोषपूर्ण आपूर्ति को प्रदर्शित करने में विलम्ब के कारण हानि
2.		69**	रक्षा साइडिंग के उपयोग हेतु प्रभारों की वसूली में विफलता
3.	1988 की संख्या 2	9**	बाज़ार से यौद्धी पोशाक का क्रय
4.		41**	विशेष प्रकार के मोम की अधिप्राप्ति में हानि
5.	1989 की संख्या 2	11*	155 मि.मी. कर्षित तोप प्रणाली और गोलाबारूद का क्रय एवं लाइसेंस उत्पादन
6.		18*	तोपों में दोषों के परिशोधन में अकारण विलम्ब
7.		81*	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में उपस्करों के उपयोग की पुनरीक्षा
8.	1990 की संख्या 12	9*	बोफोर्स के साथ (क) 155 मि.मी तोप प्रणाली के क्रय एवं लाइसेंस उत्पादन और (ख) प्रति व्यापार के लिए संविदाएं
9.		10*	एक तोप प्रणाली का प्रवर्तन एवं अप्रवर्तन
10.		15**	एक शस्त्र प्रणाली के लिए मरम्मत सुविधाएं
11.		17**	टैंक के लिए अग्नि नियंत्रण प्रणाली का आयात
12.		19*	पुराने प्रकार के गोलाबारूद का आयात
13.		46**	राशन मद-दाल
14.	1991 की संख्या 8	1.7*	भण्डारों की जमा का सत्यापन न होना
15.		10*	आवश्यकता से अधिक भण्डारों की अधिप्राप्ति
16.		13*	केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा
17.		15**	मांस की एक संविदा के अनुचित निरस्तीकरण के कारण अतिरिक्त व्यय

18.		17**	दाल चना की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
19.	1992 की संख्या 8	12*	कम्प्यूटर की अधिप्राप्ति
20.		18*	अवमानक टिम्बर सॉफ्ट वुड की आपूर्ति
21.		20**	एक आयुध डिपो में अवमानक सामानों की अधिप्राप्ति
22.		28**	उपयोग न किए जा रहे रक्षा टैंकों के रखरखाव प्रभारों का परिहार्य भुगतान
23.		58	आवश्यकता से अधिक भण्डारों की अधिप्राप्ति
24.		72**	भण्डारण आवास के निर्माण में विलम्ब
25.		81**	एक छावनी बोर्ड को अनावश्यक सेवा प्रभारों का भुगतान
26.		91**	पता न लग रही/गुम हुई फर्नीचर की मदों की जाँच में विलम्ब
27.	1992 की संख्या 13	भाग I*	अन्य श्रेणियों की भर्ती
28.		भाग II	अन्य श्रेणियों का प्रशिक्षण
29.	1992 की संख्या 14	सम्पूर्ण * प्रतिवेदन	आर्मी बेस कार्यशालाएं
30.	1993 की संख्या 8	7 **	आबंटन पत्रों के जारी करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय
31.		13*	एक राड़ार के विकास पर निष्फल व्यय
32.		16*	रबड़ बुशों की अधिप्राप्ति
33.		19*	जाँच न्यायालय की कार्यवाही
34.		25*	टार्गेट स्लीव्ज़ का अधिकता में रखना
35.		29*	पर्वतारोहण उपस्कर और क्रीडा मदों का आयात
36.		31*	संरोध प्रभारों का परिहार्य भुगतान
37.		33*	एक एक्स्चेंज के किराए पर लिए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय
38.		68*	एक नौसेना वायु स्टेशन के लिए सिविल कार्य
39.		69*	एक कम्प्यूटर केन्द्र हेतु सृजित परिसम्पत्तियों का अनुपयोग
40.		74* (मामला II)	प्रशिक्षण शेडों का प्रावधान
41.		75**	वित्तीय सहमति प्रदान करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

42.	1994 की संख्या 8	10**	एक राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय की स्थापना
43.		17*	एक दोषपूर्ण उपस्कर का आयात
44.		18*	एक संयंत्र का चालू न होना
45.		23*	सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान
46.		64*	कार्य के रूपांकन एवं निष्पादन में अपर्याप्तता के कारण निष्फल व्यय
47.		67**	विवाहितों के लिए आवास का निर्माण एवं उसका पुनर्विनियोजन
48.		68**	जल आपूर्ति योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय
49.		72**	एक मद की ऊंची दर पर अधिप्राप्ति
50.		73**	संशोधित आंकलन के सामयिक प्रस्तुतिकरण में विफलता के कारण अतिरिक्त व्यय
51.		76*	एक आर्मी पब्लिक स्कूल की स्थापना
52.		78**	विद्युत प्रभारों की कम वसूली
53.		80**	दोषपूर्ण निर्माण के कारण एक सम्पत्ति का अनुपयोग
54.		82**	बाह्य विद्युतीकरण और जल आपूर्ति कार्य के पूर्ण न होने के कारण राजस्व की हानि
55.		85*	दोषपूर्ण ग्रेवेन्ट वेन्टिलेशन प्रणाली का प्रावधान
56.	1995 की संख्या 8	12*	रक्षा आपूर्ति विभाग की कार्य प्रणाली
57.		13*	आयातित दोषपूर्ण गोलाबारूद की मरम्मत में देरी
58.		17*	राड़ार का आयात
59.		22** (मामला II)	लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियाँ
60.		29	दोषपूर्ण पैराशूटों का निर्माण
61.		30	पैराशूटों का अनुपयोग
62.		81**	परिसम्पत्तियों का न्यून उपयोग
63.		84**	दोषपूर्ण निर्माण के कारण परिहार्य अतिरिक्त भुगतान
64.		85*	पारिवारिक आवास के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण आवास को परिहार्य भाड़े पर लेना
65.		87**	एक व्योमस्थ पानी की टंकी का गिर जाना
66.		88*	छः अनुसंधान एवं विकास स्थापनाओं में श्रमशक्ति

			उपकरण और सामग्री प्रबन्ध की पुनरीक्षा
67.	1996 की संख्या 8	12*	आयातित गोलाबारूद की मरम्मत में अत्यधिक विलम्ब
68.		18*	आदेश देने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय
69.		22*	वाहनों को किराए पर लेना
70.		24*	टायरों की अनौचित्यपूर्ण अधिप्राप्ति पर व्यर्थ व्यय
71.		25*	माउन्टिंग ट्राइपोडों की परिहार्य अधिप्राप्ति
72.		26*	प्रक्रियागत कमियों के कारण हानि
73.		28**	तेल की उपयोगिता अवधि समाप्त होने से हुई हानि
74.		63*	योजना के अभाव में निरर्थक व्यय
75.		67**	लेखापरीक्षा के बताए जाने पर बचतें
76.		68**	नाविकों के लिए विवाहित आवासों के निर्माण में विलम्ब
77.		69*	एक पब्लिक स्कूल पर अनियमित व्यय
78.		70*	उच्च शक्ति के निम्न स्तरीय सीमेन्ट की आपूर्ति
79.		73**	एक फर्म को अधिक भुगतान
80.		75**	स्कवैश कोर्टों का अनधिकृत निर्माण
81.		76*	हाफ ट्रेक मल्टिरोल व्हीकल के डिज़ाइन एवं विकास पर निष्फल व्यय
82.	1997 की संख्या 7	7	नियमितीकरण हेतु बकाया हानियाँ
83.		10**	दोषी फर्मों से सामान्य क्षतियों की वसूली न होना
84.		11*	इंजनों की अनावश्यक अधिप्राप्ति
85.		12*	स्टील पेटियों का अधिक प्रावधान
86.		14*	आयातित उपस्कर के गलत प्रेषण के कारण हानि
87.		15	वाहन के लिए सीटों और गद्दियों का अधिक प्रावधान
88.		17*	चिकित्सा भंडारों एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति और उपयोग
89.		18*	रक्षा भूमि प्रबन्धन
90.		19**	दोषपूर्ण बारूदी सुरंगें
91.		20**	निधियों को व्ययगत होने से बचाने के लिए इण्डियन ऑयल कारपोरेशन को अनियमित भुगतान
92.		21*	फ्यूज़ों में कॉपर अज़ाइड बनने के कारण हानि

93.		24*	एक फर्म के प्रति अनावश्यक पक्षपात
94.		26	दोषपूर्ण स्टेयरिंग असैम्बलियों की अधिप्राप्ति
95.		28*	एक आर्मी बेस वर्कशॉप में श्रमशक्ति का कम उपयोग
96.		29**	पोर्टेबल स्टील बिनों की अधिप्राप्ति में विलम्ब
97.		32	प्रभारों का अनियमित भुगतान
98.		33*	वाहनों के गलत प्रेषण के कारण हानि
99.		69**	ब्लास्ट पैनों एवं टैक्सी पथ का दोषपूर्ण निर्माण
100.		70**	कार्य विलम्ब से पूर्ण होने के कारण निष्फल व्यय
101.		72*	वित्तीय सहमति देने में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि
102.		74**	एक चार दीवारी का परिहार्य निर्माण
103.		75*	निर्धारित से अधिक विशिष्टताओं के ढलवाँ लोहे के पाइपों की अधिप्राप्ति पर अनाधिकृत व्यय
104.		76*	अधिक निर्गमित विभागीय भंडारों की बावत ठेकेदारों से वसूली न होना
105.		78*	एक दोषी ठेकेदार से अतिरिक्त व्यय की वसूली न होना
106.		79*	दोषपूर्ण योजना के कारण परिसम्पत्तियों का अनुपयोग
107.		80*	विद्युत-भार उल्लंघन प्रभारों का परिहार्य भुगतान
108.	1998 की संख्या 7	9	भण्डारों की हानि
109.		12*	प्राधिकार देना और व्यय
110.		14*	राड़ार के सुधार पर अतिरिक्त व्यय
111.		15	अनुचित भंडारण के कारण गोलाबारूद की हानि
112.		16	प्रश्नास्पद सौदा
113.		17*	दोषपूर्ण राड़ारों की अधिप्राप्ति
114.		18	सरकारी हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करने में विफल रहने के कारण राइफलों एवं गोलाबारूद की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय
115.		19**	दोषपूर्ण पैराशूटों का आयात
116.		20*	बन्दूक की नालों की अधिक अधिप्राप्ति
117.		21	संविदा प्रावधानों का पालन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय
118.		22*	दोषपूर्ण मिसाइलों का आयात

119.		23*	आयातित परीक्षण उपस्कर का उपयोग न होना
120.		24** मामला-I	लेखापरीक्षा के संकेत पर वसूली
121.		25*	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई
122.		27*	लघु सुदूर चालित वाहन का विकास
123.		28*	सैन्य फार्मों की कार्य प्रणाली
124.		30	कन्टेनर डिटेन्शन प्रभारों का परिहार्य भुगतान
125.		32*	अवमानक सिलेन्डरों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
126.		33*	गैर हकदार व्यक्तियों को विशेष ड्यूटी भत्ते का अनाधिकृत भुगतान
127.		34	मुफ्त राशन का अनाधिकृत निर्गम
128.		36*	उच्च दरों पर बैटरियों की अधिप्राप्ति
129		37*	हैड परकुशन के निर्माण पर परिहार्य व्यय
130.		38*	चार्जिंग सैटों की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय
131.		39*	विवाहित आवास योजना के कार्यान्वयन में असामान्य विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय
132.		40*	अनुपयुक्त रूपांकन के कारण परिहार्य व्यय
133.		41*	नलकूपों की अपरिपक्व असफलता
134.		42*	स्थल चयन में अनिर्णय के कारण फालतू व्यय
135.		43*	दोषपूर्ण कारीगरी के कारण भवन का अनुपयोग
136.		44*	संविदा निष्पादन में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय
137.		45*	एक भीतरी व्यायामशाला के निर्माण में असामान्य विलम्ब
138.		46*	एक चार दीवारी के अनुचित निर्माण के कारण परिहार्य व्यय
139.		47	दोषपूर्ण नियोजन के कारण विवाहित अधिकारियों हेतु आवास का अधिग्रहण न किया जाना
140.		48*	रिहायशी आवासों का अनुपयोग
141.		49	रियायती शुल्क दर का लाभ उठाने में विलम्ब के कारण परिहार्य भुगतान
142.		50**	विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान
143.		51*	विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान
144.		52*	राजस्व की हानि

145.		53*	सफाई व्यवस्था प्रभारों का भुगतान
146.		55	उच्चतर दरों की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त व्यय
147.		56*	गलत निविदा तैयारी के कारण फालतू व्यय
148.		57*	वातानुकूलनों की अप्राधिकृत उपयोग
149.		58*	निविदा के निरस्तीकरण के कारण अतिरिक्त व्यय
150.		59*	वित्तीय सहमति प्रदान करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय
151.		60*	नवनिर्मित क्वार्टरों का अनुपयोग
152.		61*	एक निष्क्रिय प्रयोगशाला पर निष्फल व्यय
153.		62**	उच्च गति की विडियो रिकार्डिंग प्रणाली के आयात पर निष्फल व्यय
154.		63*	सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान
155.		64*	निम्न स्तर के हॉट मिक्स संयंत्रों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
156.		65*	एक मशीन के विकास पर निष्फल व्यय
157.		66*	एक पुल का अनुपयोग
158.		67*	एक सड़क के पुनः सीधा करने पर निष्फल व्यय
159.		68*	भण्डारों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति

* **अन्तिम निपटान/ विधीक्षा हेतु प्रतीक्षित की गई कार्रवाई टिप्पणी**

बिना * **चिन्ह - की गई कार्रवाई टिप्पणी जो प्रथम बार भी प्राप्त नहीं हुई।**

** लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् विधीक्षा के उपरान्त अन्तिम रूप दी गई की गई कार्रवाई की टिप्पणी के सम्बंध में शुद्धिपत्र मंत्रालय से प्रतीक्षित है